ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

अगस्त 2026
वर्ष : 08 अंक : 08

भारत का पहला निजी रॉकेट

विक्रम-1

इस अंक में ....

- यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2025–26
- वैश्विक टीकाकरण प्रणाली
- भारत-जापान 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026
- भारत–इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी
- तीसरा भारत–ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 2026
- भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता
- कुकरैल नाइट सफारी परियोजना
- पुगा घाटी में भारत का पहला गहरा भूतापीय कुआँ
- पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026
- भारत में पहली डेंगू वैक्सीन (क्यूडेंगा) को मंजूरी
- चांदीपुरा वायरस (CHPV)
- आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2026
- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026
- निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026
- सेवा उत्पादन सूचकांक (आईएसपी)
- आईएनएस मालवन
- कुशा मिसाइल
- फीफा विश्व कप 2026
- 72 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024

» मुख्य विशेषताएं

पॉवर पैक्ड न्यूज़ | प्री बेस्ड एमसीक्यू | संपादकीय लेख

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान हो, बल्कि उचित ज्ञान, संतुलित दृष्टिकोण और ज्ञान के प्रभावी क्रियान्वयन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी प्रभावी अभिव्यक्ति महत्त्वपूर्ण होती है। यह अभ्यर्थी की विश्लेषणात्मक क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और समसामयिक मुद्दों के प्रति उसकी संतुलित समझ का भी मूल्यांकन करती हैं। तैयारी की यह प्रक्रिया केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति को राष्ट्र और समाज के महत्त्वपूर्ण विषयों पर सार्थक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में भी प्रेरित करती है। निस्संदेह यह यात्रा चुनौतीपूर्ण है, किन्तु उतनी ही प्रेरणादायी और उद्देश्यपूर्ण भी।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई चयनित सिविल सेवकों की समसामयिकी स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न माध्यम रही है। बदलते परीक्षा पैटर्न, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं तथा समकालीन विषयों की प्रकृति के अनुरूप यह पत्रिका निरंतर स्वयं को परिष्कृत करती रही है।

मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-
+91 9369227134
perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक समसामायिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 05-18

- ➢ **सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा: भारत की विरासत संरक्षण नीति और सांस्कृतिक कूटनीति को वैश्विक मान्यता**
- सिविल पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, 2024
- अकाल तख्त और पंजाब के धर्मग्रंथ अपमान (Sacrilege) विरोधी कानून पर विवाद
- तीजन बाई: भारत की पंडवानी परंपरा की आवाज़
- भारत के शहरों में महिला रोजगार परिदृश्य
- यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2025–26
- प्रम्बानन मंदिर: भारत–इंडोनेशिया सांस्कृतिक संरक्षण पहल
- भारत में कोलेस्ट्रॉल का गंभीर संकट
- वैश्विक टीकाकरण प्रणाली

2. राजव्यवस्था एवं शासन 19-37

- ➢ **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026**
- भारत में मंदिर प्रबंधन
- हरियाणा–राजस्थान यमुना जल समझौता
- दिल्ली ईवी नीति 2026
- वीबी-जी रैम जी अधिनियम, 2025 लागू
- एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट 2025 एवं विज़न डॉक्यूमेंट 2026–29
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 2026
- भूल जाने का अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
- प्रत्येक गांव का बनेगा जल बजट और जल सुरक्षा योजना
- सेमीकॉन मिशन 2.0 और अन्य प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी
- BNSS के तहत अनुपस्थिति में मुकदमा (Trial in Absentia)
- मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पारित
- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 38-52

- ➢ **होर्मुज़ से मलक्का तक: भारत की समुद्री रणनीति पर पुनर्विचार**
- अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा
- भारत-जापान 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026
- भारत–इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी
- तीसरा भारत–ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 2026
- भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी
- ऑपरेशन हार्डबॉल: अंतरराष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध भारत-अमेरिका की कार्रवाई
- चीन का समुद्र-आधारित ICBM परीक्षण
- भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 53-66

- ➢ **असम में वार्षिक बाढ़: विकास मॉडल, जलवायु और नदी बेसिन प्रबंधन के बीच संतुलन की चुनौती**
- ट्रांसकैस्पियन मारिंका मछली के संरक्षण के लिए समुदाय-आधारित पहल शुरू

- राष्ट्रीय कैम्पा (CAMPA) की 7वीं शासी निकाय बैठक
- कुकरैल नाइट सफारी परियोजना
- पुगा घाटी में भारत के पहले गहरे भू-तापीय कुएँ
- स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs)
- पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र पर मसौदा अधिसूचना पुनः जारी
- पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026
- भारत ने कृषि में निर्जल अमोनिया के प्रत्यक्ष उपयोग को दी मंजूरी

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 67-80

➢ **मिशन आगमन: भारत की निजी कक्षीय उड़ान का नया अध्याय**
- झींगे (श्रिम्प) में व्हाइट गट बीमारी
- गगनयान मिशन: इसरो ने सफलतापूर्वक पूरा किया पहला SOLVE ग्राउंड टेस्ट
- दवा निर्माण क्षेत्र में आईआईटी बॉम्बे की नई खोज
- केंद्र सरकार ने पैराक्वाट पर लगाया प्रतिबंध
- भारत में पहली डेंगू वैक्सीन (क्यूडेंगा) को मंजूरी
- प्रैक्सिस (PRAXIS): ग्रहों के वलयों का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का नासा का मिशन
- माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस: नए पॉलीपोर फंगस की खोज
- भारत की नई HPV दवा उम्मीदवार SHetA2
- चांदीपुरा वायरस (CHPV) का प्रकोप: कारण और रोकथाम

6. आर्थिकी 81-96

➢ **सेवा उत्पादन सूचकांक: सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए नई सांख्यिकीय रूपरेखा**
- आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2026
- ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से आगे: बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती चुनौती
- मौद्रिक नीति निर्माण को समर्थन देने के लिए तीन प्रमुख सर्वेक्षणों की शुरुआत
- जोधपुर मोजरी को मिला GI टैग
- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026
- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम
- निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026
- यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति-2026
- बिटचैट रिपॉज़िटरी हटाने की कार्रवाई
- भारत में औपचारिक ऋण का विस्तार

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 97-107

➢ **डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025–26: एआई के दौर में भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति**
- भारत-इंडोनेशिया रक्षा समझौता
- आईएनएस महेंद्रगिरि: प्रोजेक्ट 17A नीलगिरि-क्लास फ्रिगेट
- भारतीय नौसेना को मिला एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टर
- INS मालवन: भारत की तटीय रक्षा के लिए 'साइलेंट क्लॉज़'
- कुशा मिसाइल: DRDO का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम
- आईएनएस मछलीपट्टनम: माहे-क्लास एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी युद्धपोत

प्रमुख चर्चित स्थल 108-110

पावर पैक्ड न्यूज 111-121

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 122-131

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा: भारत की विरासत संरक्षण नीति और सांस्कृतिक कूटनीति को वैश्विक मान्यता

संदर्भ:

हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को (UNESCO) की 48वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में सारनाथ को विश्व धरोहर सूची (World Heritage List) में शामिल किया गया। इसके साथ ही सारनाथ भारत का 45वाँ तथा उत्तर प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह केवल एक पुरातात्विक स्थल को मिली अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन बौद्ध विरासत, सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक आध्यात्मिक नेतृत्व की पुनर्पुष्टि भी है। ऐसे समय में, जब भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, सारनाथ को मिला यह दर्जा विशेष महत्व रखता है।

सारनाथ का ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व:

- वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। इसी स्थान पर भगवान गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने पाँच पूर्व साथियों को प्रथम उपदेश दिया था।
- इस घटना को 'धर्मचक्रप्रवर्तन' (Dharmachakrapravartana) अथवा 'धम्मचक्कप्पवत्तन' कहा जाता है। इसी उपदेश के साथ बौद्ध संघ की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म का संगठित प्रचार-प्रसार प्रारम्भ हुआ।
- प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में सारनाथ का उल्लेख ऋषिपत्तन (ऋषिपत्तन मृगदाय) तथा मृगदाव के नाम से मिलता है। सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व यहाँ अनेक स्मारकों, स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया। सारनाथ का प्रसिद्ध अशोक स्तंभ भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय प्रतीक का आधार है, जबकि अशोक चक्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अंकित है। इस दृष्टि से सारनाथ केवल बौद्ध आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की राष्ट्रीय पहचान का भी अभिन्न अंग है।

यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर सूची:

- यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर सूची उन सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को मान्यता प्रदान करती है जिनका 'असाधारण सार्वभौमिक मूल्य' (Outstanding Universal Value - OUV) हो। इसका उद्देश्य मानवता की साझा धरोहर का संरक्षण तथा भावी पीढ़ियों के लिए उसका सुरक्षित संवर्धन सुनिश्चित करना है।
- विश्व धरोहर स्थलों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - » सांस्कृतिक धरोहर (Cultural Heritage)
  - » प्राकृतिक धरोहर (Natural Heritage)
  - » मिश्रित धरोहर (Mixed Heritage)
- 1972 के UNESCO विश्व धरोहर अभिसमय (World Heritage Convention) के अंतर्गत किसी भी स्थल के चयन की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम संबंधित देश उस स्थल को अपनी अस्थायी सूची (Tentative List) में शामिल करता है। इसके बाद विस्तृत नामांकन दस्तावेज़ (Nomination Dossier)

तैयार किया जाता है, जिसका मूल्यांकन आईसीओएमओएस (ICOMOS- International Council on Monuments and Sites) अथवा आईयूसीएन जैसी विशेषज्ञ संस्थाएँ करती हैं। अंततः UNESCO की विश्व धरोहर समिति (World Heritage Committee) स्थल की प्रामाणिकता (Authenticity), अखंडता (Integrity) तथा उसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य के आधार पर अंतिम निर्णय लेती है।

- सारनाथ लगभग तीन दशक तक UNESCO की अस्थायी सूची में रहा। अब इसे स्थायी सूची में स्थान मिलना भारत की विरासत संरक्षण नीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

सारनाथ का विश्व धरोहर सूची में शामिल होने का महत्व:

- यह भारत की बौद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करता है। बौद्ध धर्म आज एशिया सहित विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। ऐसे में सारनाथ की वैश्विक मान्यता भारत को बौद्ध सभ्यता के मूल केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त बनाती है।
- यह निर्णय भारत की सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural Diplomacy) को मजबूती देता है। भारत लंबे समय से बौद्ध विरासत को अपनी 'सॉफ्ट पावर' के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया, भूटान तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के अनेक देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों में बौद्ध विरासत की महत्वपूर्ण भूमिका है।
- इस मान्यता से उत्तर प्रदेश के बौद्ध पर्यटन परिपथ (Buddhist Circuit) को नया प्रोत्साहन मिलेगा। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा और कौशाम्बी जैसे स्थलों को जोड़कर धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार, हस्तशिल्प तथा सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
- विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद संरक्षण, प्रबंधन, अनुसंधान और विरासत आधारित पर्यटन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं विशेषज्ञता प्राप्त करने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

इतिहास के पुनर्पाठ का प्रयास:

- सारनाथ की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने स्थल पर लगी सूचना पट्टिका में महत्वपूर्ण संशोधन किया। पहले जहाँ सारनाथ की खोज का श्रेय मुख्यतः औपनिवेशिक अधिकारियों को दिया जाता था, वहीं अब स्थानीय शासक बाबू जगत सिंह के योगदान को भी उचित स्थान दिया गया है।
- यह परिवर्तन केवल नाम बदलने का प्रयास नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास के स्थानीय एवं स्वदेशी योगदानों को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इससे इतिहास लेखन में भारतीय दृष्टिकोण को अधिक संतुलित रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है।

बौद्ध सर्किट और कूटनीति:

- भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से बौद्ध विरासत के संरक्षण एवं प्रचार के लिए अनेक पहल कर रही है। बौद्ध सर्किट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके अंतर्गत बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, नालंदा, श्रावस्ती, वैशाली तथा अन्य प्रमुख स्थलों को आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विदेशों में बौद्ध प्रदर्शनी, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा

विरासत संरक्षण जैसे प्रयास भारत की सांस्कृतिक विदेश नीति को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। सारनाथ को मिली नई पहचान इन पहलों को और अधिक प्रभावी बनाएगी।

चुनौतियाँ:

- विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण है, उसका संरक्षण उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है।
- बढ़ती पर्यटक संख्या के कारण स्मारकों पर दबाव, अनियोजित शहरीकरण, प्रदूषण, अतिक्रमण तथा पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याएँ विरासत स्थलों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं। यदि पर्यटन का विकास संरक्षण की मूल भावना के अनुरूप नहीं हुआ, तो स्थल की प्रामाणिकता (Authenticity) और अखंडता (Integrity) प्रभावित हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त स्थानीय समुदाय की सहभागिता, वैज्ञानिक संरक्षण तकनीकों का उपयोग, डिजिटल दस्तावेजीकरण तथा प्रभावी प्रबंधन योजना को भी समान महत्व देना होगा। केवल वैश्विक मान्यता प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है; उसका सतत संरक्षण ही वास्तविक सफलता का मापदंड होगा।

आगे की राह:

- सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा भारत के लिए अवसरों का नया द्वार खोलता है। आवश्यक है कि इसे केवल पर्यटन परियोजना के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे ज्ञान, संस्कृति, दर्शन और वैश्विक शांति के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए।
- इसके लिए विरासत संरक्षण को स्थानीय विकास से जोड़ना, आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना, युवाओं में विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शोध संस्थानों को प्रोत्साहित करना तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना आवश्यक होगा। साथ ही बौद्ध सर्किट के विभिन्न स्थलों के बीच बेहतर संपर्क, व्याख्या केंद्र (Interpretation Centres), बहुभाषी सुविधाएँ तथा सतत पर्यटन मॉडल विकसित किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष:

सारनाथ को यूनेस्को (UNESCO) विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति का प्रतीक है। यह केवल भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश स्थल का सम्मान नहीं, बल्कि भारत की उस सभ्यतागत परंपरा का सम्मान है जिसने विश्व को करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग और शांति का संदेश दिया। यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति, विरासत संरक्षण और बौद्ध पर्यटन को नई गति प्रदान करेगी। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस वैश्विक मान्यता को संरक्षण, शोध, स्थानीय सहभागिता और सतत विकास के माध्यम से एक दीर्घकालिक राष्ट्रीय संपदा में परिवर्तित किया जाए।

संक्षिप्त मुद्दे

सिविल पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (Registrar General of India) (RGI) द्वारा जारी सिविल पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System- CRS) रिपोर्ट, 2024 में बताया गया है कि वर्ष 2024 में देशभर में 99% से अधिक जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया गया। यह भारत की सिविल पंजीकरण प्रणाली में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है।

CRS रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- जन्म पंजीकरण की दर 99.1% रही। पंजीकृत जन्मों की संख्या 2.52 करोड़ (2023) से बढ़कर 2.54 करोड़ (2024) हो गई।
- मृत्यु पंजीकरण की दर 99.4% रही। पंजीकृत मृत्यु की संख्या 86.6 लाख (2023) से बढ़कर 89.4 लाख (2024) हो गई।
- 13 राज्यों में जन्म पंजीकरण 90% से अधिक दर्ज किया गया, जबकि 15 राज्यों में मृत्यु पंजीकरण 90% से अधिक रहा।
- वर्ष 2024 में 81,117 मृतजन्म (Stillbirths) दर्ज किए गए, जिनमें से लगभग 69% शहरी क्षेत्रों में हुए।
- रिपोर्ट के अनुसार जन्म, मृत्यु एवं मृतजन्म के पंजीकरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे भारत की जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों का अधिक विश्वसनीय आकलन संभव हुआ है।

जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) के बारे में:

- जन्म के समय लिंगानुपात (Sex Ratio at Birth - SRB) से आशय किसी निश्चित अवधि में प्रति 1,000 जीवित पुरुष जन्मों पर जीवित जन्म लेने वाली बालिकाओं की संख्या से है। यह लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य तथा लिंग-चयन आधारित भ्रूणहत्या (Sex-selective practices) की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- **भारत का जन्म के समय लिंगानुपात (2024):** 917 बालिकाएँ प्रति 1,000 बालक
- **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश**
  - अरुणाचल प्रदेश – 1,050
  - अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह – 984
  - मेघालय – 974
  - मिजोरम – 972
  - केरल – 970
- **सबसे कम जन्म के समय लिंगानुपात वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेश**
  - नागालैंड – 865
  - लक्षद्वीप – 865
  - झारखंड – 890
- यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है, फिर भी रिपोर्ट विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाती है, जो देश के कुछ हिस्सों में अब भी लैंगिक भेदभाव के बने रहने की ओर संकेत करता है।

रिपोर्ट के निष्कर्षों का महत्व:

- यदि जन्म के समय लिंगानुपात प्राकृतिक जैविक सीमा (लगभग 950 बालिकाएँ प्रति 1,000 बालक) के निकट होता है, तो यह व्यापक स्तर पर लिंग-चयन आधारित गर्भपात की अनुपस्थिति तथा बेहतर लैंगिक समानता का संकेत माना जाता है।
- ऐतिहासिक रूप से भारत में पुत्र वरीयता तथा सामाजिक भेदभाव के कारण पुरुष-प्रधान लिंगानुपात देखने को मिलता रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार केरल, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने संतुलित अथवा बालिकाओं के पक्ष में बेहतर लिंगानुपात प्राप्त किया है, जबकि कुछ राज्यों में अभी भी लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
- जन्म एवं मृत्यु के बेहतर पंजीकरण से साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण (Evidence-based Policymaking) को मजबूती मिलती है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और जनसंख्या नीति के लिए अधिक सटीक जनसांख्यिकीय आँकड़े उपलब्ध होते हैं।

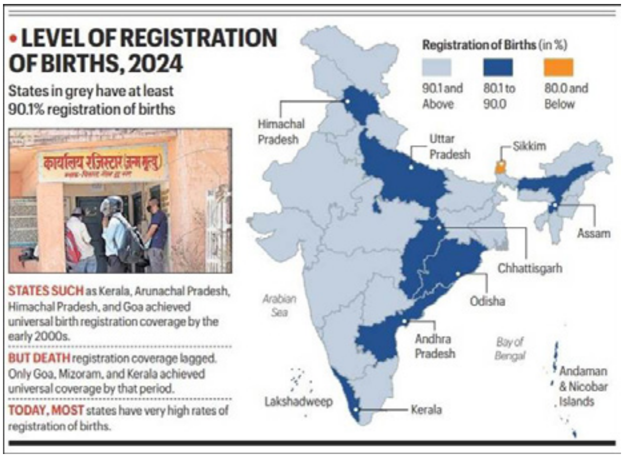

सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) क्या है?

- सिविल पंजीकरण प्रणाली (Civil Registration System- CRS) भारत में जन्म, मृत्यु एवं मृतजन्म (Stillbirth) का सतत, अनिवार्य और सार्वभौमिक पंजीकरण करने की आधिकारिक व्यवस्था है।
- **कानूनी आधार:**
  - इसका संचालन जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत किया जाता है।
  - इसका क्रियान्वयन भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (Registrar General of India) (RGI) द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन किया जाता है।
  - पंजीकरण की प्रक्रिया राज्य सरकारों एवं स्थानीय पंजीकरण अधिकारियों के माध्यम से संचालित की जाती है।
- **उद्देश्य:**
  - जन्म, मृत्यु एवं मृतजन्म का पूर्ण एवं स्थायी अभिलेख तैयार करना।
  - जन्म पंजीकरण के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को वैधानिक पहचान प्रदान करना।
  - जनसंख्या नियोजन एवं जनसांख्यिकीय विश्लेषण के लिए विश्वसनीय जीवन सांख्यिकी (Vital Statistics) उपलब्ध कराना।
  - स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना।

चुनौतियाँ:

- विभिन्न राज्यों में पंजीकरण की गुणवत्ता एवं लिंगानुपात में क्षेत्रीय

असमानताएँ।

- कुछ क्षेत्रों में पुत्र वरीयता एवं लिंग-चयन आधारित प्रथाओं का बने रहना।
- दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में पंजीकरण में विलंब।
- जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण की अनिवार्यता के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता।
- राज्यों के बीच डिजिटल अवसंरचना एवं डेटा इंटरऑपरेबिलिटी को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता।

निष्कर्ष:

सिविल पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट, 2024 यह दर्शाती है कि भारत ने जन्म, मृत्यु एवं अन्य महत्वपूर्ण जीवन घटनाओं के सार्वभौमिक पंजीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे देश के जनसांख्यिकीय आँकड़ों का आधार और अधिक मजबूत हुआ है। हालाँकि, कई राज्यों में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार उत्साहजनक है, फिर भी विभिन्न क्षेत्रों के बीच विद्यमान असमानताएँ यह संकेत देती हैं कि लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने तथा संतुलित जनसांख्यिकीय विकास सुनिश्चित करने के लिए निरंतर एवं लक्षित प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है।

अकाल तख्त और पंजाब के धर्मग्रंथ अपमान (Sacrilege) विरोधी कानून पर विवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अकाल तख्त ने आम आदमी पार्टी (AAP) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह जगत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 की कुछ "आपत्तिजनक" (Objectionable) धाराओं को एक महीने के भीतर हटाए।

पृष्ठभूमि:

- पंजाब विधानसभा ने 13 अप्रैल 2026 (बैसाखी) को सर्वसम्मति से इस संशोधन विधेयक को पारित किया था, जिसे बाद में राज्यपाल की मंजूरी भी प्राप्त हो गई।
- यह कानून 2015 के बरगाड़ी (Bargari) बेअदबी (Sacrilege) मामलों पर जनता में व्याप्त आक्रोश और लंबे समय तक न्याय न मिलने की पृष्ठभूमि में बनाया गया।
- इसके अंतर्गत धार्मिक ग्रंथों के अपमान (बेअदबी) के मामलों में 7 से 20 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है। यदि यह अपराध सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तहत किया जाता है, तो आजीवन कारावास तथा 25 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- विवाद तब और बढ़ गया जब अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज्ज ने इस कानून के समर्थन में मतदान करने वाले सभी 87 सिख विधायकों और मंत्रियों को तलब किया। उनका आरोप था कि यह कानून शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) अथवा व्यापक खालसा पंथ से परामर्श किए बिना पारित किया गया।

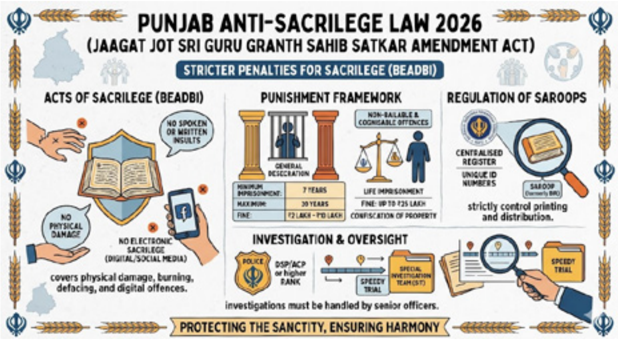

अकाल तख्त क्या है?

- अकाल तख्त का अर्थ है "अकाल (कालातीत ईश्वर) का सिंहासन"। यह सिखों की सर्वोच्च लौकिक (सांसारिक) सत्ता का प्रतीक है। यह अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) के ठीक सामने स्थित है।
- जहाँ हरमंदिर साहिब 'पीरी' (आध्यात्मिक सत्ता) का प्रतीक है, वहीं अकाल तख्त 'मीरी' (सांसारिक अथवा राजनीतिक सत्ता) का प्रतिनिधित्व करता है। यह सिख धर्म के पाँच तख्तों में से एक है।

ऐतिहासिक विकास:

- अकाल तख्त की स्थापना 1606 ई. में सिखों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद साहिब ने की थी। इसकी स्थापना मुगल सम्राट जहाँगीर के शासनकाल में गुरु अर्जन देव की शहादत के बाद हुई।
- गुरु हरगोबिंद ने 'मीरी-पीरी' की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका प्रतीक दो तलवारें थीं:
  - » **मीरी:** सांसारिक एवं राजनीतिक अधिकार
  - » **पीरी:** आध्यात्मिक अधिकार
- समय के साथ अकाल तख्त मुगल शासन और राजनीतिक दमन के विरुद्ध सिख प्रतिरोध का प्रमुख प्रतीक बन गया।

गुरु गोबिंद सिंह के बाद की भूमिका:

- 1708 में गुरु गोबिंद सिंह के देहावसान के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया गया। इसके साथ ही अकाल तख्त सिख समुदाय की सर्वोच्च लौकिक संस्था के रूप में स्थापित हुआ।
- मुगल शासन के अत्याचारों के दौरान सिख समुदाय बैसाखी और दीवाली के अवसर पर अकाल तख्त पर 'सरबत खालसा' नामक सभाओं का आयोजन करता था। इन सभाओं में धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य विषयों पर सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें 'गुरमत्ता' कहा जाता था।

पंजाब की राजनीति में भूमिका:

- स्वतंत्रता से पहले अकाल तख्त सिख प्रतिरोध और सामुदायिक नेतृत्व का प्रमुख केंद्र था।
- 1947 के बाद इसकी भूमिका पंजाबी सूबा आंदोलन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव तथा सिख पहचान और स्वायत्तता से जुड़े विभिन्न मुद्दों में महत्वपूर्ण रही है।
- आज भी अकाल तख्त द्वारा जारी धार्मिक आदेश (हुकमनामे) सिख समाज और पंजाब की राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालते हैं।

जत्थेदार की नियुक्ति एवं धार्मिक अधिकार:

- अकाल तख्त के प्रमुख को 'जत्थेदार' कहा जाता है। उनकी नियुक्ति सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अंतर्गत गठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) द्वारा की जाती है।
- यद्यपि SGPC एक वैधानिक धार्मिक संस्था है, फिर भी ऐतिहासिक रूप से शिरोमणि अकाली दल (SAD) का इसके प्रशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।
- अकाल तख्त हुकमनामे (धार्मिक आदेश) जारी करता है तथा किसी व्यक्ति को 'तनखैया' (धार्मिक रूप से दोषी) घोषित कर सकता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षमा-याचना, सामुदायिक सेवा अथवा धार्मिक प्रायश्चित जैसी सजाएँ निर्धारित की जा सकती हैं।

निष्कर्ष:

यह प्रकरण सिख धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन में अकाल तख्त की निरंतर प्रभावशाली भूमिका को रेखांकित करता है। साथ ही यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, विधायी अधिकार-क्षेत्र (Legislative Competence) तथा इस प्रश्न को भी सामने लाता है कि राज्य सार्वजनिक व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए धार्मिक आस्थाओं से जुड़े विषयों को किस सीमा तक विनियमित कर सकता है।

तीजन बाई: भारत की पंडवानी परंपरा की आवाज़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रसिद्ध पंडवानी गायिका एवं पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद रायपुर स्थित एम्स में निधन हो गया। उनके निधन के साथ भारतीय लोकसंगीत और लोककथा-वाचन की एक गौरवशाली परंपरा का महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया।

तीजन बाई कौन थीं?

- तीजन बाई भारत की सबसे प्रसिद्ध लोक कलाकारों में से एक थीं। उन्होंने पंडवानी जैसी पारंपरिक लोककथा-वाचन शैली को देश-विदेश में नई पहचान दिलाई। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई के निकट गनियारी गाँव में हुआ था। साधारण और वंचित पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने विश्व स्तर पर भारतीय लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया।
- वे कपालिक शैली में पंडवानी प्रस्तुत करने वाली पहली महिला मानी जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने सदियों से चली आ रही लैंगिक बाधाओं को तोड़ते हुए लोककला के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया।

पंडवानी के बारे में:

- पंडवानी भारत की प्रमुख लोकनाट्य परंपराओं में से एक है, जिसका उद्गम मुख्यतः छत्तीसगढ़ में हुआ। इसका प्रदर्शन मध्य प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में भी किया जाता है।
- यह संगीत, कथा-वाचन और नाटकीय अभिनय का अनूठा संगम है, जिसके माध्यम से महाभारत के प्रसंगों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अर्थ एवं अवधारणा:

- 'पंडवानी' शब्द का शाब्दिक अर्थ है- "पांडवों की कथा"। इस परंपरा में महाभारत के चुनिंदा प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से भीम के चरित्र पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
- पंडवानी का कलाकार एक साथ गायक, कथावाचक और अभिनेता की भूमिका निभाता है। वह अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से

महाभारत की कथाओं को जीवंत बना देता है।

- शास्त्रीय रंगमंच के विपरीत, पंडवानी पूरी तरह मौखिक परंपरा, तात्कालिक अभिव्यक्ति (इम्प्रोवाइज़ेशन) तथा कलाकार और दर्शकों के प्रत्यक्ष संवाद पर आधारित होती है।

प्रस्तुति शैली एवं संरचना:

- पंडवानी का प्रदर्शन अत्यंत जीवंत, प्रभावशाली और अभिव्यक्तिपूर्ण होता है। इसमें कलाकार बहुत कम मंच-सामग्री का उपयोग करता है, लेकिन अपनी कल्पनाशक्ति और अभिनय से अनेक पात्रों तथा घटनाओं को प्रस्तुत करता है।
- **इसके प्रमुख तत्व हैं:**
  - » तंबूरा/एकतारा का उपयोग, जो संगीत वाद्य होने के साथ-साथ प्रतीकात्मक मंच-सामग्री का भी कार्य करता है।
  - » नाटकीय हाव-भाव एवं शारीरिक गतिविधियाँ, जिनके माध्यम से विभिन्न दृश्य प्रस्तुत किए जाते हैं।
  - » स्वर में परिवर्तन (वोकल मॉड्यूलेशन) द्वारा अलग-अलग पात्रों का चित्रण।
  - » दर्शकों से प्रत्यक्ष संवाद, जिससे प्रस्तुति अधिक रोचक और प्रभावशाली बनती है।
- प्रस्तुति के दौरान कलाकार कई बार कथा को रोककर उसका अर्थ समझाता है, टिप्पणी करता है या हास्य का समावेश करता है। यही कारण है कि प्रत्येक पंडवानी प्रस्तुति अपने आप में विशिष्ट होती है।

पंडवानी की प्रमुख शैलियाँ:

पंडवानी का प्रदर्शन मुख्यतः दो प्रमुख शैलियों में किया जाता है:

- **कपालिक शैली**
  - » खड़े होकर प्रस्तुत की जाने वाली अत्यंत नाटकीय शैली।
  - » इसमें कलाकार मंच पर घूमते हुए अभिनय, हाव-भाव और नृत्य जैसी मुद्राओं का प्रयोग करता है।
  - » इस शैली को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध बनाने का श्रेय तीजन बाई को जाता है।
- **वेदमती शैली**
  - » बैठकर प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षाकृत शांत और कथात्मक शैली।
  - » इसमें अभिनय की अपेक्षा कथा-वाचन पर अधिक जोर दिया जाता है।
  - » इसे पारंपरिक मौखिक कथा-पाठ की शैली के अधिक निकट माना जाता है।

निष्कर्ष:

तीजन बाई का जीवन प्रेरणादायक उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प और प्रतिभा किस प्रकार किसी लोक परंपरा को वैश्विक पहचान दिला सकती है। उन्होंने न केवल पंडवानी को विश्व मंच तक पहुँचाया, बल्कि लोककला के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को भी नई दिशा दी।

भारत के शहरों में महिला रोजगार परिदृश्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने "लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन मिलियन-प्लस सिटीज़" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है, जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2025 पर आधारित है। पहली बार इस रिपोर्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत के 46 शहरों के श्रम बाज़ार का विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **नियमित वेतनभोगी रोजगार में महिलाओं की अधिक भागीदारी**
  - » भारत के दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक स्थायी एवं नियमित वेतनभोगी रोजगार प्राप्त हो रहा है।
  - » इन शहरों में कार्यरत 65.1% महिलाएँ नियमित/वेतनभोगी नौकरियों में हैं।
  - » जबकि शहरी भारत में यह अनुपात 50.9% है।
  - » इसी प्रकार, मिलियन-प्लस शहरों में 56.4% पुरुष नियमित वेतनभोगी रोजगार में कार्यरत हैं।

» बड़े शहरी केंद्र महिलाओं को औपचारिक (Formal) रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं।

- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अब भी कम:**
  » बेहतर गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध होने के बावजूद महिलाओं की श्रम भागीदारी अभी भी सीमित है।

श्रेणी	मिलियन-प्लस शहर	शहरी भारत
पुरुष WPR	72.6%	73.0%
महिला WPR	25.5%	25.9%

» अर्थात, बड़े शहरों में भी लगभग प्रत्येक चार महिलाओं में केवल एक महिला ही कार्यरत है।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्या है?

- श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) कुल जनसंख्या में कार्यरत व्यक्तियों का प्रतिशत दर्शाता है।
- **सूत्र:** WPR = (कार्यरत व्यक्तियों की संख्या ÷ कुल जनसंख्या) × 100
- **महत्व:**
  » अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्तर को मापता है।
  » श्रम बाज़ार के उपयोग (Labour Market Utilisation) का संकेत देता है।
  » रोजगार में लैंगिक असमानताओं का आकलन करने में सहायक है।
  » इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा PLFS के माध्यम से मापा जाता है।

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में अंतर:

श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)	श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)
केवल कार्यरत व्यक्तियों को शामिल करता है।	कार्यरत एवं रोजगार की तलाश कर रहे बेरोज़गार दोनों को शामिल करता है।
वास्तविक रोजगार को दर्शाता है।	श्रम बाज़ार में भागीदारी को दर्शाता है।
हमेशा LFPR के बराबर या उससे कम होता है।	हमेशा WPR के बराबर या उससे अधिक होता है।

लैंगिक वेतन अंतर (Gender Pay Gap):

» यद्यपि बड़े शहरों में वेतन अपेक्षाकृत अधिक है, फिर भी महिलाओं की आय पुरुषों की तुलना में काफी कम बनी हुई है।

- **नियमित वेतनभोगी रोजगार में औसत मासिक वेतन**

क्षेत्र	पुरुष	महिलाएँ
शहरी भारत	₹27,984	₹21,664
मिलियन-प्लस शहर	₹30,707	₹23,707

महिलाएँ पुरुषों के वेतन का लगभग 77.2% ही अर्जित कर रही हैं, चाहे शहरी भारत हो या मिलियन-प्लस शहर।

लैंगिक वेतन समानता के करीब स्थिति:

- कुछ शहरों में महिलाओं की आय पुरुषों के बराबर या उससे अधिक है।
  » प्रयागराज – 131.2%
  » श्रीनगर – 124%
  » लखनऊ – 117.1%
  » पटना – 111.1%
  » मेरठ – 105.9%
  » वाराणसी – 102.4%
- महानगरों में ग्रेटर मुंबई सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है, जहाँ महिलाओं की आय पुरुषों की आय का 98.2% है।

मिलियन-प्लस शहरों में रोजगार का स्वरूप:

- शहरी भारत की तुलना में:
  » **नियमित वेतनभोगी रोजगार:** 58.5% (मिलियन-प्लस शहर) बनाम 47.6% (शहरी भारत)
  » **स्वरोज़गार एवं आकस्मिक (Casual) रोजगार:** 41.4% बनाम 52.4%
- यह दर्शाता है कि बड़े शहरों में रोजगार अपेक्षाकृत अधिक

औपचारिक (Formalised) है।

रिपोर्ट में उजागर प्रमुख चुनौतियाँ:

- **उच्च NEET जनसंख्या:** 30–59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में:
  - मिलियन-प्लस शहरों में 67% महिलाएँ NEET (रोज़गार, शिक्षा या प्रशिक्षण में नहीं) हैं।
  - पूरे शहरी भारत में यह आँकड़ा 65% है।
- **महिलाओं की कम श्रम भागीदारी के प्रमुख कारण:**
  - बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी
  - घरेलू कार्यों का भार
  - लचीले रोजगार (Flexible Employment) की कमी
  - सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ
  - सुरक्षा एवं आवागमन (Mobility) संबंधी समस्याएँ

नीतिगत महत्व:

- रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं:
  - सतत विकास लक्ष्य (SDG) 5 – लैंगिक समानता
  - सतत विकास लक्ष्य (SDG) 8 – सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास
  - महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
  - शहरी रोजगार नीति निर्माण
  - समावेशी आर्थिक विकास
- महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि भारत की GDP तथा जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है।

आगे की राह:

- किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल (Childcare) सुविधाओं का विस्तार।
- लचीले एवं दूरस्थ (Remote) कार्य अवसरों को बढ़ावा देना।
- कार्यस्थलों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन में सुधार।
- महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।
- समान वेतन एवं भेदभाव-रोधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन।
- लक्षित प्रोत्साहनों (Targeted Incentives) के माध्यम से औपचारिक रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की नवीनतम रिपोर्ट भारत के बड़े शहरों में महिलाओं के रोजगार की एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करती है। एक ओर, मिलियन-प्लस शहर महिलाओं को अधिक औपचारिक एवं नियमित वेतनभोगी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं की श्रम भागीदारी अब भी कम है तथा वेतन असमानता बनी हुई है। यदि बिना वेतन वाले देखभाल कार्य, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों तथा अवसरों की असमानता जैसी संरचनात्मक बाधाओं को दूर किया जाए, तो भारत समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपनी पूर्ण आर्थिक क्षमता का भी प्रभावी उपयोग कर सकेगा।

यूडीआईएसई+ रिपोर्ट 2025–26

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) रिपोर्ट 2025–26 जारी की। यह रिपोर्ट भारत के स्कूली शिक्षा क्षेत्र से संबंधित व्यापक आँकड़े प्रस्तुत करती है।

UDISE+ रिपोर्ट 2025–26 के बारे में:

- यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणालियों (Education Management Information Systems) में से एक है। इसके अंतर्गत शामिल हैं:
  - 14.8 लाख से अधिक विद्यालय
  - लगभग 1.02 करोड़ शिक्षक
  - 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थी
- यह स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत स्कूली शिक्षा से संबंधित प्रमुख डेटा भंडार (Data Repository) के रूप में कार्य करता है। साथ ही, यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, संसाधनों के प्रभावी आवंटन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के लक्ष्यों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

UDISE+ रिपोर्ट 2025–26 के प्रमुख निष्कर्ष:

- **शिक्षकों की उपलब्धता और छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) में सुधार**
  - वर्ष 2022–23 में शिक्षकों की संख्या 94.83 लाख थी, जो बढ़कर 2025–26 में 1.02 करोड़ हो गई। यह लगभग 8.3 प्रतिशत की वृद्धि है।
  - विभिन्न स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil–Teacher Ratio - PTR) में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है:

- ➢ आधारभूत (Foundational) स्तर: 10:1
- ➢ प्रारंभिक (Preparatory) स्तर: 12:1
- ➢ मध्य (Middle) स्तर: 17:1
- ➢ माध्यमिक (Secondary) स्तर: 21:1

» ये सभी अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा निर्धारित 30:1 के मानक से बेहतर हैं। इससे कक्षाओं में बेहतर संवाद तथा प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना संभव हो सकेगा।

» NEP 2020 के अंतर्गत भारत की 10+2 शिक्षा प्रणाली को 5+3+3+4 संरचना से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें चार चरण शामिल हैं:

- ➢ आधारभूत चरण (Foundational): 5 वर्ष
- ➢ प्रारंभिक चरण (Preparatory): 3 वर्ष
- ➢ मध्य चरण (Middle): 3 वर्ष
- ➢ माध्यमिक चरण (Secondary): 4 वर्ष

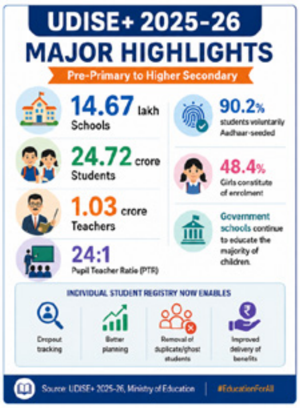

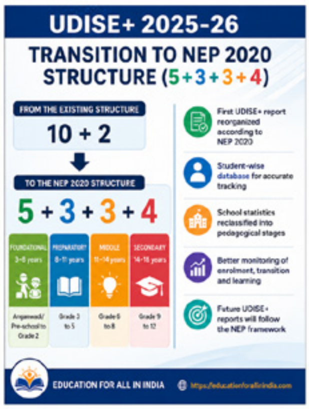

- **नामांकन, विद्यालय में बने रहने की दर तथा संक्रमण दर में सुधार**

» रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्तरों पर ड्रॉपआउट दर में कमी दर्ज की गई है:

- ➢ प्रारंभिक स्तर: 1.8%
- ➢ मध्य स्तर: 3.6%
- ➢ माध्यमिक स्तर: 7.0%

» माध्यमिक स्तर पर रिटेंशन रेट (Retention Rate) 47.2% से बढ़कर 51.9% हो गया है।

» इसी प्रकार, सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio - GER) माध्यमिक स्तर पर 68.5% से बढ़कर 71.7% हो गया।

» विभिन्न चरणों के बीच संक्रमण दर (Transition Rate) भी बेहतर हुई है:

- ➢ आधारभूत से प्रारंभिक स्तर: 99.2%
- ➢ प्रारंभिक से मध्य स्तर: 93.8%

» मध्य से माध्यमिक स्तर: 88.3%

- **विद्यालयों का युक्तिकरण (Rationalisation of Schools)**

» रिपोर्ट के अनुसार:

- ➢ एकल-शिक्षक विद्यालयों की संख्या घटकर 1,00,843 रह गई है।
- ➢ शून्य नामांकन (Zero Enrolment) वाले विद्यालयों की संख्या घटकर 5,663 हो गई है।

» यह शिक्षकों की बेहतर तैनाती, संसाधनों के कुशल उपयोग तथा प्रशासनिक दक्षता को दर्शाता है।

- **डिजिटल अवसंरचना और समावेशी शिक्षा में प्रगति**

» विद्यालयों में डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है:

- ➢ कंप्यूटर उपलब्धता वाले विद्यालय: 69.9%
- ➢ इंटरनेट सुविधा वाले विद्यालय: 67.4%

- मूलभूत सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है:
  - ➢ 99.5% विद्यालयों में पेयजल उपलब्ध है।
  - ➢ 95% विद्यालयों में बिजली की सुविधा है।
  - ➢ 97% से अधिक विद्यालयों में कार्यशील शौचालय उपलब्ध हैं।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए रैंप और हैंडरेल जैसी सुविधाओं वाले विद्यालयों की संख्या बढ़कर 58.2% हो गई है, जिससे समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिला है।
- इसके अतिरिक्त महिला शिक्षक अब कुल शिक्षकों का 54.9% तथा बालिकाओं का नामांकन बढ़कर 48.4% हो गया है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, जिसका प्रमुख कारण विद्यालयों की सीमित उपलब्धता तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाएँ हैं।
- अनेक विद्यालयों में अभी भी बुनियादी अवसंरचना का अभाव है।
- केवल 81.9% विद्यालयों में खेल का मैदान उपलब्ध है।
- मात्र 29.9% विद्यालयों में वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) की सुविधा है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (Children with Special

Needs - CWSN) के लिए रैंप, सुलभ शौचालय और बाधारहित अवसंरचना जैसी सुविधाओं का और विस्तार आवश्यक है।
- लगभग एक लाख विद्यालय अभी भी केवल एक शिक्षक पर निर्भर हैं, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

आगे की राह:

भारत को आवश्यकता है कि:
- वंचित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार किया जाए।
- सुलभ अवसंरचना एवं सहायक सुविधाओं के माध्यम से समावेशी शिक्षा को मजबूत बनाया जाए।
- वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा तथा हरित अवसंरचना को बढ़ावा देकर टिकाऊ (Sustainable) विद्यालय विकसित किए जाएँ।
- पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराए जाएँ तथा डिजिटल शिक्षा को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और पीएम ई-विद्या (PM e-VIDYA) जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़कर और अधिक सशक्त बनाया जाए।

निष्कर्ष:

UDISE+ रिपोर्ट 2025–26 दर्शाती है कि भारत ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों की विद्यालय में बने रहने की दर, डिजिटल अवसंरचना तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालाँकि, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट, समावेशी शिक्षा तथा एकल-शिक्षक विद्यालयों जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों तथा सतत विकास लक्ष्य-4 (SDG 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) को प्राप्त करने के लिए समान, प्रौद्योगिकी-संचालित एवं टिकाऊ शिक्षा प्रणाली का विकास अत्यंत आवश्यक है।

प्रम्बानन मंदिर: भारत–इंडोनेशिया सांस्कृतिक संरक्षण पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के योग्याकार्ता (Yogyakarta) स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन (Conservation and Restoration) के लिए एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना का संयुक्त शुभारंभ किया। यह पहल भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सभ्यतागत संबंधों को प्रतिबिंबित करती है तथा साझा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में दोनों देशों के सहयोग को रेखांकित करती है।

प्रम्बानन मंदिर के बारे में:

- प्रम्बानन, जिसे स्थानीय रूप से रोरो जोंग्रांग (Roro Jonggrang / Loro Jonggrang) के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में हिंदू स्थापत्य कला के सबसे भव्य उदाहरणों में से एक है। यह शैव मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करता है तथा इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति, धर्म और कला के प्रभाव को प्रदर्शित करता है।
- **स्थान:**
  - » इंडोनेशिया के जावा द्वीप (Java Island) के उपजाऊ ज्वालामुखीय मैदानों में स्थित है।
  - » यह योग्याकार्ता विशेष क्षेत्र (Special Region of Yogyakarta) और मध्य जावा (Central Java) की सीमा पर स्थित है।
  - » यह प्रसिद्ध बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर (Borobudur Buddhist Temple) के निकट स्थित है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- प्रम्बानन मंदिर का निर्माण लगभग 850 ईस्वी में संजय वंश (Sanjaya Dynasty) के शासनकाल में हुआ था, जिसने जावा में शैव हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व किया।
- इसका निर्माण एक भव्य राजकीय मंदिर के रूप में किया गया था और माना जाता है कि इसे निकटवर्ती बोरोबुदुर स्मारक के उत्तरस्वरूप निर्मित किया गया था।
- 11वीं शताब्दी में राजनीतिक परिवर्तनों, भूकंपों तथा मेरापी पर्वत (Mount Merapi) के ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण यह मंदिर परित्यक्त हो गया।
- 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जावा पर ब्रिटिश प्रशासन के दौरान

इसकी पुनः खोज की गई। वर्ष 1918 में इसका वैज्ञानिक संरक्षण एवं पुनर्स्थापन कार्य प्रारंभ हुआ तथा 1991 में यूनेस्को (UNESCO) ने इसे विश्व धरोहर स्थल (World Heritage Site) घोषित किया।

स्थापत्य विशेषताएँ:

- प्रम्बानन मंदिर परिसर तीन स्तरों वाले संकेंद्रित वर्गाकार (Three-tier Concentric Square) विन्यास पर आधारित है, जो विभिन्न आध्यात्मिक लोकों का प्रतीक है।
  - **बाहरी क्षेत्र (Outer Zone):** विशाल प्रांगण, जहाँ पहले लकड़ी की संरचनाएँ स्थित थीं।
  - **मध्य क्षेत्र (Middle Zone):** यहाँ मूल रूप से 224 परवारा (Perwara) अथवा संरक्षक मंदिर सममित रूप से निर्मित थे।
  - **आंतरिक क्षेत्र (Inner Zone):** इसमें 16 प्रमुख मंदिर स्थित हैं, जिनमें प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मंदिर (Trimurti Temples) शामिल हैं।
- परिसर का 47 मीटर ऊँचा शिव मंदिर इसकी सबसे ऊँची संरचना है, जिसके दोनों ओर ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित मंदिर स्थित हैं।
- इनके सामने वाहन मंदिर (Vahana Temples) स्थित हैं, जो क्रमशः नंदी (बैल), हंस (Hamsa) तथा गरुड़ (Garuda) को समर्पित हैं।
- मंदिर की दीवारों पर रामायण तथा भागवत पुराण के अत्यंत सुंदर उत्कीर्ण शिल्प (Reliefs) अंकित हैं।
- इसका निर्माण बिना गारे (Mortar) के सूखी इंटरलॉकिंग पत्थर चिनाई (Dry Interlocking Stone Masonry) तकनीक से किया गया है, जो प्राचीन भारतीय एवं जावाई अभियंत्रण कौशल की उन्नत तकनीक को दर्शाता है।

महत्त्व:

- प्रम्बानन मंदिर दक्षिण-पूर्व एशिया में हिंदू धर्म तथा भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के प्रसार का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।
- यह भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों से चले आ रहे समुद्री व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा धार्मिक संपर्कों को प्रतिबिंबित करता है।
- प्रम्बानन संरक्षण परियोजना सांस्कृतिक कूटनीति, विरासत संरक्षण, पुरातात्त्विक सहयोग तथा जन-से-जन (People-to-People) संबंधों को सुदृढ़ करेगी। साथ ही, यह भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy)' तथा आसियान (ASEAN) के साथ उसके व्यापक सहयोग को भी मजबूती प्रदान करेगी।

भारत में कोलेस्ट्रॉल का गंभीर संकट

संदर्भ:

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)-INDIAB सर्वेक्षण के तहत किए गए एक हालिया राष्ट्रव्यापी अध्ययन से पता चला है कि भारत के 87.3% वयस्कों में कम से कम एक असामान्य लिपिड (वसा) पैरामीटर पाया गया है, जो बढ़ते सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को दर्शाता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- अध्ययन में पाया गया कि लो हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (HDL), जिसे आमतौर पर "अच्छा कोलेस्ट्रॉल" कहा जाता है, सबसे अधिक पाई जाने वाली लिपिड असामान्यता है, जो लगभग दो-तिहाई वयस्कों को प्रभावित करती है।
- अध्ययन में लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (LDL) या "खराब कोलेस्ट्रॉल" के उच्च स्तर, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड्स और उच्च कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर की भी जानकारी दी गई।
- चिंताजनक रूप से, लगभग 35.5 करोड़ भारतीय, जिनका शरीर का वजन, रक्तचाप और रक्त शर्करा सामान्य है, फिर भी असामान्य लिपिड स्तर से प्रभावित हैं। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि केवल मोटापे या मधुमेह से पीड़ित लोग ही जोखिम में होते हैं।
- लिपिड असामान्यता की सबसे अधिक व्यापकता 30–39 वर्ष आयु वर्ग के वयस्कों में देखी गई, जबकि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में इसका बोझ थोड़ा अधिक पाया गया।

डिस्लिपिडेमिया (Dyslipidemia) क्या है?

- डिस्लिपिडेमिया रक्त में वसा (लिपिड) की असामान्य सांद्रता को दर्शाता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - उच्च LDL कोलेस्ट्रॉल।
  - कम HDL कोलेस्ट्रॉल।
  - उच्च ट्राइग्लिसराइड्स।
  - बढ़ा हुआ कुल कोलेस्ट्रॉल।
- चूंकि इसमें आमतौर पर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए इसे अक्सर "मौन महामारी" कहा जाता है।
- समय के साथ ये असामान्यताएं धमनियों में प्लाक के निर्माण (Atherosclerosis) का कारण बनती हैं, जिससे हृदयाघात, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है।

बढ़ते बोझ के कारण:

- अध्ययन के अनुसार, भारत में डिस्लिपिडेमिया की उच्च व्यापकता के पीछे आनुवंशिक प्रवृत्ति और जीवनशैली से जुड़े कारकों का संयुक्त प्रभाव है।
- दक्षिण एशियाई लोगों में स्वाभाविक रूप से हाई-डेंसिटी लिपोप्रोटीन (HDL) का स्तर कम और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर अधिक होने की प्रवृत्ति होती है।
- यह जोखिम निम्नलिखित कारणों से और बढ़ जाता है:
    - » कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार।
    - » अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन।
    - » शारीरिक निष्क्रियता।
    - » मोटापा।
    - » तंबाकू का सेवन।
    - » बढ़ता शहरीकरण।
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच का अंतर कम होना यह दर्शाता है कि अस्वास्थ्यकर जीवनशैली अब ग्रामीण भारत में भी तेजी से फैल रही है।

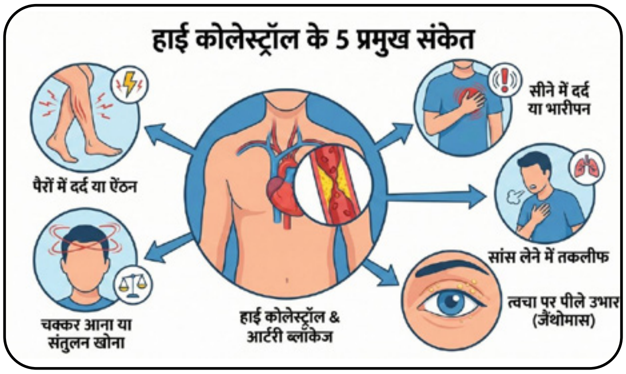

आगे की राह:

- ये निष्कर्ष युवाओं सहित सभी लोगों में समय पर और सार्वभौमिक लिपिड जांच की आवश्यकता को दर्शाते हैं, न कि केवल मधुमेह या मोटापे से पीड़ित व्यक्तियों तक जांच को सीमित करने की।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों को निम्नलिखित को बढ़ावा देना चाहिए:
    - » संतुलित आहार।
    - » नियमित शारीरिक गतिविधि।
    - » तंबाकू छोड़ना।
    - » रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ट्रांस फैट का कम सेवन।
- राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD), आयुष्मान आरोग्य मंदिर और ईट राइट इंडिया जैसे कार्यक्रमों को मजबूत करने से जागरूकता और शुरुआती पहचान में सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

ICMR अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि डिस्लिपिडेमिया अब केवल बुजुर्गों या स्पष्ट रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं और सामान्य रूप से स्वस्थ दिखने वाले वयस्कों को प्रभावित करने वाली एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है। हृदय संबंधी बीमारियों के बोझ को कम करने और स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक जांच, जीवनशैली में बदलाव और अधिक जन-जागरूकता के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल अपनाना आवश्यक होगा।

वैश्विक टीकाकरण प्रणाली

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूनिसेफ (UNICEF) की रिपोर्टों के माध्यम से चेतावनी दी है कि घटते वित्तीय समर्थन, संघर्षों, गलत सूचनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में अंतराल के कारण वैश्विक टीकाकरण प्रणाली कमजोरी के संकेत दिखा रही है।

वैश्विक टीकाकरण प्रणाली के बारे में:

- वैश्विक टीकाकरण प्रणाली अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सरकारों और स्वास्थ्य गठबंधनों का एक सहयोगी नेटवर्क है, जो जीवन रक्षक टीकों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है।
- यह खसरा, पोलियो और एचपीवी सहित 14 से अधिक प्रमुख बीमारियों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, तकनीकी सहायता और संसाधन प्रदान करता है। इस प्रणाली का नेतृत्व निम्नलिखित संगठनों द्वारा किया जाता है:
    - » विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
    - » यूनिसेफ (UNICEF)
    - » गावी, द वैक्सीन अलायंस (Gavi, the Vaccine Alliance)

प्रमुख रूपरेखाएं:

- **टीकाकरण एजेंडा 2030 (IA2030):** यह एक वैश्विक रणनीति है, जिसका उद्देश्य समान रूप से टीकों की पहुंच सुनिश्चित करना, टीकाकरण में आई रुकावटों से उबरना और इस दशक के दौरान 5

करोड़ से अधिक लोगों के जीवन को बचाना है।

- **विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (EPI):** बचपन की बीमारियों पर केंद्रित ईपीआई (EPI) का विस्तार अब विभिन्न आयु समूहों, जिनमें किशोर और वयस्क भी शामिल हैं, के लिए 13 प्रमुख बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण की सिफारिशें प्रदान करने तक हो गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- 2025 में वैश्विक स्तर पर 90% शिशुओं (लगभग 11.6 करोड़ बच्चों) को डीटीपी (DTP) टीके की कम से कम एक खुराक मिली, जबकि 85% ने सभी तीन खुराकें पूरी कीं।
- वैश्विक टीकाकरण कवरेज में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन यह अभी भी 2019 के कोविड-19 से पहले के स्तर से नीचे है।
- लगभग 1.35 करोड़ बच्चे जीरो-डोज़ (zero-dose) बच्चे थे, जिन्हें अपने पहले वर्ष में कोई टीका नहीं मिला।
- लगभग 73 लाख शिशुओं को डीटीपी की पहली खुराक मिली, लेकिन वे खसरे के पहले टीके की खुराक से चूक गए, जो टीकाकरण कार्यक्रमों को पूरा करने में मौजूद अंतराल को दर्शाता है।
- वैश्विक खसरा टीकाकरण कवरेज अभी भी अपर्याप्त है:
  - 84% को पहली खुराक मिली।
  - 77% को दूसरी खुराक मिली।
  - प्रकोपों को रोकने के लिए 95% कवरेज आवश्यक है।
- 2025 में 57 देशों ने खसरे के बड़े प्रकोपों की सूचना दी, साथ ही डिप्थीरिया और हैजा के मामलों में भी वृद्धि हुई।
- घटता हुआ वित्त पोषण और कमजोर निगरानी प्रणालियां भविष्य के टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए जोखिम पैदा कर रही हैं।

संकट के पीछे कारण:

- **संघर्ष और विस्थापन:** युद्ध और मानवीय संकट स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करते हैं, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाते हैं और बच्चों को टीकाकरण कार्यक्रमों तक पहुंचने से रोकते हैं।
- **वित्त पोषण की कमी:** घटती अंतरराष्ट्रीय सहायता और वित्तीय बाधाएं टीकों की खरीद, कोल्ड-चेन प्रणालियों, स्वास्थ्य कर्मियों और रोग निगरानी को प्रभावित करती हैं।
- **गलत सूचना और टीकों को लेकर शंका:** टीकों की सुरक्षा के संबंध में गलत जानकारी ने लोगों के विश्वास को कम किया है और टीकाकरण में कमी में योगदान दिया है, विशेष रूप से खसरे के टीकाकरण में।
- **कमजोर निगरानी प्रणालियां:** रोग निगरानी क्षमता में कमी ने प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने की क्षमता को प्रभावित किया है। 2025 में केवल 18 राष्ट्रीय टीकाकरण सर्वेक्षण प्रस्तुत किए गए, जबकि पहले यह संख्या 50 थी।

भारत के टीकाकरण प्रयास:

- भारत ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) लागू किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक है। मिशन इंद्रधनुष जैसी पहलों का उद्देश्य कम टीकाकरण वाले क्षेत्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के बीच कवरेज में सुधार करना है। कोविड-19 के दौरान विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने भी टीका प्रबंधन को मजबूत किया है।

निष्कर्ष:

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी इस बात को उजागर करती है कि टीकाकरण में हुई प्रगति को स्वाभाविक रूप से सुनिश्चित नहीं माना जा सकता। जबकि वैश्विक टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ है, संघर्ष, वित्तीय बाधाएं और गलत सूचनाएं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं। टीकाकरण प्रणालियों को मजबूत करना SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) प्राप्त करने और प्रत्येक बच्चे के लिए जीवन रक्षक टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026: पारदर्शी एवं विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली हेतु संस्थागत सुधार

संदर्भ:

भारत की लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था में लोक परीक्षाओं (Public Examinations) की शुचिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हाल के वर्षों में नीट (NEET), यूजीसी- नेट तथा विभिन्न राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। इस प्रशासनिक संकट और व्यवस्थागत विफलताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 लागू किया था। हालांकि, अनियमितताओं की बदलती प्रकृति और न्यायिक प्रक्रियाओं में होने वाले अत्यधिक विलंब को देखते हुए इस वैधानिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।

इसी संदर्भ में, संसद के मानसून सत्र में व्यापक चर्चा के बाद लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 पारित किया गया, जिसे 1 अगस्त, 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। यह अधिनियम पूर्ववर्ती वैधानिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए 'त्वरित न्यायिक आदेशों' (Fast-track Judicial Mandates) और भ्रष्ट प्रशासनिक निकायों के संस्थागत सुधार पर केंद्रित है।

अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य:

इस संशोधन अधिनियम के मूल उद्देश्य त्रि-आयामी हैं:

» **निवारक प्रभाव (Deterrent Effect) उत्पन्न करना:** दंड और जुर्माने की मात्रा को इस स्तर तक बढ़ाना जिससे संगठित आपराधिक सिंडिकेट के लिए परीक्षा माफिया का संचालन करना आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी तथा विधिक दृष्टि से अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो जाए।

» **समयबद्ध न्याय (Time-bound Justice):** पारंपरिक न्यायिक प्रणाली में होने वाले दशकों लंबे विलंब को समाप्त कर पांच महीने के भीतर जांच और सुनवाई पूरी करना।

» **संस्थागत जवाबदेही (Institutional Accountability):** परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों की आंतरिक मिलीभगत को समाप्त करना, उन्हें जवाबदेह बनाना तथा भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाना।

त्वरित न्यायिक अधिदेश एवं वैधानिक समय-सीमा:

- 2026 के संशोधन अधिनियम की विशेषता इसकी कठोर न्यायिक समय-सीमा है। यह प्रावधान न्यायशास्त्र के इस सिद्धांत पर आधारित है कि "विलंबित न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है।" अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित वैधानिक समय-सीमाएं अनिवार्य की गई हैं:

  » **दो महीने के भीतर जांच की समाप्ति:** किसी भी परीक्षा से संबंधित अपराध दर्ज होने के बाद पुलिस या केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल (Special Task Force - STF) के लिए 2 महीने के भीतर जांच पूरी कर आरोप पत्र

(Chargesheet) दाखिल करना अनिवार्य है। हालाँकि, समयबद्ध जांच तभी प्रभावी होगी जब राज्यों में पर्याप्त प्रशिक्षित अन्वेषण अधिकारी, डिजिटल फोरेंसिक क्षमता तथा अभियोजन तंत्र उपलब्ध हो।

» **विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय (Special Fast-Track Courts):** अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को इन अपराधों की दैनिक आधार पर (Day-to-day basis) सुनवाई के लिए विशेष सत्र न्यायालयों को 'फास्ट-ट्रैक कोर्ट' के रूप में अधिसूचित करना होगा। यह व्यवस्था न्यायिक प्रक्रिया की गति बढ़ाने के साथ-साथ परीक्षा परिणामों एवं नियुक्ति प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब को कम करने का प्रयास करती है।

» **तीन महीने के भीतर मुकदमे का निस्तारण:** आरोप पत्र दाखिल होने के अधिकतम 3 महीने के भीतर विशेष न्यायालय को अपना अंतिम निर्णय सुनाना होगा।

» **त्वरित अपीलीय खिड़की:** यदि कोई पक्ष विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करता है, तो दो न्यायाधीशों की पीठ (Division Bench) को अपील स्वीकार होने के 3 महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा।

संशोधित दंड संरचना: 2024 बनाम 2026:

2026 का संशोधन पूर्ववर्ती कानून की तुलना में वित्तीय और शारीरिक दंड को अत्यधिक कठोर बनाता है। इसे निम्नलिखित वर्गीकरण के माध्यम से समझा जा सकता है:

अपराधी की श्रेणी	2024 के मूल प्रावधान	2026 के संशोधित प्रावधान
व्यक्तिगत अपराधी / अभ्यर्थी (पेपर लीक, हैकिंग, प्रतिरूपण में लिप्त)	3 से 5 वर्ष का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना।	5 से 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50 लाख तक का जुर्माना।
निजी सेवा प्रदाता / परीक्षा एजेंसियां (लापरवाही या मिलीभगत के दोषी)	₹1 करोड़ तक का जुर्माना और 4 वर्षों के लिए परीक्षा कार्यों पर प्रतिबंध।	₹5 करोड़ तक का जुर्माना, परीक्षा की आनुपातिक लागत की वसूली और 8 वर्षों का प्रतिबंध।
एजेंसियों के निदेशक / वरिष्ठ प्रबंधन	संस्थान की संलिप्तता पर व्यक्तिगत दायित्व अस्पष्ट था।	5 से 10 वर्ष का कारावास और व्यक्तिगत रूप से भारी वित्तीय अर्थदंड।
संगठित अपराध सिंडिकेट / परीक्षा माफिया	न्यूनतम 3 वर्ष (अधिकतम 10 वर्ष) का कारावास और ₹1 करोड़ का जुर्माना।	7 से 10 वर्ष का न्यूनतम कारावास और न्यूनतम ₹10 करोड़ का वित्तीय जुर्माना।

- अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय (Cognizable), गैर-जमानती (Non-bailable) और गैर-शमनीय (Non-compoundable) बनाए रखा गया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। दंड व्यवस्था में यह कठोरता स्पष्ट करती है कि सरकार परीक्षा अपराधों को व्यक्तिगत अनियमितता नहीं, बल्कि संगठित आर्थिक अपराध के रूप में देख रही है।

अधिनियम के अंतर्गत किन "अनुचित साधनों" को अपराध माना जाएगा?

- प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी या ओएमआर शीट को लीक करना अथवा अनधिकृत रूप से अपने पास रखना
- परीक्षा के दौरान किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर या समाधान प्रदान करना
- अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित सहायता प्रदान करना
- अनुचित साधनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुरक्षा व्यवस्थाओं का जानबूझकर उल्लंघन करना

प्रशासनिक सुधार:

- **नंदन नीलेकणी कार्य बल (Nilekani Task Force) का गठन:** परीक्षा प्रणालियों के तकनीकी और प्रक्रियागत पुनर्गठन के लिए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पूर्व प्रमुख नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

- **कार्य बल के मुख्य अधिदेश:**
  - परीक्षा पूर्व और परीक्षा पश्चात सुरक्षा प्रोटोकॉल का आधुनिकीकरण करना।

  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित लॉग ऑडिटिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली लागू करना।
  - प्रश्नपत्रों के परिवहन के लिए जीपीएस-ट्रैक्ड (GPS-tracked) लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करना।
  - एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र प्रबंधन प्रणाली विकसित करना।

चुनौतियां:

- **राज्यों के समन्वय की चुनौती:** शिक्षा और लोक परीक्षाएं समवर्ती सूची एवं राज्य सूची के विषयों से प्रभावित होती हैं। केंद्रीय कानून राज्यों के लिए एक मॉडल ढांचे के रूप में कार्य करता है, लेकिन जब तक सभी राज्य सरकारें अपनी स्थानीय परीक्षाओं के लिए इसे पूरी तरह नहीं अपनातीं, तब तक अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा माफिया पर नियंत्रण करना कठिन होगा।
- **न्यायिक अवसंरचना पर दबाव:** भारत की निचली अदालतों में पहले से ही लाखों मामले लंबित हैं। ऐसे में बिना अतिरिक्त जजों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के, 3 महीने के भीतर मुकदमों का निपटारा करना एक बड़ी व्यावहारिक चुनौती होगी।
- **अति-अपराधीकरण (Over-criminalization) का डर:** कानून का क्रियान्वयन इस प्रकार होना चाहिए कि तकनीकी त्रुटियों या अनजाने में हुई मानवीय भूलों को 'संगठित अपराध' न मान लिया जाए, जिससे निर्दोष अधिकारियों या संविदा कर्मियों का उत्पीड़न न हो।
- **डिजिटल विभाजन (Digital Divide) की समस्या:** यदि भविष्य में कंप्यूटर-आधारित परीक्षा एवं एआई आधारित परीक्षाएँ बढ़ती हैं तो अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा।

निष्कर्ष:

लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम, 2026 भारत की सार्वजनिक नीति (Public Policy) में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून स्पष्ट करता है कि परीक्षाओं में धांधली केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि राष्ट्र की युवा पूंजी के खिलाफ एक आर्थिक और सामाजिक अपराध है। केवल कड़े कानूनों से पेपर लीक पूरी तरह नहीं रुक सकते, इसके लिए कानूनी कड़ाई, तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक ईमानदारी का एक एकीकृत त्रिकोण आवश्यक है। नंदन नीलेकणी कार्य बल की सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से लागू करना, ब्लॉकचेन आधारित प्रश्नपत्र वितरण प्रणाली का उपयोग करना और न्यायिक जांच के लिए फोरेंसिक विंग को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। यदि यह अधिनियम प्रभावी क्रियान्वयन के साथ लागू होता है, तो यह भारत में योग्यता-आधारित शासन (Merit-based Governance) और युवाओं के संस्थागत विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

भारत में मंदिर प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में प्राप्त दान के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने भारत में मंदिरों के शासन-प्रबंधन (Temple Governance) पर बहस को पुनः तेज कर दिया है।

भारत में मंदिर अर्थव्यवस्था का स्वरूप और व्यापकता:

- भारत में लगभग 10 लाख हिंदू मंदिर हैं, जिनमें छोटे ग्रामीण मंदिरों से लेकर बड़े तीर्थस्थल शामिल हैं। अयोध्या, वाराणसी, तिरुपति और हरिद्वार जैसे प्रमुख मंदिरों के पास भूमि, स्वर्ण, नकद दान तथा अन्य धार्मिक न्यासों (Endowments) के रूप में विशाल संपत्तियाँ हैं।
- मंदिरों को प्राप्त होने वाले दान का बड़ा भाग धार्मिक एवं परोपकारी ट्रस्टों के माध्यम से संचालित होता है। पंजीकृत संस्थाएँ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अंतर्गत कर छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकती हैं।
- हालांकि, विशेषकर नकद तथा वस्तु के रूप में मिलने वाले दान का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक लेखांकन प्रणाली से बाहर रहता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

मंदिर प्रबंधन की पारंपरिक व्यवस्थाएँ:

- **वंशानुगत अथवा पारिवारिक व्यवस्था:** कई मंदिरों का प्रबंधन परंपरागत रूप से पुजारी या पांडा परिवारों द्वारा किया जाता है। पूजा-अर्चना की जिम्मेदारियाँ तथा श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे का प्रबंधन पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिवारों के भीतर ही चलता है। विभिन्न राज्यों में इसकी व्यवस्थाएँ अलग-अलग हो सकती हैं।
- **महंत व्यवस्था:** इस प्रणाली में मंदिर का प्रशासन, संपत्ति, आय और उत्तराधिकार का संपूर्ण नियंत्रण महंत अथवा आध्यात्मिक प्रमुख के पास होता है। अनेक मठों तथा सनातन परंपरा पर आधारित धार्मिक संस्थानों में यह व्यवस्था आज भी प्रचलित है।
- **अखाड़ा (पंचायती) व्यवस्था:** अखाड़े साधु-संतों के संगठित समूह होते हैं, जो सामूहिक रूप से मंदिरों का संचालन करते हैं। इनकी नेतृत्व व्यवस्था सामान्यतः चुनाव अथवा सर्वसम्मति के आधार पर तय होती है। विशेष रूप से शैव, वैष्णव और उदासीन परंपराओं में अखाड़े धार्मिक अनुष्ठानों, संसाधनों तथा संस्थागत संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं।

मंदिर प्रशासन में राज्य की भूमिका:

- मंदिरों के प्रशासन में राज्य की भागीदारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि औपनिवेशिक काल के कानूनों, जैसे धार्मिक न्यास अधिनियम, 1863 (Religious Endowments Act, 1863) तथा मद्रास हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1925 (Madras Hindu Religious Endowments Act, 1925) से जुड़ी है, जिन्होंने धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी नियामक नियंत्रण का विस्तार किया।
- स्वतंत्रता के बाद कई राज्यों ने विधिक ढाँचे के माध्यम से मंदिर प्रबंधन को संस्थागत रूप दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(2) राज्य को धर्म से संबंधित आर्थिक, वित्तीय एवं अन्य लौकिक (Secular) गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार देता है। यही प्रावधान मंदिर प्रशासन में राज्य की भूमिका का संवैधानिक आधार प्रदान करता है।

मंदिर प्रबंधन के प्रमुख संस्थागत मॉडल:

- **तमिलनाडु:** हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) द्वारा 40,000 से अधिक मंदिरों का प्रबंधन किया जाता है।
- **आंध्र प्रदेश:** तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का संचालन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के माध्यम से किया जाता है।
- **केरल:** त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड सबरीमला सहित अनेक प्रमुख मंदिरों का प्रशासन संचालित करता है।
- **उत्तर प्रदेश:** काशी विश्वनाथ मंदिर बोर्ड सरकारी निगरानी के अंतर्गत कार्य करता है।

मंदिर प्रशासन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ:

- मंदिर शासन-प्रबंधन से संबंधित प्रमुख समस्याएँ निम्नलिखित हैं:
  - दान एवं चढ़ावे के प्रबंधन में समान और पारदर्शी व्यवस्था का अभाव।
  - लेखा-परीक्षण (Audit) एवं जवाबदेही की कमजोर व्यवस्था।
  - न्यासियों (Trustees) की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप।
  - मंदिरों की आय एवं संसाधनों के उपयोग में असमानता।
  - धार्मिक स्वायत्तता और राज्य के नियामक नियंत्रण के बीच संतुलन का अभाव।

आगे की राह:

मंदिर प्रशासन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए निम्नलिखित सुधारों पर विचार किया जा सकता है:

- दान के लिए अनिवार्य डिजिटल लेखांकन एवं रियल-टाइम सार्वजनिक प्रकटीकरण की व्यवस्था।
- बड़े मंदिरों का स्वतंत्र वित्तीय लेखा-परीक्षण।
- मंदिर प्रशासन का व्यावसायिक (Professional) प्रबंधन।
- धार्मिक अनुष्ठानों और प्रशासनिक कार्यों के बीच स्पष्ट विभाजन।
- ऐसा संतुलित कानूनी ढाँचा विकसित करना जो धार्मिक स्वायत्तता और सार्वजनिक जवाबदेही दोनों को सुनिश्चित करे।

निष्कर्ष:

अयोध्या ट्रस्ट से जुड़ा विवाद केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत में मंदिर प्रशासन की व्यापक संरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सामने लाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता और सार्वजनिक जवाबदेही के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप पारदर्शी, उत्तरदायी और पेशेवर मंदिर प्रबंधन व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे और धार्मिक संस्थानों की पवित्रता एवं स्वायत्तता दोनों सुरक्षित रह सकें।

हरियाणा–राजस्थान यमुना जल समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा और राजस्थान ने वर्ष 1994 के ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (Upper Yamuna River Board- UYRB) समझौते को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य पेयजल उपलब्धता बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करना, भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) को प्रोत्साहित करना तथा जल प्रबंधन में अंतर्राज्यीय सहयोग को मजबूत करना है।

पृष्ठभूमि:

- इस समझौते की आधारशिला 12 मई 1994 को हस्ताक्षरित ऊपर यमुना बेसिन के उपयोग योग्य सतही जल के बंटवारे संबंधी समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding on the Sharing of Utilisable Surface Waters of the Upper Yamuna Basin) में निहित है।
- इस समझौते पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद वह भी अपर यमुना बेसिन का एक हितधारक (Stakeholder) बन गया।
- इस समझौते का उद्देश्य यमुना नदी के उपयोग योग्य जल का विभिन्न बेसिन राज्यों के बीच न्यायसंगत वितरण करना था, ताकि बढ़ती पेयजल, सिंचाई तथा अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) की स्थापना की गई, जिसका कार्य जल आवंटन का विनियमन, नदी के प्रवाह की निगरानी तथा सहभागी राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना है।

नए समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- यद्यपि वर्ष 1994 के समझौते के अंतर्गत राजस्थान को यमुना नदी के जल का 10.4% हिस्सा आवंटित किया गया था, लेकिन समर्पित जल परिवहन प्रणाली (Dedicated Water Conveyance System) के अभाव में राज्य अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, कई वर्षों तक उसके हिस्से का बड़ा भाग अनुपयोगी बना रहा।
- इस समस्या के समाधान के लिए हाल ही में हरियाणा और राजस्थान के बीच एक नया समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है, जिससे वर्ष 1994 के समझौते को व्यावहारिक रूप से लागू किया जा सके।
- इस व्यवस्था के तहत हरियाणा, जुलाई से अक्टूबर के बीच प्रतिवर्ष 580 मिलियन घन मीटर (MCM) यमुना जल लगभग 300 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनीकुंड के

निकट से राजस्थान को उपलब्ध कराएगा।

- इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3,900 करोड़ रुपये है, जिसे दोनों राज्य संयुक्त रूप से क्रियान्वित करेंगे।

समझौते का महत्व:

- यह समझौता राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों में पेयजल की विश्वसनीय उपलब्धता सुनिश्चित करेगा तथा हरियाणा के कुछ क्षेत्रों को भी लाभान्वित करेगा।
- इसके अतिरिक्त, इससे:
  - सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा।
  - भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) को बढ़ावा मिलेगा।
  - मानसून के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त जल की बर्बादी कम होगी।
- यह समझौता रेणुका, किशाऊ और लखवार बहुउद्देशीय बांध परियोजनाओं के निर्माण को भी गति प्रदान कर सकता है। ये परियोजनाएँ यमुना बेसिन में जल भंडारण क्षमता बढ़ाने तथा दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 262 संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है।
- इसी अधिकार के तहत संसद ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (Inter-State River Water Disputes Act, 1956) अधिनियमित किया, जिसके माध्यम से जल विवाद न्यायाधिकरणों (Water Dispute Tribunals) की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- राज्य सूची की प्रविष्टि 17 राज्यों को जल संबंधी विषयों पर अधिकार प्रदान करती है, जबकि संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास का अधिकार प्राप्त है।

निष्कर्ष:

हरियाणा–राजस्थान यमुना जल समझौता सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसने वर्ष 1994 के अपर यमुना समझौते को व्यावहारिक रूप से लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। यह समझौता जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ नदी बेसिन आधारित समेकित योजना, जल अवसंरचना के विकास तथा संवैधानिक तंत्र के माध्यम से भारत के अंतर्राज्यीय नदी जल संसाधनों के न्यायसंगत एवं सतत प्रबंधन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

दिल्ली ईवी नीति 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति 2026 को मंजूरी दी है, जो स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस नीति के तहत 31 मार्च 2028 के बाद नए पेट्रोल चालित मोटरसाइकिल और स्कूटरों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जबकि दिसंबर 2026 के बाद नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण भी बंद कर दिया जाएगा।

दिल्ली ईवी नीति 2026 के प्रमुख प्रावधान:

- 31 मार्च 2028 के बाद नए पेट्रोल चालित मोटरसाइकिल और स्कूटरों का पंजीकरण नहीं होगा।
- दिसंबर 2026 के बाद नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा।
- अप्रैल 2028 से पंजीकृत होने वाले सभी नए दोपहिया और तिपहिया वाहन केवल इलेक्ट्रिक होंगे।
- वर्ष 2030 तक दिल्ली के कुल वाहन बेड़े का 30% विद्युतीकरण (Electrification) करने का लक्ष्य।
- ईवी प्रोत्साहन और चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- वाहन खरीद प्रोत्साहन (Purchase Incentives):
  - इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
  - इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने पर 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि।
- बीएस-IV तथा उससे पुराने वाहनों को कबाड़ (Scrap) करने पर विशेष प्रोत्साहन।
- स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों की तुलना में शुद्ध बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (Battery Electric Vehicles- BEVs) को प्राथमिकता।

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को क्यों बढ़ावा दे रही है?

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, सर्दियों के

दौरान दिल्ली में PM2.5 प्रदूषण का लगभग 23% हिस्सा वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण होता है, जिससे परिवहन क्षेत्र शहर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बन जाता है।

- दिल्ली के कुल वाहनों में लगभग 67% हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है। ऐसे में इनके विद्युतीकरण से प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इसके साथ ही यह सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी तथा भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी सहायक होगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन की भूमिका:

- इलेक्ट्रिक वाहन टेलपाइप (Exhaust Pipe) से कोई उत्सर्जन नहीं करते, जिससे PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), कार्बन मोनोऑक्साइड तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है।
- हालांकि, केवल ईवी अपनाना पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है:
  - » इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार।
  - » मेट्रो नेटवर्क का विस्तार।
  - » साइकिल ट्रैक एवं गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा।
  - » बेहतर लास्ट-माइल कनेक्टिविटी।
- इन उपायों से यातायात जाम और निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सकेगी।

दिल्ली का वायु प्रदूषण:

- दिल्ली में वायु प्रदूषण कई कारणों से लगातार गंभीर बना रहता है, जिनमें प्रमुख हैं:
  - » वाहनों से होने वाला उत्सर्जन।
  - » सड़क एवं निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल।
  - » औद्योगिक गतिविधियाँ।
  - » बायोमास एवं कचरे का जलाना।
  - » पड़ोसी राज्यों में पराली जलाना।
- सर्दियों के दौरान तापमान प्रतिलोमन (Temperature Inversion), कम हवा की गति तथा कोहरे जैसी मौसम संबंधी परिस्थितियाँ प्रदूषकों को पृथ्वी की सतह के निकट ही रोक देती हैं, जिससे वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब हो जाती है।

भौगोलिक कारक और जनस्वास्थ्य पर प्रभाव:

- दिल्ली इंडो-गंगा के मैदान (Indo-Gangetic Plain) में स्थित एक स्थलरुद्ध (Landlocked) शहर है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है।
- समुद्री हवाओं का अभाव तथा वायुमंडलीय प्रदूषकों के कम प्रसार (Poor Atmospheric Dispersion) के कारण प्रदूषण लंबे समय तक बना रहता है।
- प्रदूषित वायु के लंबे समय तक संपर्क में रहने से अस्थमा, दीर्घकालिक श्वसन रोग, हृदय संबंधी रोग तथा समय से पहले मृत्यु (Premature Death)
- जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग इसके प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।

संस्थाओं और प्रौद्योगिकी की भूमिका:

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) वायु गुणवत्ता की निगरानी तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के समन्वय का कार्य करते हैं।
- प्रदूषण नियंत्रण एवं नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग महत्वपूर्ण हो सकता है:
  - » रियल-टाइम वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली।
  - » उपग्रह आधारित निगरानी।
  - » कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान।
  - » स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली।

निष्कर्ष:

दिल्ली ईवी नीति 2026 टिकाऊ एवं स्वच्छ शहरी परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यद्यपि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर परिवहन क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है, लेकिन दिल्ली की वायु गुणवत्ता में स्थायी सुधार के लिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, प्रभावी नियामकीय प्रवर्तन, क्षेत्रीय सहयोग, आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को समान रूप से बढ़ावा देना आवश्यक होगा।

वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 पूरे भारत में 1 जुलाई से लागू हो गया है। इस अधिनियम ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (MGNREGA) का स्थान ले लिया है।

अधिनियम के बारे में:

- VB-G RAM G अधिनियम, 2025 एक व्यापक ग्रामीण रोजगार कानून है, जिसका उद्देश्य भारत की मजदूरी आधारित ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का आधुनिकीकरण करना है। यह अधिनियम आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने, टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण करने, डिजिटल शासन के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने तथा जलवायु-अनुकूल ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।
- यह अधिनियम कल्याण-आधारित रोजगार सृजन की अवधारणा से आगे बढ़ते हुए उत्पादकता-आधारित ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह “रोजगार भी, सम्मान भी” के मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ “विकसित भारत @2047” के लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **बढ़ी हुई रोजगार गारंटी:** प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के स्थान पर अब 125 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का प्रावधान किया गया है।
- **संशोधित मजदूरी संरचना:** न्यूनतम अधिसूचित दैनिक मजदूरी ₹300 निर्धारित की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत दैनिक मजदूरी बढ़कर ₹327.4 हो गई है।
- **डिजिटल शासन:** पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जियो-टैगिंग, GIS आधारित योजना, राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली (NMMS), रियल-टाइम डैशबोर्ड तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की व्यवस्था की गई है।
- **विकेंद्रीकृत योजना निर्माण:** ग्राम सभाओं की भागीदारी से ग्राम पंचायतों द्वारा विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) तैयार की जाएगी।
- **समयबद्ध मजदूरी भुगतान:** मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। विलंब होने पर प्रतिदिन 0.05% की दर से मुआवजा दिया जाएगा।
- **श्रमिक कल्याण:** कार्यस्थलों पर पीने के पानी, छाया, प्राथमिक उपचार तथा बच्चों की देखभाल (चाइल्डकेयर) जैसी सुविधाएँ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएँगी।
- **पारदर्शिता के उपाय:** अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) तथा मोबाइल आधारित निगरानी की व्यवस्था की गई है।
- **मौसम के अनुसार लचीलापन:** राज्य सरकारें कृषि के व्यस्त मौसम के दौरान अधिकतम 60 दिनों तक कार्यों को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकती हैं।

राज्यों में संशोधित मजदूरी दरें:

- सरकार ने विभिन्न राज्यों की मजदूरी दरों में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी राज्य में अधिसूचित दैनिक मजदूरी ₹300 से कम न हो। इसके साथ ही राष्ट्रीय औसत मजदूरी ₹298.8 से बढ़कर ₹327.4 प्रतिदिन हो गई है, जो 10% से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है।
- यह संशोधित मजदूरी संरचना विशेष रूप से उन राज्यों के लिए लाभकारी है, जहाँ पहले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी ₹300 से कम थी। 21 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में मजदूरी बढ़ाकर कम-से-कम ₹300 प्रतिदिन कर दी गई है।

- प्रमुख वृद्धि वाले राज्यों में शामिल हैं:
  - » उत्तर प्रदेश: +₹48
  - » बिहार: +₹45
  - » मध्य प्रदेश: +₹39
  - » राजस्थान: +₹19
- इसके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम, त्रिपुरा, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी 15% से अधिक की मजदूरी वृद्धि दर्ज की गई है।
- जिन राज्यों में पहले से ही दैनिक मजदूरी ₹300 से अधिक थी, वहाँ अपेक्षाकृत कम वृद्धि की गई है। हरियाणा में सबसे अधिक ₹409 प्रतिदिन की मजदूरी बनी हुई है, इसके बाद गोवा (₹406) और केरल (₹401) का स्थान है।

अधिनियम के लाभ:

- अधिक रोजगार दिवस एवं उच्च मजदूरी के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करेगा।
- सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों तथा जल संरक्षण संरचनाओं जैसी टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण को बढ़ावा देगा।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल (Climate Resilient) ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- डिजिटल शासन के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।
- महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, क्योंकि कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।
- ग्राम पंचायत आधारित योजना निर्माण के माध्यम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाएगा।

निष्कर्ष:

विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 भारत की ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह अधिनियम बढ़ी हुई रोजगार गारंटी, उच्च मजदूरी, डिजिटल पारदर्शिता तथा सतत ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ता है। हालाँकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय तथा पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक होगा। यदि इन पहलुओं पर सफलतापूर्वक कार्य किया जाता है, तो यह अधिनियम ग्रामीण आजीविका में व्यापक सुधार लाने तथा समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट 2025 एवं विज़न डॉक्यूमेंट 2026–29

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एनसीबी (NCB) वार्षिक रिपोर्ट 2025 तथा ड्रग कंट्रोल विज़न डॉक्यूमेंट (2026–2029) को एनसीओआरडी (NCORD) फ्रेमवर्क के अंतर्गत जारी किया।

एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट 2025 की प्रमुख विशेषताएँ:

- **रिकॉर्ड स्तर की प्रवर्तन कार्रवाई**
  - » भारत में वर्ष 2021–2025 के दौरान मादक पदार्थों से संबंधित गिरफ्तारियों की संख्या पाँच वर्षों में सबसे अधिक दर्ज की गई।
  - » वर्ष 2025 में 1,83,675 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या 1,22,224 थी।
  - » 810 निवारक निरोध (Preventive Detention) आदेश जारी किए गए, जबकि वर्ष 2024 में इनकी संख्या 531 थी।
  - » यह खुफिया जानकारी आधारित प्रवर्तन तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को दर्शाता है।
- **डिजिटल माध्यमों से मादक पदार्थों की तस्करी में वृद्धि**
  - » टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी के लिए तेजी से किया जा रहा है।
  - » टेलीग्राम मादक पदार्थों के विज्ञापन और समन्वय का एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है।
  - » यह दर्शाता है कि मादक पदार्थों का अवैध व्यापार अब पारंपरिक भौतिक नेटवर्क से साइबर-सक्षम नेटवर्क की ओर बढ़ रहा है।
- **अफीम का प्रमुख स्रोत बना म्यांमार**
  - » म्यांमार ने अवैध अफीम के प्रमुख स्रोत के रूप में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है।
  - » म्यांमार से पूर्वोत्तर भारत तक एक प्रमुख तस्करी गलियारा (Trafficking Corridor) सक्रिय है।
  - » मादक पदार्थों का व्यापार हथियारों की तस्करी तथा उग्रवादी संगठनों के वित्तपोषण से भी जुड़ा हुआ है।
  - » यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

- **अवैध खेती का बड़े पैमाने पर विनाश**
    - नष्ट की गई अफीम (पोस्ता) की खेती: 42,282 एकड़ (2025) जबकि वर्ष 2024 में 22,512 एकड़।
    - नष्ट की गई कैनाबिस (भांग/गांजा) की खेती: 38,193 एकड़, जबकि वर्ष 2024 में 34,018 एकड़।
    - यह आपूर्ति पक्ष (Supply-side) पर नियंत्रण के प्रयासों में तीव्रता को दर्शाता है।
- **सिंथेटिक मादक पदार्थों का उभरता खतरा**
    - वैश्विक स्तर पर जब्त किए गए मादक पदार्थों में मेथामफेटामाइन और एमफेटामाइन का प्रभुत्व है।
    - **नया खतरा:** निटाजेन्स (Nitazenes), जो ऐसे सिंथेटिक ओपिओइड हैं जो हेरोइन से 500 गुना अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं।
- इनके प्रमुख उत्पादन केंद्रों में म्यांमार, मेक्सिको, अफगानिस्तान और यूरोप शामिल हैं।

ड्रग कंट्रोल विज़न डॉक्यूमेंट (2026–2029) के बारे में:

- यह दस्तावेज़ विकसित भारत 2047 के अनुरूप "नशा मुक्त भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है तथा यह चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:
    - **प्रवर्तन, खुफिया जानकारी एवं संचालन:** मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लक्षित कार्रवाई।
    - **प्रीकर्सर एवं सिंथेटिक मादक पदार्थों पर नियंत्रण:** रसायनों तथा उत्पादन स्तर पर ही मादक पदार्थों को रोकना।
    - **मांग में कमी एवं हानि नियंत्रण:** जन-जागरूकता, पुनर्वास तथा समुदाय आधारित रोकथाम।
    - **क्षमता निर्माण एवं समन्वय:** संस्थागत क्षमता, डेटा प्रणाली तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करना।

गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट:

- **गोल्डन क्रेसेंट:** ईरान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान क्षेत्र, जो अफीम का प्रमुख स्रोत है।
- **गोल्डन ट्रायंगल:** म्यांमार–थाईलैंड–लाओस क्षेत्र, जो मादक पदार्थों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है।
- भारत इन दोनों क्षेत्रों के बीच स्थित है, जिससे यह मादक पदार्थों की तस्करी और आवागमन (Transit Trafficking) के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाता है। वैश्विक मादक पदार्थों के प्रभाव के कारण इन क्षेत्रों को कभी-कभी "डेथ क्रेसेंट" तथा "डेथ ट्रायंगल" भी कहा जाता है।

भारत में मादक पदार्थ नियंत्रण का कानूनी ढाँचा:

- **संवैधानिक आधार:** भारत की मादक पदार्थ नीति अनुच्छेद 47 पर आधारित है, जो राज्य को औषधीय उपयोग को छोड़कर नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने तथा जनस्वास्थ्य में सुधार करने का निर्देश देता है।
- **एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (NDPS Act, 1985):** स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS Act, 1985) भारत में मादक पदार्थों से संबंधित प्रमुख कानून है। यह:
    - मादक पदार्थों की खेती, उत्पादन, बिक्री, कब्जा एवं परिवहन पर प्रतिबंध लगाता है।
    - चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए विनियमित उपयोग की अनुमति देता है।
    - संयुक्त राष्ट्र के मादक पदार्थ संबंधी अभिसमयों (UN Drug Conventions) को लागू करता है।

वर्गीकरण:

- **नार्कोटिक ड्रग्स (Narcotic Drugs):** अफीम, कोका, कैनाबिस से प्राप्त पदार्थ।
- **मनोप्रभावी पदार्थ (Psychotropic Substances):** एलएसडी (LSD), एमडीएमए (MDMA), सेडेटिव्स।
- **नियंत्रित पदार्थ (Controlled Substances):** प्रीकर्सर रसायन।
- **कैनाबिस अपवाद:** भांग का विनियमन एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत नहीं, बल्कि राज्य सरकारों के कानूनों के अंतर्गत किया जाता है।

दंड एवं जमानत:

सजा मादक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है:

- **कम मात्रा (Small Quantity):** अधिकतम 1 वर्ष।
- **मध्यम मात्रा (Intermediate Quantity):** अधिकतम 10 वर्ष।
- **व्यावसायिक मात्रा (Commercial Quantity):** 10–20 वर्ष का कारावास तथा भारी जुर्माना; पुनरावृत्ति की स्थिति में मृत्युदंड तक का प्रावधान।
- व्यावसायिक मात्रा से जुड़े मामलों में जमानत प्राप्त करना अत्यंत

कठिन है।

निष्कर्ष:

एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट 2025 भारत के समक्ष मादक पदार्थों की बदलती चुनौती को रेखांकित करती है, जिसमें पारंपरिक तस्करी मार्गों से आगे बढ़कर डिजिटल तस्करी नेटवर्क और सिंथेटिक मादक पदार्थों का खतरा प्रमुख रूप से उभरकर सामने आया है। वहीं, विज़न डॉक्यूमेंट 2026–29 प्रवर्तन, रोकथाम और पुनर्वास को एकीकृत करते हुए नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund-EPF) योजना, 2026 को अधिसूचित किया है जिसने 29 जून, 2026 से कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का स्थान ले लिया है। नई योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), 2020 के अंतर्गत तैयार की गई है। इसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाकर, डिजिटल प्रशासन (Digital Governance) को सुदृढ़ करते हुए तथा अनुपालन (Compliance) संबंधी प्रावधानों को अधिक स्पष्ट बनाकर भारत की अंशदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली (Contributory Social Security System) का आधुनिकीकरण करना है।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 2026 क्या है?

- EPF योजना, 2026 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation-EPFO) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान, निकासी तथा प्रशासन से संबंधित नवीन नियामकीय ढांचा है।
- यद्यपि यह योजना कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आय सुरक्षा (Retirement Income Security) प्रदान करने के मूल उद्देश्य को बरकरार रखती है, फिर भी इसमें प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, नियोक्ताओं की जवाबदेही को मजबूत किया गया है तथा भविष्य निधि प्रशासन को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है।
- 1952 की EPF योजना के अंतर्गत पहले से पंजीकृत सभी सदस्य बिना किसी नए पंजीकरण के स्वतः नई योजना के सदस्य बने रहेंगे।

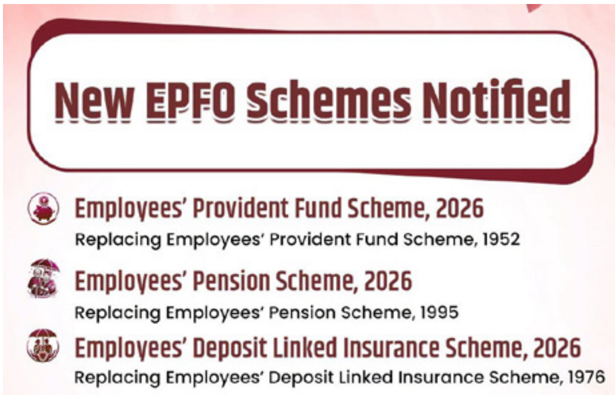

ईपीएफ योजना, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ:

- **अंशदान (Contribution) व्यवस्था**
  - कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों का अनिवार्य EPF अंशदान वेतन का 12% यथावत रहेगा। (कुछ अधिसूचित प्रतिष्ठानों के लिए यह 10% होगा।)
  - अनिवार्य अंशदान ₹15,000 प्रति माह की वैधानिक वेतन सीमा तक ही लागू होगा, जिसके अनुसार अधिकतम अनिवार्य अंशदान ₹1,800 प्रति माह होगा।
  - ₹15,000 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी अपनी इच्छा से अधिक वेतन पर अतिरिक्त अंशदान कर सकते हैं। ऐसे मामलों में नियोक्ता भी आपसी सहमति से समान अनुपात में स्वैच्छिक अंशदान कर सकता है।
- **आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों का सरलीकरण:** पूर्व में उपलब्ध अनेक निकासी श्रेणियों को घटाकर तीन व्यापक श्रेणियों में समाहित कर दिया गया है:
  - **आवश्यक आवश्यकताएँ:**
    - बीमारी
    - शिक्षा
    - विवाह
  - **आवास संबंधी आवश्यकताएँ:**
    - मकान खरीदना
    - मकान का निर्माण
  - **विशेष परिस्थितियाँ:**
    - सरकार द्वारा अधिसूचित असाधारण परिस्थितियाँ
    - सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त बचत बनाए रखने हेतु सदस्य को सामान्यतः अपने संचित भविष्य निधि

(Accumulated Provident Fund) का कम-से-कम 25% शेष रखना होगा।

- ➢ अर्थात सामान्य परिस्थितियों में सदस्य अधिकतम 75% राशि ही निकाल सकेगा, जबकि शेष 25% राशि सेवानिवृत्ति सुरक्षा के लिए सुरक्षित रहेगी।
- ➢ हालाँकि, निर्धारित शर्तों के अधीन एक वर्ष तक बेरोजगार रहने पर सदस्य को संपूर्ण राशि निकालने की अनुमति होगी।

- **नियोक्ता की जिम्मेदारी**
  - » नई योजना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारी ठेकेदार (Contractor) के माध्यम से कार्यरत हैं और वह ठेकेदार EPFO में स्वतंत्र रूप से पंजीकृत नहीं है, तब भी प्रधान नियोक्ता (Principal Employer) ही नियोक्ता एवं कर्मचारी—दोनों के EPF अंशदान तथा प्रशासनिक शुल्क जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा।
- **डिजिटल-प्रथम (Digital-First) प्रशासन:** योजना के अंतर्गत डिजिटल प्रशासन को औपचारिक रूप से बढ़ावा दिया गया है। इसके प्रमुख प्रावधान हैं:
  - » आधार (Aadhaar) एवं पैन (PAN) आधारित KYC
  - » इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग एवं रिटर्न
  - » ऑनलाइन EPF खाते एवं ई-पासबुक
  - » EPFO पोर्टल के माध्यम से एकीकृत डिजिटल अनुपालन (Unified Digital Compliance)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ केंद्रीय श्रम कानूनों को एक व्यापक विधिक ढांचे में समेकित करती है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - » सभी श्रमिकों के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज
  - » EPF, कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), ग्रेच्युटी तथा मातृत्व लाभ को एक ही संहिता के अंतर्गत लाना
  - » गिग श्रमिकों (Gig Workers) एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों (Platform Workers) को कानूनी मान्यता
  - » गिग एवं असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund) की व्यवस्था
  - » निश्चित अवधि (Fixed-Term) के कर्मचारियों के लिए आनुपातिक (Pro-rata) ग्रेच्युटी
  - » इलेक्ट्रॉनिक अनुपालन तथा श्रम प्रशासन का सरलीकरण

ईपीएफ योजना, 2026 का महत्त्व:

- नई ईपीएफ योजना भारत की भविष्य निधि प्रणाली को अधिक आधुनिक एवं प्रभावी बनाती है। यह निकासी नियमों को सरल बनाती है, अंशदान संबंधी दायित्वों को स्पष्ट करती है, नियोक्ताओं की जवाबदेही को मजबूत करती है तथा डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देती है।
- इसके साथ ही यह नियोक्ताओं के लिए नियामकीय स्पष्टता (Regulatory Certainty) बढ़ाती है तथा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाती है।

निष्कर्ष:

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रमुख प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करते हुए EPF योजना, 2026 भारत में एक आधुनिक, पारदर्शी तथा समावेशी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना बदलते हुए श्रम बाजार (Labour Market) की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ डिजिटल एवं उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाएगी।

भूल जाने का अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय

चर्चा में क्यों?

हाल ही मे दिल्ली उच्च न्यायालय ने लक्षवीर सिंह यादव बनाम भारत संघ (2026) मामले में भारत में भूल जाने के अधिकार (Right to be Forgotten- RTBF) को नियंत्रित करने वाली एक ऐतिहासिक रूपरेखा निर्धारित की। न्यायालय ने कहा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से उत्पन्न होता है तथा यह व्यक्ति के निजता के अधिकार और खुली न्याय प्रणाली (Open Justice) के सिद्धांत के बीच संतुलन स्थापित करता है।

भूल जाने का अधिकार क्या है?

- भूल जाने का अधिकार (RTBF) व्यक्तियों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सर्च इंजनों से हटाने (Removal), मिटाने (Erasure) अथवा खोज परिणामों से अलग करने (De-indexing) का अनुरोध कर

सकें, जब उसकी निरंतर ऑनलाइन उपलब्धता से उन्हें असंगत हानि पहुँच रही हो तथा उसका कोई वैध सार्वजनिक हित शेष न रह गया हो।

- यह अधिकार विशेष रूप से आरोपों से बरी (Acquittal) होने, झूठे आरोपों (False Accusations), वैवाहिक विवादों (Matrimonial Disputes) अथवा न्यायिक कार्यवाही में किसी व्यक्ति का केवल आकस्मिक उल्लेख (Incidental Mentions) होने जैसे मामलों में महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि:

- इस अवधारणा को वर्ष 2014 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, जब यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice) ने Mario Costeja González के पक्ष में निर्णय देते हुए Google को पुरानी व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित लिंक हटाने का निर्देश दिया।
- बाद में इस अधिकार को यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation- GDPR) के अनुच्छेद 17 में विधिक रूप से शामिल किया गया।
- भारत में इसकी संवैधानिक आधारशिला K.S. Puttaswamy बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय से रखी गई, जिसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सूचनात्मक निजता (Informational Privacy) सहित निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय:

- लक्षवीर सिंह यादव बनाम भारत संघ (2026) मामले में न्यायालय ने कहा कि भूल जाने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा और सूचनात्मक निजता के अधिकार का अभिन्न अंग है।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अधिकार निजी डिजिटल प्लेटफॉर्मों और सर्च इंजनों के विरुद्ध भी लागू हो सकता है।
- न्यायालय ने संरचित आनुपातिकता परीक्षण (Structured Proportionality Test) भी प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार किसी भी राहत प्रदान करने से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों को व्यक्ति की निजता और गरिमा, जनता के जानने के अधिकार, खुली न्याय प्रणाली के सिद्धांत तथा वैध सार्वजनिक हित के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'भूल जाने का अधिकार' इतिहास को मिटाने या न्यायिक अभिलेखों को समाप्त करने का अधिकार नहीं है।
- इसका उद्देश्य केवल उन परिस्थितियों में डिजिटल पहुँच को सीमित करना है, जहाँ सूचना का बने रहना किसी वैध सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं करता तथा व्यक्ति की गरिमा और निजता को अनावश्यक रूप से प्रभावित करता है।

भूल जाने के अधिकार की आवश्यकता:

- न्यायालय ने कहा कि डिजिटल माध्यमों में जानकारी का स्थायी रूप से उपलब्ध रहना, किसी व्यक्ति के आरोपों से बरी होने अथवा कानूनी कार्यवाही समाप्त होने के काफी समय बाद भी उसकी प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से क्षति पहुँचा सकता है।
- झूठे आरोपों के शिकार व्यक्ति, निजी वैवाहिक विवादों में शामिल लोग तथा न्यायालयी मामलों में केवल आकस्मिक रूप से उल्लेखित व्यक्ति, ऑनलाइन खोज योग्य अभिलेखों के कारण लंबे समय तक सामाजिक कलंक का सामना करते रहते हैं।
- भूल जाने का अधिकार (RTBF) ऐसे व्यक्तियों को निरंतर प्रतिष्ठात्मक क्षति से संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है, साथ ही जहाँ वास्तविक सार्वजनिक हित हो वहाँ पारदर्शिता भी बनाए रखता है।

आगे की राह:

- सरकार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (Digital Personal Data Protection Act, 2023- DPDP Act) के नियम अधिसूचित कर तथा डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board) की स्थापना करके इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करना चाहिए, ताकि डेटा हटाने से संबंधित अनुरोधों का कुशलतापूर्वक निस्तारण किया जा सके।
- डिजिटल प्लेटफॉर्मों, डेटा संरक्षण बोर्ड तथा न्यायिक पुनरावलोकन को सम्मिलित करते हुए बहु-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (Tiered Grievance Mechanism) त्वरित एवं संतुलित निर्णय सुनिश्चित कर सकता है।
- सर्च इंजनों तथा विधिक डेटाबेसों को भी केवल पुरानी जानकारी बनाए रखने के बजाय, आरोपों से बरी होने अथवा बाद के घटनाक्रमों के अनुरूप अपने अभिलेखों को अद्यतन करना चाहिए।
- निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु पूरे देश के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने में सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष:

यह निर्णय भारत के निजता संबंधी न्यायशास्त्र (Privacy Jurisprudence) के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। न्यायालय

ने यह स्वीकार किया कि व्यक्तियों को पुरानी डिजिटल सूचनाओं के बोझ तले अनिश्चितकाल तक नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण जानकारी को हटाने के बजाय आनुपातिकता (Proportionality) पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर न्यायालय ने डिजिटल युग में निजता, गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा खुली न्याय प्रणाली के सिद्धांतों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है।

प्रत्येक गांव का बनेगा जल बजट और जल सुरक्षा योजना

संदर्भ:

जलवायु परिवर्तन, अनियमित मानसून, भूजल के अत्यधिक दोहन और बढ़ती जल मांग ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को एक गंभीर चुनौती बना दिया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जल बजट (Water Budget) और जल सुरक्षा योजना तैयार करने की पहल की जा रही है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा जल बजट एवं जल सुरक्षा योजना बनाने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।

जल बजट क्या है?

- जल बजट किसी गांव में उपलब्ध जल संसाधनों और उसकी कुल मांग का वैज्ञानिक आकलन है, अर्थात गांव में कितना पानी आता है, कितना उपयोग होता है और कितना बचाया जा सकता है, इसका पूरा हिसाब जल बजट कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से निम्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है:
  - » वर्षा से प्राप्त जल की मात्रा
  - » भूजल एवं सतही जल की उपलब्धता
  - » घरेलू उपयोग के लिए पानी की आवश्यकता
  - » कृषि एवं पशुपालन में जल खपत
  - » जल संरक्षण एवं पुनर्भरण की संभावनाएं

जल बजट की आवश्यकता:

- **भूजल संकट से निपटना:** भारत के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। बिना योजना के सिंचाई और बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधनों पर दबाव बढ़ा है।
- **जल उपयोग में संतुलन:** जल बजट से गांव अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार जल उपयोग की योजना बना सकता है। इससे अनावश्यक जल दोहन को रोका जा सकेगा।
- **कृषि क्षेत्र में सुधार:** कृषि भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जल बजट के आधार पर कम पानी वाली फसलों, सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर फसल नियोजन को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **जल संरक्षण को बढ़ावा:** तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन, चेक डैम और भूजल पुनर्भरण जैसी गतिविधियों को वैज्ञानिक आधार मिलेगा।

मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में:

- यह कार्यक्रम राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स का एक राष्ट्रीय पूल तैयार करने के लिए देशव्यापी क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत है।
- ये प्रशिक्षक ग्राम पंचायतों को तकनीकी रूप से मजबूत, साक्ष्य आधारित, समुदाय संचालित जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने में सहायता करेंगे।
- इस पहल का उद्देश्य जल बजट के माध्यम से ग्राम पंचायतों की जल प्रबंधन क्षमता को मजबूत करना और दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय ने "जल-पर्याप्त पंचायत प्रशिक्षण नियमावली (चरण-1 और चरण-2)" भी जारी की। यह नियमावली ग्राम पंचायतों को सहभागी, वैज्ञानिक और जलवायु-अनुकूल जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं:

मास्टर ट्रेनर्स का राष्ट्रीय प्रशिक्षण निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है:

- **वैज्ञानिक जल प्रबंधन**
    - » जल बजट तैयार करना।
    - » जल संसाधनों और मांग का मूल्यांकन।
    - » जल संरक्षण उपायों की पहचान।
- **तकनीकी नवाचार**
    - » डेटा आधारित योजना निर्माण।
    - » जल संसाधनों की निगरानी।
    - » जलवायु-अनुकूल रणनीतियों का विकास।
- **समुदाय आधारित योजना**
    - » स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
    - » समावेशी जल सुरक्षा योजनाएं बनाना।
    - » ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन रणनीति विकसित करना।

कार्यक्रम का प्रथम चरण:

- इस पहल के पहले चरण में 10 राज्यों के 100 जिले, 100 ब्लॉक, 1,000 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी।
- इन राज्यों में "बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल" शामिल हैं।
- पहले बैच में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के प्रतिभागी शामिल हुए। ये प्रशिक्षक आगामी जन योजना अभियान (PPC) के दौरान पंचायतों को जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करने में सहायता देंगे।

निष्कर्ष:

प्रत्येक गांव का जल बजट तैयार करने की पहल भारत में विकेंद्रीकृत, वैज्ञानिक और सहभागी जल प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह ग्राम पंचायतों को जल संरक्षण और प्रबंधन में सक्रिय भागीदार बनाएगी तथा जल-पर्याप्त एवं जलवायु-अनुकूल ग्रामीण भारत के निर्माण में योगदान देगी।

सेमीकॉन मिशन 2.0 और अन्य प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी

संदर्भ:

हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने सेमीकॉन मिशन 2.0 के लिए ₹1.27 लाख करोड़, मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) के लिए ₹62,500 करोड़, वाराणसी की दो राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ₹25,400 करोड़ तथा राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति (NIPU-2026) के तहत 8–9 गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में:

- भारत सेमीकंडक्टर मिशन (Semicon Mission 2.0) का उद्देश्य देश में संपूर्ण सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना तथा आयात पर निर्भरता कम करना है।
- **उद्देश्य:**
    - » स्वदेशी चिप डिजाइन एवं विनिर्माण को बढ़ावा देना।
    - » मजबूत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना।
    - » वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत करना।
    - » AI, 5G, इलेक्ट्रिक वाहन एवं उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी तकनीकों को समर्थन देना।

सेमीकॉन मिशन 2.0 की मुख्य विशेषताएं:

- **कुल परिव्यय:** ₹1.27 लाख करोड़।
- ₹4 लाख करोड़ निवेश आकर्षित होने की संभावना।
- ₹2 लाख करोड़ का सेमीकंडक्टर उत्पादन अनुमानित।
- कच्चे माल, गैस एवं खनिज आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन।
- स्वदेशी चिप डिजाइन एवं निर्माण पर विशेष जोर।
- सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लक्ष्य।
- प्रथम चरण में ₹76,000 करोड़ आवंटित किए गए थे, जिसके तहत 12 परियोजनाओं को ₹1.64 लाख करोड़ की मंजूरी मिली।

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) के बारे में:

- कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की MPMS को मंजूरी दी।

- **मुख्य विशेषताएं:**
  - मोबाइल बिक्री पर 2.25%–5% प्रोत्साहन।
  - घरेलू स्रोतों से प्रमुख पुर्जों की खरीद पर 1.5% अतिरिक्त प्रोत्साहन।
  - R&D एवं उत्पाद डिजाइन में निवेश पर 3% अतिरिक्त प्रोत्साहन।
  - ₹39 लाख करोड़ का उत्पादन अनुमानित।
  - लगभग 60,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

राजमार्ग अवसंरचना परियोजनाओं के बारे में:

- ₹25,400 करोड़ की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) के तहत मंजूरी दी गई।
- **मुख्य बिंदु:**
  - NH-19 एवं NH-31 को वाराणसी रिंग रोड से जोड़ना।
  - PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा।
  - बेहतर संपर्क:
    - लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा
    - काशी विश्वनाथ मंदिर
    - बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
    - रामनगर अंतर्देशीय जलमार्ग बंदरगाह
    - नमो घाट
  - इनसे यात्रा समय, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन में सुधार होगा।

राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति (NIPU-2026) के बारे में:

- NIPU-2026 के तहत 8–9 गैस-आधारित यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिनकी अतिरिक्त क्षमता 1 करोड़ टन होगी।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - स्थिर एवं परिवर्तनीय लागत का पृथक्करण।
  - 12–16% इक्विटी पर प्रतिफल (RoE)।
  - विदेशी मुद्रा जोखिम कम करने के उपाय।
  - सभी क्षेत्रों के लिए समान प्रोत्साहन।
  - इसका उद्देश्य यूरिया आयात पर निर्भरता कम करना है।

कैबिनेट निर्णयों का महत्व:

- **विनिर्माण को बढ़ावा:** सेमीकॉन मिशन 2.0 और MPMS से स्वदेशी विनिर्माण व तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **आर्थिक विकास:** निवेश, रोजगार, निर्यात और विदेशी निवेश में वृद्धि होगी।
- **अवसंरचना विकास:** राजमार्ग परियोजनाओं से संपर्क, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन में सुधार होगा।
- **कृषि आत्मनिर्भरता:** NIPU-2026 से घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ेगा और आयात निर्भरता घटेगी।

निष्कर्ष:

सेमीकॉन मिशन 2.0, MPMS, राजमार्ग परियोजनाओं और NIPU-2026 की मंजूरी आत्मनिर्भर भारत के तहत विनिर्माण, अवसंरचना और कृषि आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी तथा प्रौद्योगिकी, रोजगार, लॉजिस्टिक्स और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

BNSS के तहत अनुपस्थिति में मुकदमा (Trial in Absentia)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू की एक विशेष एनआईए (NIA) अदालत ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के सरगना हाफ़िज़ सईद के खिलाफ पहलगाम आतंकवादी हमले के मामले में गैर-मौजूदगी (In Absentia) में मुकदमे का ट्रायल चलाने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है।

पृष्ठभूमि:

- एनआईए ने एक पूरक आरोपपत्र (Supplementary Chargesheet) दायर किया है, जिसमें हाफ़िज़ सईद को व्यक्तिगत रूप से तथा लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है।
- हाफ़िज़ सईद वर्तमान में पाकिस्तान में छिपा हुआ है और उसे तुरंत भारत लाना संभव नहीं है। इस गैर-जमानती वारंट के जारी होने के बाद, अब हाफ़िज़ सईद को कानूनी रूप से घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) या भगोड़ा घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है।
- उस पर निम्न कानूनों के तहत आरोप लगाए गए हैं:
  - भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
  - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA)
  - भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सीमा-पार आपराधिक साजिश से संबंधित प्रावधान।
- चूंकि हाफ़िज़ सईद के भारतीय अदालत में पेश होने की संभावना अत्यंत कम है, इसलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 356 के तहत अनुपस्थिति

में मुकदमा (Trial in Absentia) चलाने की अनुमति अदालत से मांग सकती है।

अनुपस्थिति में मुकदमा (Trial in Absentia) क्या है?

- 'अनुपस्थिति में मुकदमा' वह आपराधिक मुकदमा है, जिसमें अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति के बिना न्यायिक कार्यवाही संचालित की जाती है।
- BNSS की धारा 356 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित किया गया हो और वह मुकदमे से बचने के लिए फरार हो तथा उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की संभावना न हो, तो न्यायालय लिखित कारण दर्ज करते हुए जांच, सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया उसकी अनुपस्थिति में जारी रख सकता है।
- ऐसी स्थिति में अभियुक्त की अनुपस्थिति को कार्यवाही में उपस्थित रहने के उसके अधिकार के त्याग (Waiver) के रूप में माना जाता है।

किन व्यक्तियों पर यह प्रावधान लागू होता है?

- यह प्रावधान केवल BNSS की धारा 84 के तहत घोषित घोषित अपराधियों (Proclaimed Offenders) पर लागू होता है।
- साथ ही, यह केवल उन गंभीर अपराधों तक सीमित है, जिनमें 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान हो।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस व्यवस्था का उपयोग केवल गंभीर आपराधिक मामलों में ही किया जाए।

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय (Procedural Safeguards)

धारा 356 निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) के अधिकार की रक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जैसे:

- कम-से-कम 30 दिनों के अंतराल पर दो गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएं।
- अभियुक्त को नोटिस समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाए।
- नोटिस उसकी अंतिम ज्ञात आवासीय पते पर चस्पा किया जाए।
- उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को सूचना दी जाए।
- आरोप तय (Framing of Charges) होने के 90 दिन बाद ही मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ की जा सकती है।
- यदि अभियुक्त का कोई वकील नहीं है, तो न्यायालय राज्य व्यय पर अधिवक्ता (State-funded Defence Counsel) नियुक्त करेगा।
- गवाहों के बयान ऑडियो-विजुअल माध्यम से दर्ज कर सुरक्षित रखे जा सकते हैं, ताकि भविष्य में उनकी समीक्षा की जा सके।

महत्त्व:

- फरार अभियुक्तों के कारण होने वाली न्यायिक देरी को रोकने में सहायता मिलती है।
- सीमा-पार आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कानूनी कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाता है।
- न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता (Judicial Efficiency) बढ़ाता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा और निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन स्थापित करता है।
- हाफिज़ सईद का मामला BNSS के इस नए कानूनी प्रावधान की पहली प्रमुख परीक्षाओं में से एक माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक, 2026 पारित

संदर्भ:

हाल ही में, 21 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने मानसून सत्र के दौरान मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 को पारित कर दिया। इसका उद्देश्य राज्य में एक समान नागरिक कानून व्यवस्था लागू करना है, जबकि अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes - STs) को इसके प्रावधानों से छूट दी गई है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- यह विधेयक व्यक्तिगत (पर्सनल) कानूनों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करता है-
  - बहुविवाह (Polygamy) तथा निकाह हलाला को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
  - लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।
  - विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का उत्तराधिकार (Succession), दत्तक ग्रहण (Adoption) तथा भरण-पोषण (Maintenance) से संबंधित मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है।
  - अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों को उनकी पारंपरिक कानून व्यवस्था एवं सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा हेतु इस विधेयक से छूट दी गई है।
- इस विधेयक का मसौदा सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था।

समान नागरिक संहिता (UCC) क्या है?

- समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) का अर्थ ऐसे समान एवं धर्मनिरपेक्ष नागरिक कानूनों से है, जो विवाह, तलाक, भरण-पोषण, दत्तक ग्रहण, अभिभावकत्व तथा उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। इसका उद्देश्य धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर एक समान कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है।
- यूसीसी का संवैधानिक आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में निहित है, जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (Directive Principles of State Policy - DPSPs) का हिस्सा है। अनुच्छेद 44 राज्य को भारत के समस्त क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।

भारत में यूसीसी की वर्तमान स्थिति:

- उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। यह अधिनियम 2024 में पारित हुआ तथा जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ।
- गोवा आज भी 1867 की पुर्तगाली सिविल संहिता (Portuguese Civil Code, 1867) का पालन करता है, जिससे वह लंबे समय से समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य बना हुआ है।
- मध्य प्रदेश ने अब यूसीसी विधेयक, 2026 पारित कर दिया है, जो अधिसूचना जारी होने के बाद प्रभावी होगा।
- असम और गुजरात ने भी वर्ष 2026 में अपनी-अपनी विधानसभाओं में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किए हैं, जो राज्यों के स्तर पर नागरिक कानून सुधारों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

महत्त्व:

- मध्य प्रदेश का यूसीसी विधेयक, 2026 समान नागरिक संहिता पर चल रही राष्ट्रीय बहस में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
- इसके समर्थकों का मानना है कि यह लैंगिक समानता (Gender Equality), कानूनी एकरूपता (Legal Uniformity) तथा संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता (Constitutional Secularism) को बढ़ावा देगा।
- वहीं, आलोचकों का तर्क है कि इन उद्देश्यों के साथ धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक विविधता तथा संघीय व्यवस्था (Federal Principles) के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है।
- यह विधेयक भारत में अनुच्छेद 44 के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़ी भावी कानूनी एवं संवैधानिक चर्चाओं को महत्वपूर्ण दिशा प्रदान कर सकता है।

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026

सन्दर्भ:

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य

राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन कर उसके दण्डात्मक प्रावधानों का विस्तार करना है, ताकि भारत के राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के गायन के समय जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने अथवा अनादर प्रदर्शित करने वाले कृत्य भी दण्डनीय हों। अब यह विधेयक लोकसभा में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान तथा राष्ट्रगान की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। यद्यपि यह अधिनियम इन राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अनादर को दण्डनीय बनाता है, किन्तु इसमें राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के प्रति अपमान अथवा उसके गायन में बाधा पहुँचाने संबंधी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। 2026 का यह संशोधन इसी विधिक रिक्तता को दूर करते हुए राष्ट्रगीत को भी इस अधिनियम के संरक्षण के दायरे में लाता है।

संशोधन विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **दण्डात्मक प्रावधानों का विस्तार:** वन्दे मातरम् के गायन के समय जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने अथवा अनादर प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।
- **1971 के अधिनियम में संशोधन:** राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 का दायरा बढ़ाकर राष्ट्रगीत को भी विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय प्रतीकों की गरिमा की रक्षा करना तथा भारत की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के प्रति सम्मान को सुदृढ़ बनाना।

वन्दे मातरम् के विषय में:

- **रचयिता:** बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय
- **रचना वर्ष:** 1875
- **प्रथम प्रकाशन:** आनन्दमठ (1882)
- **प्रथम सार्वजनिक गायन:** 1896 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा।
- **संवैधानिक मान्यता:** 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वन्दे मातरम् के प्रथम दो पदों को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया।
- यह गीत भारत माता को शक्ति, समृद्धि तथा भक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन-जागरण का प्रमुख प्रेरणास्रोत रहा।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका:

- वन्दे मातरम् भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अत्यंत प्रभावशाली उद्घोष बना।
- 1905 के स्वदेशी आंदोलन तथा बंग-भंग के विरोध में यह जन-आन्दोलन का प्रमुख उद्घोष बना।
- स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में अपनाया।
- इसने असंख्य भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान में अंतर:

विशेषता	राष्ट्रगीत (वन्दे मातरम्)	राष्ट्रगान (जन गण मन)
रचयिता	बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय	रवीन्द्रनाथ ठाकुर
दर्जा	राष्ट्रगीत	राष्ट्रगान
स्वीकृति	24 जनवरी 1950 (प्रथम दो पद)	24 जनवरी 1950
विधिक संरक्षण	2026 के संशोधन द्वारा प्रस्तावित	राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संरक्षित
संवैधानिक स्थिति	संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त, परन्तु संविधान में पृथक उल्लेख नहीं	राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्राप्त तथा वैधानिक संरक्षण प्राप्त

संशोधन का महत्त्व:

- **राष्ट्रीय प्रतीकों का सुदृढ़ संरक्षण:** राष्ट्रगीत को भी विधिक संरक्षण प्रदान कर राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा को व्यापक बनाया गया है।
- **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:** स्वतंत्रता संग्राम में वन्दे मातरम् की ऐतिहासिक भूमिका को औपचारिक मान्यता प्रदान करता है।
- **संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन:** राष्ट्रीय एकता, अखण्डता तथा राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करता है।
- **विधिक रिक्तता का निराकरण:** राष्ट्रगीत को भी राष्ट्रीय सम्मान से संबंधित वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित कर पूर्ववर्ती कमी को दूर करता है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

होर्मुज से मलक्का तक: भारत की समुद्री रणनीति पर पुनर्विचार

संदर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा तथा सबांग बंदरगाह (Sabang Port) के विकास पर पुनः आरम्भ हुई चर्चाओं ने भारत की समुद्री रणनीति के महत्व को पुनः रेखांकित किया है। होर्मुज संकट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा आपूर्ति एवं व्यापार के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) तथा मलक्का जलडमरूमध्य (Strait of Malacca) जैसे सामरिक समुद्री संकीर्ण मार्गों (Maritime Chokepoints) पर भारत की निर्भरता उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ऐसे परिदृश्य में इंडोनेशिया के साथ रक्षा एवं समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना तथा सबांग बंदरगाह एवं ग्रेट निकोबार परियोजना का विकास, हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region-IOR) में भारत की सामरिक उपस्थिति एवं समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

- हिंद महासागर क्षेत्र के मध्य स्थित भारत की भौगोलिक स्थिति उसे अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री सामरिक महत्व प्रदान करती है। 11,098 किमी से अधिक लंबी तटरेखा वाला भारत अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए समुद्री मार्गों पर अत्यधिक निर्भर है।
- भारत के कुल व्यापार का लगभग 75% मूल्य के आधार पर तथा लगभग 97% मात्रा के आधार पर समुद्री मार्गों से होता है, जबकि उसकी कच्चे तेल की लगभग 85% आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी होती है। इसलिए सुरक्षित समुद्री संचार मार्ग (Sea Lines of Communication- SLOCs) केवल व्यापार के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास तथा सामरिक स्वायत्तता के लिए भी अनिवार्य हैं। होर्मुज एवं मलक्का से जुड़े हालिया घटनाक्रमों ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत की समुद्री रणनीति को केवल तटीय सुरक्षा तक सीमित न रहकर कूटनीति, नौसैनिक क्षमता तथा क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर भी केंद्रित होना चाहिए।

भारत के लिए समुद्री चोकपॉइंट्स क्यों महत्वपूर्ण हैं?

- समुद्री चोकपॉइंट्स ऐसे संकरे समुद्री मार्ग होते हैं जिनसे वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा भाग गुजरता है। इन मार्गों पर किसी भी प्रकार का व्यवधान अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

- हिंद महासागर विश्व के अन्य भागों से होर्मुज जलडमरूमध्य, मलक्का जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंदेब, स्वेज नहर तथा केप ऑफ गुड होप जैसे कई सामरिक समुद्री मार्गों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। चूँकि भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार नेटवर्क से गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए इन समुद्री मार्गों तक निर्बाध पहुँच ऊर्जा आपूर्ति, निर्यात, आयात तथा समग्र आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य: भारत की ऊर्जा जीवनरेखा

- ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट्स में से एक है। भारत के कुल कच्चे तेल आयात का पाँचवें हिस्से से अधिक तथा एलपीजी (LPG) आयात का लगभग आधा भाग इसी मार्ग से होकर आता है। वर्ष 2026 का होर्मुज संकट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के कारण उत्पन्न हुआ, इस मार्ग पर निर्भर देशों की संवेदनशीलता को उजागर करता है।
- यद्यपि अंतरराष्ट्रीय कानून नौवहन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, फिर भी भू-राजनीतिक संघर्ष समुद्री परिवहन को बाधित कर सकते हैं तथा परिवहन लागत में वृद्धि कर सकते हैं। भारत के लिए इस संकट ने यह स्पष्ट किया कि ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए वह होर्मुज पर अत्यधिक निर्भर है, जबकि इस क्षेत्र के घटनाक्रमों को प्रभावित करने की उसकी क्षमता सीमित है। अतः ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण तथा समुद्री साझेदारियों को मजबूत करना भारत की तत्काल सामरिक आवश्यकता बन गया है।

मलक्का जलडमरूमध्य और भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति:

- यदि होर्मुज भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो मलक्का जलडमरूमध्य पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ उसके व्यापार के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री मार्ग विश्व के सबसे व्यस्त नौवहन मार्गों में से एक है। आसियान (ASEAN) देशों, जापान, दक्षिण कोरिया तथा व्यापक इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में इंडोनेशिया के साथ भारत की बढ़ती सामरिक साझेदारी का महत्व और अधिक बढ़ जाता है।
- ग्रेट निकोबार परियोजना से लगभग 160 किमी की दूरी पर स्थित प्रस्तावित सबांग बंदरगाह का विकास भारत और इंडोनेशिया दोनों को मलक्का जलडमरूमध्य के पश्चिमी प्रवेश द्वार के निकट सामरिक उपस्थिति प्रदान कर सकता है। ये दोनों परियोजनाएँ मिलकर क्षेत्रीय संपर्क (Connectivity) को सुदृढ़ करेंगी, समुद्री लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाएँगी तथा मुक्त, खुला और सुरक्षित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण में योगदान देंगी।

भारत की समुद्री क्षमताएँ:

- समुद्री सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत ने लगातार अपनी नौसैनिक एवं निगरानी क्षमताओं का विस्तार किया है। आज भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र की सबसे सशक्त नौसेनाओं में से एक है, जिसे एक विस्तारित भारतीय तटरक्षक बल का भी सहयोग प्राप्त है।
- इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने एक सुदृढ़ समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness- MDA) नेटवर्क विकसित किया है, जो समुद्री गतिविधियों की निरंतर निगरानी करता है। इस प्रणाली में सूचना संलयन केंद्र–हिंद महासागर क्षेत्र (Information Fusion Centre–Indian Ocean Region- IFC-IOR), एकीकृत तटीय निगरानी प्रणाली (Integrated Coastal Surveillance System- ICSS), तटीय रडार स्टेशन, पी-8 आई पोसाइडन (P-8I Poseidon) समुद्री गश्ती विमान, MQ-9B ड्रोन, उपग्रह आधारित निगरानी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका,

ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मॉरीशस, मालदीव, सेशेल्स, श्रीलंका, ओमान एवं मेडागास्कर जैसे देशों के साथ सूचना-साझाकरण व्यवस्थाएँ शामिल हैं।

- ये क्षमताएँ भारत को वाणिज्यिक जहाजों की निगरानी, विदेशी नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने, समुद्री डकैती से मुकाबला करने तथा उभरते समुद्री खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम बनाती हैं। हालांकि केवल निगरानी से सामरिक समुद्री मार्गों पर नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी समान रूप से आवश्यक है।

प्रमुख चुनौतियाँ:

- इन प्रगतियों के बावजूद भारत को अनेक समुद्री चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आयातित ऊर्जा पर उसकी अत्यधिक निर्भरता उसे खाड़ी क्षेत्र में उत्पन्न व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है। 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' (String of Pearls) रणनीति के माध्यम से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति ने सामरिक प्रतिस्पर्धा को और तीव्र कर दिया है।
- पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय अस्थिरता, समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, बंदरगाह अवसंरचना पर साइबर खतरे तथा ग्रेट निकोबार जैसी सामरिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब भी गंभीर चिंताएँ हैं। इसके अतिरिक्त, दूरवर्ती समुद्री संकीर्ण मार्गों पर होने वाले घटनाक्रमों को प्रभावित करने की भारत की क्षमता अभी भी सीमित है, जिसके लिए कूटनीति, आर्थिक सहभागिता तथा रक्षा तैयारियों के संतुलित संयोजन की आवश्यकता है।

आगे की राह:

- भारत की समुद्री रणनीति का उद्देश्य उसकी कमजोरियों को कम करना तथा हिंद महासागर क्षेत्र में एक 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' (Net Security Provider) के रूप में उसकी भूमिका को सुदृढ़ करना होना चाहिए।
- भारत को कच्चे तेल के स्रोतों का विविधीकरण करना चाहिए तथा चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (International North-South Transport Corridor-INSTC) जैसी वैकल्पिक संपर्क परियोजनाओं को मजबूत करना चाहिए।
- मलक्का जलडमरूमध्य के निकट भारत की सामरिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार परियोजना तथा सबांग बंदरगाह का समयबद्ध विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह प्रौद्योगिकी, जलमग्न सेंसर तथा मानव रहित प्रणालियों के व्यापक उपयोग के माध्यम से समुद्री क्षेत्र जागरूकता (MDA) तंत्र को और उन्नत बनाया जाना चाहिए।
- पनडुब्बियों, पनडुब्बी-रोधी युद्ध क्षमता, विमानवाहक पोतों तथा लंबी दूरी की निगरानी प्रणालियों सहित भारतीय नौसेना का निरंतर आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है।

अंततः, भारत को क्वाड (Quad), हिंद महासागर रिम संघ (Indian Ocean Rim Association- IORA), हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium- IONS) तथा 'सागर' (SAGAR- Security and Growth for All in the Region) जैसी पहलों के माध्यम से सहयोग को और गहरा करना चाहिए, ताकि मुक्त, खुली, समावेशी तथा नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को प्रोत्साहन मिल सके।

निष्कर्ष:

वर्ष 2026 का होर्मुज संकट तथा सबांग बंदरगाह पर पुनः केंद्रित ध्यान यह स्पष्ट करता है कि भारत की समुद्री सुरक्षा उसकी आर्थिक एवं ऊर्जा सुरक्षा से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जैसे-जैसे भारत की समुद्री व्यापार पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे सामरिक समुद्री मार्गों की सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। यद्यपि भारत होर्मुज एवं मलक्का जैसे प्रमुख समुद्री संकीर्ण मार्गों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता, फिर भी वह अपनी कमजोरियों को सशक्त नौसैनिक क्षमता, उन्नत समुद्री निगरानी, सामरिक अवसंरचना के विकास, ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण तथा समान विचार वाले देशों के साथ गहरी साझेदारियों के माध्यम से काफी हद तक कम कर सकता है। भूगोल और भू-राजनीति के संतुलित समन्वय पर आधारित समुद्री रणनीति न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगी, बल्कि उसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में भी स्थापित करेगी।

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय (US Supreme Court) ने 6–3 के बहुमत से दिए गए अपने फैसले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश (Executive Order) को निरस्त कर दिया, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) पर प्रतिबंध लगाना था। इस निर्णय के साथ न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि अमेरिकी भूमि पर जन्म लेने वाले बच्चों को स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त होगी। यह फैसला अमेरिका में अस्थायी वीज़ा पर रहने वाले हजारों भारतीय पेशेवरों, छात्रों और परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

- अपने दूसरे कार्यकाल के पहले ही दिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित करने का प्रस्ताव था, जिनके माता-पिता या तो अवैध प्रवासी (Undocumented Migrants) थे या अस्थायी वीज़ा पर अमेरिका में रह रहे थे।
- हालाँकि, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि इस प्रकार का प्रतिबंध अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन (Fourteenth Amendment) का उल्लंघन है, जो देश की सीमा के भीतर जन्म लेने वाले लगभग सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने की संवैधानिक गारंटी देता है।
- अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स (Chief Justice John Roberts) ने टिप्पणी कि चौदहवें संशोधन की लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक व्याख्या स्पष्ट रूप से जन्मसिद्ध नागरिकता की गारंटी देती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके केवल कुछ सीमित अपवाद हैं, जैसे विदेशी राजनयिकों (Foreign Diplomats) के बच्चे।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि संवैधानिक अधिकारों में परिवर्तन केवल कार्यकारी आदेश के माध्यम से नहीं किया जा सकता, जिससे संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of the Constitution) की पुनः पुष्टि हुई।

जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है?

- जन्मसिद्ध नागरिकता वह सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को केवल किसी देश की भूमि पर जन्म लेने के आधार पर स्वतः उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, चाहे उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता या आव्रजन (Immigration) स्थिति कुछ भी हो।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में यह सिद्धांत 1868 में अपनाए गए संविधान के चौदहवें संशोधन (Fourteenth Amendment) के नागरिकता प्रावधान (Citizenship Clause) पर आधारित है। इसे अमेरिकी गृहयुद्ध (Civil War) के बाद समान नागरिकता और सभी व्यक्तियों को कानूनी संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।

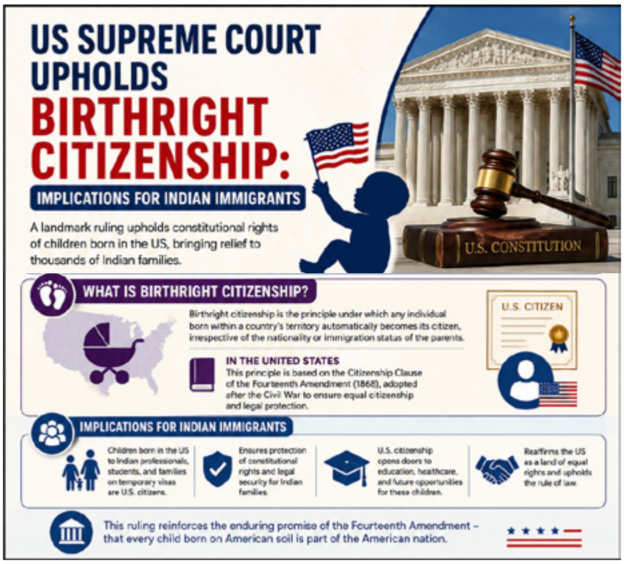

भारतीयों के लिए यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

- यह निर्णय विशेष रूप से भारतीय प्रवासी समुदाय (Indian Diaspora) के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अमेरिका में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले प्रवासी समुदायों में से एक है।
- अमेरिका में लगभग 32 लाख (3.2 मिलियन) वैध भारतीय प्रवासी रहते हैं। 4 लाख (400,000) से अधिक भारतीय पेशेवर H-1B वीज़ा पर कार्यरत हैं।
- बड़ी संख्या में भारतीय L-1 वीज़ा पर कार्य कर रहे हैं, जबकि अनेक छात्र F-1 छात्र वीज़ा पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- लगभग 12 लाख (1.2 मिलियन) भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड (Employment-based Green Card) की लंबी प्रतीक्षा

सूची (Backlog) में हैं, जहाँ स्थायी निवास प्राप्त करने में कई दशक तक लग जाते हैं।

- न्यायालय के इस निर्णय से यह सुनिश्चित हुआ है कि अमेरिका में भारतीय वीज़ाधारकों, छात्रों, पर्यटकों तथा यहाँ तक कि अवैध प्रवासियों के यहाँ जन्म लेने वाले बच्चों को भी स्वतः अमेरिकी नागरिकता मिलती रहेगी।
- यह फैसला लंबे समय से आव्रजन संबंधी अनिश्चितताओं का सामना कर रहे भारतीय परिवारों को दीर्घकालिक कानूनी सुरक्षा (Legal Certainty) प्रदान करता है।

निर्णय के प्रमुख निहितार्थ:

- यह फैसला संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत करता है। न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति को सुदृढ़ करता है।
- नागरिकता जैसे संवेदनशील विषयों में कार्यपालिका की असीमित शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करता है।
- लंबे समय से वीज़ा और ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा कर रहे प्रवासी परिवारों, विशेषकर भारतीयों, को स्थिरता और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- यह निर्णय अमेरिका की समान नागरिकता (Equal Citizenship) और कानूनी निश्चितता (Legal Certainty) के प्रति उसकी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित करता है।

निष्कर्ष:

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय संवैधानिक मूल्यों, समानता तथा विधि के शासन (Rule of Law) की एक ऐतिहासिक पुनर्पुष्टि है। भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए यह फैसला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले उनके बच्चों की नागरिकता संबंधी संवैधानिक सुरक्षा भविष्य में भी बनी रहेगी, भले ही आव्रजन नीतियों में परिवर्तन की संभावनाएँ क्यों न हों।

भारत-जापान 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रही। इस दौरान भारत–जापान 16वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। दोनों देशों के नेताओं ने "साझा विकास, समृद्धि और लचीलापन के लिए रणनीतिक अभिसरण और विश्वास" (Strategic Convergence and Trust for Shared Growth, Prosperity and Resilience) की साझा दृष्टि को अपनाते हुए भारत–जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership) को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग**
  - » 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद व्यवस्था को और सशक्त बनाने पर सहमति।
  - » JIMEX, मालाबार और धर्म गार्जियन जैसे संयुक्त नौसैनिक एवं सैन्य अभ्यासों का विस्तार।
  - » यूनिकॉर्न (UNICORN) प्रणाली परियोजना सहित रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग में प्रगति।
  - » समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness) तथा लॉजिस्टिक सहयोग को बढ़ावा।
  - » **उद्देश्य:** हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना।
- **आर्थिक एवं आर्थिक सुरक्षा सहयोग**
  - » भारत–जापान आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा (Joint Declaration on Economic Security Cooperation) को अपनाया गया।
  - » सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals), सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT), औषधि उद्योग तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर।

» वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (Global Supply Chains) को अधिक लचीला एवं विविधतापूर्ण बनाने की प्रतिबद्धता।
» व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) की समीक्षा एवं विस्तार पर सहमति।
» **उद्देश्य:** रणनीतिक आर्थिक लचीलापन (Strategic Economic Resilience) को बढ़ावा देना।

- **व्यापार, निवेश एवं अवसंरचना**
  - » 10 ट्रिलियन येन निवेश लक्ष्य की दिशा में प्रगति।
  - » भारत में जापानी औद्योगिक टाउनशिप (Japanese Industrial Townships) का विस्तार।
  - » मेट्रो रेल, समर्पित माल गलियारे (Freight Corridors) और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में सहयोग।
  - » मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना को जापान का निरंतर समर्थन।
  - » **उद्देश्य:** भारत के औद्योगिक एवं संपर्क (Connectivity) ढाँचे को सुदृढ़ बनाना।
- **प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं नवाचार**
  - » भारत–जापान एआई रणनीतिक संवाद (AI Strategic Dialogue) की शुरुआत।
  - » क्वांटम प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष क्षेत्र (LUPEX मिशन) तथा डिजिटल अवसंरचना में सहयोग।
  - » हिरोशिमा एआई प्रक्रिया (Hiroshima AI Process) तथा जिम्मेदार एआई शासन (Responsible AI Governance) के सिद्धांतों के अनुरूप सहयोग।
  - » **मुख्य उद्देश्य:** सुरक्षित, विश्वसनीय एवं भरोसेमंद प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
- **ऊर्जा एवं जलवायु सहयोग**
  - » हाइड्रोजन, अमोनिया, सौर ऊर्जा एवं बायोगैस परियोजनाओं में सहयोग का विस्तार।
  - » ऊर्जा सुरक्षा तथा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) पर संयुक्त प्रयास।
  - » स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन (Clean Energy Transition) एवं आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती को बढ़ावा।
- **वैश्विक एवं क्षेत्रीय सहयोग**
  - » मुक्त एवं खुला हिंद-प्रशांत (Free and Open Indo-Pacific – FOIP) के प्रति साझा प्रतिबद्धता।
  - » क्वाड (Quad) ढाँचे के अंतर्गत सहयोग को मजबूत करना।
  - » दक्षिण चीन सागर एवं पूर्वी चीन सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर साझा चिंता व्यक्त की।
  - » G4 समूह के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार एवं वैश्विक शासन सुधारों पर समन्वय।

भारत–जापान संबंध:

- भारत और जापान के संबंध एशिया की सबसे स्थिर, विश्वसनीय और दूरदर्शी साझेदारियों में से एक माने जाते हैं। इन्हें अक्सर "हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सबसे स्वाभाविक रणनीतिक साझेदारी" कहा जाता है। यह संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन (Rule of Law) तथा मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत (FOIP) की साझा अवधारणा पर आधारित हैं।
- ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के संबंधों की शुरुआत बौद्ध धर्म के माध्यम से प्राचीन सांस्कृतिक संपर्कों से हुई। आधुनिक काल में यह संबंध 1952 की शांति संधि, 2000 की वैश्विक साझेदारी (Global Partnership) तथा 2014 की विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership) जैसे महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरते हुए निरंतर मजबूत हुए हैं। वार्षिक शिखर सम्मेलनों ने इन संबंधों को और गहराई प्रदान की है।
- दोनों देशों के बीच रक्षा, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना जैसे अनेक क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। भारत और जापान JIMEX तथा Malabar जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों में भाग लेते हैं तथा रक्षा प्रौद्योगिकी एवं समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी मिलकर कार्य कर रहे हैं।
- जापान भारत के प्रमुख निवेशकों में से एक है और मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, मेट्रो रेल परियोजनाओं तथा अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वच्छ ऊर्जा तथा महत्त्वपूर्ण खनिज जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है।
- इसके अतिरिक्त दोनों देश क्वाड, संयुक्त राष्ट्र सुधार तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय पहलों में भी घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं।
- यद्यपि व्यापारिक बाधाएँ तथा कुछ अवसंरचना परियोजनाओं में विलंब जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं, फिर भी रणनीतिक विश्वास, साझा हितों तथा क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति समान दृष्टिकोण के कारण भारत–जापान साझेदारी निरंतर सुदृढ़ होती जा रही है।

निष्कर्ष:

भारत–जापान 16वाँ वार्षिक शिखर सम्मेलन इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के संबंध अब केवल विकास सहयोग तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे भविष्य-केंद्रित रणनीतिक गठबंधन का स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं। रक्षा, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, ऊर्जा तथा हिंद-प्रशांत सुरक्षा जैसे

क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग भारत और जापान को नियम-आधारित, स्थिर एवं बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था के प्रमुख निर्माता के रूप में स्थापित कर रहा है।

भारत–इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी

संदर्भ:

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री, इंडोनेशिया की राजकीय यात्रा पर रहे, इस दौरान दोनों देशों ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी (Comprehensive Strategic Partnership - CSP) को और गहरा करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया।

भारत–इंडोनेशिया द्विपक्षीय संबंध:

- भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो सदियों पुराने सभ्यतागत, सांस्कृतिक और समुद्री संबंधों पर आधारित है।
- यह संबंध राजनीतिक संवाद, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, अंतरिक्ष, शिक्षा, संस्कृति और क्षेत्रीय सहयोग जैसे क्षेत्रों को शामिल करता है।

भारत–इंडोनेशिया शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम

- **राजनीतिक और रणनीतिक सहयोग:**
  - » दोनों देशों ने नियमित शिखर बैठकों को संस्थागत रूप देने और संयुक्त आयोग बैठक (Joint Commission Meeting), विदेश कार्यालय परामर्श (Foreign Office Consultations) तथा संसदीय आदान-प्रदान जैसे मौजूदा तंत्रों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
  - » बेहतर रणनीतिक समन्वय के लिए थिंक टैंक, शैक्षणिक संस्थानों और नीति विशेषज्ञों के बीच सहयोग को भी बढ़ाया जाएगा।
- **रक्षा और समुद्री सुरक्षा:** भारत और इंडोनेशिया ने निम्नलिखित क्षेत्रों में रक्षा सहयोग का विस्तार किया:
  - » ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली
  - » हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें
  - » संयुक्त सैन्य अभ्यास
  - » रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग
  - » जल सर्वेक्षण (Hydrography) और समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA)
  - » इंडोनेशिया भारत के गुरुग्राम स्थित IFC-IOR (Information Fusion Centre – Indian Ocean Region) में एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात करेगा, जिससे समुद्री सूचना साझाकरण और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

- **आतंकवाद-रोधी और साइबर सुरक्षा सहयोग:**
  - » दोनों देशों ने आतंकवाद के प्रति शून्य-सहिष्णुता (Zero Tolerance) का दृष्टिकोण अपनाया और आतंकवाद के वित्तपोषण, हिंसक उग्रवाद तथा ऑनलाइन कट्टरपंथ के खिलाफ सहयोग करने पर सहमति जताई।
  - » साइबर सहयोग में डिजिटल फोरेंसिक, CERT सहयोग और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण खनिज:**
  - » भारत और इंडोनेशिया ने बाजार पहुंच में सुधार और व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए आसियान–भारत वस्तु व्यापार समझौते (ASEAN–India Trade in Goods Agreement - AITIGA) की समीक्षा को शीघ्र पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई।
  - » दोनों देशों ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक इंडोनेशिया के बीच स्थानीय मुद्रा लेनदेन (Local Currency Transactions) को बढ़ावा दिया।

» महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earths) और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला में सहयोग को मजबूत किया गया। स्टेनलेस स्टील उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

- **ऊर्जा, कृषि और डिजिटल संपर्क:**
  » दोनों देशों ने 'हरित हाइड्रोजन, एलएनजी (LNG), सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, कृषि, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक क्षेत्र' क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। भारत सबांग बंदरगाह के विकास में सहयोग करेगा, जबकि दोनों देश अंडमान–आचेह संपर्क को मजबूत करेंगे।
  » डिजिटल सहयोग के अंतर्गत भारत के ONDC ढांचे पर आधारित इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क (Indonesia Open Network - ION) की शुरुआत और सीमा-पार QR भुगतान प्रणाली में प्रगति शामिल है।
- **विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा:**
  » भारत और इंडोनेशिया ने ISRO और BRIN के बीच सहयोग का विस्तार किया है। इसमें इंडोनेशिया के बियाक ट्रैकिंग स्टेशन के माध्यम से भारत के गगनयान मिशन के लिए सहयोग भी शामिल है।
  » दोनों देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), परमाणु ऊर्जा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में भी सहयोग जारी रखेंगे।
  » भारत यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और पुनर्स्थापन में सहयोग करेगा। वर्ष 2026–27 को टैगोर–देवंतारा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- भारत–इंडोनेशिया साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट नीति (Act East Policy) और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
- सबांग बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य के निकट भारत की समुद्री उपस्थिति को बढ़ाता है।
- ब्रह्मोस निर्यात भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है।
- इंडोनेशिया के निकेल भंडार भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- UPI और ONDC का विस्तार भारत के डिजिटल नेतृत्व को बढ़ावा देता है।

चुनौतियाँ:

- इंडोनेशिया रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखता है और चीन के साथ सीधे टकराव से बचता है।
- बाजार पहुंच संबंधी बाधाओं के कारण व्यापार असंतुलन बना हुआ है।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में नियामकीय और पर्यावरणीय देरी आती है।
- रक्षा प्रौद्योगिकी के एकीकरण में सुरक्षा संबंधी चिंताओं का सावधानीपूर्वक समाधान आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत–इंडोनेशिया संबंध हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। समुद्री सहयोग, रक्षा साझेदारी, महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा और डिजिटल नवाचार को एक साथ आगे बढ़ाकर दोनों देश एक सुरक्षित और समृद्ध क्षेत्रीय व्यवस्था के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

तीसरा भारत–ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने मेलबर्न में भारत–ऑस्ट्रेलिया तृतीय वार्षिक शिखर सम्मेलन (3rd Australia–India Annual Leaders' Summit) में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिज, व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में हुए समझौतों के माध्यम से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ किया।

शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम:

- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:**
  » दोनों नेताओं ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को सुदृढ़ करना है।
  » इसके अतिरिक्त, दोनों देशों ने वार्षिक रक्षा मंत्रियों की वार्ता को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप (Maritime Security Collaboration Roadmap) का शुभारंभ किया, जिससे नौसैनिक सहयोग, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness) तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

- **आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग:**
  - » भारत–ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (Economic Cooperation and Trade Agreement-ECTA), 2022 के आधार पर दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (Comprehensive Economic Cooperation Agreement- CECA) तथा द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty- BIT) पर वार्ता को तेज़ करने पर सहमति व्यक्त की।
  - » इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश तथा बाजार पहुँच का विस्तार करना और एक संतुलित एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक साझेदारी स्थापित करना है।

- **ऊर्जा सुरक्षा:**
  - » इस शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि ऑस्ट्रेलिया–भारत परमाणु सहयोग समझौते के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था का क्रियान्वयन था।
  - » इसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप ऑस्ट्रेलिया से भारत को दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात का मार्ग प्रशस्त हुआ।
  - » ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व के ज्ञात यूरेनियम भंडार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। यह समझौता भारत के 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य तथा उसकी स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण (Clean Energy Transition) की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- **महत्त्वपूर्ण खनिज साझेदारी:**
  - » दोनों देशों ने समर्पित महत्त्वपूर्ण खनिज गलियारे (Dedicated Critical Minerals Corridor) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements) तथा अन्य रणनीतिक खनिजों की सुदृढ़ एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखला (Resilient Supply Chains) सुनिश्चित करना है।
  - » यह पहल खनिजों के प्रसंस्करण (Processing) एवं परिशोधन (Refining) में संयुक्त निवेश को बढ़ावा देगी तथा इलेक्ट्रिक वाहन, अर्धचालक (Semiconductors), नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों तथा रक्षा विनिर्माण के लिए एकल स्रोत पर निर्भरता को कम करेगी।
- **प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं नवीकरणीय ऊर्जा:**
  - » शिखर सम्मेलन के दौरान ऑस्ट्रेलिया–भारत साइबर, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी एवं आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी (Australia–India Partnership on Cyber, Critical Technologies and Supply Chains- AI-PACTS) को क्रियान्वित किया गया।
  - » दोनों देशों ने गुजरात स्थित रूफटॉप सोलर प्रशिक्षण अकादमी (Rooftop Solar Training Academy) के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार किया, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं एवं युवाओं के कौशल विकास पर बल दिया जाएगा।
  - » शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करते हुए बेंगलुरु और गुरुग्राम में ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए परिसरों (Campuses) की स्थापना की गई।

निष्कर्ष:

यह शिखर सम्मेलन भारत–ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को नई गति मिलेगी। साथ ही, भारतीय प्रवासी समुदाय (Indian Diaspora), बढ़ते जन-से-जन संपर्क, शैक्षिक सहयोग तथा आर्थिक संबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया, इस क्षेत्र में भारत के सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक के रूप में उभर रहा है।

भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑकलैंड यात्रा के दौरान भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी (Strategic Partnership) के स्तर तक उन्नत किया तथा 10 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक, तकनीकी तथा जन-से-जन सहयोग को दिशा देने के लिए रोडमैप 2030 को अपनाया। साथ ही, दोनों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार को 7 अरब न्यूज़ीलैंड डॉलर तक दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की।

भारत–न्यूज़ीलैंड संबंधों की पृष्ठभूमि:

- भारत और न्यूज़ीलैंड ने 1952 में राजनयिक संबंध स्थापित किए तथा दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन (Rule of Law) और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति समान प्रतिबद्धता साझा करते हैं।
- यह संबंध निम्नलिखित आधारों से समर्थित है:
  - लगभग 2.9 लाख भारतीय मूल के लोग न्यूज़ीलैंड में रहते हैं (जो न्यूज़ीलैंड की कुल जनसंख्या का लगभग 6% हैं)।
  - शिक्षा, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में आदान-प्रदान।
  - व्यापार, कृषि तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग।
  - यह सामरिक साझेदारी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था तथा क्षेत्रीय मामलों में अधिक गहन सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है।

भारत–न्यूज़ीलैंड साझेदारी के प्रमुख परिणाम:

- **सामरिक साझेदारी रोडमैप 2030:** व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषि, शिक्षा, संस्कृति तथा समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी रोडमैप 2030 को स्वीकृति दी।
- **व्यापार एवं निवेश:** मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के माध्यम से वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। न्यूज़ीलैंड ने भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की योजना की भी घोषणा की है।
- **रक्षा एवं समुद्री सुरक्षा:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के अंतर्गत सहयोग बढ़ाया जाएगा। नौसैनिक अभ्यास, सैन्य आदान-प्रदान, रक्षा संवाद, हाइड्रोग्राफी, लॉजिस्टिक सहयोग तथा समुद्री अभियानों में साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **आतंकवाद, साइबर सुरक्षा एवं वैश्विक सहयोग:** आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह को सक्रिय किया जाएगा, साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया जाएगा तथा अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एवं संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त प्रयास किए जाएंगे। न्यूज़ीलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षा का समर्थन भी दोहराया।
- **स्वच्छ ऊर्जा एवं वैश्विक दृष्टिकोण:** दोनों देश कम कार्बन उत्सर्जन, स्वच्छ ऊर्जा, सतत ऊर्जा संक्रमण तथा जैव-ईंधन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। साथ ही, स्वतंत्र, खुले एवं शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्र सुधार तथा आतंकवाद-रोधी प्रयासों जैसे वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को और सुदृढ़ करेंगे।

महत्त्व:

- यह सामरिक साझेदारी प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी को सुदृढ़ करती है तथा स्वतंत्र, खुले और स्थिर हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करती है। इससे व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- न्यूज़ीलैंड के साथ सहयोग भारत के आर्थिक विकास लक्ष्यों, विशेषकर विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में सहायक होगा, साथ ही समुद्री सुरक्षा और वैश्विक मंचों पर सहयोग को भी मजबूत करेगा।

चुनौतियाँ:

- इस साझेदारी के समक्ष चीन और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर, सीमित व्यापार, कृषि बाज़ार तक पहुँच से जुड़ी चिंताएँ तथा भौगोलिक दूरी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं।
- रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समझौतों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा बेहतर संपर्क व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।

निष्कर्ष:

भारत–न्यूज़ीलैंड सामरिक साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों के एक नए चरण

का प्रतीक है, जिसमें रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया गया है। यदि रोडमैप 2030 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जाता है, तो यह दोनों देशों की साझा समृद्धि को बढ़ावा देगा तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

ऑपरेशन हार्डबॉल: अंतरराष्ट्रीय अपराध के विरुद्ध भारत-अमेरिका की कार्रवाई

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और एफबीआई ने भारत-आधारित अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों के खिलाफ ऑपरेशन हार्डबॉल नामक एक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई शुरू की।

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध क्या है?

- संगठित अपराध का अर्थ है वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए संरचित समूहों द्वारा हिंसा, भ्रष्टाचार या अन्य अवैध तरीकों से की जाने वाली गैर-कानूनी गतिविधियां। जब ऐसे आपराधिक नेटवर्क कई देशों में सक्रिय होते हैं, तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध कहा जाता है। ये नेटवर्क मादक पदार्थों की तस्करी, जबरन वसूली, सुपारी हत्या, मानव तस्करी और अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल होते हैं।

ऑपरेशन 'हार्डबॉल' के बारे में:

- ऑपरेशन 'हार्डबॉल' एफबीआई और अमेरिकी अभियोजकों के नेतृत्व में चलाया गया एक व्यापक बहुराष्ट्रीय संघीय जांच अभियान है, जिसका लक्ष्य भारत-आधारित तीन अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट हैं, जो हत्या, जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, अपहरण और संगठित अपराध में शामिल हैं।
- अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर कथित रूप से

आपराधिक गतिविधियों के समन्वय का आरोप लगाया, जिसमें निज्जर हत्या जांच से संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं। FBI ने गोल्डी बराड़ की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले व्यक्ति को 50,000 डॉलर के इनाम की घोषणा की।
- इस अभियान में भारतीय और विदेशी एजेंसियों के बीच खुफिया सहयोग शामिल था। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया जैसे अपराधियों से संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया। इस अभियान के परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां हुईं, मादक पदार्थों, हथियारों और आपराधिक संपत्तियों को जब्त किया गया।

भारत-अमेरिका सुरक्षा सहयोग:

- ऑपरेशन हार्डबॉल अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने में बढ़ते भारत-अमेरिका सहयोग को दर्शाता है। भारतीय एजेंसियों ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे देशों से संचालित आपराधिक नेटवर्कों से संबंधित साक्ष्य, खुफिया जानकारी और विवरण साझा किए।
- यह सहयोग खुफिया जानकारी साझा करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय, प्रत्यर्पण तंत्र के माध्यम से बढ़ा है।

इंटरपोल नोटिस (Interpol Notices) क्या हैं?

- अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (Interpol) की स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी। यह सदस्य देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच सहयोग को सक्षम बनाता है। यह सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहायता करता है और देशों को अपराधियों, लापता व्यक्तियों और सुरक्षा खतरों का पता लगाने में मदद करता है।

इंटरपोल नोटिस के प्रकार:

- **रेड नोटिस (Red Notice):** अभियोजन या सजा के लिए वांछित व्यक्ति का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध करता है। यह प्रत्यर्पण में सहायता करता है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता।
- **ब्लू नोटिस (Blue Notice):** आपराधिक जांच में शामिल व्यक्ति के बारे में जानकारी एकत्र करता है।
- **ग्रीन नोटिस (Green Notice):** ऐसे व्यक्तियों के बारे में देशों को चेतावनी देता है, जिन्हें संभावित खतरा माना जाता है।
- **येलो नोटिस (Yellow Notice):** लापता व्यक्तियों या अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाने में सहायता करता है।
- **ब्लैक नोटिस (Black Notice):** अज्ञात शवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।
- **ऑरेंज नोटिस (Orange Notice):** व्यक्तियों, वस्तुओं या घटनाओं से जुड़े खतरों के बारे में चेतावनी देता है।
- **पर्पल नोटिस (Purple Notice):** अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीकों, उपकरणों और छिपने के स्थानों से संबंधित जानकारी साझा करता है।

अंतरराष्ट्रीय अपराध की उभरती चुनौतियां:

- आधुनिक आपराधिक नेटवर्क तेजी से निम्नलिखित साधनों का उपयोग कर रहे हैं:
  - » मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध वित्तीय नेटवर्क।
  - » तस्करी के लिए समुद्री मार्गों और ड्रोन का उपयोग।
  - » निगरानी से बचने के लिए एन्क्रिप्टेड संचार प्लेटफॉर्म और VPN का उपयोग।
  - » संगठित अपराध और उग्रवादी गतिविधियों के बीच संबंध।
  - » पारंपरिक आपराधिक गिरोहों के पतन ने भी वैश्विक स्तर पर जुड़े अपराध सिंडिकेटों के उदय को बढ़ावा दिया है।

अंतरराष्ट्रीय प्रयास:

- अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में शामिल हैं:
  - » सीमापार संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC) - सीमाओं के पार संगठित अपराध से मुकाबला करने के लिए।
  - » इंटरपोल सहयोग - अपराधियों की निगरानी और खोज के लिए।
  - » वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) - अवैध वित्तीय प्रवाह के खिलाफ प्रयास।
  - » संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) की पहल।
  - » BRICS सहयोग - मादक पदार्थों की तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ।

भारत के लिए महत्व:

- **आंतरिक सुरक्षा:** आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और आपराधिक नेटवर्क से निपटना।
- **अंतरराष्ट्रीय संबंध:** साक्ष्य-आधारित जांच के माध्यम से राजनयिक विवादों का प्रबंधन।
- **कानूनी ढांचा:** UAPA, प्रत्यर्पण तंत्र और अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग को मजबूत करना।

भारत का प्रत्यर्पण ढांचा:

- अमेरिका जैसे देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण प्रक्रिया 1997 की प्रत्यर्पण संधि और प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 द्वारा नियंत्रित होती है।
- दोहरी आपराधिकता (Dual Criminality) का सिद्धांत लागू होता है, जिसका अर्थ है कि अपराध दोनों देशों में दंडनीय होना चाहिए।
- कानूनी जांच के बाद प्रत्यर्पण का अंतिम निर्णय संबंधित सरकारों द्वारा लिया जाता है।

निष्कर्ष:

ऑपरेशन हार्डबॉल और इंटरपोल की व्यवस्थाएं यह दर्शाती हैं कि संगठित अपराध और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्व लगातार बढ़ रहा है। भारत के लिए मजबूत खुफिया साझेदारी, प्रत्यर्पण सहयोग और वैश्विक भागीदारी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक हैं।

चीन का समुद्र-आधारित ICBM परीक्षण

संदर्भ:

हाल ही में चीन द्वारा किए गए समुद्र-आधारित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) परीक्षण ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलते रणनीतिक वातावरण को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। यह परीक्षण चीन की बढ़ती परमाणु क्षमताओं और पनडुब्बी-आधारित परमाणु बलों के माध्यम

से अपनी दूसरे प्रहार की क्षमता (Second-Strike Capability) को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है। इस घटनाक्रम का भारत, अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

मिसाइल परीक्षण की प्रमुख बातें:

- चीन ने 6 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अपना पहला ज्ञात समुद्र-आधारित लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया।
- मिसाइल को एक चीनी पनडुब्बी से लॉन्च किया गया, जो संभवतः जू लैंग-2 (JL-2) या उन्नत जू लैंग-3 (JL-3) पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) थी।
- मिसाइल ने लगभग 7,300 किलोमीटर की दूरी तय की और दक्षिणी प्रशांत महासागर में जाकर गिरी।
- इसमें एक नकली वारहेड (Dummy Warhead) लगाया गया था और यह कई देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Exclusive Economic Zones - EEZs) के ऊपर से गुजरी।
- इस परीक्षण ने चीन की पनडुब्बियों के माध्यम से परमाणु हथियारों को तैनात करने की बढ़ती क्षमता और उसकी परमाणु त्रिकोण (Nuclear Triad) को मजबूत करने की दिशा में प्रगति को प्रदर्शित किया।

अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) के बारे में:

- ICBM एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, जो 5,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक यात्रा कर सकती है और परमाणु या पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है। ये मिसाइलें किसी देश की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता (Strategic Deterrence Capability) का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं।

परमाणु त्रिकोण (Nuclear Triad)के बारे में:

- परमाणु त्रिकोण का अर्थ है किसी देश की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह तीन अलग-अलग माध्यमों से परमाणु हथियारों का प्रक्षेपण कर सकता है:
  - » भूमि आधारित मिसाइलें (ICBMs)
  - » समुद्र आधारित मिसाइलें (परमाणु पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली SLBMs)
  - » रणनीतिक बमवर्षक विमान (Strategic Bombers)
  - » चीन का नवीनतम परीक्षण उसके अधिक विश्वसनीय परमाणु त्रिकोण के विकास में प्रगति को दर्शाता है।

दूसरे प्रहार की क्षमता क्या है?

- दूसरे प्रहार की क्षमता (Second-Strike Capability) का अर्थ है किसी देश की वह क्षमता जिसके तहत वह शत्रु के पहले परमाणु हमले को झेलने के बाद भी जवाबी परमाणु हमला कर सके।
- परमाणु पनडुब्बियां इस क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि उन्हें खोज पाना और नष्ट करना कठिन होता है।

चीन के परमाणु विस्तार का महत्व:

- परंपरागत रूप से चीन ने न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध नीति (Minimum Nuclear Deterrence Policy) अपनाई है। हालांकि, हाल के घटनाक्रम यह संकेत देते हैं कि चीन अधिक बड़े और उन्नत परमाणु ढांचे की ओर बढ़ रहा है।
- यह परीक्षण निम्नलिखित पहलुओं को उजागर करता है:
  - » पनडुब्बी-आधारित परमाणु बलों में सुधार
  - » उन्नत मिसाइल तकनीक का विकास
  - » प्रारंभिक चेतावनी (Early Warning) और जवाबी हमले की

» क्षमताओं पर अधिक ध्यान
» चीन की स्वयं को एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर प्रभाव:

- चीन की मिसाइल क्षमताओं में वृद्धि से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
- अमेरिका को अपनी मिसाइल रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पूर्वी एशिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे क्षेत्रीय देशों के लिए चीन की बढ़ती परमाणु और नौसैनिक क्षमताएँ क्षेत्रीय स्थिरता और संभावित हथियारों की दौड़ को लेकर चिंता पैदा करती हैं।

भारत पर प्रभाव:

- यह परीक्षण भारत और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक अंतर को दर्शाता है। भारत को अपनी परमाणु प्रतिरोध क्षमता और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- इसके लिए महत्वपूर्ण कदम हैं:
    » K-5 और K-6 जैसी लंबी दूरी की पनडुब्बी-प्रक्षेपित मिसाइलों (SLBMs) का विकास
    » परमाणु-संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (SSBN) बेड़े का विस्तार
    » पनडुब्बी रोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare) क्षमताओं में सुधार
    » हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र तल निगरानी और जागरूकता (Seabed Domain Awareness) को मजबूत करना

रारोटोंगा संधि और परमाणु-मुक्त क्षेत्र:

- मिसाइल जिस क्षेत्र में गिरी, वह रारोटोंगा संधि (Treaty of Rarotonga) के अंतर्गत आता है, जिसके तहत दक्षिण प्रशांत परमाणु-मुक्त क्षेत्र (South Pacific Nuclear Free Zone) स्थापित किया गया है।
- यह संधि क्षेत्र में परमाणु विस्फोट परीक्षण और परमाणु हथियारों की तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि, बिना परमाणु वारहेड वाली मिसाइलों के परीक्षण को परमाणु विस्फोट नहीं माना जाता।

आगे की राह:

भारत को विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (Credible Minimum Deterrence) की नीति बनाए रखते हुए अपनी परमाणु त्रिकोण क्षमता को मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही समुद्री निगरानी, रक्षा तकनीक और हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ाना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

चीन का समुद्र-आधारित ICBM परीक्षण उसकी बढ़ती परमाणु क्षमताओं और बदलती रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। यह चीन की दूसरे प्रहार की क्षमता को मजबूत करता है, लेकिन साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को भी बढ़ाता है। भारत को क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए उन्नत रक्षा तकनीकों तथा समुद्री क्षमताओं का लगातार विकास करना होगा।

भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता

संदर्भ:

हाल ही में 15 जुलाई 2026 से भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) प्रभावी हो गया है। यह समझौता 25 जुलाई 2025 को हस्ताक्षरित किया गया था। यह समझौता हाल के वर्षों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार समझौतों में से एक है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करना है।

CETA की प्रमुख विशेषताएँ:

- CETA में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, डिजिटल व्यापार, निवेश, श्रम गतिशीलता, नवाचार, सरकारी खरीद, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), लैंगिक समावेशन तथा पर्यावरणीय सहयोग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
- यह समझौता यूनाइटेड किंगडम में भारत के लगभग 99% निर्यात पर शुल्क समाप्त करता है, जिससे कृषि, वस्त्र, औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, रसायन और चमड़ा जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा।
- यूनाइटेड किंगडम तुरंत 96.8% शुल्क मदों पर सीमा शुल्क समाप्त करेगा, जो कुल व्यापार मूल्य के 97.7% हिस्से को कवर करेगा। वहीं, भारत अपने आयातों के एक बड़े हिस्से पर धीरे-धीरे शुल्क में कमी करेगा।
- यह समझौता स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) उपायों तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं (TBT) के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से

गैर-शुल्क बाधाओं को भी संबोधित करता है।

क्षेत्रवार लाभ:

- **कृषि और समुद्री क्षेत्र:** भारतीय किसान और मछुआरे फलों, सब्जियों, मसालों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, झींगा, टूना और अन्य समुद्री उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच से लाभान्वित होने की उम्मीद है। बेहतर स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (SPS) सहयोग से उत्पादों की अस्वीकृति का जोखिम कम होगा और निर्यात के अवसर बढ़ेंगे।
- **वस्त्र, इंजीनियरिंग और विनिर्माण:** वस्त्रों, परिधानों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, ऑटोमोबाइल पुर्जों और हस्तशिल्प पर शुल्क समाप्त होने से ब्रिटेन के बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी। चमड़ा और जूता उद्योग जैसे श्रम-प्रधान MSME समूहों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है।
- **औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी:** यह समझौता जेनेरिक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं के लिए बाजार पहुंच को बेहतर बनाता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और पेशेवर सेवा प्रदाताओं को बेहतर बाजार अवसर तथा कुशल श्रमिकों की आसान आवाजाही से लाभ मिलेगा।

दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान समझौते के बारे में:

- दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान समझौते (Double Contributions Convention - DCC) का उद्देश्य उन भारतीय पेशेवरों की समस्या का समाधान करना है जिन्हें दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा योगदान देना पड़ता है।
- इस समझौते के अंतर्गत भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान करने वाले भारतीय श्रमिकों को एक निश्चित अवधि तक यूनाइटेड किंगडम की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में भुगतान करने से छूट मिलेगी।
- इससे 75,000 से अधिक भारतीय श्रमिकों और लगभग 900 नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में।

सरकारी खरीद और लैंगिक समावेशन:

- CETA पात्र यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों को भारत के सरकारी खरीद बाजार में सीमित पहुंच प्रदान करता है, जिससे प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और तकनीकी मानकों में सुधार हो सकता है। हालांकि, मेक इन इंडिया पहल को समर्थन देने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा आवश्यक होगी।
- इस समझौते में भारत का पहला समर्पित लैंगिक अध्याय भी शामिल है, जिसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।

चुनौतियाँ:

- इन लाभों के बावजूद कुछ चुनौतियाँ बनी रहेंगी, जिनमें मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के कम उपयोग, अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन, घरेलू प्रतिस्पर्धा और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे कार्बन-आधारित व्यापार उपायों के संभावित प्रभाव शामिल हैं।

निष्कर्ष:

भारत–यूनाइटेड किंगडम CETA और DCC समावेशी तथा भविष्य-केंद्रित व्यापार समझौतों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। निर्यात, निवेश, कुशल श्रमिकों की आवाजाही और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण को बढ़ावा देकर ये समझौते भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूत कर सकते हैं। हालांकि, घरेलू हितों की सुरक्षा के लिए इनका सावधानीपूर्वक और प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक होगा।

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

असम में वार्षिक बाढ़: विकास मॉडल, जलवायु और नदी बेसिन प्रबंधन के बीच संतुलन की चुनौती

संदर्भ:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, असम का लगभग 40% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है तथा हर वर्ष लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। इस बार असम भीषण बाढ़ की चपेट में है। लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, सैकड़ों गाँव जलमग्न हैं, कृषि भूमि नष्ट हुई है और विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित अनेक पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार की बाढ़ केवल अत्यधिक मानसूनी वर्षा का परिणाम नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, ब्रह्मपुत्र नदी की प्राकृतिक गतिशीलता तथा मानवजनित हस्तक्षेपों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है।

असम में प्रतिवर्ष बाढ़ आने का कारण:

- असम भारत के सर्वाधिक बाढ़-प्रभावित राज्यों में से एक है। राज्य देश के कुल बाढ़-प्रवण (Flood-prone) क्षेत्र का लगभग 9% हिस्सा है। इसके पीछे केवल अधिक वर्षा जिम्मेदार नहीं है, बल्कि राज्य की भौगोलिक संरचना, हिमालयी नदी तंत्र तथा मानसूनी जलवायु की विशेषताएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार बाढ़ की स्थिति बार-बार आने का एक कारण यह है कि भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा चार महीने (जून से सितंबर) के छोटे मानसून मौसम में ही होता है। परिणामस्वरूप, इन महीनों के दौरान नदियों में भारी जल प्रवाह होता है।

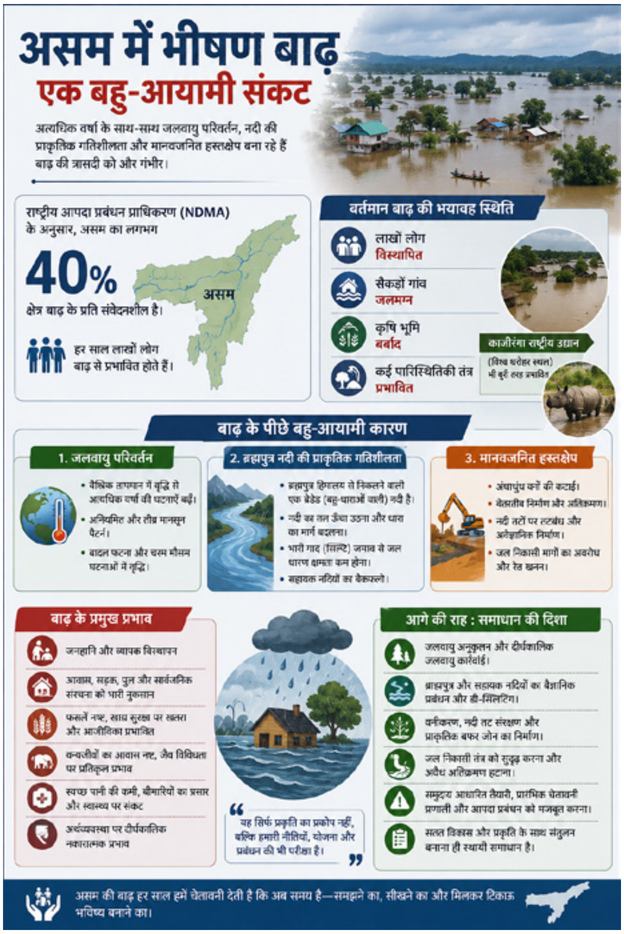

ब्रह्मपुत्र नदी: बाढ़ का मूल कारण:

- असम की बाढ़ का मूल कारण ब्रह्मपुत्र नदी की प्रकृति में निहित है। यह विश्व की सर्वाधिक जल एवं अवसाद (Sediment) वहन करने

वाली प्रमुख नदियों में से एक है। तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए यह असम में प्रवेश करती है। ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों से निकलने के बाद असम के मैदानी भाग में पहुँचते ही नदी का ढाल कम हो जाता है, जिससे जल का वेग घटता है और भारी मात्रा में गाद नदी तल में जमा होने लगती है।

- समय के साथ नदी का तल ऊँचा होता जाता है और थोड़ी-सी अतिरिक्त वर्षा भी नदी को तटबंधों से बाहर बहने के लिए पर्याप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एक बहुधारात्मक नदी (Braided River) है, जिसकी धाराएँ लगातार अपना मार्ग बदलती रहती हैं। यही कारण है कि असम में बाढ़ के साथ-साथ नदी तट कटाव (Riverbank Erosion) भी गंभीर समस्या बन चुका है।

प्रमुख घटक:

- **अत्यधिक मानसूनी वर्षा:** पूर्वोत्तर भारत विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में होने वाली तीव्र वर्षा का अधिकांश जल ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में पहुँचता है। कम समय में अत्यधिक वर्षा होने से नदियों की वहन क्षमता समाप्त हो जाती है।
- **हिमालयी अवसादन (Sedimentation):** हिमालय एक नवीन पर्वतमाला है, जहाँ भूस्खलन और अपरदन की घटनाएँ सामान्य हैं। इनसे उत्पन्न विशाल मात्रा में मिट्टी एवं चट्टानें ब्रह्मपुत्र में पहुँचकर नदी तल को ऊँचा करती रहती हैं। परिणामस्वरूप नदी की जलधारण क्षमता पर लगातार दबाव बढ़ता जाता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन ने मानसून की प्रकृति को अधिक अनिश्चित और चरम (Extreme) बना दिया है। अब वर्षा लंबे समय तक समान रूप से होने के बजाय कम समय में अत्यधिक मात्रा में होती है। इससे अचानक बाढ़ (Flash Flood) और व्यापक जलभराव की घटनाएँ बढ़ रही हैं। दक्षिण एशिया में मानसूनी चरम घटनाओं की तीव्रता बढ़ने की पुष्टि विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों तथा हालिया घटनाओं से होती है।
- **वनों की कटाई एवं भूमि उपयोग परिवर्तन:** ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई, सड़क निर्माण, खनन तथा अन्य विकास गतिविधियों ने मिट्टी के अपरदन को बढ़ाया है। इससे नदियों में अधिक गाद पहुँचती है और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है।
- **तटबंध आधारित रणनीति की सीमाएँ:** असम में दशकों से बाढ़ नियंत्रण का प्रमुख साधन तटबंध (Embankments) रहे हैं। लेकिन अनेक तटबंध पुराने, कमजोर अथवा अपर्याप्त रखरखाव के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। कई बार इनके टूटने से अचानक बड़े पैमाने पर तबाही होती है। केवल तटबंध निर्माण दीर्घकालिक समाधान सिद्ध नहीं हुआ है।
- **बाढ़ मैदानों एवं आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण:**
  - प्राकृतिक बाढ़ मैदान (Floodplains) और आर्द्रभूमियाँ अतिरिक्त जल को समाहित करने का कार्य करती हैं। किन्तु शहरीकरण, अवैध निर्माण तथा भूमि अतिक्रमण के कारण इनका क्षेत्र लगातार घट रहा है, जिससे बाढ़ की तीव्रता बढ़ रही है।
  - भारत में बाढ़ मैदान ज़ोनिंग (Floodplain Zoning) का उद्देश्य बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण एवं अतिक्रमण को नियंत्रित कर जन-धन की हानि को न्यूनतम करना है।
- **ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का संयुक्त प्रभाव:**
  - असम में ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर और दक्षिण दोनों ओर से लगभग 50 से अधिक प्रमुख एवं लघु सहायक नदियाँ जल प्रदान करती हैं। इनमें सुबनसिरी, सियांग, दिबांग, लोहित, मानस, जिया-भराली, बेकी, पुथीमारी, पगलाडिया, कोपिली और धानसिरी जैसी नदियाँ प्रमुख हैं।
  - दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान जब इन सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में एक साथ भारी वर्षा होती है, तो वे अत्यधिक मात्रा में जल और अवसाद (Sediment) ब्रह्मपुत्र में छोड़ती हैं। इससे मुख्य नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है और उसकी जल निकासी क्षमता पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। परिणामस्वरूप, ब्रह्मपुत्र अपने तटों को पार कर विस्तृत बाढ़ का रूप ले लेती है।
  - विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश से आने वाली हिमालयी नदियाँ तीव्र ढाल के कारण अत्यधिक वेग से जल और गाद लाती हैं, जिससे बाढ़ और नदी तट कटाव दोनों की तीव्रता बढ़ जाती है। यही कारण है कि असम की बाढ़ को केवल ब्रह्मपुत्र की समस्या न मानकर समूचे ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की जलवैज्ञानिक (Hydrological) समस्या के रूप में समझा जाता है।
- **नदी तट कटाव की समस्या:**
  - असम में बाढ़ से भी अधिक विनाशकारी समस्या नदी तट

कटाव है। ब्रह्मपुत्र प्रत्येक वर्ष हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि और अनेक गाँवों को अपने प्रवाह में समाहित कर लेती है। विशेष रूप से माजुली, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, पिछले कई दशकों से निरंतर कटाव का सामना कर रहा है।

» नदी तट कटाव के कारण लोगों का स्थायी विस्थापन, भूमि अधिकारों का संकट और आजीविका की हानि गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

लोगों, वन्यजीवों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

- असम की बाढ़ केवल मानवीय संकट नहीं, बल्कि एक व्यापक विकासात्मक चुनौती है।
- नदी तट कटाव और बाढ़ के कारण आंतरिक विस्थापन (Internal Displacement) बढ़ता है, जिससे भूमि अधिकार और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होती है।
- कृषि, मत्स्य पालन और पशुपालन को भारी नुकसान पहुँचता है।
- सड़क, पुल, बिजली और संचार जैसी आधारभूत संरचनाएँ प्रभावित होती हैं। जलजनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडे, हाथी, हिरण सहित अनेक वन्यजीव ऊँचे क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और मृत्यु का जोखिम बढ़ जाता है।
- राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।
- अनियोजित विकास और बाढ़ की बढ़ती तीव्रता के कारण प्राकृतिक आर्द्रभूमियों का क्षरण एवं विखंडन होता है, जिससे उनकी पारिस्थितिक क्षमता प्रभावित होती है।
- हालाँकि, नियंत्रित एवं प्राकृतिक बाढ़ ब्रह्मपुत्र घाटी में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती है तथा आर्द्रभूमियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समस्या बाढ़ नहीं, बल्कि उसकी बढ़ती तीव्रता, अनियोजित विकास और बढ़ती संवेदनशीलता है।

बाढ़ प्रबंधन की आवश्यकता:

- असम की बाढ़ का समाधान केवल राहत और पुनर्वास तक सीमित नहीं हो सकता। इसके लिए समग्र नदी बेसिन प्रबंधन (Integrated River Basin Management) तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction–DRR) आधारित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण सेन्दाई फ्रेमवर्क (2015–2030) के अनुरूप जोखिम की पहचान, पूर्व चेतावनी, आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना तथा सामुदायिक क्षमता निर्माण पर बल देता है-

प्रमुख उपाय:

- ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए भारत, भूटान और चीन सहित अंतर-सीमाई जल सहयोग को मजबूत करना।
- तटबंधों के नियमित रखरखाव और वैज्ञानिक मूल्यांकन को प्राथमिकता देना।
- बाढ़ मैदानों के वैज्ञानिक ज़ोनिंग (Floodplain Zoning) को प्रभावी ढंग से लागू करना।
- ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वनीकरण एवं मृदा संरक्षण।
- उपग्रह आधारित पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा वास्तविक समय (Real-time) बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली का विस्तार।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) को स्थानीय विकास योजनाओं का अनिवार्य हिस्सा बनाना।
- बाढ़-रोधी अवसंरचना तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना।
- प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions) जैसे आर्द्रभूमियों का संरक्षण, बाढ़ मैदानों का पुनर्स्थापन तथा प्राकृतिक जल निकासी तंत्र को पुनर्जीवित करना।

निष्कर्ष:

असम की वार्षिक बाढ़ को केवल प्राकृतिक आपदा मानना अधूरा आकलन होगा। ब्रह्मपुत्र की गतिशील प्रकृति, हिमालयी भू-आकृति, तीव्र मानसूनी वर्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ अनियोजित विकास, वनों की कटाई, बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण तथा सीमित बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों ने इस संकट को और गहरा किया है। आवश्यकता केवल बाढ़ नियंत्रण की नहीं, बल्कि "बाढ़ के साथ सह-अस्तित्व (Living with Floods)" की नीति अपनाने की है, जिसमें वैज्ञानिक योजना, पारिस्थितिक संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और सामुदायिक सहभागिता को समान महत्व दिया जाए। ऐसा समग्र एवं पारिस्थितिकी-आधारित दृष्टिकोण ही असम को वार्षिक बाढ़ की त्रासदी से जलवायु-सहिष्णु (Climate Resilient) और सतत विकास (Sustainable Development) के मॉडल की ओर अग्रसर कर सकता है।

ट्रांसकैस्पियन मारिंका मछली के संरक्षण के लिए समुदाय-आधारित पहल शुरू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के न्यीशी जनजाति के सांगनो (Sangno) कबीले ने ट्रांसकैस्पियन मारिंका (Schizothorax pelzami), जो हिमालयी रे-फिन्ड (Ray-finned) मछली की एक प्रजाति है, के संरक्षण के लिए समुदाय-आधारित पहल शुरू की है।

ट्रांसकैस्पियन मारिंका के बारे में:

- ट्रांसकैस्पियन मारिंका (Schizothorax pelzami) एक मीठे पानी (Freshwater) की रे-फिन्ड मछली (Ray-finned Fish) है, जो Schizothorax वंश तथा Cyprinidae (कार्प परिवार) से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में इसे न्यीशी भाषा में "नगारसिंग (Ngarsing)" के नाम से जाना जाता है।
- यह मछली मीठे पानी की नदियों, जलधाराओं (Streams), प्राकृतिक स्रोतों (Springs) तथा क़नात (Qanats) में पाई जाती है। यह बेंथोपेलैजिक (Benthopelagic) जीवन शैली अपनाती है, अर्थात् यह जलाशय की तलहटी के निकट तथा जल स्तंभ (Water Column) दोनों में रहकर भोजन करती है।
- इस प्रजाति का मुख्य वितरण अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान में है, जबकि Schizothorax वंश की अन्य संबंधित प्रजातियाँ संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं।
- **संरक्षण स्थिति:** अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) रेड लिस्ट: कम चिंताजनक (Least Concern)

रे-फिन्ड मछलियों के बारे में प्रमुख तथ्य:

- रे-फिन्ड मछलियाँ (Actinopterygii) मछलियों का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक विविधतापूर्ण समूह हैं, जो विश्व में पाए जाने वाले सभी जीवित कशेरुकी (Vertebrate) जीवों की आधे से अधिक प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इनके पंख (Fins) मांसल लोब (Fleshy Lobes) के बजाय अस्थिमय किरणों (Bony Fin Rays) द्वारा समर्थित होते हैं।
- ये विभिन्न प्रकार के जलीय आवासों में निवास करती हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - ऊँचाई वाले पर्वतीय झीलें
  - नदियाँ एवं जलधाराएँ
  - मरुस्थलीय प्राकृतिक स्रोत (Desert Springs)
  - आर्द्रभूमियाँ (Wetlands)
  - भूमिगत गुफाएँ (Subterranean Caves)
  - समुद्री पारिस्थितिक तंत्र
- अनेक प्रजातियाँ प्रजनन, भोजन की खोज अथवा मौसमी प्रवास के लिए लंबी दूरी तक प्रवास (Migration) करती हैं।
- ये अपने आसपास के वातावरण का अनुभव विभिन्न संवेदी प्रणालियों के माध्यम से करती हैं, जैसे:
  - दृष्टि (Vision)
  - मैकेनोरिसेप्शन (Mechanoreception) – लेटरल लाइन प्रणाली के माध्यम से
  - केमोरेसेप्शन (Chemoreception) – गंध एवं स्वाद के माध्यम से
  - इलेक्ट्रोरिसेप्शन (Electroreception) – विद्युत संकेतों का अनुभव
  - मैग्नेटोरिसेप्शन (Magnetoreception) – पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाने की क्षमता

संरक्षण पहल का महत्व:

- सांगनो कबीले द्वारा शुरू की गई यह समुदाय-आधारित पहल जैव विविधता संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान (Indigenous Knowledge) के महत्व को रेखांकित करती है।
- इस पहल के अंतर्गत मछलियों को ऐसे जलधारा क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है, जहाँ महाशीर (Mahseer) जैसी शिकारी मछलियाँ नहीं पहुँच सकतीं। मछली पकड़ने पर पाँच वर्षों तक प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- इसका उद्देश्य मछलियों की घटती आबादी को पुनर्स्थापित करना, पारंपरिक सामुदायिक मत्स्य पालन की संस्कृति का संरक्षण करना तथा ईको-एंगलिंग (Eco-angling) और स्ट्रीम-ट्रेल ट्रेकिंग

(Stream-trail Trekking) जैसी सतत् पारिस्थितिकी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष:

ट्रांसकैस्पियन मारिंका के संरक्षण की यह पहल दर्शाती है कि स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में किया गया संरक्षण (Community Stewardship) मीठे पानी की जैव विविधता के संरक्षण के साथ-साथ सतत् आजीविका को भी प्रोत्साहित कर सकता है। यह पहल पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और आधुनिक संरक्षण रणनीतियों के समन्वय का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो दीर्घकाल में जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के लिए एक प्रभावी मॉडल सिद्ध हो सकती है।

राष्ट्रीय कैम्पा (CAMPA) की 7वीं शासी निकाय बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 10 जुलाई 2026 को कोयंबटूर में राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (National CAMPA) की 7वीं शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के प्रमुख निर्णय:

- बैठक में मिष्टी (MISHTI- Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes) योजना को वर्ष 2029 तक तीन वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
- इसके लिए ₹500 करोड़ की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई, जिससे इस योजना का कुल परिव्यय बढ़कर ₹600 करोड़ हो गया। इस राशि का उपयोग मैंग्रोव वनों के पुनर्स्थापन तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए किया जाएगा।
- बैठक में आस्था वन संरक्षण योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के लिए वर्ष 2026–31 की अवधि हेतु ₹3,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि (Corpus) स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य देशभर के लगभग 15,000 पवित्र उपवनों (आस्था वनों) का संरक्षण करना है।
- इसके अतिरिक्त, भूमि क्षरण (Land Degradation) एवं जैव विविधता ह्रास (Biodiversity Loss) से निपटने के लिए लैंडस्केप पुनर्स्थापन (Landscape Restoration) संबंधी एक नई योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएँ:

- शासी निकाय ने चार प्रमुख वन्यजीव संरक्षण पहलों को मंजूरी दी-
  - » रिवर डॉल्फिन संरक्षण एवं पुनर्प्राप्ति कार्य योजना (Conservation and Recovery Action Plan for River Dolphins)
  - » प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (Project Snow Leopard) चरण-II, जिसमें देशव्यापी दूसरी जनसंख्या गणना भी शामिल है।
  - » भारतीय गैंडा (Indian Rhinoceros) संरक्षण कार्य योजना
  - » जंगली जल भैंसा (Wild Water Buffalo) के लिए अखिल भारतीय संरक्षण रणनीति (Pan-India Conservation Strategy)
- इसके अतिरिक्त, मणिपुर के संगाई (भौंह-सींग वाले हिरण/Brow-antlered Deer) के संरक्षण हेतु चल रहे कार्यक्रम को भी निरंतर समर्थन देने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कैम्पा (CAMPA) के बारे में:

- कैम्पा (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority) एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (CAF Act), 2016 के अंतर्गत की गई है।
- इसका उद्देश्य उन निधियों का प्रबंधन करना है, जो वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों के लिए परिवर्तित किए जाने पर एकत्रित की जाती हैं।
- CAMPA का गठन प्रारंभिक रूप से वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी. एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले में किया गया था। बाद में 30 सितंबर 2018 को CAF अधिनियम लागू होने के पश्चात इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
- इसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिपूरक वनीकरण, वन पुनर्जनन, वन्यजीव संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर पारिस्थितिकीय क्षतिपूर्ति (Ecological Compensation) सुनिश्चित करना है।
- CAMPA की निधि प्रतिपूरक वनीकरण (CA), वनों के नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) तथा वन भूमि परिवर्तन से संबंधित अन्य शुल्कों के रूप में उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा किए गए भुगतानों से प्राप्त होती है।
- CAF अधिनियम के अनुसार, 90% निधि राज्य CAMPA को हस्तांतरित की जाती है, जबकि 10% निधि राष्ट्रीय CAMPA के पास राष्ट्रीय स्तर की संरक्षण पहलों के लिए सुरक्षित रखी जाती है।
- CAMPA निधि का उपयोग वनीकरण, सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन, वन एवं वन्यजीव प्रबंधन, मृदा एवं जल संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों से गाँवों के पुनर्वास तथा क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों में किया जाता है।
- यह प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन कार्य करता है तथा सतत वन प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु अनुकूलता (Climate Resilience) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय कैम्पा (CAMPA) की 7वीं शासी निकाय बैठक में लिए गए निर्णय भारत में प्रौद्योगिकी आधारित वन शासन, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन तथा वन्यजीव संरक्षण पर बढ़ते बल को दर्शाते हैं। प्रतिपूरक वनीकरण को सुदृढ़ बनाने, वैज्ञानिक निगरानी को प्रोत्साहित करने तथा नई संरक्षण पहलों के शुभारंभ के माध्यम से कैम्पा (CAMPA) देश में पारिस्थितिकीय सुरक्षा, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु सहनशीलता को मजबूत करने के साथ-साथ सतत विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

कुकरैल नाइट सफारी परियोजना

संदर्भ:

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की ₹1,510 करोड़ की कुकरैल नाइट सफारी और डे ज़ू परियोजना, लखनऊ को मंज़ूरी दे दी है। इस मंज़ूरी के बाद भारत की पहली नाइट सफारी और सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद दुनिया की पांचवीं ऐसी सुविधा स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

कुकरैल नाइट सफारी परियोजना के बारे में:

- यह परियोजना 2,027 हेक्टेयर वाले कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर 855 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इसमें वन्यजीव संरक्षण, ईको-टूरिज्म, अनुसंधान और पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया जाएगा। इस क्षेत्र में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र (1975) भी स्थित है।
- **चरण I: नाइट सफारी और ईको-टूरिज्म क्षेत्र**
  - » रात्रिचर जीवों के लिए प्राकृतिक आवास और ट्रेल्स।
  - » बैटरी से चलने वाले पर्यटक वाहन।
  - » वन्यजीव व्याख्या केंद्र।
- **चरण II: डे ज़ू (दिन का चिड़ियाघर)**
  - » आधुनिक चिड़ियाघर सुविधाएं।
  - » संरक्षण प्रजनन और अनुसंधान केंद्र।

विशिष्ट विशेषताएं:

- पारंपरिक चिड़ियाघरों के विपरीत, नाइट सफारी में पर्यटक जानवरों को उनके सक्रिय समय के दौरान देख सकेंगे। प्राकृतिक चांदनी जैसी रोशनी प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकाश व्यवस्था विकसित की जाएगी, जिससे वन्यजीवों को कम से कम परेशानी हो और देखने की सुविधा बनी रहे।
- सफारी में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, उड़ने वाली गिलहरी और घड़ियाल जैसी प्रजातियां शामिल होंगी।
- आवासों को घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और स्थानीय वनस्पतियों के आधार पर तैयार किया जाएगा ताकि प्राकृतिक वातावरण बनाया जा सके।

कुकरैल वन का पारिस्थितिक महत्व:

- कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट लखनऊ के सबसे बड़े हरित क्षेत्रों में से एक है और शहरी जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- 1950 के दशक में इसे वृक्षारोपण वन के रूप में विकसित किया गया था। इसका नाम गोमती नदी की सहायक धारा कुकरैल नाले के नाम पर रखा गया है।
- यह वन कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र का भी घर है, जिसने गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल के संरक्षण और प्रजनन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

परियोजना में देरी क्यों हुई?

- यह परियोजना लगभग चार वर्षों तक मंजूरी की प्रक्रिया में रही क्योंकि इसे एक पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में विकसित किया जाना था।
- इसके लिए कई संस्थाओं से अनुमति आवश्यक थी, जिनमें शामिल हैं:
    - राज्य वन्यजीव बोर्ड।
    - केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)।
    - वन और पर्यावरण से संबंधित प्राधिकरण।
    - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)।
    - पर्यावरणीय और कानूनी सुरक्षा उपाय:
- इस परियोजना को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय:

- जानवरों की जैविक घड़ी (Circadian Rhythm) की सुरक्षा के लिए कम तीव्रता वाली रोशनी।
- जानवरों को आकर्षित करने के लिए चारे या कृत्रिम तरीकों का उपयोग नहीं।
- बैटरी चालित वाहनों के माध्यम से नियंत्रित पर्यटक आवागमन।
- प्राकृतिक आवासों और वन्यजीव व्यवहार की सुरक्षा।

परियोजना का महत्व:

- कुकरैल नाइट सफारी:
    - ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती है।
    - रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है।
    - वन्यजीव संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ा सकती है।
    - रात्रिचर प्रजातियों पर वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता कर सकती है।
    - संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों को मजबूत कर सकती है।
- हालांकि, पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी।

निष्कर्ष:

कुकरैल नाइट सफारी पर्यटन को संरक्षण के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि इसे सख्त पर्यावरणीय निगरानी और सतत प्रथाओं के साथ लागू किया जाता है, तो यह भारत में जिम्मेदार ईको-टूरिज्म का एक आदर्श मॉडल बन सकती है और साथ ही नाजुक वन पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा भी कर सकती है।

पुगा घाटी में भारत के पहले गहरे भू-तापीय कुएँ

संदर्भः

हाल ही में, ओएनजीसी एनर्जी सेंटर द्वारा लद्दाख की पुगा घाटी में भारत के पहले और सबसे गहरे भू-तापीय कुओं का शुभारंभ किया गया। 14,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर स्थित इन दोनों कुओं को प्रत्येक 1,000 मीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया है। ये कुएँ भारत की पहली 1 मेगावाट (MW) पायलट भू-तापीय विद्युत परियोजना का समर्थन करेंगे। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा और वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भू-तापीय ऊर्जा क्या है?

- भू-तापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहीत ऊष्मा है, जो पृथ्वी के निर्माण और खनिजों के निरंतर रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती है।
- इस ऊष्मा को गहरे कुओं के माध्यम से निकालकर बिजली उत्पादन, प्रत्यक्ष ताप प्रदान करने तथा भवनों के ताप एवं शीतलन के लिए भू-तापीय हीट पंप संचालित करने में उपयोग किया जाता है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, भू-तापीय ऊर्जा मौसम की परिस्थितियों से स्वतंत्र होकर निरंतर (बेस-लोड) बिजली उपलब्ध कराती है।

पुगा परियोजना का महत्वः

- पुगा घाटी परियोजना भारत की पहली प्रदर्शन-स्तरीय भू-तापीय विद्युत परियोजना है। इंजीनियरों ने 400 मीटर की गहराई पर लगभग 135°C तापमान दर्ज किया, जो भू-तापीय ऊर्जा की आशाजनक संभावनाओं को दर्शाता है।
- इस परियोजना से भू-तापीय जलाशयों के मूल्यांकन, व्यावसायिक भू-तापीय अन्वेषण तथा उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में ड्रिलिंग की स्वदेशी विशेषज्ञता के विकास में सहायता मिलने की उम्मीद है।
- यह पहल लद्दाख की ऊर्जा सुरक्षा को भी सुदृढ़ करती है, डीज़ल आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता कम करती है तथा लद्दाख को कार्बन-न्यूट्रल क्षेत्र बनाने की परिकल्पना को समर्थन देती है।

भू-तापीय ऊर्जा के लाभः

- ऊर्जा का नवीकरणीय एवं सतत स्रोत।
- जीवाश्म ईंधनों की तुलना में ग्रीनहाउस गैसों का कम उत्सर्जन।
- 24×7 निर्बाध बिजली उपलब्ध कराती है।
- अन्य अनेक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अपेक्षाकृत कम भूमि की आवश्यकता होती है।
- लद्दाख जैसे दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त।

चुनौतियाँः

अपने लाभों के बावजूद, भू-तापीय ऊर्जा के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं:

- अन्वेषण एवं ड्रिलिंग की उच्च लागत।
- आर्थिक रूप से व्यवहार्य भू-तापीय जलाशयों की सीमित उपलब्धता।
- कठिन भू-भाग और अत्यधिक जलवायु परिस्थितियों के कारण तकनीकी चुनौतियाँ।
- उन्नत ड्रिलिंग तकनीक और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता।

आगे की राहः

- भारत को भू-तापीय संसाधनों के मानचित्रण में तेजी लानी चाहिए, सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, भू-तापीय ऊर्जा के लिए समर्पित नीतियाँ विकसित करनी चाहिए तथा ड्रिलिंग तकनीकों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- सौर और पवन ऊर्जा के साथ भू-तापीय ऊर्जा का एकीकरण ऊर्जा की विश्वसनीयता बढ़ा सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में

विविधता ला सकता है।

निष्कर्ष:

पुगा घाटी में भारत के पहले गहरे भू-तापीय कुओं का शुभारंभ देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। बिजली उत्पादन से आगे बढ़कर यह परियोजना भारत की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करती है, ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करती है तथा सतत विकास में योगदान देती है। यदि इसे सफलतापूर्वक बड़े पैमाने पर विकसित किया गया, तो भू-तापीय ऊर्जा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक बन सकती है और देश के दीर्घकालिक जलवायु एवं ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs)

संदर्भ:

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) ने 23.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल केमिकल्स मॉनिटरिंग प्रोग्राम (GCMP) का शुभारंभ किया है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य खतरनाक रसायनों की वैश्विक निगरानी को सुदृढ़ करना तथा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन और पारे (Mercury) पर मिनामाटा कन्वेंशन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है।
- यह पहल देशों को रासायनिक निगरानी में सुधार करने, विश्वसनीय पर्यावरणीय आँकड़े तैयार करने तथा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयासों को सशक्त बनाने में सहायता करेगी।

स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POPs) क्या हैं?

- स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (Persistent Organic Pollutants - POPs) विषैले, कार्बन-आधारित, मानव-निर्मित रासायनिक पदार्थ हैं, जो पर्यावरण में अपघटन (Degradation) का प्रतिरोध करते हैं और कई वर्षों तक पर्यावरण में बने रहते हैं। अपनी स्थायित्व (Persistence) के कारण ये वायु, जल और मिट्टी के माध्यम से लंबी दूरी तक फैल जाते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाते हैं। POPs जीवित जीवों में एकत्रित हो जाते हैं तथा खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों पर इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न होते हैं।

POPs की प्रमुख विशेषताएँ:

- स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुसार, POPs में चार प्रमुख विशेषताएँ होती हैं:
  - **स्थायित्व (Persistence):** ये अत्यधिक लंबे समय तक बिना टूटे बने रहते हैं।
  - **लंबी दूरी तक पर्यावरणीय परिवहन (Long-range Environmental Transport):** ये वायु, जल और मिट्टी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में फैलते हैं।
  - **जैव-संचयन (Bioaccumulation):** ये जीवित जीवों के वसायुक्त ऊतकों (Fatty Tissues) में एकत्रित हो जाते हैं।
  - **विषाक्तता (Toxicity):** कम सांद्रता में भी ये मनुष्यों, वन्यजीवों और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय प्रभाव:

- POPs अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जिनमें कैंसर, एलर्जी, प्रजनन संबंधी विकार, प्रतिरक्षा तंत्र का दमन तथा केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र को क्षति शामिल हैं।

- अनेक POPs अंतःस्रावी व्यवधानकारी (Endocrine Disruptors) के रूप में भी कार्य करते हैं, जो हार्मोन प्रणाली में हस्तक्षेप कर प्रजनन, भ्रूण विकास तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं।
- जैव-वृद्धि (Biomagnification) की प्रक्रिया के कारण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर (Trophic Level) पर POPs की सांद्रता बढ़ती जाती है, जिससे शीर्ष शिकारी, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।

POPs के सामान्य उदाहरण:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, प्रमुख POPs में ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक जैसे DDT, औद्योगिक रसायन जैसे पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (PCBs) तथा अनपेक्षित औद्योगिक उप-उत्पाद जैसे डाइऑक्सिन्स (PCDDs) और फ्यूरान्स (PCDFs) शामिल हैं। ये रसायन कीटनाशकों, औद्योगिक उत्पादन, अपशिष्ट दहन (Waste Incineration) तथा अन्य विनिर्माण गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं।

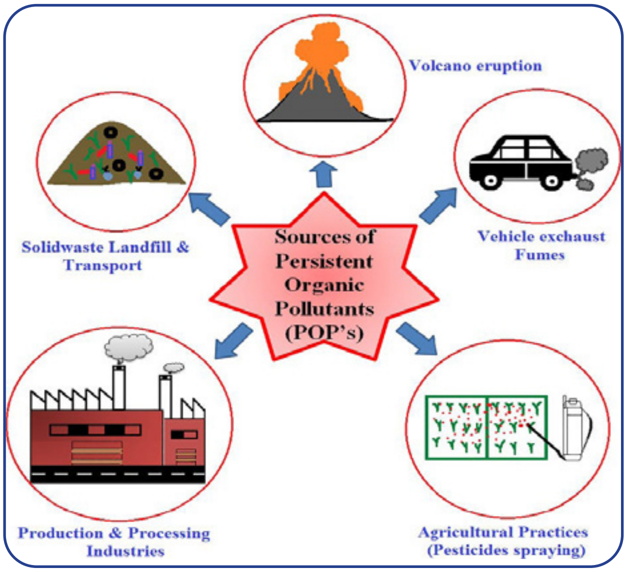

POPs पर स्टॉकहोम कन्वेंशन:

- स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसे 2001 में अपनाया गया और 2004 से लागू किया गया, एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य POPs के उत्पादन, उपयोग और उत्सर्जन को समाप्त या सीमित करके मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है।
- यह कन्वेंशन POPs युक्त अपशिष्टों के पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन और निपटान को भी बढ़ावा देता है। भारत इस कन्वेंशन का एक पक्षकार (Party) है और सूचीबद्ध कई POPs के विनियमन हेतु आवश्यक कदम उठा चुका है।

GCMP का महत्व:

- नव प्रारंभ किया गया ग्लोबल केमिकल्स मॉनिटरिंग प्रोग्राम (GCMP) राष्ट्रीय निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करेगा, वैज्ञानिक आँकड़ों के संग्रह में सुधार करेगा तथा देशों को वैश्विक पर्यावरणीय संधियों के अनुपालन का आकलन करने में सहायता प्रदान करेगा।
- यह कार्यक्रम रसायन प्रबंधन में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा तथा सतत विकास और प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण की प्राप्ति में योगदान देगा।

निष्कर्ष:

स्टॉकहोम कन्वेंशन का प्रभावी क्रियान्वयन तथा GCMP जैसी पहलें POPs से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र पर मसौदा अधिसूचना पुनः जारी

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area-ESA) घोषित करने संबंधी मसौदा अधिसूचना को सातवीं बार पुनः जारी किया है। इससे पहले जारी मसौदा जुलाई 2026 में समाप्त हो गया था।

मसौदा अधिसूचना क्या है?

- इस मसौदा अधिसूचना का उद्देश्य विश्व के सबसे समृद्ध जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित कर उनका संरक्षण करना है।
- अधिसूचना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद:
  - » खनन, पत्थर उत्खनन, रेत खनन, नए ताप विद्युत संयंत्र, रेड कैटेगरी के प्रदूषणकारी उद्योग और बड़ी निर्माण परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
  - » जलविद्युत परियोजनाओं और बुनियादी ढाँचा विकास जैसी गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा।
  - » कृषि, बागान, बागवानी, जैविक खेती और अन्य सतत

आजीविका गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति होगी।

- नवीनतम मसौदा अधिसूचना पर आम जनता से आपत्तियाँ और सुझाव प्राप्त करने के लिए 60 दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार अंतिम अधिसूचना जारी करने पर विचार करेगी।
- इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कुल 56,825.7 वर्ग किमी क्षेत्र को ESA के रूप में प्रस्तावित किया गया है। यह पारिस्थितिक संरक्षण और राज्यों की विकास संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने के केंद्र सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

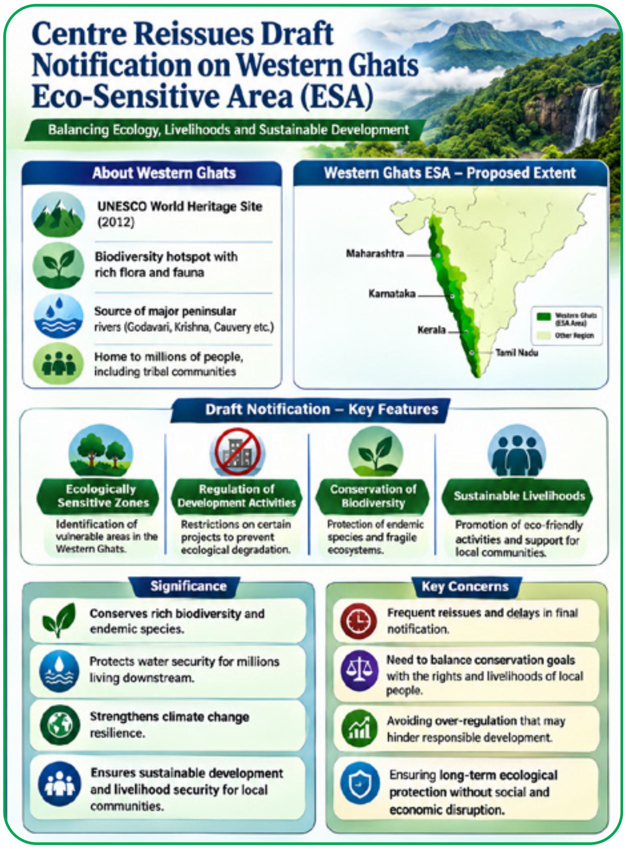

प्रस्तावित ESA का विस्तार:

- पश्चिमी घाट के छह राज्यों में प्रस्तावित 56,825.7 वर्ग किमी ESA का वितरण निम्नलिखित है:
  - » **कर्नाटक:** 20,668 वर्ग किमी
  - » **महाराष्ट्र:** 17,340 वर्ग किमी
  - » **केरल:** 9,993.7 वर्ग किमी
  - » **तमिलनाडु:** 6,914 वर्ग किमी
  - » **गोवा:** 1,461 वर्ग किमी
  - » **गुजरात:** 449 वर्ग किमी
- इन क्षेत्रों का निर्धारण मुख्य रूप से कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। हालाँकि, राज्यों के साथ परामर्श के बाद इनमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESA) क्या है?

- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area-ESA), जिसे इको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive Zone-ESZ) भी कहा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के आसपास अधिसूचित एक प्रकार का बफर क्षेत्र है।
- यह संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 'शॉक एब्जॉर्बर' की तरह कार्य करता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के लिए हानिकारक मानवीय गतिविधियों से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना है।

कानूनी एवं संस्थागत ढाँचा:

- **वैधानिक आधार:** ESA/ESZ को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(2)(v) तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
- **विस्तार:** सामान्यतः राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किमी तक का क्षेत्र इको-सेंसिटिव जोन के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। हालाँकि, पारिस्थितिक आवश्यकताओं और वन्यजीव गलियारों के आधार पर इसकी सीमा अलग-अलग हो सकती है।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश (2022):** सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास न्यूनतम 1 किमी का इको-सेंसिटिव जोन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जब तक कि किसी क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितियाँ इससे अलग व्यवस्था को उचित न ठहराएँ।

पश्चिमी घाट के बारे में:

- पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्रि पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, गुजरात में ताप्ती नदी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक लगभग 1,600 किमी में फैला हुआ है और छह राज्यों से होकर गुजरता है।
- इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएँ हैं:
  - » यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (UNESCO World Heritage Site) है।
  - » यह विश्व के आठ सबसे महत्त्वपूर्ण 'हॉटस्पॉट' जैव विविधता

हॉटस्पॉट में से एक है।
- » यहाँ लायन-टेल्ड मकाक (सिंह-पूंछ मकाक) और नीलगिरि तहर जैसी अनेक स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- » गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सहित प्रायद्वीपीय भारत की कई प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है।
- » यह दक्षिण-पश्चिम मानसून के नियमन और भारत की जल सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- हालाँकि, पश्चिमी घाट को खनन, वनों की कटाई, बागानों के विस्तार, शहरीकरण और बुनियादी ढाँचा विकास जैसी गतिविधियों से लगातार खतरा बढ़ रहा है।

पश्चिमी घाट से संबंधित प्रमुख समितियाँ:

- **माधव गाडगिल समिति (WGEEP), 2011**
  - » समिति ने संपूर्ण पश्चिमी घाट के लगभग 1,29,037 वर्ग किमी क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की।
  - » इसने पश्चिमी घाट को तीन पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित कर अलग-अलग स्तर के संरक्षण का प्रस्ताव दिया।
  - » खनन, बाँधों और उद्योगों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।
  - » पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (Western Ghats Ecology Authority) स्थापित करने का सुझाव दिया।
  - » अत्यधिक प्रतिबंधात्मक माने जाने के कारण इसकी सिफारिशों को राज्यों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा।
- **कस्तूरीरंगन समिति (HLWG), 2013**
  - » समिति ने अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए पश्चिमी घाट के केवल 37% क्षेत्र, अर्थात् लगभग 56,825–60,000 वर्ग किमी प्राकृतिक भू-दृश्य, को ESA घोषित करने की सिफारिश की।
  - » इसने प्राकृतिक भू-दृश्य (Natural Landscape) और सांस्कृतिक भू-दृश्य (Cultural Landscape) जैसे गाँवों एवं बागानों के बीच अंतर किया।
  - » खनन, पत्थर उत्खनन और प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया, जबकि कृषि और बागान गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति देने की सिफारिश की।
  - » वर्तमान मसौदा अधिसूचना मुख्य रूप से इसी समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
- **संजय कुमार समिति (2022)**
  - » इस समिति का गठन राज्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की समीक्षा के लिए किया गया।
  - » यह ESA को अंतिम रूप देने से पहले ग्राम-वार सीमाओं की समीक्षा और क्षेत्रीय सत्यापन से संबंधित कार्य कर रही है।

महत्त्व:

- प्रस्तावित ESA अधिसूचना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के बीच संतुलन बनाना है। पश्चिमी घाट की सुरक्षा जैव-विविधता संरक्षण, जलवायु के प्रति लचीलापन, जल सुरक्षा, पारिस्थितिक जुड़ाव और इंसान-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही, राज्यों के साथ निरंतर परामर्श पर्यावरणीय शासन में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) के महत्त्व को भी रेखांकित करता है।

निष्कर्ष:

पश्चिमी घाट ESA संबंधी मसौदा अधिसूचना का बार-बार पुनः जारी होना पारिस्थितिक संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती को दर्शाता है। विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण इस पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों की सतत आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित, सहभागी और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (EPI) 2026

संदर्भ:

हाल ही में पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (Environmental Performance Index–EPI) 2026 जारी किया गया, जिसमें 177 देशों में भारत की 176वीं रैंकिंग है।

पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (EPI) क्या है?

- पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक (EPI) एक द्विवार्षिक (हर दो वर्ष में प्रकाशित होने वाला), डेटा-आधारित मूल्यांकन है, जिसे येल सेंटर फॉर एनवायरनमेंटल लॉ एंड पॉलिसी (YCELP), सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क (CIESIN), कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा येल सेंटर फॉर जियोस्पेशियल सॉल्यूशंस द्वारा मैककॉल मैकबेन फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह देशों के पर्यावरणीय प्रदर्शन की तुलना करने के लिए एक वैज्ञानिक रूपरेखा प्रदान करता है तथा नीति-निर्माताओं को उनकी

शक्तियों, कमजोरियों और नीति-हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करता है।

पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 की प्रमुख विशेषताएँ:

- वर्ष 2026 के संस्करण में 177 देशों का मूल्यांकन 47 संकेतकों के आधार पर किया गया है, जिन्हें 12 विषयगत श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये तीन व्यापक नीतिगत उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं-
  - » पर्यावरणीय स्वास्थ्य (Environmental Health)
  - » पारिस्थितिकी तंत्र की सुदृढ़ता (Ecosystem Vitality)
  - » जलवायु परिवर्तन शमन (Climate Change Mitigation)
- इन संकेतकों के माध्यम से वायु गुणवत्ता, जल संसाधन, स्वच्छता, जैव विविधता संरक्षण, सतत वानिकी, मत्स्य पालन, कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। EPI वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए एक वस्तुनिष्ठ स्कोरकार्ड के रूप में कार्य करता है।

प्रमुख निष्कर्ष:

- EPI 2026 आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय प्रदर्शन के बीच एक मजबूत संबंध को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रीय आय और EPI स्कोर के बीच 0.69 का सहसंबंध गुणांक पाया गया है। हालांकि, प्रभावी शासन व्यवस्था कई मध्यम-आय वाले देशों को अधिक समृद्ध देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाती है।
- शीर्ष पाँच देश हैं:
  - » एस्टोनिया
  - » लक्ज़मबर्ग
  - » यूनाइटेड किंगडम
  - » फ़िनलैंड
  - » नीदरलैंड
  - » लाओस 21.78 अंकों के साथ अंतिम स्थान पर रहा।

भारत का प्रदर्शन:

- भारत ने 22.46 के कुल स्कोर के साथ 176वाँ स्थान प्राप्त किया, जो 31.81 के क्षेत्रीय औसत से काफी कम है। रिपोर्ट में प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों में वृक्ष आवरण की कमी जैसी चिंताओं को रेखांकित किया गया है, जो वनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव को दर्शाती हैं।
- यद्यपि भारत की रैंकिंग 2022 में 180 देशों में 180वें स्थान से सुधरकर 2026 में 176वें स्थान पर पहुँची है, फिर भी उसका पर्यावरणीय प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर सबसे कमजोर देशों में बना हुआ है।

निष्कर्ष:

पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक 2026 सतत विकास की प्राप्ति में साक्ष्य-आधारित पर्यावरणीय शासन के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है। यद्यपि भारत की निम्न रैंकिंग ने सूचकांक की कार्यप्रणाली को लेकर बहस को पुनः तेज कर दिया है, फिर भी यह पर्यावरणीय डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ करने, पारिस्थितिक संरक्षण में सुधार करने तथा जलवायु संबंधी कार्यवाहियों में तेजी लाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

भारत ने कृषि में निर्जल अमोनिया के प्रत्यक्ष उपयोग को दी मंजूरी

संदर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत निर्जल अमोनिया (NH_3) के निर्माण एवं कृषि में प्रत्यक्ष उपयोग को 23 जुलाई 2026 से प्रारंभ तीन वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु:

- कृषि उपयोग के लिए कम-से-कम 82% नाइट्रोजन युक्त निर्जल अमोनिया को मंजूरी दी गई है।
- पारंपरिक यूरिया में केवल 46% नाइट्रोजन होती है, जबकि निर्जल अमोनिया अधिक सघन (Concentrated) नाइट्रोजन स्रोत है।
- भारत प्रतिवर्ष लगभग 300 लाख टन यूरिया का उत्पादन करता है, फिर भी घरेलू मांग पूरी करने के लिए लगभग 100 लाख टन यूरिया का आयात करता है।
- यह नीति भारत के ग्रीन अमोनिया और ग्रीन यूरिया को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है।

- इसका उद्देश्य आयातित यूरिया पर निर्भरता कम करना, नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (Nitrogen Use Efficiency - NUE) बढ़ाना तथा ग्रीन अमोनिया को टिकाऊ उर्वरक के रूप में प्रोत्साहित करना है।
- यदि यह पहल सफल रहती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद कृषि में निर्जल अमोनिया का प्रत्यक्ष उपयोग करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा।

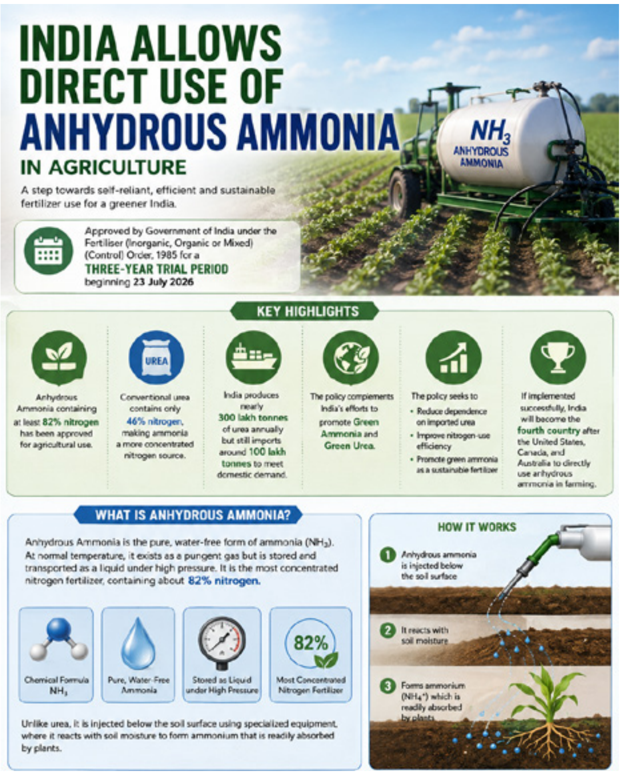

निर्जल अमोनिया क्या है?

- निर्जल अमोनिया, अमोनिया (NH_3) का शुद्ध एवं जल-रहित रूप है। सामान्य तापमान पर यह तीव्र गंध वाली गैस होती है, लेकिन उच्च दाब (High Pressure) में इसे द्रव (Liquid) के रूप में संग्रहित एवं परिवहन किया जाता है।
- यह सबसे अधिक सघन नाइट्रोजन उर्वरक है, जिसमें लगभग 82% नाइट्रोजन होती है। यूरिया के विपरीत इसे विशेष उपकरणों की सहायता से मिट्टी की सतह के नीचे इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ यह मिट्टी की नमी के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम बनाता है, जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं।

महत्व:

- इस स्वीकृति से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
   - » उच्च नाइट्रोजन उपयोग दक्षता (Nitrogen Use Efficiency - NUE)।
   - » आयातित यूरिया एवं प्राकृतिक गैस पर निर्भरता में कमी, जिससे उर्वरक सुरक्षा मजबूत होगी।
   - » यूरिया उत्पादन लागत घटने से उर्वरक सब्सिडी का बोझ कम होगा।
   - » राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (National Green Hydrogen Mission) को ग्रीन अमोनिया के उत्पादन एवं उपयोग के माध्यम से बढ़ावा मिलेगा।
   - » सतत कृषि (Sustainable Agriculture) को प्रोत्साहन मिलेगा तथा आत्मनिर्भर भारत के उर्वरक क्षेत्र के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।

चुनौतियाँ:

हालाँकि इसके अनेक लाभ हैं, लेकिन व्यापक स्तर पर अपनाने में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं:

- **अवसंरचना (Infrastructure) की कमी:** भारत में पर्याप्त भंडारण, परिवहन एवं अमोनिया इंजेक्शन उपकरण उपलब्ध नहीं हैं।
- **सुरक्षा जोखिम:** निर्जल अमोनिया एक विषैली एवं संक्षारक (Corrosive) गैस है, जिसके सुरक्षित उपयोग के लिए कठोर सुरक्षा मानकों की आवश्यकता होती है।
- **जटिल उपयोग प्रक्रिया:** यूरिया की तरह इसे सीधे नहीं डाला जा सकता; इसे मिट्टी के भीतर इंजेक्ट करना आवश्यक होता है।
- **छोटे एवं बिखरे हुए कृषि जोत:** भारत में छोटे खेत होने के कारण साझा मशीनरी एवं संस्थागत सहयोग के बिना इसका उपयोग कठिन हो सकता है।
- **उच्च निवेश लागत:** बड़े स्तर के ग्रीन अमोनिया संयंत्र की स्थापना के लिए लगभग ₹13,000–15,000 करोड़ का निवेश आवश्यक है।

निष्कर्ष:

निर्जल अमोनिया को मंजूरी भारत की उर्वरक नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है। यह निर्णय नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाने, यूरिया आयात पर निर्भरता कम करने तथा ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इसकी सफलता मजबूत अवसंरचना, प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा किसानों में व्यापक जागरूकता पर निर्भर करेगी, जिससे इसका सुरक्षित, टिकाऊ एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मिशन आगमन: भारत की निजी कक्षीय उड़ान का नया अध्याय

संदर्भ:

हाल ही में हैदराबाद स्थित स्पेस-टेक स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने अपने पहले पूर्ण-परिक्रमा निजी रॉकेट 'विक्रम-1' (Vikram-1) का सफल प्रक्षेपण किया। 'मिशन आगमन' (Mission Aagaman) के तहत किया गया यह प्रक्षेपण केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष बाजार में एक स्थान बनाने के लिए तैयार है।

अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है, जहां निजी क्षेत्र के पास पूर्ण कक्षीय प्रक्षेपण (Orbital Launch) की क्षमता है। यह घटनाक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की पारंपरिक भूमिका में बदलाव और निजी उद्यमशीलता के उभार के बीच एक आदर्श संतुलन को दर्शाता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 'प्रारंभ' से 'आगमन' तक का सफर

भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की यात्रा एक सुनियोजित चरणबद्ध विकास रहा है:

- **नवंबर 2022 (मिशन प्रारंभ):** स्काईरूट ने भारत का पहला निजी उप-कक्षीय (Sub-orbital) रॉकेट 'विक्रम-एस' (Vikram-S) लॉन्च किया था। यह केवल एक तकनीकी प्रदर्शन (Technology Demonstrator) था, जिसने साबित किया कि निजी क्षेत्र के पास रॉकेट बनाने की बुनियादी क्षमता है।
- **वर्तमान चरण (मिशन आगमन):** विक्रम-1 का प्रक्षेपण एक पूर्ण कक्षीय मिशन है। उप-कक्षीय और कक्षीय मिशन में जमीन-आसमान का अंतर होता है। उप-कक्षीय मिशन अंतरिक्ष की सीमा

(कार्मैन रेखा) को छूकर वापस आ जाता है, जबकि कक्षीय मिशन में प्रक्षेपण यान को उपग्रह को आवश्यक ऊँचाई तक पहुँचाने के साथ पर्याप्त क्षैतिज वेग प्रदान करना होता है, ताकि वह पृथ्वी के

चारों ओर स्थिर कक्षा में स्थापित हो सके। LEO में यह कक्षीय वेग सामान्यतः लगभग 7.8 km/s के आसपास होता है। विक्रम-1 ने इस जटिल चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया है।

विक्रम-1 रॉकेट: तकनीकी विशेषताएं और क्षमताएं

- सामान्यतः पृथ्वी की सतह से लगभग 2,000 किलोमीटर तक की ऊँचाई वाले क्षेत्र को Low Earth Orbit (LEO) कहा जाता है। विक्रम-1 का डिजाइन आधुनिक इंजीनियरिंग और लागत-प्रभावी (Cost-effective) तकनीकों का अनूठा मिश्रण है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
  - **बहु-चरणीय ईंधन प्रणाली:** यह एक बहु-चरणीय (Multi-stage) प्रक्षेपण यान है जो मुख्य रूप से ठोस ईंधन (Solid Fuel) द्वारा संचालित होता है, जबकि इसके अंतिम चरण में तरल ईंधन (Liquid Fuel) का उपयोग किया जाता है। यह संयोजन रॉकेट को उच्च सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है।
  - **अत्याधुनिक निर्माण सामग्री:** रॉकेट के ढांचे में पूरी तरह से कार्बन फाइबर कंपोजिट (Carbon Fiber Composites) का उपयोग किया गया है। यह सामग्री स्टील या एल्युमिनियम की तुलना में बेहद हल्की और कई गुना मजबूत होती है, जिससे रॉकेट की पेलोड ले जाने की दक्षता बढ़ जाती है।
  - **उन्नत विनिर्माण तकनीक:** स्काईरूट ने रॉकेट इंजन एवं संबंधित प्रणालियों के निर्माण में 3डी-प्रिंटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया है। इससे कॉम्पोनेन्ट की संख्या, निर्माण समय और संभावित लागत को कम करने में सहायता मिलती है।
  - **पेलोड क्षमता और लक्षित कक्षा:** यह रॉकेट लगभग 300 kg से 500 kg तक के पेलोड (उपग्रहों) को पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit - LEO) में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मुख्य रूप से नैनो और माइक्रो-सैटेलाइट्स के बाजार को लक्षित करता है।

नीति सुधार और ढांचा:

- **अंतरिक्ष क्षेत्र का उदारीकरण (2020):** वर्ष 2020 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला। सुधारों का उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाते हुए इसरो को उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान एवं विकास तथा रणनीतिक और वैज्ञानिक मिशनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना है। मार्च 2026 तक भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश $618.5 मिलियन से अधिक हो चुका है।
- **इन-स्पेस (IN-SPACe) की स्थापना:** 'भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र' (IN-SPACe) को एक एकल-खिड़की (Single-window) नियामक संस्था के रूप में गठित किया गया। इसने निजी कंपनियों को इसरो की विश्वस्तरीय सुविधाओं (जैसे श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड, परीक्षण केंद्र) का उपयोग करने की अनुमति दी।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** इस नीति ने निजी संस्थाओं (Non-Government Entities - NGEs) की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। नीति के तहत निजी क्षेत्र को एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों (रॉकेट निर्माण, उपग्रह संचालन, डेटा रिसेप्शन) की छूट दी गई।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में उपग्रह निर्माण, लॉन्च वाहनों और घटकों के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाया, जिससे वैश्विक पूंजी का भारत आना आसान हुआ।

वैश्विक लघु उपग्रह बाजार (Small Satellite Market) और भारत:

- वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग 400-500 बिलियन डॉलर की है, जिसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% के आसपास है। भारत सरकार का लक्ष्य इसे अगले दशक में 10% तक ले जाना है। विक्रम-1 इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:
  - **'लॉन्च ऑन डिमांड' की बढ़ती मांग:** दुनिया भर में इंटरनेट (जैसे स्टारलिंक, वनवेब), कृषि निगरानी, और आपदा प्रबंधन के लिए छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। बड़े रॉकेट (जैसे GSLV या Falcon 9) इन छोटे उपग्रहों के लिए महंगे और समय लेने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े पेलोड के साथ 'राइडशेयर' का इंतजार करना पड़ता है।
  - **लागत प्रभावशीलता (Cost Efficiency):** विक्रम-1 जैसे छोटे और समर्पित रॉकेट दुनिया भर के स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों को बहुत कम कीमत पर और तुरंत (On-Demand) उपग्रह लॉन्च करने की सुविधा देते हैं।

» **मास प्रोडक्शन की क्षमता:** इन रॉकेटों को असेंबल करने में बेहद कम समय लगता है, जिससे कंपनियां साल में दर्जनों लॉन्च करने की क्षमता विकसित कर सकती हैं।

निजीकरण से देश को होने वाले लाभ:

- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से देश के समग्र रणनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को लाभ होगा:
  - » **इसरो का रणनीतिक फोकस:** वाणिज्यिक उपग्रहों को लॉन्च करने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर आने से इसरो अंतरिक्ष अभियानों (Deep Space Missions) जैसे गगनयान, चंद्रयान के आगामी चरण, शुक्रयान और मंगल मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा।
  - » **रिवर्स ब्रेन ड्रेन:** निजी स्पेस टेक इकोसिस्टम के विस्तार से भारतीय वैज्ञानिकों और एयरोस्पेस इंजीनियर के लिए देश के भीतर उच्च-तकनीकी रोजगार एवं उद्यमिता के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इससे प्रतिभा पलायन को कम करने तथा वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं को वापस आकर्षित करने की संभावना बढ़ सकती है।
  - » **रोजगार और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र:** एक रॉकेट के निर्माण में सैकड़ों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) शामिल होते हैं। निजी अंतरिक्ष गतिविधियों के बढ़ने से भारत में एक मजबूत हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार होगा।

चुनौतियाँ:

- **अधिक पूंजी निवेश और उच्च जोखिम:** अंतरिक्ष क्षेत्र में विफलता की दर बहुत अधिक होती है। एक भी असफल लॉन्च स्टार्टअप्स के निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। निजी कंपनियों को दीर्घकालिक और निरंतर पूंजी (Patient Capital) की आवश्यकता होती है।
- **बीमा और नागरिक दायित्व (Insurance & Liability):** यदि अंतरिक्ष में कोई दुर्घटना होती है या कोई उपग्रह किसी अन्य देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो अंतरराष्ट्रीय संधियों (जैसे Liability Convention 1972) के तहत संप्रभु देश (भारत सरकार) जिम्मेदार होता है। निजी कंपनियों के लिए इसके कानूनी और बीमा ढांचे को अभी और सुदृढ़ करना बाकी है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** अमेरिकी कंपनियां जैसे स्पेसएक्स (SpaceX) और रॉकेट लैब (Rocket Lab) इस बाजार में पहले से ही बहुत आगे हैं। उनकी स्थापित विश्वसनीयता और कम लागत से मुकाबला करना भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।
- **स्पेस मलबे (Space Debris) की समस्या:** कम पृथ्वी कक्षा (LEO) में हजारों छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण से मलबे की समस्या गंभीर हो रही है, जो भविष्य के मिशनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है।

आगे की राह:

- **सॉवरेन फन्डिंग और एंकर कस्टमर:** अमेरिकी सरकार (नासा) स्पेसएक्स की शुरुआती दिनों में सबसे बड़ी ग्राहक थी। इसी तरह, भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय (Defence Space Agency) को इन घरेलू निजी कंपनियों को 'एंकर कस्टमर' के रूप में सरकारी प्रोजेक्ट्स देने चाहिए ताकि उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** इसरो को अपनी पुरानी लेकिन विश्वसनीय तकनीकों (जैसे PSLV की कुछ तकनीकें) को निजी उद्योगों को पूरी तरह से सौंप देना चाहिए, ताकि वे इसके वाणिज्यिक संस्करण का उत्पादन कर सकें।
- **अंतरिक्ष कानून:** भारत को एक व्यापक घरेलू अंतरिक्ष कानून की आवश्यकता है जो निजी ऑपरेटरों के लिए दायित्व, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) और सुरक्षा मानकों को स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध करे।

निष्कर्ष:

'विक्रम-1' का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक ऐतिहासिक मोड़ है। भारत में अब एक ऐसा अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र आकार ले रहा है जहाँ सरकार, इसरो, निजी उद्योग, स्टार्टअप्स, निवेशक और शैक्षणिक संस्थान मिलकर काम कर सकते हैं। "मिशन आगमन" ने यह साबित कर दिया है कि सार्वजनिक नीतियों का सही सहयोग और निजी क्षेत्र की नवाचार क्षमता मिलकर भारत को अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (Space Economy) के शिखर पर पहुंचा सकती है।

झींगे (श्रिम्प) में व्हाइट गट बीमारी

संदर्भ:

हाल ही में आंध्र प्रदेश मत्स्य विभाग ने झींगा (श्रिम्प) फार्मों में व्हाइट गट डिजीज (White Gut Disease-WGD), जिसे व्हाइट फीसेज़ डिजीज (White Feces Disease-WFD) भी कहा जाता है, के प्रकोप को लेकर एक चेतावनी जारी की है।

व्हाइट गट डिजीज (WGD) क्या है?

- व्हाइट गट डिजीज (WGD) अथवा व्हाइट फीसेज़ डिजीज (WFD) संवर्धित (फार्म-आधारित) झींगों, विशेषकर पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प (Litopenaeus vannamei), को प्रभावित करने वाला एक गंभीर स्वास्थ्य विकार है।
- इस रोग की प्रमुख पहचान तालाबों में तैरते हुए सफेद मल-तंतु (White Fecal Strings) का दिखाई देना है, जो झींगों के खराब आंत (गट) स्वास्थ्य का संकेत है।
- यह एक बहु-कारकीय (Multifactorial) रोग है, अर्थात यह किसी एक संक्रामक रोगजनक के कारण नहीं होता, बल्कि रोगजनकों, खराब जल गुणवत्ता, तनाव तथा अपर्याप्त फार्म प्रबंधन जैसे अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से उत्पन्न होता है।

लक्षण:

- व्हाइट गट डिजीज (WGD) से प्रभावित झींगों में निम्नलिखित प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं:
  - » भोजन की मात्रा में कमी तथा भूख समाप्त होना।
  - » वृद्धि रुक जाना तथा वजन में अपेक्षित बढ़ोतरी न होना।
  - » भूरी अथवा क्षतिग्रस्त आंत तथा सफेद मल-तंतु का दिखाई देना।
  - » खोल (Shell) का मुलायम या ढीला हो जाना।
  - » जीवित रहने की दर में कमी तथा उत्पादन घट जाना।
- यदि समय रहते उचित प्रबंधन नहीं किया जाए, तो यह रोग झींगा किसानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुँचा सकता है।

रोकथाम के उपाय:

किसानों को निम्नलिखित उपाय अपनाने की सलाह दी गई है:

- तालाब की स्वच्छता तथा जल गुणवत्ता बनाए रखें।
- कठोर जैव-सुरक्षा (Biosecurity) उपायों का पालन करें।
- प्रमाणित, रोग-मुक्त झींगा बीज (Seed) तथा गुणवत्तापूर्ण चारा (Feed) का उपयोग करें।
- झींगों के स्वास्थ्य एवं जल गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें।
- किसी भी असामान्य लक्षण की सूचना शीघ्रातिशीघ्र मत्स्य विभाग के अधिकारियों को दें।

संस्थागत सहयोग:

- राज्य सरकार निम्नलिखित संस्थानों के सहयोग से रोग की निगरानी, रोग सर्विलांस को सुदृढ़ करने तथा किसानों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही है:
  - » समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA)
  - » आईसीएआर–केंद्रीय खारे जल जलीय कृषि संस्थान (ICAR-CIBA)
  - » आईसीएआर–राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBFGR)
  - » राज्य मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान (SIFT)
  - » आंध्र प्रदेश मत्स्य विश्वविद्यालय
  - » राष्ट्रीय जलीय पशु रोग निगरानी कार्यक्रम (NASPAAD)

भारत में झींगा (श्रिम्प) पालन:

- झींगा पालन भारत की कृषि निर्यात अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प (Litopenaeus vannamei) देश के कुल झींगा उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा है।
- भारत विश्व के सबसे बड़े संवर्धित झींगा निर्यातकों में से एक है, जिसमें आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय झींगा उत्पादन एवं निर्यात में सर्वाधिक योगदान देता है। यह क्षेत्र लाखों किसानों, श्रमिकों तथा इससे जुड़े सहायक उद्योगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है।
- हालाँकि निर्यात के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता के बावजूद उद्योग कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें रोगों का प्रकोप, आयातित ब्रूडस्टॉक (प्रजनन हेतु मूल झींगा) पर निर्भरता, वैश्विक मांग में उतार-चढ़ाव, टैरिफ संबंधी अनिश्चितताएँ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ एवं जापान जैसे प्रमुख निर्यात बाजारों द्वारा लागू कठोर खाद्य सुरक्षा एवं ट्रेसबिलिटी (उत्पाद की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने की क्षमता) मानक शामिल हैं।

प्रमुख सरकारी पहल:

- भारत में सतत जलीय कृषि को बढ़ावा देने तथा झींगा क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं:
  - » **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** यह मत्स्य

क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक प्रमुख योजना है, जिसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले झींगा उत्पादन, कटाई के बाद की अवसंरचना, कोल्ड-चेन विकास, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग तथा क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाता है।

» **मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में सतत जलीय कृषि (SAIME):** यह एक सामुदायिक आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण-अनुकूल झींगा पालन को मैंग्रोव संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के साथ जोड़ना है। इसका विशेष फोकस पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र पर है।
» **शाफारी (SHAPHARI) प्रमाणन:** समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) द्वारा शुरू किया गया यह प्रमाणन सुनिश्चित करता है कि जलीय कृषि उत्पाद एंटीबायोटिक-मुक्त हों, उनकी ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित हो तथा उनका उत्पादन अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप किया गया हो। इससे वैश्विक बाजारों तक पहुँच आसान होती है और उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है।
» **न्यूक्लियर ब्रीडिंग केंद्र:** सरकार स्वदेशी, रोग-प्रतिरोधी झींगा ब्रूडस्टॉक विकसित करने के लिए न्यूक्लियर ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित कर रही है। इसका उद्देश्य आयातित एवं रोगजनक-प्रभावित ब्रूडस्टॉक पर निर्भरता कम करना तथा जैव-सुरक्षा को मजबूत बनाना है।

निष्कर्ष:

व्हाइट गट डिजीज का यह प्रकोप जलीय कृषि में जैव-सुरक्षा (Biosecurity), जलीय पशु स्वास्थ्य प्रबंधन तथा सतत मत्स्य पालन के महत्व को रेखांकित करता है। ये सभी खाद्य सुरक्षा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता तथा तटीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। साथ ही, यह रोग नियंत्रण, प्रभावी निगरानी तथा सुदृढ़ ब्लू इकोनॉमी (Blue Economy) को बढ़ावा देने में विभिन्न संस्थानों के समन्वित प्रयासों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है।

गगनयान मिशन: इसरो ने सफलतापूर्वक पूरा किया पहला SOLVE ग्राउंड टेस्ट

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) के स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी में सब-ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स (SOLVE) के ठोस (Solid) मोटर का पहला ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया। यह परीक्षण भारत के प्रमुख गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

SOLVE क्या है?

- SOLVE (Sub-Orbital Launch Vehicle for Experiments) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक विशेष ठोस मोटर परीक्षण वाहन (Solid Motor Test Vehicle) है। इसका उद्देश्य गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीकों का परीक्षण एवं सत्यापन करना है।
- यह विशेष रूप से क्रू मॉड्यूल (Crew Module) की एकीकृत पैराशूट प्रणाली तथा रिकवरी (Recovery) प्रक्रिया का वास्तविक उड़ान जैसी परिस्थितियों में परीक्षण करने के लिए विकसित किया गया है, ताकि मानवयुक्त मिशन से पहले इसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- SOLVE मिशन के दौरान मानव रहित (Uncrewed) क्रू मॉड्यूल को लगभग 10 से 17 किलोमीटर की ऊँचाई तक ले जाया जाता है। इसके बाद यह लॉन्च वाहन से अलग हो जाता है। फिर पूर्व निर्धारित क्रम में 10 पैराशूट खुलते हैं, जो मॉड्यूल की गति को धीरे-धीरे कम करते हैं और उसे सुरक्षित रूप से समुद्र में उतारते (Splashdown) हैं। इन परीक्षणों के माध्यम से मंदन (Deceleration) और रिकवरी प्रणाली की विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

परीक्षण का महत्व:

- SOLVE के सफल परीक्षण से क्रू मॉड्यूल की रिकवरी प्रणाली पर भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है, जो किसी भी मानव अंतरिक्ष मिशन का सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक होती है।
- यह परीक्षण इसरो को विभिन्न मिशन परिस्थितियों में कई प्रकार के योग्यता (Qualification) परीक्षण करने के लिए एक लचीला मंच उपलब्ध कराता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों के प्रक्षेपण से पहले संभावित जोखिमों को कम किया जा सकता है।
- हाल ही में किए गए इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट (IADT-02) और मिशन मित्र (Mission MITRA) जैसे परीक्षणों के साथ SOLVE का सफल परीक्षण इस बात का संकेत है कि भारत अपने पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है।

गगनयान मिशन के बारे में:

- गगनयान इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit) में अधिकतम सात दिनों के लिए भेजना तथा इसके बाद भारतीय समुद्री क्षेत्र में सुरक्षित स्प्लैशडाउन कराना है।
- इस मिशन का प्रक्षेपण ह्यूमन-रेटेड एलवीएम-3 (HLVM3) रॉकेट के माध्यम से किया जाएगा।
- इस अंतरिक्ष यान में निम्न प्रमुख घटक शामिल हैं:
  - » क्रू मॉड्यूल (Crew Module)
  - » सर्विस मॉड्यूल (Service Module)
  - » पर्यावरण नियंत्रण एवं जीवन समर्थन प्रणाली (Environmental Control and Life Support System-ECLSS)
  - » क्रू एस्केप सिस्टम (Crew Escape System-CES), जो आपातकालीन स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- मानवयुक्त मिशन से पहले इसरो कई मानव रहित उड़ानों का संचालन करेगा, जिनमें व्योममित्र (Vyommitra) नामक ह्यूमनॉइड रोबोट को भी भेजा जाएगा।
- गगनयान मिशन के लिए चयनित चार अंतरिक्ष यात्री हैं:
  - » ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर
  - » ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन
  - » ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप
  - » विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला

निष्कर्ष:

SOLVE का सफल ग्राउंड टेस्ट भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस परीक्षण ने मिशन की रिकवरी प्रणाली जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकों की विश्वसनीयता को प्रमाणित किया है, जिससे गगनयान मिशन की सुरक्षा और सफलता की संभावना और अधिक मजबूत हुई है। गगनयान कार्यक्रम न केवल भारत को स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में स्थापित करेगा, बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण अभियानों, उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास तथा स्वदेशी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को भी नई गति प्रदान करेगा।

दवा निर्माण क्षेत्र में आईआईटी बॉम्बे की नई खोज

सन्दर्भ:

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के रसायन विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने औषधि विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण खोज की है, जो भविष्य में दवाओं के निर्माण को अधिक तीव्र, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल (सस्टेनेबल) बनाएगी। यह शोध प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है।

नई खोज के विषय में:

- प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कई औषधीय और व्यावसायिक उत्पाद जटिल वलय (Ring-shaped) संरचनाओं वाले होते हैं। अब तक वैज्ञानिकों के लिए सरल और सीधे कार्बन यौगिकों (जैसे फैटी एसिड) को इन जटिल छल्लों में बदलना एक बेहद कठिन और लंबी प्रक्रिया थी।

- आईआईटी बॉम्बे की टीम ने एक विशेष उत्प्रेरक (Custom Chemical Entity) विकसित किया है। यह उत्प्रेरक लंबी कार्बन श्रृंखला में से एक विशिष्ट कार्बन परमाणु की पहचान करता है और पूरी श्रृंखला को एक वलय या छल्ले (Ring-shaped) में तब्दील कर देता है।
- इस रासायनिक प्रक्रिया को तकनीकी भाषा में "लिगैंड-इनेबल्ड डिस्टल डिसेचुरेटिव लैक्टोनाइजेशन" (Ligand-enabled distal desaturative lactonization) कहा जाता है। यह तकनीक एक ही चरण (Single-step) में जटिल अणुओं का निर्माण कर देती है।

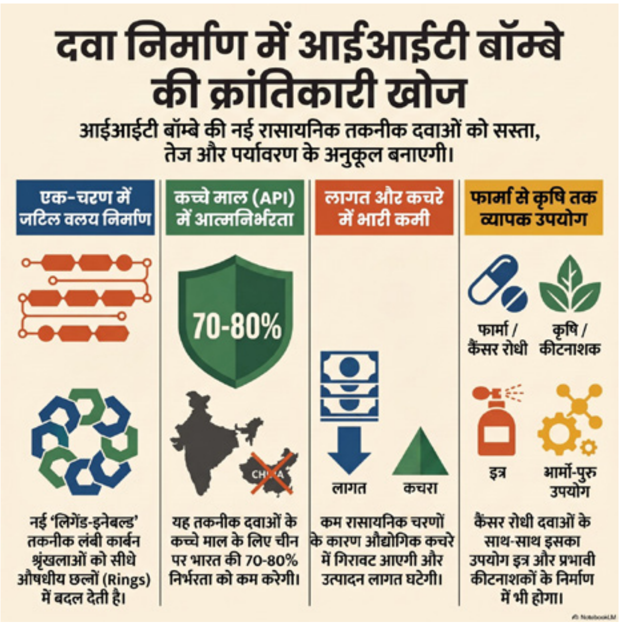

औद्योगिक अनुप्रयोग:

यह खोज केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग अत्यंत व्यापक हैं:

- **फार्मास्युटिकल उद्योग:** जटिल कैंसर रोधी यौगिकों (जैसे म्यूरीकाटासिन) और जीवन रक्षक दवाओं का निर्माण अब प्रयोगशाला में बहुत कम समय और लागत में किया जा सकेगा।
- **इत्र और सुगंध उद्योग (Perfumery):** कई प्राकृतिक सुगंधित यौगिकों की संरचना रिंग-आकार की होती है। इस तकनीक से महंगे इत्रों के कच्चे माल का कृत्रिम उत्पादन आसान हो जाएगा।
- **कृषि रसायन (Agrochemicals):** पर्यावरण के अनुकूल और लक्षित (Targeted) कीटनाशकों और उर्वरकों के निर्माण में यह सहायक होगी।
- **हरित रसायन विज्ञान (Green Chemistry):** रासायनिक चरणों की संख्या कम होने से औद्योगिक कचरे और हानिकारक सह-उत्पादों (By-products) के उत्सर्जन में भारी गिरावट आएगी।

खोज का महत्व:

- **फार्मा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता:** आईआईटी बॉम्बे की यह स्वदेशी तकनीक भारत को कच्चे माल (APIs) के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और चीन पर निर्भरता को कम करने में उपलब्धि साबित हो सकती है।
- **पारंपरिक चिकित्सा (Ayurveda) का आधुनिकीकरण:** भारत के पास समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान है। इस तकनीक की मदद से आयुर्वेद और प्राकृतिक जड़ी-बूटियों में मौजूद जटिल औषधीय तत्वों (Bioactive Molecules) को प्रयोगशाला में आसानी से सिंथेटिक रूप देकर आधुनिक दवाओं में बदला जा सकता है।
- **किफायती स्वास्थ्य सेवा (Affordable Healthcare):** दवाओं के निर्माण की लागत घटने से जीवन रक्षक दवाएं आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ और सस्ती हो सकेंगी, जो 'सतत विकास लक्ष्य-3' (Good Health and Well-being) को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारतीय फार्मा क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियाँ:

यद्यपि भारत को "दुनिया की फार्मेसी" कहा जाता है, लेकिन यह क्षेत्र कई गंभीर ढांचागत चुनौतियों से जूझ रहा है:

- **कच्चे माल (APIs) के लिए आयात पर निर्भरता:** भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन इनके निर्माण के लिए आवश्यक 'एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स' (APIs) के लिए वह आज भी 70-80% तक चीन पर निर्भर है।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश:** वैश्विक दिग्गजों की तुलना में भारतीय फार्मा कंपनियां नवीन दवाओं की खोज (New Drug Discovery) के बजाय जेनेरिक दवाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, क्योंकि R&D में भारी पूंजी और जोखिम की आवश्यकता होती है।
- **गुणवत्ता और नियामक बाधाएं:** अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (USFDA) जैसे वैश्विक नियामकों द्वारा भारतीय विनिर्माण संयंत्रों में गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन को लेकर अक्सर सख्त रुख अपनाया जाता है।
- **मूल्य नियंत्रण नीतियां:** सरकार द्वारा आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण (DPCO) रखने से कंपनियों के लाभ मार्जिन पर

असर पड़ता है, जिससे वे नए अनुसंधान में निवेश नहीं कर पातीं।

केंद्र सरकार ने पैराक्वाट पर लगाया प्रतिबंध

संदर्भ:

हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पैराक्वाट डाइक्लोराइड (Paraquat Dichloride) पर देशभर में प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। यह एक अत्यधिक विषैला खरपतवारनाशी (शाकनाशी) है, जो भारत में आत्महत्या, आकस्मिक विषाक्तता तथा हत्या के हजारों मामलों से जुड़ा रहा है।

पैराक्वाट क्या है?

- पैराक्वाट डाइक्लोराइड एक अचयनात्मक (Non-selective) तथा तीव्र प्रभाव वाला संपर्क शाकनाशी (Contact Herbicide) है, जिसका व्यापक रूप से खरपतवारों और घासों को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- इसका छिड़काव सामान्यतः फसल की कटाई के बाद खेतों को अगली बुवाई के लिए तैयार करने हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त कपास जैसी फसलों में कटाई से पहले पौधों को सुखाने (फसल शुष्कीकरण) के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
- पैराक्वाट मुक्त मूलकों (Free Radicals) का निर्माण करके पौधों की कोशिका झिल्लियों को क्षतिग्रस्त करता है तथा प्रकाश-संश्लेषण की प्रक्रिया को बाधित कर देता है, जिससे पौधे नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि मिट्टी के संपर्क में आने पर यह निष्क्रिय हो जाता है और मिट्टी में इसके अवशेष बहुत कम रहते हैं, फिर भी इसके उपयोग एवं संचालन के दौरान यह अत्यंत खतरनाक होता है।

पैराक्वाट पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

- पैराक्वाट कृषि में प्रयुक्त सबसे अधिक विषैले शाकनाशियों में से एक है। इसकी थोड़ी-सी मात्रा भी फेफड़ों को अपूरणीय क्षति, गुर्दों की विफलता, अनेक अंगों के काम करना बंद कर देने तथा मृत्यु का कारण बन सकती है। विशेष रूप से, पैराक्वाट विषाक्तता का कोई प्रभावी प्रतिविष (Antidote) उपलब्ध नहीं है।
- चिकित्सा विशेषज्ञों तथा जनस्वास्थ्य से जुड़े विशेषज्ञ लंबे समय से इस पर देशव्यापी प्रतिबंध की मांग कर रहे थे, क्योंकि यह आत्महत्या, आकस्मिक विषाक्तता तथा किसानों एवं कृषि श्रमिकों के व्यावसायिक संपर्क (Occupational Exposure) के अनेक मामलों के लिए उत्तरदायी रहा है।

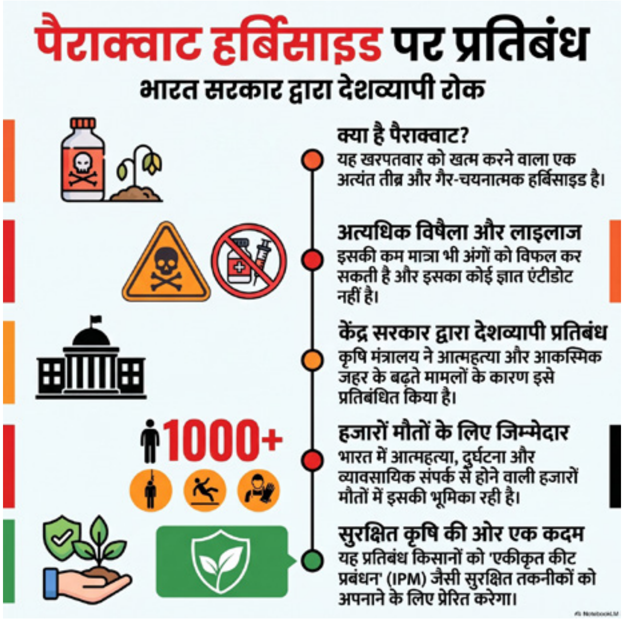

भारत में शाकनाशियों का विनियमन:

- भारत में शाकनाशियों का नियमन कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत किया जाता है। यह अधिनियम कीटनाशकों के आयात, निर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण तथा उपयोग को नियंत्रित करता है।
- किसी भी शाकनाशी को बाजार में बिक्री से पूर्व केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (CIB&RC) में पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
- नियामक व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए प्रस्तावित कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 (PMB) लाया गया है। इसका उद्देश्य 1968 के अधिनियम का स्थान लेना है। इसमें अधिक कठोर निगरानी, डिजिटल अनुरेखण (Digital Traceability), कीटनाशक विषाक्तता के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग तथा प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

केंद्र एवं राज्यों की नियामक शक्तियाँ:

- वर्तमान कानून के अनुसार, राज्य सरकारें जनस्वास्थ्य के हित में अपने-अपने राज्यों में खतरनाक शाकनाशियों की बिक्री एवं उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध या रोक लगा सकती हैं। इससे पहले केरल, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों

में शामिल रहे हैं।

प्रतिबंध का महत्व:

- इस निर्णय से किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण समुदायों की सुरक्षा में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि उन्हें अत्यधिक विषैले रसायन के संपर्क से बचाया जा सकेगा। यह सुरक्षित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा कीटनाशक विनियमन को सुदृढ़ करने की भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
- इस प्रतिबंध से जानबूझकर तथा आकस्मिक विषाक्तता से होने वाली मृत्यु के मामलों में कमी आने की संभावना है। साथ ही, सुरक्षित खरपतवार प्रबंधन उपायों तथा समेकित कीट प्रबंधन जैसी तकनीकों को अपनाने को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

निष्कर्ष:

पैराक्वाट पर लगाया गया प्रतिबंध किसानों, जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों में जागरूकता तथा सुरक्षित विकल्पों को अपनाने पर निर्भर करेगी।

भारत में पहली डेंगू वैक्सीन (क्यूडेंगा) को मंजूरी

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने टाकेडा बायो-फार्मास्यूटिकल्स (Takeda Biopharmaceuticals) द्वारा विकसित क्यूडेंगा (TAK-003) को बाज़ार में उपयोग की अनुमति प्रदान की है। यह भारत की पहली स्वीकृत डेंगू वैक्सीन है। 4–60 वर्ष आयु वर्ग के लिए अनुमोदित यह वैक्सीन भारत में डेंगू नियंत्रण को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्यूडेंगा (TAK-003) के बारे में:

- टाकेडा बायोफार्मास्यूटिकल्स द्वारा विकसित जीवित-क्षीणित (Live-attenuated) चतुर्संयोजी (Tetravalent) डेंगू वैक्सीन।
- डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप (DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4) से सुरक्षा प्रदान करती है।
- दो खुराकों में दी जाती है; दूसरी खुराक पहली के 3 माह बाद।
- टीकाकरण से पहले स्क्रीनिंग की आवश्यकता नहीं तथा पूर्व डेंगू संक्रमण हो या न हो, सभी पात्र व्यक्तियों को दी जा सकती है।

वैक्सीन का महत्व:

- भारत की पहली लाइसेंस प्राप्त डेंगू वैक्सीन।
- गंभीर डेंगू, अस्पताल में भर्ती होने तथा मृत्यु दर में कमी की संभावना।
- वैश्विक डेंगू बोझ का लगभग एक-तिहाई वहन करने वाले भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि।
- मौजूदा वेक्टर नियंत्रण एवं जनस्वास्थ्य उपायों को पूरक बनाती है।

चुनौतियाँ:

- वैक्सीन की सुलभता एवं वहनीयता सुनिश्चित करना।
- उत्पादन क्षमता एवं कोल्ड-चेन अवसंरचना का विस्तार।
- जन-जागरूकता के माध्यम से वैक्सीन संकोच (Vaccine Hesitancy) कम करना।
- केवल टीकाकरण पर्याप्त नहीं; निगरानी एवं वेक्टर नियंत्रण जारी रखना आवश्यक।

सरकारी पहल:

- राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP/वर्तमान में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र) के माध्यम से रोग निगरानी, उपचार एवं वाहक नियंत्रण।
- प्रहरी निगरानी अस्पताल (Sentinel Surveillance Hospitals) तथा शीर्ष संदर्भ प्रयोगशालाएँ (Apex Referral Laboratories) में निःशुल्क डेंगू जांच।
- क्यूडेंगा को स्वीकृति तथा स्वदेशी डेंगीऑल (DengiAll) टीके का तृतीय चरण (Phase-III) परीक्षण।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केंद्र (VCRC) द्वारा वोल्बाकिया (Wolbachia) संक्रमित मच्छरों का विकास।
- राष्ट्रीय डेंगू दिवस (16 मई) एवं डेंगू निरोध माह (जुलाई) के माध्यम से जन-जागरूकता।

डेंगू के बारे में:

- डेंगू एक वायरल रोग है, जो डेंगू वायरस (Dengue Virus) के कारण होता है। यह फ्लैविविरिडी (Flaviviridae) परिवार तथा फ्लैविवायरस (Flavivirus) वंश से संबंधित है। इसके चार सीरोटाइप—DENV-1, DENV-2, DENV-3 और DENV-4—पाए जाते हैं।
- यह रोग मुख्यतः मादा एडीस एजिप्टी (Aedes aegypti) मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि एडीस एल्बोपिक्टस (Aedes

albopictus) भी इसके प्रसार में भूमिका निभा सकता है।

- यह मच्छर मुख्यतः दिन के समय, विशेषकर सुबह और शाम के समय अधिक सक्रिय रहता है।
- डेंगू के सामान्य लक्षणों में तेज बुखार, तीव्र सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों एवं मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, मतली, उल्टी तथा अत्यधिक कमजोरी शामिल हैं।
- गंभीर मामलों में नाक या मसूड़ों से रक्तस्राव हो सकता है तथा रोग डेंगू रक्तस्रावी ज्वर (Dengue Hemorrhagic Fever—DHF) या डेंगू शॉक सिंड्रोम (Dengue Shock Syndrome—DSS) का रूप ले सकता है, जो समय पर उपचार न मिलने पर जानलेवा भी हो सकता है।

भारत में डेंगू की स्थिति:

- भारत वैश्विक डेंगू बोझ का लगभग एक-तिहाई वहन करता है।
- पिछले दो दशकों में रिपोर्ट किए गए मामलों में लगभग 11 गुना वृद्धि हुई है।
- वास्तविक संक्रमण संख्या अल्प-रिपोर्टिंग के कारण इससे कहीं अधिक मानी जाती है।

भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI):

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) का प्रमुख।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत कार्य करता है।
- **मुख्य कार्य:** वैक्सीन एवं नई दवाओं की स्वीकृति, क्लिनिकल ट्रायल का नियमन, दवा गुणवत्ता मानक निर्धारण तथा चिकित्सा उपकरणों का विनियमन।
- **वर्तमान DCGI:** डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।

निष्कर्ष:

क्यूडेंगा (QDENGA) की स्वीकृति भारत में डेंगू रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि, दीर्घकालिक नियंत्रण के लिए टीकाकरण, रोग निगरानी, वेक्टर नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वच्छता तथा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित समन्वित रणनीति आवश्यक है।

प्रैक्सिस (PRAXIS): ग्रहों के वलयों का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का नासा का मिशन

संदर्भ:

हाल ही में, नासा ने अपने 'इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स' (NIAC) 2026 प्रोग्राम के तहत फ़ेज़ I की फ़ंडिंग के लिए प्रैक्सिस (PRAXIS--Planetary Rings Autonomous EXploration with In-situ Sampling) मिशन को चुना है। यह मिशन ग्रहों के छल्लों (planetary rings) के कणों की दुनिया की पहली डायरेक्ट 'इन-सिटू' सैंपलिंग (मौके पर ही नमूने लेने की प्रक्रिया) का प्रस्ताव करता है।

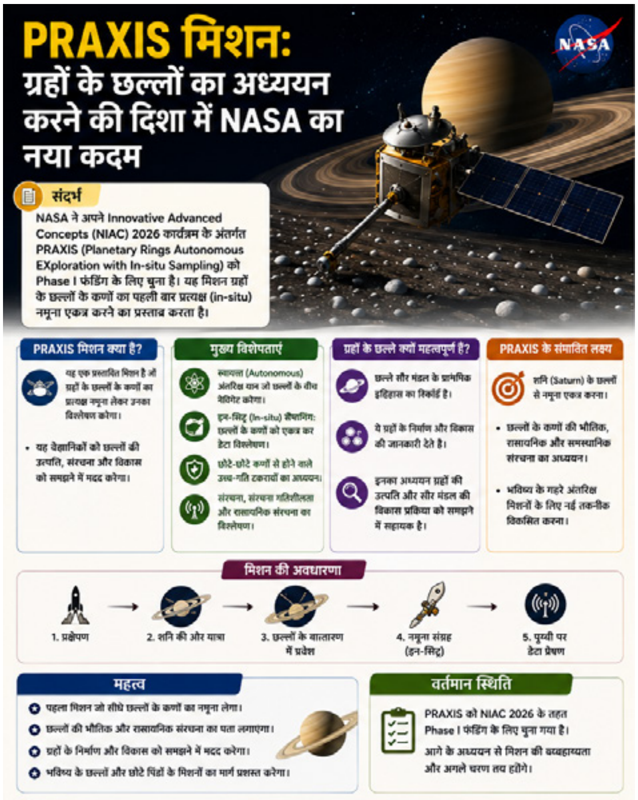

प्रैक्सिस (PRAXIS) क्या है?

- प्रैक्सिस (PRAXIS) एक अभिनव मिशन अवधारणा (Mission Concept) है, जिसे ग्रहों, विशेषकर शनि (Saturn), के वलय तंत्र (Ring Systems) का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य वलयों के कणों को सीधे एकत्रित कर उनका विश्लेषण करना है।
- पहले के मिशनों की तरह केवल दूरसंवेदी तकनीकों (Remote Sensing) और फोटोग्राफी पर निर्भर रहने के बजाय, PRAXIS AI-सक्षम (AI-enabled) तथा जैव-प्रेरित (Bio-inspired) रोबोटिक अन्वेषक की सहायता से ग्रहों के वलयों से वास्तविक कणों का नमूना एकत्र करेगा। वर्तमान में यह केवल एक मिशन अवधारणा है

और अभी इसके प्रक्षेपण (Launch) को मंजूरी नहीं मिली है।

मिशन के उद्देश्य:

- यह मिशन नासा की ग्रह विज्ञान दशकीय सर्वेक्षण (Planetary Science Decadal Survey) द्वारा पहचाने गए कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेगा, जिनमें शामिल हैं:
  - ग्रहों के वलय कैसे बनते हैं और समय के साथ उनका विकास (Evolution) कैसे होता है।
  - वलय कणों की संरचना (Composition), आकार (Size) और रंध्रता (Porosity) का निर्धारण करना।
  - घने वलयों (जैसे शनि के वलय) तथा यूरेनस (Uranus) और नेपच्यून (Neptune) के अपेक्षाकृत पतले वलय तंत्रों के बीच अंतर का अध्ययन करना।
  - सौरमंडल (Solar System) के विकास के बारे में ज्ञान को बढ़ाना।

प्रमुख तकनीकी विशेषताएँ:

प्रैक्सिस (PRAXIS) में कई उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा:

- **AI-संचालित स्वायत्त नेविगेशन (AI-powered Autonomous Navigation):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष यान को उपयुक्त कणों की पहचान करने, टक्करों से बचने तथा बिना निरंतर मानवीय हस्तक्षेप के वास्तविक समय में निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी।
- **जैव-प्रेरित रोबोटिक अन्वेषक (Bio-inspired Robotic Explorer):** यह रोबोटिक प्रणाली ग्रहों के वलयों के जटिल और गतिशील वातावरण में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
- **टच-एंड-गो सैंपलिंग (Touch-and-Go Sampling):** घने वलयों के बीच से गुजरने के बजाय, अंतरिक्ष यान सुरक्षित दूरी पर रहेगा और एक लंबा लचीला बूम (Flexible Boom) तैनात करेगा, जो थोड़े समय के लिए वलय को स्पर्श कर कणों का संग्रह करेगा, जिससे टक्कर का जोखिम कम होगा।
- **इन-सीटू विश्लेषण (In-situ Analysis):** अंतरिक्ष यान में लगे लघु वैज्ञानिक उपकरण तुरंत कणों के आकार, रंध्रता तथा रासायनिक संरचना का विश्लेषण करेंगे।

प्रैक्सिस (PRAXIS) बनाम कैसिनी (Cassini) मिशन:

- कैसिनी (Cassini) मिशन (1997–2017) ने मुख्य रूप से दूरसंवेदी तकनीकों (Remote Sensing) और इमेजिंग (Imaging) के माध्यम से शनि के वलयों का अध्ययन किया था।
- इसके विपरीत, प्रैक्सिस (PRAXIS) प्रत्यक्ष रूप से वलय कणों का भौतिक नमूना एकत्र करने का प्रस्ताव करता है।
- Cassini ने टक्कर के जोखिम के कारण घने वलय क्षेत्रों से दूरी बनाए रखी थी, जबकि प्रैक्सिस (PRAXIS) AI-सहायता प्राप्त टच-एंड-गो तकनीक का उपयोग करके सुरक्षित रूप से नमूने एकत्र करेगा।

महत्व:

- NIAC Phase I के अंतर्गत प्रैक्सिस (PRAXIS) के चयन से शोधकर्ताओं को मिशन के सिमुलेशन (Simulation) करने तथा इसके इंजीनियरिंग डिज़ाइन को और बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा।
- यदि यह सफल रहता है, तो यह प्रोटोटाइप (Prototype) विकास की ओर बढ़ सकता है और भविष्य में एक पूर्ण विकसित अंतरिक्ष मिशन का रूप ले सकता है। इस मिशन के अंतर्गत विकसित तकनीकें अन्य वलययुक्त ग्रहों (Ringed Planets) के भविष्य के मिशनों में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस: नए पॉलीपोर फंगस की खोज

संदर्भ:

हाल ही में वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के भुदरगढ़ (Bhudargad) तालुका में पॉलीपोर (ब्रैकेट) कवक की एक नई प्रजाति माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेंसिस (Microporellus kolhapurensis) की खोज की है।

माइक्रोपोरेलस कोल्हापुरेन्सिस के बारे में:

- यह पॉलीपोर (Polypore) अथवा ब्रैकेट (Bracket) कवक की एक नई प्रजाति है।
- इसकी खोज महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के भुदरगढ़ तालुका में की गई।
- यह कवक सड़ी-गली (Rotting) लकड़ी पर उगता है।
- यह मुख्यतः जुलाई से सितंबर के बीच फलन (Fruiting) करता है।
- यह सामान्यतः अकेले (Singly) उगता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- यह प्रजाति अपने निकट संबंधी कवकों से निम्नलिखित विशेषताओं के कारण भिन्न है:
  - पीले-नारंगी से धूसर-भूरे (Yellowish-orange to Grayish-brown) रंग की होती है।
  - छाते (Umbrella) के आकार की संरचना।
  - पार्श्व डंठल (Lateral Stalk)।
  - भूमि पर उगने (Ground-growing) की प्रवृत्ति।
  - बड़े-बड़े छिद्र (Large Pores)।
  - आँसू (Teardrop) के आकार के बीजाणु (Spores)।
- मोटी भित्ति वाली विशिष्ट सिस्टिडिया (Thick-walled Cystidia), जो बीजाणु-धारण सतह पर उपस्थित बड़ी कोशिकाएँ होती हैं, लेकिन स्वयं बीजाणु उत्पन्न नहीं करतीं।

पॉलीपोर (Polypores) क्या हैं?

- पॉलीपोर, जिन्हें ब्रैकेट (Bracket) या शेल्फ (Shelf) कवक भी कहा जाता है, कवकों का एक समूह है।
- इनके फलन शरीर (Fruiting Body) के निचले भाग में अनेक सूक्ष्म छिद्र (Pores) होते हैं, जिनके कारण इन्हें पॉलीपोर (Polypores) कहा जाता है।
- इन छिद्रों में बीजाणु (Spores) बनते और सुरक्षित रहते हैं, जिनके माध्यम से कवकों का प्रजनन होता है।
- ये छिद्र सतह क्षेत्र (Surface Area) को बढ़ाते हैं, जिससे अधिक संख्या में बीजाणु विकसित हो सकें।
- अधिकांश पॉलीपोर में ये छिद्र गोलाकार तथा नियमित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं।
- इनका आकार शेल्फ (Shelf) या ब्रैकेट (Bracket) जैसा होता है, इसलिए इन्हें Bracket Fungi भी कहा जाता है।
- ये प्रायः जीवित वृक्षों, गिरे हुए तनों (Logs) तथा लकड़ी पर उगते हैं।
- कुछ प्रजातियों में लकड़ी से जुड़ने के लिए छोटा डंठल (Short Stalk) भी होता है।
- ये स्वस्थ वृक्षों को नुकसान पहुँचा सकते हैं, लेकिन साथ ही मृत वृक्षों के अपघटन (Decomposition) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इनका माइसीलियम (Mycelium) मेजबान वृक्ष के तने के भीतर फैला रहता है, जबकि केवल फलन शरीर (Fruiting Body) बाहर दिखाई देता है।

पारिस्थितिक महत्व:

- मृत लकड़ी के अपघटन में सहायता कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण (Nutrient Recycling) करते हैं।
- वन पारिस्थितिकी तंत्र (Forest Ecosystem) के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- जैव विविधता (Biodiversity) के संरक्षण और वन स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक (Indicators) माने जाते हैं।

भारत की नई HPV दवा उम्मीदवार SHetA2

संदर्भ:

हाल ही में भारत ने सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer) से निपटने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र पहल (Medical Innovations Patent Mitra Initiative) के तहत अपनी प्रथम श्रेणी की एंटी-ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) चिकित्सीय दवा उम्मीदवार SHetA2 को एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स को हस्तांतरित किया है।

SHetA2 क्या है?

- SHetA2 एक प्रायोगिक चिकित्सीय दवा (Investigational Therapeutic Drug) है, जिसे सर्वाइकल इंट्राएपिथीलियल नियोप्लासिया (Cervical Intraepithelial Neoplasia-CIN) के उपचार के लिए विकसित किया जा रहा है। CIN, ह्यूमन पैपिलोमावायरस (Human Papillomavirus-HPV) के लगातार संक्रमण के कारण उत्पन्न होने वाली एक कैंसर-पूर्व अवस्था (Precancerous Condition) है।
- HPV वैक्सीन संक्रमण को रोकने का कार्य करती है, जबकि SHetA2 को उन महिलाओं के उपचार के लिए विकसित किया जा रहा है, जिन्हें पहले से ही लगातार HPV संक्रमण या गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर-पूर्व घाव (Precancerous Cervical Lesions) हैं। इस प्रकार यह सर्वाइकल कैंसर के प्रबंधन में मौजूद एक महत्त्वपूर्ण उपचारात्मक अंतर को दूर कर सकती है।

यह कैसे काम करती है?

- SHetA2 स्वस्थ गर्भाशय ग्रीवा ऊतकों को नुकसान पहुँचाए बिना HPV से संक्रमित असामान्य कोशिकाओं को चुनिंदा रूप से लक्षित करती है।
- यह HPV के कारण कैंसर विकसित होने में शामिल प्रमुख आणविक प्रक्रियाओं को बाधित करती है। इनमें मॉर्टालिन (Mortalin),

Hsc70 और Grp78 जैसे प्रोटीन तथा HPV के E6 और E7 ऑनकोप्रोटीन शामिल हैं।

- इसके परिणामस्वरूप संक्रमित कोशिकाओं में एपोप्टोसिस (Apoptosis) अर्थात् क्रमादेशित कोशिका मृत्यु को बढ़ावा मिलता है और उनके सर्वाइकल कैंसर में परिवर्तित होने का जोखिम कम हो सकता है।
- शोधकर्ता इसके मौखिक (Oral) और योनि-आधारित (Vaginal) दोनों प्रकार के फॉर्मूलेशन पर भी अध्ययन कर रहे हैं, जिससे यह संभावित रूप से एक गैर-आक्रामक (Non-invasive) उपचार विकल्प बन सकती है।

महत्त्व:

- सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है और देश में प्रतिवर्ष लगभग 80,000 नए मामले सामने आते हैं।
- वर्तमान में CIN के उपचार के लिए LEEP, कोनाइजेशन (Conization) और एब्लेटिव थेरेपी (Ablative Therapy) जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इनमें असामान्य ऊतकों को शल्य चिकित्सा द्वारा हटाया या नष्ट किया जाता है, जिससे प्रजनन क्षमता और भविष्य की गर्भावस्था प्रभावित हो सकती है।
- SHetA2 का संभावित महत्त्व निम्नलिखित है:
  - » यह स्वस्थ ऊतकों को सुरक्षित रखते हुए लक्षित दवा उपचार (Targeted Drug Therapy) उपलब्ध करा सकती है।
  - » यह रोगियों के उपचार परिणामों में सुधार कर सकती है।
  - » यह HPV टीकाकरण और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रमों की पूरक बन सकती है।
  - » यह स्वदेशी दवा विकास को बढ़ावा देकर और आयातित प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करके आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करती है।

चुनौतियाँ:

- SHetA2 अभी तक अनुमोदित दवा नहीं है। यद्यपि प्रयोगशाला, प्रीक्लिनिकल और प्रारंभिक चरण के क्लिनिकल अध्ययनों में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं, लेकिन नियामक मंजूरी से पहले बड़े पैमाने पर क्लिनिकल परीक्षण आवश्यक होंगे।
- इन परीक्षणों के माध्यम से इसकी दीर्घकालिक सुरक्षा, प्रभावशीलता और उपयुक्त खुराक का निर्धारण करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, व्यापक स्तर पर उपयोग के लिए इसकी वहनीयता (Affordability), उपलब्धता (Accessibility) तथा भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में इसके प्रभावी एकीकरण को सुनिश्चित करना भी महत्त्वपूर्ण होगा।

मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र पहल के बारे में:

- मेडिकल इनोवेशंस पेटेंट मित्र पहल ICMR द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीकृत और सरकार-वित्तपोषित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य स्वदेशी जैव-चिकित्सीय नवाचारों के पेटेंट और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है।
- यह पहल प्रयोगशाला में होने वाली खोजों और उनके व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा उत्पादन के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करती है।

निष्कर्ष:

यदि SHetA2 का सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण होता है, तो यह HPV से संबंधित कैंसर-पूर्व घावों के लिए लक्षित और गैर-आक्रामक उपचार उपलब्ध कराकर सर्वाइकल कैंसर के प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इसके साथ ही यह जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा नवाचार और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की बढ़ती क्षमताओं को भी रेखांकित करती है।

चांदीपुरा वायरस (CHPV) का प्रकोप: कारण और रोकथाम

संदर्भ:

हाल ही में राजस्थान में दो बच्चों की मृत्यु तथा गुजरात में चांदीपुरा वायरस (CHPV) के कई प्रयोगशाला-पुष्ट मामलों के सामने आने के बाद राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने रोग निगरानी को और सुदृढ़ किया है। इस प्रकोप ने इस दुर्लभ लेकिन अत्यधिक घातक वायरस की ओर पुनः ध्यान

आकर्षित किया है, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है और तेजी से तीव्र मस्तिष्कशोथ सिंड्रोम (Acute Encephalitis Syndrome - AES) का कारण बन सकता है।

चांदीपुरा वायरस क्या है?

- चांदीपुरा वायरस (CHPV) एक तंत्रिका-आकर्षी (न्यूरोट्रॉपिक), एकल-सूत्रीय RNA वायरस है, जो रैब्डोविरिडी (Rhabdoviridae) परिवार से संबंधित है। यह वही परिवार है जिसमें रेबीज (Rabies) वायरस भी शामिल है।
- इसे पहली बार वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गाँव से पृथक किया गया था, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया। यह वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संक्रमित करता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण कर मस्तिष्क में सूजन (एन्सेफलाइटिस) उत्पन्न करता है।

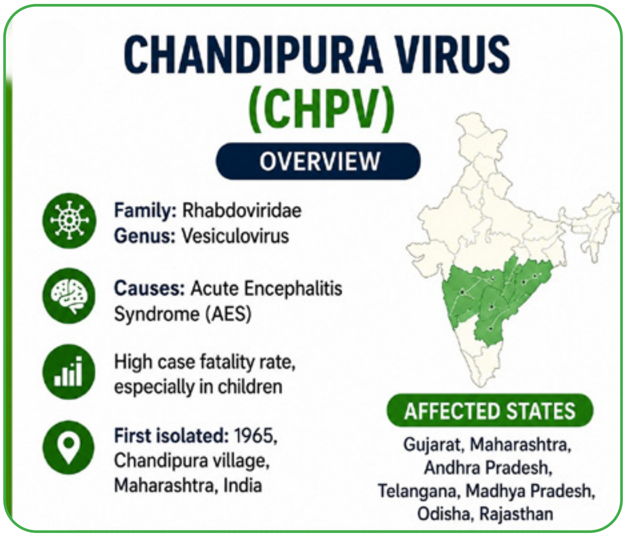

संचरण और लक्षण:

- CHPV एक वाहक-जनित (Vector-borne) रोग है, जो मुख्य रूप से फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई (Phlebotomine Sandflies) द्वारा फैलता है, हालांकि एडीज़ एजिप्टी (Aedes aegypti) सहित कुछ मच्छरों की प्रजातियाँ भी इसके वाहक हो सकती हैं। यह वायरस कीट के काटने के माध्यम से रक्तप्रवाह में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक फैल सकता है।
- प्रारंभिक लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द तथा उल्टी शामिल हैं। गंभीर मामलों में रोग तेजी से दौरे (Seizures), चेतना में परिवर्तन, श्वसन कष्ट तथा एन्सेफलाइटिस में परिवर्तित हो जाता है। रोग की तीव्र प्रगति के कारण अस्पताल में भर्ती होने के 24–48 घंटे के भीतर मृत्यु भी हो सकती है।

कुछ क्षेत्र अधिक संवेदनशील क्यों हैं?

- यह रोग मुख्य रूप से मध्य भारत में स्थानिक (Endemic) है, विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में, जहाँ सैंडफ्लाई की संख्या अधिक होती है। कच्चे मकानों, खराब स्वच्छता तथा सैंडफ्लाई के अधिक प्रजनन वाले ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र अधिक संवेदनशील होते हैं। मानसून की परिस्थितियाँ वाहकों की संख्या में और वृद्धि करती हैं, जिससे प्रकोप का जोखिम बढ़ जाता है।

उपचार और रोकथाम:

- वर्तमान में चांदीपुरा वायरस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है। उपचार मुख्यतः सहायक (Supportive) होता है, जिसमें दौरों को नियंत्रित करना, मस्तिष्क की सूजन कम करना, शरीर में जल की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना तथा गहन चिकित्सा (Intensive Care) प्रदान करना शामिल है।
- रोकथाम के लिए कीटनाशकों का छिड़काव, मच्छरदानी का उपयोग, कीट-प्रतिरोधक (Repellents) का प्रयोग, स्वच्छता बनाए रखना तथा वाहकों के प्रजनन स्थलों को समाप्त करना आवश्यक है। शीघ्र पहचान और प्रभावी निगरानी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वन हेल्थ दृष्टिकोण:

- यह प्रकोप "वन हेल्थ (One Health)" दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है, जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की परस्पर निर्भरता को स्वीकार करता है।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन (National One Health Mission) का उद्देश्य एकीकृत रोग निगरानी को सुदृढ़ करना, महामारी संबंधी तैयारी में सुधार करना तथा स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और पर्यावरण क्षेत्रों के बीच समन्वय को मजबूत बनाना है।

निष्कर्ष:

चांदीपुरा वायरस का पुनः उभरना मजबूत रोग निगरानी, प्रभावी वाहक नियंत्रण, जन-जागरूकता तथा वन हेल्थ (One Health) दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भविष्य में ऐसे प्रकोपों की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और अनुसंधान को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा।

सेवा उत्पादन सूचकांक: सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए नई सांख्यिकीय रूपरेखा

संदर्भ:

भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप पिछले तीन दशकों में उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित हुआ है। कृषि और उद्योग पर आधारित विकास मॉडल आज सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो चुका है, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएँ, व्यापार, परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा डिजिटल सेवाएँ आर्थिक वृद्धि के प्रमुख वाहक बनकर उभरी हैं। वर्तमान में सेवा क्षेत्र देश के सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added-GVA), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), निर्यात तथा रोजगार सृजन में सबसे बड़ा योगदान देता है। किंतु आश्चर्यजनक रूप से, इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र की वास्तविक आर्थिक गतिविधियों का आकलन करने वाला कोई समग्र आधिकारिक सूचकांक अब तक उपलब्ध नहीं था।

- भारत में उद्योग क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP), मुद्रास्फीति के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तथा थोक मूल्य सूचकांक (WPI), जबकि बाह्य क्षेत्र के लिए व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार जैसे नियमित संकेतक उपलब्ध हैं। किंतु सेवा क्षेत्र, जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा घटक है, उसके लिए ऐसा कोई व्यापक मासिक उत्पादन सूचकांक उपलब्ध नहीं था। इससे आर्थिक गतिविधियों के समग्र आकलन में एक स्पष्ट सांख्यिकीय रिक्तता बनी रहती थी।
- इसी पृष्ठभूमि में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा विकसित सेवा उत्पादन सूचकांक (Index of Services Production–ISP) भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली में एक ऐतिहासिक संस्थागत सुधार के रूप में सामने आया है। यह केवल एक नया आर्थिक संकेतक नहीं, बल्कि डेटा-संचालित शासन (Data-driven Governance), साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण (Evidence-based Policymaking) और वास्तविक समय में आर्थिक निगरानी (Real-time Economic Monitoring) की दिशा में भारत की बढ़ती संस्थागत क्षमता का प्रतीक है। तेजी से विकसित होती सेवा-प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए यह पहल नीति-निर्माण को अधिक वैज्ञानिक, समयबद्ध और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकता है।

सेवा उत्पादन सूचकांक:

- सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) एक मासिक आर्थिक संकेतक है, जिसका उद्देश्य सेवा क्षेत्र में होने वाले वास्तविक उत्पादन (Real Output) में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापना है। इसका आधार वर्ष 2024-25 निर्धारित किया गया है।
- यह केवल आय या कारोबार (Turnover) को नहीं, बल्कि मूल्य परिवर्तन (Inflation) के प्रभाव को समायोजित करने के बाद सेवा गतिविधियों की वास्तविक मात्रा (Volume of Output) को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है अर्थात यह मूल्य वृद्धि (Price Effect) को हटाकर सेवा गतिविधियों की वास्तविक मात्रा (Real Volume of Services) को मापता है।
- इस सूचकांक के निर्माण में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से प्राप्त आँकड़ों, प्रशासनिक डेटाबेस, वार्षिक निगमित सेवा क्षेत्र सर्वेक्षण (ASISSE) तथा अन्य आधिकारिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। यह आधुनिक डिजिटल डेटा अवसंरचना पर आधारित है, जिससे पारंपरिक सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक समयबद्ध और व्यापक

जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

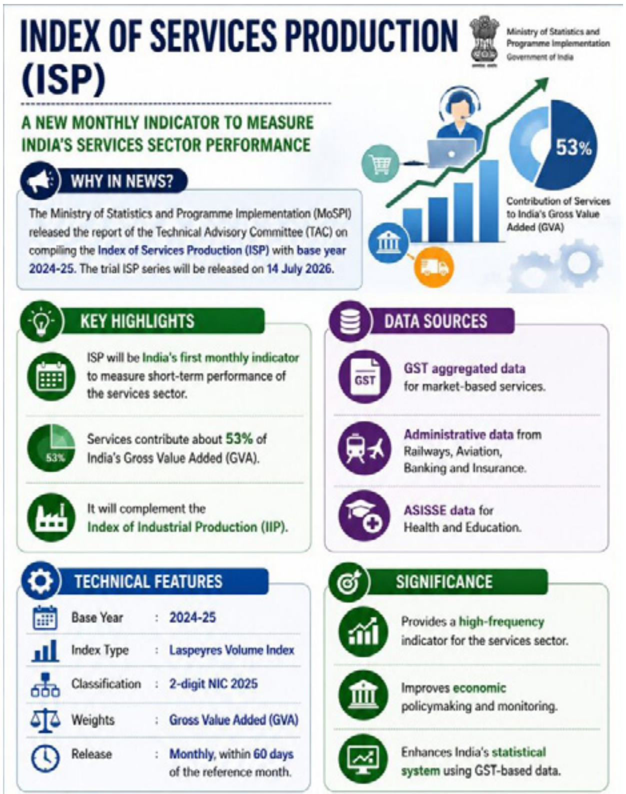

नीति-निर्माण में नया आयाम:

- किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रभावी नीति-निर्माण के लिए समय पर उपलब्ध आँकड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। सेवा क्षेत्र के लिए ISP इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य नीति-निर्माता मासिक आधार पर यह समझ सकेंगे कि किन सेवा क्षेत्रों में तेजी है, कहाँ मंदी के संकेत हैं और किन क्षेत्रों को नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। इससे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, निवेश प्रोत्साहन तथा रोजगार संबंधी निर्णय अधिक सटीक और प्रमाण-आधारित बन सकेंगे।
- यह सूचकांक निवेशकों, उद्योग जगत और शोधकर्ताओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा। समयबद्ध आँकड़े निजी निवेश के निर्णयों को अधिक यथार्थवादी बनाएँगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक रुझानों का बेहतर आकलन संभव होगा।
- प्रयोगात्मक (Trial) श्रृंखला के प्रारंभिक आँकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2026 में शामिल 19 उप-क्षेत्रों में से 14 ने दोहरे अंक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की। विशेष रूप से व्यापार, आवास एवं भोजन सेवाएँ तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में उल्लेखनीय विस्तार दिखाई दिया। यद्यपि ये आँकड़े अभी परीक्षण चरण के हैं, फिर भी वे सेवा क्षेत्र की सुदृढ़ आर्थिक गतिविधियों का संकेत देते हैं।

वैश्विक मानकों की दिशा में भारत:

- विश्व के अनेक विकसित देशों में सेवा क्षेत्र के लिए उच्च-आवृत्ति उत्पादन सूचकांक उपलब्ध हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ भी सेवा क्षेत्र के उत्पादन मापन को आर्थिक सांख्यिकी का महत्वपूर्ण घटक मानती हैं। OECD देशों में अधिकांश सेवा अर्थव्यवस्थाओं के लिए उच्च-आवृत्ति सेवा उत्पादन सूचकांक उपलब्ध हैं। यूरोपीय संघ भी Short-term Business Statistics के अंतर्गत Services Production Index जारी करता है। भारत द्वारा ISP का विकास इसी वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है।
- यह कदम केवल सांख्यिकीय सुधार नहीं, बल्कि भारत की उस आकांक्षा का भी प्रतीक है जिसमें वह वैश्विक निवेशकों के लिए अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और डेटा-संपन्न अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान मजबूत करना चाहता है।

चुनौतियां:

- हालाँकि ISP एक महत्वपूर्ण पहल है, लेकिन इसकी सफलता कुछ मूलभूत चुनौतियों के समाधान पर निर्भर करेगी:
  - **सेवा क्षेत्र की विविधता:** उद्योग क्षेत्र की तुलना में सेवाओं का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से मापना कहीं अधिक जटिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक सेवाएँ, रक्षा तथा अनेक सार्वजनिक सेवाओं के उत्पादन का वस्तुनिष्ठ आकलन सरल नहीं है। वर्तमान परीक्षण श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को डेटा उपलब्धता के अभाव में शामिल नहीं किया गया है।
  - **असंगठित सेवा क्षेत्र:** भारत में बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी, परिवहन सेवा प्रदाता, स्थानीय सेवा व्यवसाय तथा स्वरोज़गार आधारित गतिविधियाँ औपचारिक आँकड़ों में पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं होतीं। यदि सूचकांक मुख्यतः औपचारिक क्षेत्र तक सीमित रहता है, तो यह संपूर्ण सेवा अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत नहीं कर पाएगा।
  - **डिजिटल सेवाओं का मापन:** डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाओं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित उभरती गतिविधियों के उत्पादन का सटीक मापन भविष्य में एक नई सांख्यिकीय चुनौती होगा।

» **डेटा की गुणवत्ता और समयबद्धता:** जीएसटी आधारित आँकड़ों में संशोधन, अनुपालन संबंधी भिन्नताएँ तथा प्रशासनिक डेटा की गुणवत्ता सूचकांक की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए मजबूत डेटा सत्यापन प्रणाली और नियमित पद्धति समीक्षा आवश्यक होगी।

आगे की राह:

- सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) को दीर्घकालिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम आवश्यक हैं:
  - » सबसे पहले, जैसे-जैसे डेटा उपलब्धता बढ़े, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक सेवाओं को चरणबद्ध ढंग से इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।
  - » दूसरे, असंगठित सेवा क्षेत्र को बेहतर ढंग से मापने के लिए डिजिटल भुगतान, ई-इनवॉयसिंग, श्रम सर्वेक्षण तथा अन्य वैकल्पिक डेटा स्रोतों का समुचित उपयोग किया जा सकता है।
  - » तीसरे, सूचकांक की पद्धति को पारदर्शी रखते हुए विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत से नियमित परामर्श लिया जाना चाहिए ताकि समय के साथ इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ती रहे।
- अंततः, ISP को राष्ट्रीय खातों (National Accounts), रोजगार आँकड़ों और अन्य उच्च-आवृत्ति आर्थिक संकेतकों के साथ समन्वित किया जाना चाहिए, जिससे नीति-निर्माताओं को अर्थव्यवस्था का अधिक समग्र और वास्तविक चित्र प्राप्त हो सके।

निष्कर्ष:

भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और इस विकास का सबसे बड़ा आधार उसका सेवा क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र की गतिविधियों को केवल तिमाही या वार्षिक आँकड़ों के माध्यम से समझना पर्याप्त नहीं रह गया था। सेवा उत्पादन सूचकांक (ISP) इस कमी को दूर करते हुए भारतीय आर्थिक सांख्यिकी को एक नए युग में प्रवेश कराता है। यद्यपि इसकी पद्धति को और परिष्कृत करने, कवरेज का विस्तार करने तथा डेटा गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता बनी रहेगी, फिर भी यह स्पष्ट है कि ISP केवल एक नया सूचकांक नहीं, बल्कि प्रमाण-आधारित शासन, समयबद्ध आर्थिक विश्लेषण और अधिक उत्तरदायी नीति-निर्माण की दिशा में भारत की संस्थागत क्षमता का महत्वपूर्ण विस्तार है। आने वाले वर्षों में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत इसे कितनी व्यापकता, पारदर्शिता और तकनीकी विश्वसनीयता के साथ विकसित करता है।

आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2026

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report- FSR), 2026 जारी की। रिपोर्ट में वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली दो प्रमुख शक्तियों- भू-राजनीतिक विखंडन (Geopolitical Fragmentation) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) में तीव्र प्रगति को प्रमुख चुनौती बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली, विशेषकर बैंकिंग क्षेत्र, मजबूत और लचीला बना हुआ है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के बारे में:

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report- FSR) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित अर्द्धवार्षिक (Biannual) रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 से किया जा रहा है।
- इस रिपोर्ट में भारत की वित्तीय प्रणाली की समग्र स्थिति एवं उसकी स्थिरता का आकलन किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) का विश्लेषण शामिल होता है।
- यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (Financial Stability and Development Council- FSDC) की उपसमिति (Subcommittee) से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार की जाती है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं।
- FSDC की स्थापना वर्ष 2010 में वित्त मंत्रालय के अधीन की गई थी। यह एक गैर-सांविधिक (Non-Statutory) शीर्ष निकाय है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।
- यह रिपोर्ट प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) के रूप में कार्य करती है, जिससे वित्तीय प्रणाली में उत्पन्न होने वाले प्रणालीगत जोखिमों (Systemic Risks) की समय रहते पहचान कर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, 2026 के प्रमुख निष्कर्ष:

- रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Financial Stability Report - FSR) 2026 के अनुसार, भू-राजनीतिक विखंडन (Geopolitical Fragmentation) वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ा जोखिम बनकर उभरा है। विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते संघर्षों के कारण व्यापार, निवेश प्रवाह, आपूर्ति श्रृंखलाएँ (Supply Chains) और समग्र वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो रही है, जिससे अर्थव्यवस्थाएँ बाहरी झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील बन रही हैं। इसके साथ ही, वैश्विक वित्तीय बाजार भी संरचनात्मक परिवर्तनों और बढ़ती अनिश्चितताओं के कारण जोखिमों का सामना कर रहे हैं।
- दूसरी प्रमुख चुनौती कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) से उत्पन्न तकनीकी परिवर्तन है। यद्यपि AI उत्पादकता बढ़ाने और वित्तीय प्रणाली को अधिक दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसके कारण रोजगार, नियामकीय निगरानी (Regulatory Oversight) तथा बाजार स्थिरता से जुड़ी नई चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं।

- इसके अतिरिक्त, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में उच्च सार्वजनिक ऋण, कमजोर बॉण्ड बाजार, परिसंपत्तियों के ऊँचे मूल्यांकन, अधिक ऋण-आधारित गैर-बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों (Non-Banking Financial Intermediaries - NBFIs) का बढ़ता प्रभाव तथा लगातार बनी मुद्रास्फीति के कारण मौद्रिक नीति के और अधिक

सख्त होने की आशंका जैसी वैश्विक कमजोरियाँ भी बनी हुई हैं।

- इन वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत की व्यापक आर्थिक एवं वित्तीय (Macro-Financial) स्थिति मजबूत बनी हुई है। मजबूत आर्थिक वृद्धि, घटती मुद्रास्फीति, बैंकों और कॉर्पोरेट क्षेत्र की स्वस्थ बैलेंस शीट, तथा पर्याप्त पूंजी और तरलता (Liquidity) बफर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। RBI ने बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
- रिपोर्ट में भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की मजबूत स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। मार्च 2026 तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Gross Non-Performing Asset - GNPA) अनुपात घटकर 1.8% के बहु-दशकीय (Multi-Decadal) निम्नतम स्तर पर पहुँच गया है।
- तनाव परीक्षण (Stress Tests) के अनुसार, सामान्य परिस्थितियों में GNPA बढ़कर 1.9% तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में 3.8% से 4.1% तक पहुँच सकता है, फिर भी यह बैंकिंग प्रणाली की मजबूत क्षमता और लचीलेपन को दर्शाता है। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs) पर्याप्त पूंजी, तरलता तथा लाभप्रदता बनाए हुए हैं।
- परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) के रुझानों के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2025–26 में स्लिपेज अनुपात (Slippage Ratio) घटकर 1.2% रह गया है, जो ऋण अनुशासन में सुधार का संकेत देता है। हालांकि कृषि क्षेत्र अब भी सबसे कमजोर क्षेत्र बना हुआ है, जहाँ GNPA 5.1% के उच्चतम स्तर पर है। वहीं, बड़े उधारकर्ताओं (Large Borrowers) की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और उनका GNPA 2.4% से घटकर 1.2% हो गया है।
- समग्र रूप से, भारत के वित्तीय बाजार स्थिर और सुदृढ़ बने हुए हैं। RBI ने यह भी रेखांकित किया है कि वित्तीय स्थिरता केवल मजबूत बैंकिंग प्रणाली पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि निष्पक्ष व्यावसायिक व्यवहार (Fair Practices), ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) तथा कुशल वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता भी इसके महत्वपूर्ण आधार हैं।

निष्कर्ष:

आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR), 2026 यह दर्शाती है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत एवं लचीली बनी हुई है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि भू-राजनीतिक तनाव तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न तकनीकी परिवर्तन भविष्य में महत्वपूर्ण जोखिम बने रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए वित्तीय प्रणाली की लचीलापन (Resilience) को और मजबूत करना, साथ ही समावेशी, सुरक्षित एवं कुशल वित्तीय व्यवस्था को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से आगे: बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती चुनौती

चर्चा में क्यों?

हाल के समय में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में ऋण (Credit) वृद्धि और जमा (Deposit) संग्रह के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, 15 जून 2026 को समाप्त पखवाड़े में क्रेडिट-डिपॉजिट गैप बढ़कर रिकॉर्ड 564 बेसिस पॉइंट (bps) पर पहुँच गया। इसके साथ ही ऋण-जमा अनुपात (Loan-to-Deposit Ratio - LDR) बढ़कर अब तक के सर्वाधिक 83.4% पर पहुँच गया है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की तरलता (Liquidity) और वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

आरबीआई रिपोर्ट की प्रमुख बातें:

- बैंकों का कुल बकाया ऋण (Outstanding Bank Credit) वर्ष-दर-वर्ष 17.7% बढ़कर 215.5 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसका मुख्य कारण खुदरा ग्राहकों (Retail Borrowers), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र की मजबूत ऋण मांग रही।
- बैंक जमा (Deposits) में वर्ष-दर-वर्ष केवल 12.0% की वृद्धि हुई और यह 258.4 लाख करोड़ रुपये रही। वहीं, क्रमिक आधार (Sequential Basis) पर जमा में 1.8 लाख करोड़ रुपये (0.6%) की कमी दर्ज की गई। इसका कारण अग्रिम कर (Advance Tax) भुगतान तथा बाजार-आधारित वित्तीय उत्पादों में निवेश बढ़ना रहा।
- क्रेडिट-डिपॉजिट गैप 544 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 564 बेसिस पॉइंट हो गया, जो दर्शाता है कि ऋण वितरण की गति जमा वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक तेज है।
- इसके परिणामस्वरूप ऋण-जमा अनुपात (LDR) एक वर्ष पहले के 79.4% से बढ़कर रिकॉर्ड 83.4% हो गया, जो बैंकिंग प्रणाली में तरलता की स्थिति के अधिक सख्त होने का संकेत देता है।

CASA जमा क्या हैं?

- CASA (Current Account and Savings Account) जमा बैंकों के लिए कम लागत वाले जमा होते हैं, जो ऋण देने हेतु धन का प्रमुख स्रोत हैं।
  - » **चालू खाता (Current Account):** मुख्यतः व्यवसायों द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें सामान्यतः ब्याज नहीं मिलता, लेकिन असीमित लेन-देन की सुविधा होती है।
  - » **बचत खाता (Savings Account):** व्यक्तिगत ग्राहकों द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें सीमित ब्याज मिलता है तथा धन की उच्च तरलता बनी रहती है।
- CASA जमा को कम लागत वाला और अपेक्षाकृत स्थिर (Sticky) धन स्रोत माना जाता है, जिससे बैंक कम लागत पर ऋण प्रदान कर पाते हैं।

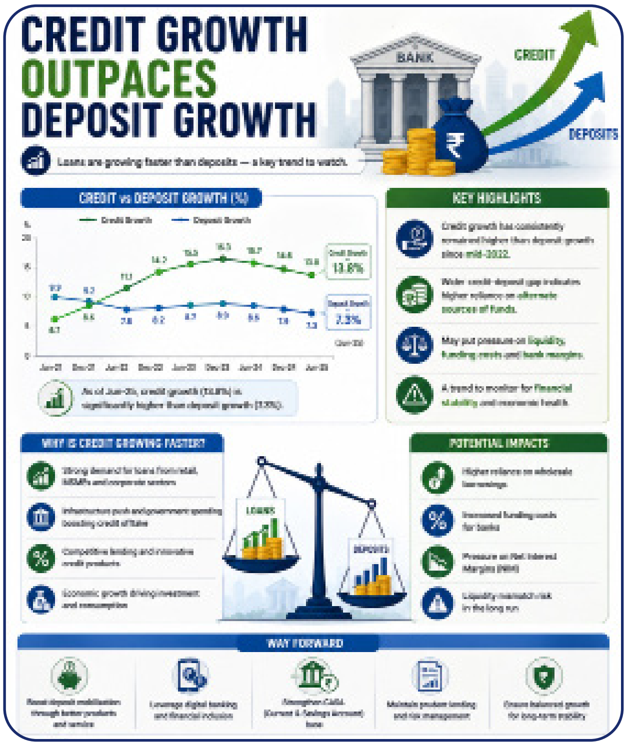

CASA जमा की वृद्धि धीमी क्यों हो रही है?

CASA जमा की धीमी वृद्धि के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

- शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ETF तथा लघु बचत योजनाओं में अधिक रिटर्न मिलने के कारण निवेश बढ़ना।
- UPI, ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म तथा सरल KYC प्रक्रिया के कारण निवेश करना पहले की तुलना में अधिक आसान होना।
- परिवारों में वित्तीय जागरूकता का बढ़ना।
- बचत खातों की तुलना में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर अधिक आकर्षक ब्याज दरों का उपलब्ध होना।
- ऋण-जमा अनुपात (Credit-to-Deposit Ratio) एवं परिसंपत्ति-दायित्व असंतुलन (Asset-Liability Mismatch)
- क्रेडिट-टू-डिपॉजिट (CD) अनुपात अथवा ऋण-जमा अनुपात (LDR) यह मापता है कि बैंकों द्वारा प्राप्त कुल जमा का कितना हिस्सा ऋण के रूप में दिया गया है। अधिक अनुपात यह दर्शाता है कि बैंक जमा का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे उनके पास तरलता का सुरक्षा कवच (Liquidity Cushion) कम रह जाता है।
- परिसंपत्ति-दायित्व असंतुलन (Asset-Liability Mismatch - ALM) तब उत्पन्न होता है, जब बैंक अल्पकालिक जमा के आधार पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं। यदि जमाकर्ता ऋण की परिपक्वता (Maturity) से पहले अपनी राशि निकाल लेते हैं, तो बैंक को तरलता संकट का सामना करना पड़ सकता है।

जमा संग्रह में धीमी वृद्धि चिंता का विषय क्यों है?

- जमा वृद्धि कमजोर रहने के कारण बैंकों को अब थोक वित्तपोषण (Wholesale Funding) जैसे टर्म डिपॉजिट तथा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) पर अधिक निर्भर होना पड़ रहा है।
- सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) की कुल बकाया राशि 6.67 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई, जबकि नए निर्गम (Fresh Issuances) बढ़कर 1.02 लाख करोड़ रुपये हो गए, जो वर्ष-दर-वर्ष 38.1% की वृद्धि दर्शाते हैं।
- जहाँ CASA जमा पर बैंकों की लागत सामान्यतः 3–4% होती है, वहीं टर्म डिपॉजिट एवं CDs पर यह लागत 7–8% तक पहुँच जाती है। इससे बैंकों का शुद्ध ब्याज मार्जिन (Net Interest Margin - NIM) कम हो जाता है।
- थोक वित्तपोषण पर बढ़ती निर्भरता से बैंक RBI की ब्याज दरों में परिवर्तन, तरलता में कमी तथा बाहरी वित्तीय झटकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

टर्म डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एवं म्यूचुअल फंड:

- **टर्म डिपॉजिट (Term Deposits):** इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) शामिल होते हैं, जिनमें एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है और बदले में अपेक्षाकृत अधिक ब्याज प्राप्त होता है।
- **सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (Certificates of Deposit -**

CDs): ये बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले विनिमेय (Negotiable) मुद्रा बाजार (Money Market) के साधन हैं, जिनके माध्यम से बैंक संस्थागत निवेशकों से अल्पकालिक धन जुटाते हैं।

- **म्यूचुअल फंड (Mutual Funds):** इनमें अनेक निवेशकों का धन एकत्र कर विशेषज्ञों द्वारा विविध निवेश पोर्टफोलियो में लगाया जाता है। इनमें अधिक प्रतिफल की संभावना होती है, लेकिन बाजार, ऋण, तरलता और ब्याज दर से जुड़े जोखिम भी मौजूद रहते हैं।

निष्कर्ष:

भारत के बैंकिंग क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए जमा संग्रह (Deposit Mobilisation) को मजबूत करना, परिसंपत्ति-दायित्व प्रबंधन (Asset-Liability Management) को बेहतर बनाना तथा संतुलित ऋण-जमा अनुपात (Credit-to-Deposit Ratio) बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। इससे बैंकिंग प्रणाली की तरलता, लाभप्रदता और वित्तीय लचीलापन (Resilience) को मजबूती मिलेगी।

मौद्रिक नीति निर्माण को समर्थन देने के लिए तीन प्रमुख सर्वेक्षणों की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जुलाई 2026 में मुद्रास्फीति अपेक्षाओं, उपभोक्ता विश्वास और आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए तीन प्रमुख सर्वेक्षण शुरू किए हैं। ये सर्वेक्षण मौद्रिक नीति समिति (MPC) को ब्याज दरों और मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे।

RBI द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सर्वेक्षण:

- **परिवारों का मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण (IESH):** यह सर्वेक्षण परिवारों की भविष्य की कीमतों और मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाओं का आकलन करता है। यह 19 शहरों में आयोजित किया जाता है और वर्तमान, अगले तीन महीने तथा एक वर्ष की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर गुणात्मक एवं मात्रात्मक जानकारी एकत्र करता है। इससे RBI को ब्याज दर निर्धारण और मुद्रास्फीति नियंत्रण में सहायता मिलती है।
- **ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (RCCS):** यह सर्वेक्षण 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों के आर्थिक विश्वास का आकलन करता है। इसमें आर्थिक स्थिति, रोजगार, कीमतों, आय और खर्च के पैटर्न से संबंधित जानकारी ली जाती है, जिससे ग्रामीण मांग और उपभोग प्रवृत्तियों को समझने में सहायता मिलती है।
- **शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (UCCS):** यह सर्वेक्षण शहरी परिवारों की आर्थिक भावनाओं और अपेक्षाओं का मूल्यांकन करता है। 19 शहरों में आयोजित इस सर्वेक्षण में आर्थिक स्थिति, रोजगार, कीमतों, आय और खर्च से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है, जिससे RBI को शहरी उपभोग और आर्थिक विश्वास को समझने में मदद मिलती है।

मौद्रिक नीति में RBI सर्वेक्षणों की भूमिका:

- RBI इन सर्वेक्षणों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए करता है:
    - **मुद्रास्फीति पूर्वानुमान:** भविष्य की कीमतों की अपेक्षाओं को समझने के लिए।
    - **ब्याज दर निर्णय:** MPC के नीतिगत निर्णयों में सहायता के लिए।
    - **मांग का आकलन:** उपभोग और आर्थिक विश्वास को मापने के लिए।
    - **नीति प्रभावशीलता:** मौद्रिक उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के बारे में:

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के तहत किया गया था। यह एक छह सदस्यीय वैधानिक संस्था है, जो आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए रेपो दर निर्धारित करती है। इसके निर्णय RBI के लिए बाध्यकारी होते हैं।
- मौद्रिक नीति समिति में तीन RBI सदस्य और तीन बाहरी सदस्य होते हैं। RBI सदस्यों में RBI गवर्नर (अध्यक्ष), मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर और RBI केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी शामिल होते हैं। बाहरी सदस्य अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करती है। इनका कार्यकाल चार वर्ष का होता है और पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं होती।
- मौद्रिक नीति समिति की बैठक के लिए कम से कम चार सदस्यों का कोरम आवश्यक होता है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं और मत बराबर होने की स्थिति में RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैठक के विवरण प्रकाशित किए जाते हैं।

- मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण व्यवस्था के तहत कार्य करती है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को आधार मानती है। सरकार, RBI के परामर्श से, मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% निर्धारित करती है, जिसमें 2–6% की सहनशीलता सीमा होती है। यदि मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक इस सीमा से बाहर रहती है, तो RBI को सरकार को कारणों और सुधारात्मक उपायों की जानकारी देनी होती है।

निष्कर्ष:

RBI के उपभोक्ता सर्वेक्षण मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और आर्थिक भावनाओं की जानकारी प्रदान करके डेटा-आधारित मौद्रिक नीति को मजबूत करते हैं। ये सर्वेक्षण मूल्य स्थिरता बनाए रखने और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक हैं।

जोधपुर मोजरी को मिला GI टैग

संदर्भ:

हाल ही में जोधपुर की लगभग 200 वर्ष पुरानी पारंपरिक फुटवियर कला मोजरी शिल्प को केंद्र सरकार द्वारा भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। यह मान्यता कारीगरों की सुरक्षा, बेहतर ब्रांडिंग और निर्यात के अवसरों को बढ़ाने में सहायक होगी।

जोधपुरी मोजरी के बारे में:

- जोधपुरी मोजरी एक हस्तनिर्मित चमड़े की पारंपरिक जूती है, जो अपनी कढ़ाई, मजबूती, लचीलेपन और पारंपरिक डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की गर्म जलवायु के लिए यह उपयुक्त है क्योंकि इसकी संरचना हल्की और हवादार होती है।
- मोजरी को पुरुष और महिला दोनों पहनते हैं। यह एक स्लिप-ऑन जूता होता है, जिसे घरों और मंदिरों में आसानी से उतारा जा सकता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- यह शिल्प मुख्य रूप से जिनगर समुदाय द्वारा किया जाता है, जो परंपरागत रूप से घोड़े की काठी बनाने के कार्य से जुड़े थे। जिनगर शब्द का संबंध जीन (काठी) से है, जिसका अर्थ है काठी बनाने वाले।
- ऐतिहासिक रूप से यह समुदाय राजसी सेनाओं के लिए घोड़ों की काठी तथा तलवारों और खंजरों के चमड़े के आवरण तैयार करता था।
- स्थानीय परंपराओं के अनुसार, एक शाही विवाह के अवसर पर जिनगर समुदाय द्वारा बनाए गए रचनात्मक डिजाइन वाले चमड़े के जूतों से जोधपुर के शासक प्रभावित हुए, जिसके बाद समुदाय ने जूते बनाने का कार्य अपनाया। समय के साथ मोजरी जोधपुर की सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गई।

GI टैग के बारे में:

- भौगोलिक संकेतक (GI) टैग एक ऐसा चिन्ह है, जो उन उत्पादों को दिया जाता है जिनकी विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या पहचान किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। यह किसी उत्पाद की पहचान को उसके उत्पादन क्षेत्र से जोड़ता है।
- **कानूनी ढांचा:**

पहलू	विवरण
नियामक कानून	वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
प्रभावी तिथि	सितंबर 2003
उद्देश्य	भौगोलिक उत्पादों का संरक्षण और दुरुपयोग को रोकना
अंतरराष्ट्रीय संबंध	WTO के TRIPS समझौते के अनुरूप

- भारत ने GI कानून को पारंपरिक उत्पादों को बौद्धिक संपदा के रूप में सुरक्षित रखने और उनके आर्थिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए लागू किया।
- **प्रशासनिक संस्था:**
  - » GI पंजीकरण का कार्य भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री, चेन्नई द्वारा किया जाता है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आती है।

- » बौद्धिक संपदा अधिकारों का समग्र प्रशासन पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक (द्वारा किया जाता है।
- **वैधता अवधि:** GI पंजीकरण की वैधता 10 वर्षों तक होती है। इसे समय-समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है।
- **भारत में पहला GI टैग:** भारत में GI टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय (2004-05) थी। यह भारत के GI ढांचे के अंतर्गत संरक्षित होने वाला पहला उत्पाद बना।

GI टैग के लाभ:

- अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है।
- बाजार में उत्पाद की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ाता है।
- निर्यात को बढ़ावा देता है।
- स्थानीय कारीगरों और ग्रामीण रोजगार को सहायता प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

जोधपुरी मोजरी को मिला GI टैग केवल एक पारंपरिक फुटवियर कला की मान्यता नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की सदियों पुरानी हस्तशिल्प परंपरा को संरक्षित करने और कारीगर समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सांस्कृतिक विरासत को आर्थिक अवसरों से जोड़कर GI संरक्षण भारत को अपने पारंपरिक उत्पादों की सुरक्षा करने और उन्हें वैश्विक बाजारों में विस्तार देने में सहायता कर सकता है।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026

संदर्भ:

हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (Economist Intelligence Unit-EIU) ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया, जिसमें विश्व के 173 शहरों की रहने योग्य (Liveability) परिस्थितियों का आकलन किया गया। भारतीय शहरों में नई दिल्ली को 120वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स क्या है?

- ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स EIU द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट है, जो विश्व के प्रमुख शहरों में जीवन की गुणवत्ता (Quality of Life) का मूल्यांकन करती है।
- **उद्देश्य:**
  - » विभिन्न शहरों की रहने योग्य परिस्थितियों की तुलना करना।
  - » कर्मचारियों के लिए हार्डशिप अलाउंस (Hardship Allowance) निर्धारित करने में कंपनियों की सहायता करना।
  - » शहरी जीवन की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना।

मूल्यांकन के आधार:

- यह सूचकांक 173 शहरों का मूल्यांकन 30 गुणात्मक एवं मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में करता है-

श्रेणी	भार (%)
स्थिरता (Stability)	25%
स्वास्थ्य सेवाएँ (Healthcare)	20%
संस्कृति एवं पर्यावरण (Culture & Environment)	25%
शिक्षा (Education)	10%
अवसंरचना (Infrastructure)	20%

- प्रत्येक शहर को 100 अंकों के पैमाने पर अंक दिए जाते हैं। अधिक अंक बेहतर रहने योग्य स्थिति को दर्शाते हैं।

शीर्ष स्थान प्राप्त शहर:

रैंक	शहर	देश
1	कोपेनहेगन	डेनमार्क
2	वियना	ऑस्ट्रिया
3	मेलबर्न	ऑस्ट्रेलिया

भारतीय शहरों का प्रदर्शन:

शहर	रैंक
नई दिल्ली	120
मुंबई	121
चेन्नई	123
बेंगलुरु	127

- नई दिल्ली और मुंबई ने वर्ष 2025 की अपनी रैंकिंग बरकरार रखी।
- भारतीय शहरों को अवसंरचना, प्रदूषण, यातायात जाम एवं शहरी प्रशासन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

वैश्विक रुझान:

- पश्चिमी यूरोप दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि उसके औसत स्कोर में विशेष बदलाव नहीं हुआ।

- एशियाई शहरों की रहने योग्य स्थिति में सुधार देखा गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र सहित विभिन्न भू-राजनीतिक तनावों के कारण कुछ शहरों के स्थिरता (Stability) स्कोर प्रभावित हुए हैं।

भारत में शहरीकरण:

- वर्तमान में भारत की लगभग 35–36% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जो 2047 तक 50% होने का अनुमान है।
- भारतीय शहर देश के लगभग 66% GDP में योगदान देते हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु का योगदान 30% से अधिक है।
- दिल्ली देश का सबसे बड़ा शहरी समूह (Urban Agglomeration) है।
- 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की व्यवस्था कर शहरी प्रशासन को सशक्त बनाया गया। स्मार्ट सिटीज मिशन (2015) के अंतर्गत 100 शहरों का चयन किया गया, जिनमें 94% से अधिक परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।
- इसके बावजूद यातायात जाम, शहरी गरीबी, झुग्गी बस्तियाँ और अपर्याप्त अवसंरचना जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। भारत की 17% से अधिक शहरी आबादी झुग्गी बस्तियों में रहती है, जबकि इंदौर, विशाखापत्तनम और लखनऊ जैसे शहर उभरते हुए टियर-II एवं टियर-III विकास केंद्र बन रहे हैं।

भारतीय शहरों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:

- तीव्र शहरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि।
- यातायात जाम और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन।
- वायु प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षरण।
- स्वास्थ्य सेवाओं एवं शहरी अवसंरचना पर बढ़ता दबाव।
- शहरी प्रशासन एवं सेवा वितरण में कमियाँ।

लिवेबिलिटी का महत्व:

- बेहतर लिवेबिलिटी रैंकिंग से-
  - » वैश्विक निवेश आकर्षित होता है।
  - » जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन सुगमता (Ease of Living) में सुधार होता है।
  - » कुशल मानव संसाधन एवं प्रतिभाओं को आकर्षित करने में सहायता मिलती है।
  - » सतत एवं समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 यह दर्शाता है कि भारतीय शहरों को अवसंरचना, शहरी प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। रहने योग्य शहर केवल नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि निवेश, रोजगार, प्रतिभा और सतत आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करते हैं।

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम

संदर्भ:

हाल ही में भारत के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम ने देशभर में E20 ईंधन (20% एथेनॉल + 80% पेट्रोल) को अपनाए जाने के बाद विशेष ध्यान आकर्षित किया है। विरोध के बाद सरकार ने कहा कि E20 ईंधन से कुछ वाहनों की ईंधन दक्षता (Fuel Efficiency) में लगभग 3–5% तक कमी आ सकती है, लेकिन इसके साथ स्वच्छ दहन (Cleaner Combustion), उच्च ऑक्टेन रेटिंग (Higher Octane Rating) तथा कम प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण लाभ भी प्राप्त होते हैं।

एथेनॉल क्या है?

- एथेनॉल (Ethyl Alcohol) एक नवीकरणीय जैव ईंधन (Renewable Biofuel) है, जिसका उत्पादन पौधों से प्राप्त शर्करा (Sugar) एवं स्टार्च (Starch) के किण्वन (Fermentation) द्वारा किया जाता है।
- इसका मुख्य उपयोग पेट्रोल में मिश्रण के रूप में किया जाता है, जिससे ईंधन की गुणवत्ता में सुधार होता है और हानिकारक उत्सर्जन कम होता है।
- पेट्रोल में मिश्रण हेतु उपयोग किए जाने वाले एथेनॉल की शुद्धता 99% या उससे अधिक होनी चाहिए। इसका उत्पादन गन्ना, मक्का, चावल, अन्य अनाज तथा कृषि अवशेषों से किया जा सकता है।

एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के बारे में:

- एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना तथा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति, 2018 के तहत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। भारत ने 2025-26 में 20% एथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया।

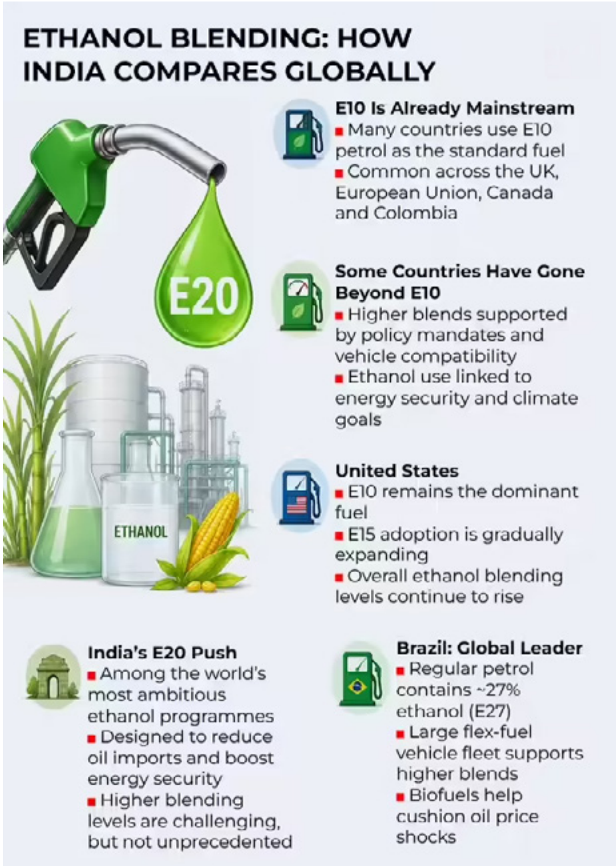

प्रमुख बिंदु:

- **शुरुआत:** जनवरी 2003 (पायलट परियोजना), वर्ष 2006 में पूरे देश में विस्तार।
- **एथेनॉल के स्रोत:** गन्ने का शीरा, गन्ना, मक्का, चुकंदर, खराब खाद्यान्न तथा कृषि अवशेष (2G एथेनॉल)।
- **मुख्य लाभ:** कच्चे तेल के आयात में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत (₹1.4 लाख करोड़ से अधिक), किसानों की आय में वृद्धि, लगभग 30% तक कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा।
- **वाहनों पर प्रभाव:** E20 ईंधन सुरक्षित माना गया है। हालांकि, कुछ पुराने वाहनों में 3–5% तक माइलेज में मामूली कमी आ सकती है।

जैव ईंधन (Biofuels) की पीढ़ियाँ:

- **प्रथम पीढ़ी:**
  - खाद्य फसलों जैसे गन्ना, मक्का एवं शुगर बीट से तैयार किए जाते हैं।
  - उदाहरण: शीरे (Molasses) से बनने वाला एथेनॉल।
  - चिंता: खाद्य बनाम ईंधन (Food vs Fuel) की बहस।
- **द्वितीय पीढ़ी:**
  - गैर-खाद्य स्रोतों जैसे कृषि अवशेष, बगास (Bagasse) तथा नगर निगम के ठोस अपशिष्ट (Municipal Waste) से तैयार किए जाते हैं।
  - इससे पराली जलाने की समस्या कम होती है तथा अपशिष्ट से ऊर्जा (Waste-to-Energy) को बढ़ावा मिलता है।
- **तृतीय पीढ़ी:**
  - शैवाल (Algae) एवं अन्य जलीय जैव पदार्थ (Aquatic Biomass) से तैयार किए जाते हैं।
  - इनमें कृषि भूमि की आवश्यकता कम होती है तथा कार्बन अवशोषण (Carbon Absorption) की क्षमता अधिक होती है।
- **चतुर्थ पीढ़ी:**
  - आनुवंशिक रूप से संशोधित सूक्ष्मजीवों (Genetically Modified Microorganisms) की सहायता से कार्बन-तटस्थ (Carbon-Neutral) ईंधन विकसित किए जाते हैं।

एथेनॉल मिश्रण के लाभ:

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपनी 88% से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता आयात करता है। एथेनॉल मिश्रण से आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होती है तथा विदेशी मुद्रा की बचत होती है।
- **किसानों को लाभ:** यह कार्यक्रम गन्ना, अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराता है, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** एथेनॉल, पेट्रोल की तुलना में अधिक स्वच्छ ईंधन है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आती है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन:** 2G एथेनॉल कृषि अवशेषों को ईंधन में परिवर्तित करता है, जिससे पराली जलाने जैसी समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है।

चुनौतियाँ:

- कुछ वाहनों में माइलेज (ईंधन दक्षता) में कमी।
- पुराने इंजनों के साथ अनुकूलता (Compatibility) की समस्या।
- गन्ने जैसी अधिक जल-आवश्यकता वाली फसलों पर निर्भरता।
- खाद्य सुरक्षा (Food Security) से संबंधित चिंताएँ।
- उन्नत जैव ईंधन (2G एवं 3G) प्रौद्योगिकी के विस्तार की आवश्यकता।

आगे की राह:

भारत को द्वितीय (2G) और तृतीय (3G) पीढ़ी के जैव ईंधनों को बढ़ावा देने, ईंधन-कुशल वाहनों के विकास, एथेनॉल अवसंरचना को मजबूत करने तथा ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कृषि की सततता के बीच संतुलन स्थापित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026

संदर्भ:

हाल ही में नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक (Investment Friendliness Index - IFI) 2026 जारी किया है। यह सूचकांक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) की निवेश आकर्षित करने और उसे बनाए रखने की क्षमता का मूल्यांकन करता है। बड़े राज्यों में गुजरात सबसे अधिक निवेश-अनुकूल राज्य के रूप में उभरा है, जिसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु का स्थान है।

सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष:

- निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के अनुसार, बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात ने 100 में से 56.6 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र 53.7 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु 53.3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
- पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद असम और हिमाचल प्रदेश रहे। केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर रहा, जबकि दिल्ली और चंडीगढ़ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।
- इस सूचकांक में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की उनकी क्षमता को मापा गया है।

निवेश अनुकूलता सूचकांक के बारे में:

- निवेश अनुकूलता सूचकांक केवल एक रैंकिंग प्रणाली नहीं है। नीति आयोग ने इसे एक रणनीतिक सुधार उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जो राज्यों को नीतिगत कमियों की पहचान करने, शासन व्यवस्था में सुधार करने और अपने निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहायता करता है।
- इस सूचकांक के उद्देश्य हैं:
  - » राज्यों को निजी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा हेतु प्रोत्साहित करना।
  - » राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
  - » व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार करना।
  - » साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करना।
- इस सूचकांक को तैयार करने के लिए 1,850 से अधिक निवेशकों का सर्वेक्षण किया गया और 165 हितधारकों से प्राप्त सुझावों को शामिल किया गया।

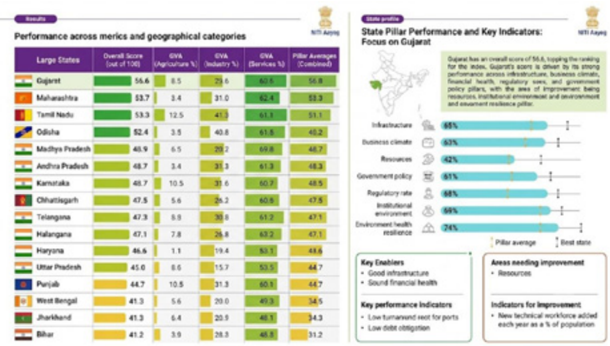

मूल्यांकन के प्रमुख मानदंड:

- निवेश की तैयारी को निर्धारित करने वाले आठ प्रमुख स्तंभों के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया:
  - » बुनियादी ढांचा (Infrastructure) – 25%
  - » व्यापारिक वातावरण (Business Climate) – 20%
  - » संसाधन (Resources) – 15%
  - » नियामकीय सुगमता (Regulatory Ease) – 12%
  - » सरकारी नीतियां (Government Policy) – 10%
  - » वित्तीय स्थिति (Financial Health) – 7%
  - » संस्थागत वातावरण (Institutional Environment) – 6%
  - » पर्यावरणीय लचीलापन (Environmental Resilience) – 5%
- मूल्यांकन में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ निवेशकों की धारणा से संबंधित सर्वेक्षणों को भी शामिल किया गया, जिससे प्रत्येक राज्य के निवेश वातावरण की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सूचकांक का महत्व:

- यह सूचकांक प्रतिस्पर्धी संघवाद (Competitive Federalism)

की अवधारणा को मजबूत करता है, जिसमें राज्य बेहतर शासन और नीतियों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने का प्रयास करते हैं।

- अधिक निवेश आने से:
  - रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सकती है।
  - विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल सकता है।
  - नवाचार को प्रोत्साहन मिल सकता है।
  - आर्थिक विकास की गति तेज हो सकती है।
- इसके अलावा, यह सूचकांक राज्यों को अपनी कमजोरियों की पहचान करने और सुधार लागू करने में सहायता करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में भी योगदान दे सकता है।

निष्कर्ष:

निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 राज्यों को अपनी निवेश क्षमता बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। गुजरात की उपलब्धि यह दर्शाती है कि मजबूत बुनियादी ढांचा, स्थिर नीतियां और निवेशकों का विश्वास निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, इस सूचकांक का व्यापक उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ाना नहीं, बल्कि राज्यों के बीच सहयोग को भी प्रोत्साहित करना है, ताकि वे एक-दूसरे से सीख सकें और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकें।

यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति-2026

सन्दर्भ:

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य गैस-आधारित यूरिया विनिर्माण संयंत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना, घरेलू यूरिया उत्पादन बढ़ाना, आयात निर्भरता कम करना तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुदृढ़ करना है।

पृष्ठभूमि:

- उर्वरक विभाग ने वर्ष 2012 में नई निवेश नीति (NIP-2012) लागू की थी, जिसके अंतर्गत ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, विस्तार, आधुनिकीकरण एवं बंद यूरिया संयंत्रों के पुनरुद्धार में निवेश को प्रोत्साहन दिया गया।
- इस नीति के अंतर्गत:
  - 6 नए यूरिया संयंत्र स्थापित किए गए।
  - इनमें 4 सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त उपक्रमों तथा 2 निजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए।
  - वर्ष 2019 में निवेश अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त नए निवेश प्रस्तावों के आधार पर NIPU-2026 तैयार की गई।

यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति 2026 की प्रमुख विशेषताएँ:

- नए गैस-आधारित यूरिया विनिर्माण संयंत्रों को प्रोत्साहन।
- मूल्य निर्धारण में स्थिर (Fixed) एवं परिवर्ती (Variable) लागतों को अलग-अलग निर्धारित किया गया है।
- निवेश को आकर्षक बनाने हेतु 12% से 16% तक इक्विटी प्रतिफल (Return on Equity-RoE) का प्रावधान।
- चार वर्ष बाद प्रचलित विनिमय दर के आधार पर स्थिर लागत को रुपये में परिवर्तित कर विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करना।
- घरेलू उत्पादन बढ़ाकर यूरिया आयात पर निर्भरता घटाना।

भारत में यूरिया उत्पादन:

- भारत में 33 यूरिया विनिर्माण इकाइयाँ कार्यरत हैं।
- कुल पुनर्मूल्यांकित स्थापित क्षमता 269.42 लाख मीट्रिक टन (LMT) है।
- पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद कृषि क्षेत्र में अधिक मांग के कारण भारत को यूरिया का आयात करना पड़ता है।

कृषि एवं औद्योगिक यूरिया में अंतर:

कृषि यूरिया	औद्योगिक (तकनीकी ग्रेड) यूरिया
फसलों के लिए नाइट्रोजन उर्वरक	रेज़िन, प्लाईवुड, मेलामाइन, वस्त्र, रंग एवं अन्य उद्योगों में उपयोग
सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त	बिना सब्सिडी के बाज़ार मूल्य पर उपलब्ध
नीम-लेपित तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत विनियमित	नीम-लेपित नहीं; औद्योगिक गुणवत्ता मानकों के अनुसार
पीले रंग के थैलों में निर्धारित चिन्हों सहित आपूर्ति	सामान्यतः सफेद थैलों में औद्योगिक विनिर्देशों के साथ

संबंधित सरकारी पहल:

- **पोषक-आधारित सब्सिडी (NBS) योजना, 2010:** फॉस्फेट एवं पोटाश उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, 2015:** किसानों को मृदा पोषक तत्वों की जानकारी उपलब्ध कराना।

- **100% नीम-लेपित यूरिया, 2015:** नाइट्रोजन हानि कम करना, पोषक उपयोग दक्षता बढ़ाना तथा सब्सिडीयुक्त यूरिया की कालाबाज़ारी रोकना।
- **नैनो उर्वरक:** पोषक तत्वों की अधिक दक्ष आपूर्ति; भारत आगामी वर्षों में पारंपरिक यूरिया एवं DAP का लगभग 10% नैनो उर्वरकों से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

महत्त्व:

- आत्मनिर्भर भारत के तहत उर्वरक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा।
- महंगे यूरिया आयात पर निर्भरता में कमी।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन।
- ऊर्जा-कुशल गैस-आधारित उत्पादन को बढ़ावा।
- किसानों को उर्वरकों की स्थिर उपलब्धता सुनिश्चित कर खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना।

चुनौतियाँ:

- नए संयंत्रों के लिए उच्च पूंजी निवेश।
- प्राकृतिक गैस की उपलब्धता एवं कीमतों पर निर्भरता।
- उर्वरक उत्पादन से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव।
- यूरिया के अत्यधिक उपयोग को रोकते हुए संतुलित उर्वरक उपयोग सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

यूरिया हेतु राष्ट्रीय निवेश नीति-2026 भारत की उर्वरक सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा आयात निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, दीर्घकालिक कृषि एवं खाद्य सुरक्षा के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ संतुलित उर्वरक उपयोग, नैनो उर्वरकों को बढ़ावा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा पोषक तत्वों के दक्ष उपयोग पर समान रूप से बल देना आवश्यक है।

बिटचैट रिपॉज़िटरी हटाने की कार्रवाई

संदर्भ:

हाल ही में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs–MHA) के अंतर्गत कार्यरत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने GitHub को निर्देश दिया कि वह बिटचैट नामक विकेंद्रीकृत ब्लूटूथ मेष संदेश सेवा (Bluetooth Mesh Messaging Application) से संबंधित रिपॉज़िटरियों (Repositories) तक सार्वजनिक पहुँच को निष्क्रिय (Disable) कर दे।

बिटचैट क्या है?

- बिटचैट एक विकेंद्रीकृत (Decentralized) व्यक्ति-से-व्यक्ति (Peer-to-Peer) संदेश प्रेषण अनुप्रयोग है, जो ब्लूटूथ मेष नेटवर्क (Bluetooth Mesh Network) के माध्यम से कार्य करता है। इसके संचालन के लिए न तो इंटरनेट की आवश्यकता होती है और न ही किसी केंद्रीय सर्वर की।
- इसमें उपयोगकर्ताओं को मोबाइल नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी देकर पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होती। नेटवर्क में प्रत्येक उपकरण संदेश भेजने के साथ-साथ उसे आगे पहुँचाने (Relay) का भी कार्य करता है। इस प्रकार संदेश कई निकटवर्ती उपकरणों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता है।
- यह व्यवस्था इंटरनेट बंद होने की स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं अथवा कमजोर नेटवर्क वाले दूरस्थ क्षेत्रों में भी संचार को संभव बनाती है। इसका उद्देश्य सेंसरशिप से स्वतंत्रता, गोपनीयता की रक्षा तथा संचार अवसंरचना पर निर्भरता को कम करना है।

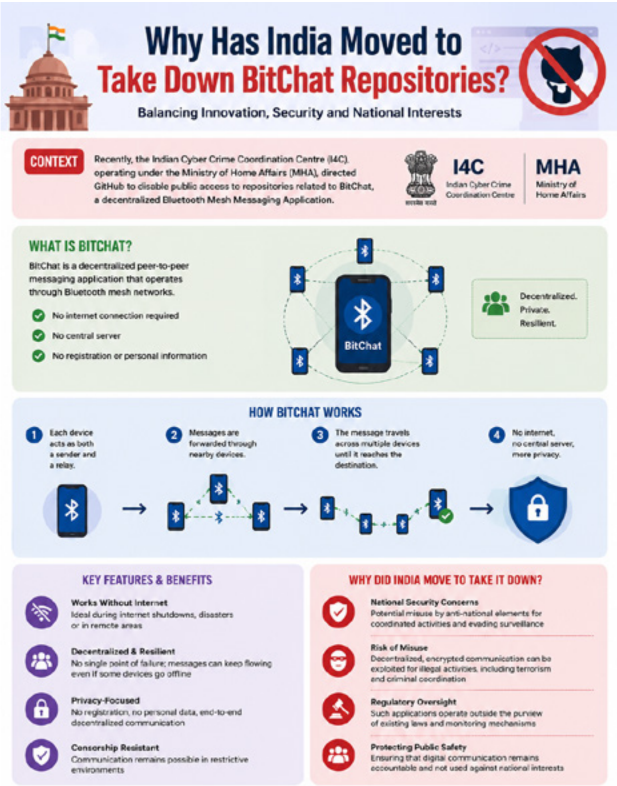

सरकार ने इसे हटाने की माँग क्यों की?

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार, बिटचैट का गुमनाम और विकेंद्रीकृत संरचना कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए इन कामों को बहुत मुश्किल बना देता है:
  - » वैध निगरानी (Lawful Interception) करना,
  - » उपयोगकर्ताओं की पहचान करना,
  - » तथा आपराधिक गतिविधियों की जाँच करना
- सरकार का तर्क है कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म का गलत इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जा सकता है:
  - » अवैध जमावड़े (Unlawful Assemblies) आयोजित करना,
  - » हिंसक विरोध-प्रदर्शन,
  - » आतंकवादी गतिविधियाँ,
  - » संगठित अपराध,
  - » भ्रामक सूचना (Misinformation) फैलाना,
- भारत की संप्रभुता, सुरक्षा एवं लोक-व्यवस्था के लिए हानिकारक अन्य कार्य।
- चूँकि संदेश सीधे निकटवर्ती उपकरणों के बीच आदान-प्रदान होते हैं और कोई केंद्रीय सर्वर नहीं होता, इसलिए सरकार को आशंका है कि विशेषकर इंटरनेट बंदी (Internet Shutdown) के दौरान लोग वैध निगरानी से बच सकते हैं।

कानूनी आधार:

- यह निर्देश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(1)(घ) के अंतर्गत जारी किया गया।
- धारा 79 के अंतर्गत GitHub जैसे मध्यस्थ (Intermediaries) को सुरक्षित आश्रय (Safe Harbour) का संरक्षण प्राप्त होता है।
- यदि कोई मध्यस्थ सरकारी सूचना मिलने के बाद भी अवैध सामग्री नहीं हटाता, तो वह यह संरक्षण खो सकता है। हालांकि, धारा 79 स्वयं किसी सामग्री को अवरुद्ध (Block) करने की शक्ति प्रदान नहीं करती।
- सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने की शक्ति सामान्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A तथा अवरोधन नियम, 2009 (Blocking Rules, 2009) के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। इन प्रावधानों में कारणों का अभिलेखन (Recording of Reasons) तथा समीक्षा की व्यवस्था जैसी प्रक्रियात्मक सुरक्षा भी निर्धारित की गई है।

इस आदेश की आलोचना क्यों हो रही है?

- इंटरनेट फ़्रीडम फ़ाउंडेशन (Internet Freedom Foundation–IFF) ने इस आदेश की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार ने किसी विशिष्ट अवैध सामग्री की पहचान किए बिना केवल संभावित दुरुपयोग के आधार पर पूरे अनुप्रयोग को निशाना बनाया है।
- IFF ने यह भी कहा है कि यह आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले में प्रतिपादित आनुपातिकता (Proportionality) के सिद्धांत का पालन नहीं करता।
- इस ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने कहा था कि:
  - » इंटरनेट एवं संचार पर लगाए गए प्रतिबंध आवश्यक होने चाहिए,
  - » आनुपातिक होने चाहिए,
  - » उनका दायरा सीमित होना चाहिए,
  - » वे अस्थायी होने चाहिए,
  - » तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना चाहिए।

निष्कर्ष:

बिटचैट विवाद यह दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल गोपनीयता तथा संचार की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। भारत को ऐसी पारदर्शी, उत्तरदायी एवं आनुपातिक नियामक व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है, जो एक ओर नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करे और दूसरी ओर उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोक सके।

भारत में औपचारिक ऋण का विस्तार

संदर्भ:

हाल ही में ट्रांसयूनियन सिबिल की रिपोर्ट “अनलॉकिंग एक्सेस: जर्नी ऑफ क्रेडिट एक्सपैंशन इन इंडिया” के अनुसार बढ़ता उपभोक्ता ऋण, उधारकर्ताओं की वृद्धि की धीमी गति तथा पहली बार ऋण लेने वालों की घटती संख्या, सतत ऋण वृद्धि के समक्ष चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं।

औपचारिक ऋण क्या है?

- औपचारिक ऋण से आशय उन ऋणों से है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पर्यवेक्षण में कार्य करने वाले विनियमित वित्तीय संस्थानों, जैसे बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी), सहकारी बैंक तथा सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं:

» पारदर्शी ब्याज दरें तथा विधिक संरक्षण।
» सिबिल एवं अन्य ऋण सूचना संस्थाओं के माध्यम से ऋण इतिहास का निर्माण।
» उपभोक्ताओं को बेहतर संरक्षण तथा अधिक एवं किफायती ऋण की उपलब्धता।
» अत्यधिक ब्याज वसूलने वाले अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता में कमी।

प्रमुख निष्कर्ष:

- **बढ़ता ऋण भार:** अत्यधिक ऋणग्रस्त उधारकर्ताओं की संख्या वित्त वर्ष 2017 में 5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 18% हो गई, जो वित्त वर्ष 2026 में घटकर 15% रह गई। इसका सर्वाधिक प्रभाव युवा उपभोक्ताओं पर देखा गया।
- **उधारकर्ताओं की वृद्धि में मंदी:** ऋण लेने वाले सक्रिय उपभोक्ताओं की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 2017–19 के 14% से घटकर 2024–26 में 9% रह गई, जिससे संकेत मिलता है कि वित्तीय समावेशन की प्रारंभिक उपलब्धियाँ अब स्थिर होने लगी हैं।
- **पहली बार ऋण लेने वालों में कमी:** नए ऋणधारकों का अनुपात 2017 में 32% से घटकर 2026 में 13% रह गया, जिससे स्पष्ट होता है कि ऋणदाता अब बार-बार ऋण लेने वाले ग्राहकों पर अधिक निर्भर हो रहे हैं।
- **ऋण लेने की प्रवृत्ति में परिवर्तन:** व्यक्तिगत ऋण एवं क्रेडिट कार्ड सहित उपभोग संबंधी ऋण का अनुपात 34% से बढ़कर 51% हो गया, जो परिसंपत्ति-आधारित ऋण से जीवनशैली-आधारित ऋण की ओर परिवर्तन को दर्शाता है।
- **वाणिज्यिक ऋण संबंधी चिंता:** वाणिज्यिक ऋण में भागीदारी में कमी आई है, जिससे संकेत मिलता है कि अनेक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अब भी औपचारिक ऋण व्यवस्था से बाहर हैं।
- **क्षेत्रीय विस्तार:** उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों में ऋण वृद्धि की गति महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक अग्रणी राज्यों की तुलना में अधिक रही है।

चुनौतियाँ:

- घरेलू ऋण एवं ऋण चूक के जोखिम में वृद्धि।
- वित्तीय समावेशन की गति में कमी।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए औपचारिक ऋण तक सीमित पहुँच।
- असुरक्षित उपभोक्ता ऋण पर बढ़ती निर्भरता।

औपचारिक ऋण के विस्तार के कारण:

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** आधार, यूपीआई, इंडिया स्टैक तथा ई-केवाईसी ने ग्राहकों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया।
- **वित्तीय समावेशन:** प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच का विस्तार किया।
- **वित्तीय प्रौद्योगिकी का विकास:** डिजिटल ऋण मंचों ने ऋण की उपलब्धता को आसान बनाया।
- **सरकारी योजनाएँ:** मुद्रा, स्टैंड-अप इंडिया तथा सीजीटीएमएसई ने उद्यमियों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए ऋण को बढ़ावा दिया।
- **बेहतर ऋण सूचना प्रणाली:** ऋण सूचना संस्थाओं तथा अकाउंट एग्रीगेटर व्यवस्था ने जोखिम मूल्यांकन को अधिक प्रभावी बनाया।

आगे की राह:

भारत को उत्तरदायी ऋण वितरण को बढ़ावा देना चाहिए, ऋण मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाना चाहिए, वित्तीय साक्षरता में सुधार करना चाहिए, पहली बार ऋण लेने वालों एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तक औपचारिक ऋण का विस्तार करना चाहिए तथा समावेशी ऋण वृद्धि को बनाए रखते हुए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियामकीय निगरानी स्थापित करनी चाहिए।

निष्कर्ष:

भारत में ऋण विस्तार के अगले चरण का उद्देश्य केवल उधारकर्ताओं की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उत्तरदायी, समावेशी तथा सतत ऋण वृद्धि सुनिश्चित करना होना चाहिए, जिससे वित्तीय समावेशन और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन बना रहे।

7 आंतरिक सुरक्षा

डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025–26: एआई के दौर में भारत की साइबर सुरक्षा रणनीति

संदर्भ:

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025–26 का दूसरा संस्करण जारी किया है। यह रिपोर्ट भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (BFSI) तथा डिजिटल भुगतान (Digital Payments) पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष उभरते साइबर खतरों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। साथ ही, यह वित्तीय संस्थानों, नियामकों तथा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों एवं साइबर लचीलापन (Cyber Resilience) विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है।

वर्तमान समय में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता, वित्तीय विश्वास और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण विषय बन गई है।

डिजिटल थ्रेट क्या है?

- डिजिटल थ्रेट (Digital Threat) से आशय किसी भी ऐसे दुर्भावनापूर्ण (Malicious) कृत्य, सॉफ़्टवेयर, साइबर हमले या सुरक्षा जोखिम से है, जिसका उद्देश्य डिजिटल डेटा से समझौता करना, पहचान (Identity) की चोरी करना, हार्डवेयर अथवा नेटवर्क को क्षति पहुँचाना या डिजिटल सेवाओं एवं दैनिक परिचालन को बाधित करना हो।
- वर्तमान समय में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विस्तार कर रही है। डिजिटल भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, ई-गवर्नेंस तथा फिनटेक सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ भी तेजी से बढ़ी हैं।

डिजिटल थ्रेट्स के प्रमुख प्रकार:

- **मैलवेयर एवं रैनसमवेयर (Malware and Ransomware):** मैलवेयर ऐसे दुर्भावनापूर्ण सॉफ़्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर, मोबाइल या नेटवर्क को संक्रमित कर उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। रैनसमवेयर डेटा को एन्क्रिप्ट कर उपयोगकर्ता से उसे पुनः प्राप्त करने के लिए फिरौती (Ransom) की मांग करता है। हाल के वर्षों में अस्पतालों, बैंकों तथा सरकारी संस्थानों पर ऐसे हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **फ़िशिंग एवं डिजिटल उगाही (Phishing & Digital Extortion):** फ़िशिंग के अंतर्गत नकली ई-मेल, वेबसाइट, एसएमएस अथवा सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं से बैंकिंग विवरण, ओटीपी, पासवर्ड एवं अन्य संवेदनशील सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं। हाल के वर्षों में "डिजिटल अरेस्ट" जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर खतरा माना है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साइबर खतरे:** साइबर अपराधी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर डीपफेक वीडियो, वॉयस क्लोनिंग (Voice Cloning), स्वचालित फ़िशिंग तथा बायोमेट्रिक सुरक्षा को दरकिनार करने जैसी तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं। इससे साइबर हमले अधिक तेज, सटीक तथा पहचानने में कठिन हो गए हैं।
- **डेटा उल्लंघन (Data Breaches):** डेटा ब्रीच वह स्थिति है, जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन की गोपनीय व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक जानकारी तक अनधिकृत पहुँच प्राप्त कर उसे

चुरा लिया जाता है या सार्वजनिक कर दिया जाता है। इससे वित्तीय नुकसान, पहचान की चोरी तथा गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन हो सकता है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **साइबर खतरों का तीव्र विकास:**
  - रिपोर्ट के अनुसार, पहले किसी नई साइबर कमजोरी (Cyber Vulnerability) की पहचान होने और उसके दुरुपयोग (Exploitation) के बीच कई वर्षों का अंतर होता था। अब यह समय घटकर कुछ महीनों, सप्ताहों अथवा कई मामलों में केवल कुछ दिनों तक रह गया है।
  - इसका अर्थ है कि वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा पैच लगाने, सिस्टम अपडेट करने तथा जोखिम मूल्यांकन करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज करनी होगी।
- **अधिक परिष्कृत साइबर हमले:**
  - रिपोर्ट बताती है कि पहले जिन साइबर हमलों को उभरते खतरे माना जाता था, वे अब सामान्य और व्यापक हमले की रणनीति बन चुके हैं। इनमें प्रमुख हैं:
    - सोशल इंजीनियरिंग (Social Engineering)
    - क्रेडेंशियल चोरी (Credential Theft)
    - सप्लाई-चेन कम्प्रोमाइज (Supply Chain Compromise)
    - क्लाउड सिस्टम का दुरुपयोग
  - आज साइबर अपराधी तकनीकी कमजोरियों के साथ-साथ मानवीय त्रुटियों का भी लाभ उठा रहे हैं।
- **एआई-सक्षम साइबर हमलों में वृद्धि:**
  - रिपोर्ट ने "एआई विषमता" (AI Asymmetry) को सबसे गंभीर उभरते जोखिमों में से एक बताया है।
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से सीमित संसाधनों वाले हमलावर भी अत्यंत तेज गति से जटिल साइबर हमले कर सकते हैं। AI आधारित फ़िशिंग ई-मेल, डीपफेक वीडियो, स्वचालित मैलवेयर तथा पासवर्ड क्रैकिंग जैसे हमले अब पहले की तुलना में अधिक प्रभावी हो गए हैं।
  - दूसरी ओर, सुरक्षा एजेंसियों तथा नियामकों की प्रतिक्रिया प्रणाली अपेक्षाकृत धीमी होने के कारण यह असंतुलन (Asymmetry) साइबर सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहा है।
- **कठिन होते साइबर हमले:**
  - आधुनिक साइबर हमले अब पहले की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। कई बार ये हमले निम्नलिखित गतिविधियों जैसे प्रतीत होते हैं:
    - वैध उपयोगकर्ता लॉगिन
    - अधिकृत भुगतान लेन-देन
    - सामान्य कार्यालयी कार्यप्रवाह
  - परिणामस्वरूप इनकी पहचान तब तक नहीं हो पाती, जब तक संस्थान को वित्तीय अथवा परिचालन नुकसान नहीं हो जाता।
- **चार-स्तरीय साइबर विफलता ढांचा:**
  - रिपोर्ट में "साइबर विफलता का विश्लेषण" (Anatomy of Cyber Failure) नामक नया विश्लेषणात्मक ढांचा प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार अधिकांश साइबर उल्लंघन निम्नलिखित चार परस्पर जुड़ी कमजोरियों के कारण होते हैं:
    - सिस्टम डिजाइन में कमियां
    - सुरक्षा नियंत्रणों का कमजोर कार्यान्वयन
    - प्रभावी पहचान (Detection) प्रणाली का अभाव
    - संस्थागत प्रतिक्रिया में विलंब
  - यह ढांचा संस्थानों को अपनी सुरक्षा रणनीति का समग्र मूल्यांकन करने तथा साइबर सुरक्षा निवेश की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में सहायता करेगा।
- **18 माह का साइबर लचीलापन रोडमैप:** रिपोर्ट में वित्तीय संस्थानों के लिए अगले 18 महीनों हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत सुझाव दिए गए हैं:
  - बुनियादी साइबर सुरक्षा नियंत्रणों को मजबूत बनाना।
  - निरंतर जोखिम आकलन (Continuous Risk Assessment) करना।
  - सरकारी एजेंसियों तथा निजी संस्थानों के बीच सूचना साझाकरण बढ़ाना।
  - उन्नत साइबर लचीलापन (Advanced Cyber Resilience) विकसित करना।
  - अनुकूलनशील (Adaptive) एवं बहु-स्तरीय सुरक्षा संरचना स्थापित करना।
  - कर्मचारियों को नियमित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण देना।
  - AI आधारित साइबर रक्षा प्रणालियों का उपयोग बढ़ाना।

भारत की प्रमुख साइबर सुरक्षा पहलें:

- **इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In):** CERT-In भारत की राष्ट्रीय नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अधीन कार्य करती है। यह साइबर घटनाओं की निगरानी, विश्लेषण, सुरक्षा अलर्ट जारी करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर साइबर घटना प्रतिक्रिया का समन्वय करती है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** यह भारत का व्यापक डेटा संरक्षण कानून है, जो नागरिकों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग, प्रसंस्करण तथा सुरक्षा के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों की निजता (Privacy) की रक्षा करना तथा संगठनों की डेटा सुरक्षा संबंधी जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र (Cyber Swachhta Kendra):** यह भारत सरकार की बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर एनालिसिस सेंटर पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों एवं संगठनों को मैलवेयर तथा बॉटनेट संक्रमण से सुरक्षित रखना है। यह संक्रमित उपकरणों की पहचान, निःशुल्क सुरक्षा उपकरण तथा जन-जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराता है।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) (Indian Cyber Crime Coordination Centre) देशभर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच, अनुसंधान तथा क्षमता निर्माण का कार्य करता है।
- **नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग प्रणाली (हेल्पलाइन 1930):** यह एक राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन है, जिसके माध्यम से नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की तत्काल शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसकी सहायता से संदिग्ध बैंक खातों को शीघ्र फ्रीज़ कर धोखाधड़ी की राशि को बचाने का प्रयास किया जाता है।

चुनौतियाँ:

रिपोर्ट के अनुसार भारत के समक्ष कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

- साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी।
- छोटे एवं मध्यम वित्तीय संस्थानों में सीमित साइबर सुरक्षा निवेश।
- AI आधारित साइबर अपराधों की बढ़ती जटिलता।
- क्लाउड एवं थर्ड-पार्टी सेवा प्रदाताओं पर बढ़ती निर्भरता।
- उपयोगकर्ताओं में साइबर जागरूकता का अभाव।
- सीमा-पार साइबर अपराधों की जांच में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता।

आगे की राह:

भारत को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बहु-आयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए:

- AI आधारित साइबर सुरक्षा समाधान विकसित किए जाएँ।
- Zero Trust Security Architecture को अपनाया जाए।
- नियमित साइबर ऑडिट एवं पेनिट्रेशन टेस्टिंग अनिवार्य की जाए।
- कर्मचारियों एवं ग्राहकों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएँ।
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर सूचना साझाकरण को बढ़ावा दिया जाए।
- अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश बढ़ाया जाए।

निष्कर्ष:

डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025–26 स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता साइबर सुरक्षा पर निर्भर करती है। जैसे-जैसे डिजिटल बैंकिंग, UPI, फिनटेक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे साइबर खतरे भी अधिक जटिल और संगठित होते जा रहे हैं। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है जिससे भारत न केवल अपनी डिजिटल वित्तीय अवसंरचना को सुरक्षित बना सकेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान भी मजबूत करेगा।

भारत-इंडोनेशिया रक्षा समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने अस्त्र Mk-1 बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) के निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत द्वारा किसी अन्य देश को स्वदेशी रूप से विकसित एयर-टू-एयर मिसाइल का पहला निर्यात है। इंडोनेशिया अपने सुखोई Su-30 और Su-27 लड़ाकू विमानों में अस्त्र Mk-1 को शामिल करेगा।

अस्त्र Mk-1 के बारे में:

- अस्त्र Mk-1 भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) है, जिसे लंबी दूरी पर अत्यधिक गतिशील सुपरसोनिक विमानों को नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है।

अस्त्र Mk-1 की प्रमुख विशेषताएँ:

विशेषता	विवरण
विकासकर्ता	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
प्रकार	बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल
मारक क्षमता	80–110 किमी
गति	मैक 4.5 तक
वारहेड	15 किग्रा उच्च-विस्फोटक प्री-फ्रैगमेंटेड वारहेड
मार्गदर्शन प्रणाली	एक्टिव रडार सीकर के साथ फायर-एंड-फॉरगेट प्रणाली और मिड-कोर्स गाइडेंस
संचालन क्षमता	सभी मौसम, दिन और रात में संचालन
उपयोगी प्लेटफॉर्म	Su-30MKI, LCA तेजस और इंडोनेशिया के Su-30/Su-27 लड़ाकू विमान

अस्त्र मिसाइल के प्रकार:

संस्करण	स्थिति	प्रमुख विशेषताएँ
अस्त्र Mk-1	परिचालन में	80–110 किमी रेंज, स्मोकलेस सॉलिड-फ्यूल रॉकेट मोटर; भारतीय वायुसेना के Su-30MKI और LCA तेजस में शामिल
अस्त्र Mk-2	विकासाधीन	ड्यूल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर; 200–240 किमी तक संभावित रेंज
अस्त्र Mk-3 (गांडीव)	विकासाधीन	सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक; 350 किमी से अधिक संभावित रेंज

बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल क्या है?

- बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल (BVRAAM) ऐसी उन्नत एयर-टू-एयर मिसाइलें हैं जो पायलट की दृश्य सीमा से बाहर स्थित दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती हैं। इनकी सामान्य क्षमता 37 किमी (20 नॉटिकल मील) से अधिक होती है।

लाभ:

- पहला हमला करने की क्षमता प्रदान करती हैं।
- नजदीकी युद्ध से पहले ही दुश्मन के विमानों को नष्ट कर सकती हैं।
- पायलट की सुरक्षा बढ़ाती हैं।
- एक्टिव रडार गाइडेंस और डेटा लिंक के माध्यम से नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता को मजबूत करती हैं।

निर्यात का महत्व:

- अस्त्र मिसाइल का निर्यात भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
- स्वदेशी एयर-टू-एयर मिसाइल का पहला निर्यात।
- भारत की विश्वसनीय रक्षा निर्यातक के रूप में स्थिति मजबूत होगी।
- आयातित मिसाइल प्रणालियों पर निर्भरता कम होगी।
- इंडोनेशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी।
- आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
- दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य मित्र देशों में रक्षा निर्यात के अवसर बढ़ेंगे।

मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) के बारे में:

- MTCR एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जिसकी स्थापना 1987 में सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) को ले जाने में सक्षम मिसाइलों और मानव रहित प्रणालियों के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी।
- **भारत और MTCR:**
  - भारत 27 जून 2016 को MTCR का 35वां सदस्य बना।
  - इससे भारत की परमाणु अप्रसार संबंधी छवि मजबूत हुई।

» उन्नत मिसाइल तकनीकों तक पहुंच और जिम्मेदार रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिला।

भारत का मिसाइल कार्यक्रम:

- भारत का आधुनिक मिसाइल कार्यक्रम एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के साथ 1983 में शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने किया।
- प्रमुख मिसाइल प्रणालियाँ:
  - » **अग्नि:** परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए बैलिस्टिक मिसाइल।
  - » **पृथ्वी:** सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल।
  - » **ब्रह्मोस:** रूस के साथ विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
  - » **आकाश:** सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
  - » **नाग:** एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल।
  - » **अस्त्र:** बियॉन्ड विज़ुअल रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल।

निष्कर्ष:

इंडोनेशिया को अस्त्र Mk-1 मिसाइल का निर्यात भारत के एक बड़े हथियार आयातक से एक विश्वसनीय रक्षा निर्यातक बनने की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी और आत्मनिर्भर भारत, तकनीकी आत्मनिर्भरता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आईएनएस महेंद्रगिरि: प्रोजेक्ट 17A नीलगिरि-क्लास फ्रिगेट

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना ने 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में छठे प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरि श्रेणी) के स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को पूर्वी बेड़े में शामिल किया।

आईएनएस महेंद्रगिरि के बारे में:

- INS महेंद्रगिरि एक अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो आधुनिक हथियारों और तकनीकों से सुसज्जित है, जैसे:
  - » ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें
  - » मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MR-SAM) प्रणालियां
  - » उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां
  - » पनडुब्बी रोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare) क्षमताएं

प्रमुख विशेषताएं:

विशेषता	विवरण
प्रकार	स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट
श्रेणी	प्रोजेक्ट 17A / नीलगिरि श्रेणी
निर्माता	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL)
डिजाइनर	भारतीय नौसेना का वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो
बेड़ा	पूर्वी बेड़ा
स्वदेशी सामग्री	लगभग 75%
भूमिका	वायु-रोधी, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध

प्रोजेक्ट 17A क्या है?

- प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट) भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत लगभग ₹45,000 करोड़ की अनुमानित लागत से सात अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है।
- इन युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो (WDB) द्वारा तैयार किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट के उन्नत संस्करण हैं।
- **निर्माण:**
  - » मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL), मुंबई द्वारा 4 जहाजों का निर्माण।
  - » गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), कोलकाता द्वारा 3 जहाजों का निर्माण।

- 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देती है। इसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों और MSME इकाइयों की भागीदारी है।
- नीलगिरि श्रेणी के फ्रिगेट में निम्नलिखित आधुनिक क्षमताएं शामिल हैं:
    - स्टील्थ तकनीक
    - ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें
    - बराक-8 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें
    - उन्नत रडार प्रणाली
    - इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां
    - पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं
- इन युद्धपोतों में बेहतर संचालन के लिए CODOG (Combined Diesel or Gas) प्रणोदन प्रणाली और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम (IPMS) का उपयोग किया गया है।

INS महेंद्रगिरि का रणनीतिक महत्व:

- **ब्लू-वाटर नौसेना को मजबूत बनाना:** INS महेंद्रगिरि भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाता है और भारत को सक्षम बनाता है:
    - हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में।
    - लंबे समय तक विदेशों में नौसैनिक तैनाती करने में।
    - हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करने में।
- **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा:** यह युद्धपोत भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाता है:
    - नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी डिजाइन।
    - घरेलू जहाज निर्माण क्षमता।
    - भारतीय उद्योगों और MSME इकाइयों की भागीदारी।
    - लगभग 75% स्वदेशी सामग्री के साथ यह रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करता है।
- **उन्नत युद्ध क्षमता:** INS महेंद्रगिरि बहु-आयामी नौसैनिक युद्ध क्षमता को मजबूत करता है:
    - **वायु-रोधी युद्ध (Anti-Air Warfare):** विमान और मिसाइल खतरों का मुकाबला करने की क्षमता।
    - **सतह-रोधी युद्ध (Anti-Surface Warfare):** दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने की क्षमता।
    - **पनडुब्बी-रोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare):** पानी के भीतर मौजूद खतरों का पता लगाने की क्षमता।
    - यह उन्नत सेंसर, हथियार प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक से लैस है।

हिंद महासागर क्षेत्र में महत्व:

- हिंद महासागर वैश्विक व्यापार मार्गों, ऊर्जा परिवहन और समुद्री संचार मार्गों (Sea Lines of Communication - SLOCs) के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- INS महेंद्रगिरि निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान देता है:
    - समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती रोधी अभियानों में।
    - नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) को बनाए रखने में।
    - समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness) बढ़ाने में।
    - साझेदार देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने में।

निष्कर्ष:

INS महेंद्रगिरि भारत के एक तकनीकी रूप से उन्नत और आत्मनिर्भर समुद्री शक्ति बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत की नौसैनिक क्षमता, रणनीतिक स्वायत्तता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने की भूमिका को और मजबूत करता है।

भारतीय नौसेना को मिला एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टर

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका से एक और एमएच-60आर सीहॉक बहु-भूमिका (Multi-Role) नौसैनिक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुआ है। इससे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता (Anti-Submarine Warfare) और समुद्री निगरानी क्षमताओं को मजबूती मिली है। कोच्चि में हुई नवीनतम आपूर्ति के साथ, भारत को अमेरिका के साथ हुए 946 मिलियन डॉलर के विदेशी सैन्य बिक्री (Foreign Military Sales - FMS) समझौते के तहत ऑर्डर किए गए 24 हेलीकॉप्टरों में से अब तक कुल एमएच-60आर हेलीकॉप्टर प्राप्त हो चुके हैं।

MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के बारे में:

- एमएच-60आर सीहॉक, जिसे "रोमियो" (Romeo) के नाम से भी जाना जाता है, एक उन्नत बहु-मिशन नौसैनिक हेलीकॉप्टर है। इसका

निर्माण सिकोरस्की एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है, जो लॉकहीड मार्टिन (Lockheed Martin) की एक इकाई है। इसे अमेरिकी नौसेना के लिए विकसित किया गया है और यह दुनिया के सबसे उन्नत समुद्री हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है।

- इस हेलीकॉप्टर को मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है:
  - » पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW)
  - » सतह रोधी युद्ध (ASuW)
  - » समुद्री निगरानी (Maritime Surveillance)
  - » खोज और बचाव अभियान
  - » चिकित्सीय निकासी और संचार सहायता

प्रमुख विशेषताएं और तकनीकी विनिर्देश:

- एमएच-60आर सीहॉक में कई अत्याधुनिक प्रणालियां शामिल हैं:
  - » **अधिकतम गति:** लगभग 333 किमी/घंटा (180 नॉट)
  - » **परिचालन सीमा:** लगभग 830 किमी
  - » **मुख्य हथियार:** Mk 54 हल्के टॉरपीडो और AGM-114 हेलफायर मिसाइल
  - » **सेंसर प्रणाली:** डिपिंग सोनार, सोनाबॉय, अत्याधुनिक रडार और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम
- ये प्रणालियां हेलीकॉप्टर को पानी के नीचे और सतह पर मौजूद खतरों का प्रभावी रूप से पता लगाने, उनका पीछा करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम बनाती हैं।

भारत के लिए रणनीतिक महत्व:

- **पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में वृद्धि:** यह हेलीकॉप्टर भारत की शत्रु पनडुब्बियों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने की क्षमता को काफी बढ़ाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों को देखते हुए, उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध प्लेटफॉर्म नौसैनिक संपत्तियों की सुरक्षा और समुद्री प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- **नौसैनिक बेड़े की सुरक्षा:** एमएच-60आर सीहॉक विध्वंसक पोतों (Destroyers), फ्रिगेट्स (Frigates) और विमानवाहक पोतों (Aircraft Carriers) जैसे युद्धपोतों से संचालित किया जा सकता है। यह पानी के नीचे मौजूद खतरों से उच्च-मूल्य वाले नौसैनिक प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के लिए रक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है।
- **समुद्री क्षेत्र की जागरूकता में सुधार:** अत्याधुनिक सेंसर और निगरानी प्रणालियों से लैस सीहॉक भारत की समुद्री सीमाओं, महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और रणनीतिक क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने की क्षमता को बढ़ाता है।

भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग:

- एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की खरीद भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाती है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी और मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के क्षेत्रों में सहयोग करते हैं।
- यह सौदा क्वाड (Quad) ढांचे के अंतर्गत सहयोग को भी मजबूत करता है, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) को बनाए रखना है।

निष्कर्ष:

एमएच-60आर सीहॉक हेलीकॉप्टरों का भारतीय नौसेना में शामिल होना नौसेना के आधुनिकीकरण और भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्लेटफॉर्म भारत को पानी के नीचे मौजूद खतरों से निपटने में अधिक सक्षम बनाता है। हालांकि, दीर्घकालिक रणनीतिक आत्मनिर्भरता के लिए भारत को स्वदेशी रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

INS मालवन: भारत की तटीय रक्षा के लिए 'साइलेंट क्लॉज़'

संदर्भ:

भारतीय नौसेना ने 23 जुलाई 2026 को कर्नाटक के कारवार में INS मालवन, माहे-श्रेणी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) के दूसरे पोत को कमीशन किया। इस पोत के क्रेस्ट पर वाघ नख (बाघ का पंजा) अंकित है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत का प्रतीक है।

INS मालवन के बारे में:

- INS मालवन स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित माहे-श्रेणी ASW-SWC का दूसरा पोत है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ किया गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के तटीय नगर मालवन के नाम पर रखा गया है।
- यह पूर्व माइंसवीपर INS मालवन की विरासत को भी आगे बढ़ाता है। यह पोत पनडुब्बी रोधी युद्ध (ASW), पानी के भीतर निगरानी, माइन वारफेयर, तटीय गश्त तथा खोज एवं बचाव अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। डीज़ल-वॉटरजेट प्रणोदन, उन्नत सोनार, रडार, टॉरपीडो तथा एंटी-सबमरीन रॉकेटों से सुसज्जित यह भारत की तटीय रक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान है।

वाघ नख: प्रतीकात्मक महत्व

- पोत के क्रेस्ट पर वाघ नख अंकित है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा प्रसिद्ध बाघ के पंजे जैसा हथियार है। यह साहस, गुप्तता, फुर्ती और निर्णायक कार्रवाई का प्रतीक है तथा पानी के भीतर के खतरों का चुपचाप पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में पोत की भूमिका को दर्शाता है।
- इसके चारों ओर बनी समुद्री लहरें भारत के विशाल समुद्री क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि इसका आदर्श वाक्य "साइलेंट क्लॉज़" गुप्तता और सटीकता का प्रतीक है।

माहे-श्रेणी ASW-SWC क्या है?

- माहे-श्रेणी स्वदेशी युद्धपोतों की नई पीढ़ी है, जिसे विशेष रूप से उथले तटीय जल क्षेत्रों में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य दुश्मन की पनडुब्बियों, विशेषकर स्टेल्थ डीज़ल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का पता लगाना, उनका पीछा करना और उन्हें नष्ट करना है। ये पोत पानी के भीतर निगरानी, माइन वारफेयर, तटीय गश्त, खोज एवं बचाव तथा अन्य निम्न-तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को भी अंजाम देते हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - » **निर्माता:** कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL), कोच्चि
    - » **स्वदेशी सामग्री:** 80% से अधिक
    - » **लंबाई:** 78 मीटर
    - » **विस्थापन:** 896–1,100 टन
    - » **गति:** 25 नॉट
    - » **परिचालन क्षमता:** 1,800 समुद्री मील
    - » **प्रणोदन:** कम शोर और उच्च गतिशीलता के लिए डीज़ल इंजन के साथ वॉटर-जेट प्रणोदन
    - » **युद्ध प्रणाली:** स्वदेशी सोनार, रडार, टॉरपीडो, एंटी-सबमरीन रॉकेट तथा एकीकृत संचार प्रणाली

सामरिक महत्व:

- 11,098 किमी लंबी तटरेखा, 12 प्रमुख बंदरगाह, 184 छोटे बंदरगाह और 1,197 द्वीपों के साथ भारत को उथले जल क्षेत्रों में संचालन करने वाले समर्पित पनडुब्बी-रोधी प्लेटफॉर्मों की आवश्यकता है। माहे-श्रेणी बंदरगाहों, नौसैनिक अड्डों, अपतटीय ऊर्जा परिसंपत्तियों तथा समुद्री संचार मार्गों (Sea Lines of Communication - SLOCs) की सुरक्षा करती है।

- तटीय रडार नेटवर्क, पानी के भीतर के सेंसर तथा समुद्री गश्ती विमानों के साथ एकीकृत होकर ये पोत समुद्री क्षेत्र जागरूकता (Maritime Domain Awareness - MDA) को बढ़ाते हैं तथा हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region - IOR) में भारत की बहुस्तरीय तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं।

शामिल किए जाने की आवश्यकता:

- माहे-श्रेणी, अभय-श्रेणी कॉर्वेट्स का स्थान ले रही है, जिन्हें 2017 से 2025 के बीच सेवा से हटा दिया गया। इस क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 2013 में ₹13,000 करोड़ से अधिक की लागत पर 16 ASW-SWC के अधिग्रहण को मंजूरी दी। इनमें से आठ पोत CSL द्वारा (माहे-श्रेणी) और आठ गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजियर्स (अर्नाला-श्रेणी) द्वारा बनाए जा रहे हैं।

निष्कर्ष:

INS मालवन का कमीशन होना भारत के नौसैनिक आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्वदेशी तकनीक, उन्नत पनडुब्बी-रोधी क्षमताओं तथा छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत को सम्मिलित करते हुए माहे-श्रेणी भारत की तटीय रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी सामरिक उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करती है।

कुशा मिसाइल: DRDO का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम

संदर्भ:

हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी कुशा लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (Long-Range Surface-to-Air Missile - LR-SAM) का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मिसाइल ने एक उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदकर अपनी मार्गदर्शन प्रणाली (Guidance System), रडार एकीकरण (Radar Integration) तथा अवरोधन (Interception) क्षमता को प्रमाणित किया। यह सफलता प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत भारत के स्वदेशी लंबी दूरी के वायु रक्षा कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रोजेक्ट कुशा के बारे में:

- प्रोजेक्ट कुशा, जिसे एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (Extended Range Air Defence System - ERADS) भी कहा जाता है, DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा एक स्वदेशी लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल (SAM) कार्यक्रम है।
- इसका उद्देश्य भारत की भविष्य की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की रीढ़ बनना तथा आयातित रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करना है। इसकी लंबी दूरी की अवरोधन क्षमता और बहु-स्तरीय (Layered) रक्षा संरचना के कारण इसकी तुलना अक्सर रूस की S-400 प्रणाली से की जाती है।
- यह प्रणाली निम्नलिखित हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है:
  - लड़ाकू विमान (Fighter Aircraft)
  - स्टील्थ विमान (Stealth Aircraft)
  - क्रूज़ मिसाइलें (Cruise Missiles)
  - हेलीकॉप्टर
  - ड्रोन (UAV)
  - एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) विमान
- यह प्रणाली भारत के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (Ballistic Missile Defence - BMD) कार्यक्रम के साथ मिलकर व्यापक वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रदान करेगी।

प्रोजेक्ट कुशा की प्रमुख विशेषताएँ:

- इसमें तीन प्रकार की इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं:
  - M1 – 150 किमी की मारक क्षमता
  - M2 – 250 किमी की मारक क्षमता
  - M3 – 350–400 किमी की मारक क्षमता
- यह बहु-स्तरीय (Multi-layered) वायु रक्षा कवच प्रदान करेगा।
- इसे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACCS) से जोड़ा जाएगा।
- उन्नत रडार, मोबाइल लॉन्चर तथा नेटवर्क-केंद्रित कमांड प्रणाली के माध्यम से यह वास्तविक समय (Real-Time) में लक्ष्य की पहचान, ट्रैकिंग और अवरोधन करेगा।
- यह मिशन सुदर्शन चक्र का भी एक महत्वपूर्ण घटक है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त बनाता है।

मिशन सुदर्शन चक्र क्या है?

- प्रोजेक्ट कुशा, मिशन सुदर्शन चक्र का मुख्य आधार है। यह भारत की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक पूरे देश में स्वदेशी वायु एवं मिसाइल रक्षा कवच (Air and Missile Defence Shield) स्थापित करना है।

- ऑपरेशन सिंदूर तथा यूक्रेन और पश्चिम एशिया के हालिया संघर्षों के बाद इस मिशन का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि इन घटनाओं ने ड्रोन, क्रूज़ मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से उत्पन्न बढ़ते खतरों को उजागर किया।
- **इस मिशन का उद्देश्य:**
  - » सामरिक सैन्य परिसंपत्तियों (Strategic Military Assets) की सुरक्षा
  - » महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना (Critical Civilian Infrastructure) की रक्षा
  - » बहु-स्तरीय एवं एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क का निर्माण

S-400 और प्रोजेक्ट कुशा में अंतर:

- रूस की S-400 प्रणाली के विपरीत, प्रोजेक्ट कुशा का मुख्य उद्देश्य लड़ाकू विमान, स्टील्थ विमान, क्रूज़ मिसाइलें, ड्रोन को निष्क्रिय करना है।
- जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा का कार्य भारत का बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) कार्यक्रम करेगा।
- दोनों प्रणालियाँ मिलकर भारत को एक व्यापक राष्ट्रीय वायु रक्षा कवच प्रदान करेंगी।

महत्त्व:

- 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को मजबूती प्रदान करता है।
- आयातित वायु रक्षा प्रणालियों पर निर्भरता कम करता है।
- उन्नत मिसाइल तकनीक एवं एकीकृत रक्षा नेटवर्क विकसित करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- DRDO, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), निजी उद्योगों तथा अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।
- भारत के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र (Defence Industrial Ecosystem) को सुदृढ़ बनाता है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा को दीर्घकालिक रूप से मजबूत करता है।

निष्कर्ष:

कुशा मिसाइल का सफल प्रथम उड़ान परीक्षण भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रोजेक्ट कुशा और मिशन सुदर्शन चक्र के प्रमुख स्तंभ के रूप में यह प्रणाली भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा क्षमता को अत्यधिक सुदृढ़ करेगी तथा भविष्य में विकसित होते हवाई खतरों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगी। इसकी सफलता न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को विश्व के अग्रणी उन्नत वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में भी स्थापित करेगी।

आईएनएस मछलीपट्टनम: माहे-क्लास एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी युद्धपोत

सन्दर्भ:

29 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना ने आईएनएस मछलीपट्टनम (बीवाई-529) का जलावतरण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्चि में किया। यह माहे श्रेणी के पनडुब्बी-रोधी उथले जल युद्धपोतों (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) की आठ प्रस्तावित नौकाओं में से सातवीं है।

पृष्ठभूमि:

- रक्षा मंत्रालय ने 30 अप्रैल 2019 को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के साथ माहे श्रेणी के आठ पनडुब्बी-रोधी उथले जल युद्धपोतों के निर्माण हेतु अनुबंध किया था। इनका वितरण अगस्त 2025 से जून 2028 के मध्य निर्धारित है।
- इन युद्धपोतों का निर्माण पुरानी अभय श्रेणी की पनडुब्बी-रोधी कार्वेट नौकाओं के स्थान पर किया जा रहा है, जिससे उथले एवं तटीय जल क्षेत्रों में भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी।

आईएनएस मछलीपट्टनम की प्रमुख विशेषताएँ:

- **भूमिका:** पनडुब्बी-रोधी युद्ध, जलमग्न निगरानी, सुरंग (माइन) युद्ध, निम्न तीव्रता समुद्री अभियान तथा खोज एवं बचाव अभियानों के

लिए विशेष रूप से निर्मित।

- **आकार:** लगभग 78 मीटर लंबाई तथा 900–1100 टन विस्थापन क्षमता।
- **गति एवं प्रणोदन:** डीज़ल इंजनों तथा जल-प्रवाह प्रणोदन (वाटर-जेट) प्रणाली से संचालित, जो लगभग 25 नॉट की गति तथा उथले तटीय जल में उत्कृष्ट संचालन क्षमता प्रदान करती है।
- **उन्नत संवेदक:** पोत-स्थापित सोनार तथा निम्न-आवृत्ति परिवर्ती-गहराई सोनार से सुसज्जित, जो जलमग्न खोज एवं निगरानी में सक्षम हैं।
- **शस्त्रास्त्र:** हल्के टॉरपीडो, पनडुब्बी-रोधी रॉकेट, 30 मि.मी. नौसैनिक तोप तथा समुद्री सुरंग बिछाने की क्षमता।
- **स्वदेशी भागीदारी:** 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) तथा भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का प्रमुख योगदान है।

पनडुब्बी-रोधी उथले जल युद्धपोत (एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी) कार्यक्रम के बारे में:

- यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित स्वदेशी उथले जल युद्धपोतों की नई श्रेणी है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) तथा गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा किया जा रहा है।
- कुल 16 युद्धपोतों के निर्माण की योजना है।
- इनमें 8 माहे श्रेणी के युद्धपोत सीएसएल तथा 8 अर्नाला श्रेणी के युद्धपोत जीआरएसई द्वारा निर्मित किए जाएंगे।
- इनका निर्माण विशेष रूप से तटीय (निकटवर्ती समुद्री) क्षेत्रों में संचालन के लिए किया गया है, जहाँ बड़े युद्धपोतों की गतिशीलता सीमित रहती है।

सामरिक महत्त्व:

- यह श्रेणी भारत की तटीय सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र जागरूकता (मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) तथा पनडुब्बी-रोधी युद्ध क्षमता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगी।
- हिन्द महासागर क्षेत्र में बढ़ती पनडुब्बी गतिविधियों की निगरानी एवं उनसे प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता मिलेगी।
- बंदरगाहों, समुद्री व्यापार मार्गों तथा अपतटीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होगी।
- पुराने युद्धपोतों के स्थान पर आधुनिक, तीव्रगामी एवं अत्याधुनिक तकनीक से युक्त युद्धपोतों की तैनाती सुनिश्चित होगी।
- यह परियोजना भारत के रक्षा विनिर्माण तंत्र को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया अभियान के उद्देश्यों को भी गति प्रदान करती है।

आगे की राह:

- सभी 16 पनडुब्बी-रोधी उथले जल युद्धपोतों को निर्धारित समय के भीतर नौसेना में सम्मिलित करना।
- स्वदेशी विकसित उन्नत सोनार, शस्त्र प्रणालियों तथा अन्य आधुनिक उपकरणों का समेकन।
- तटीय निगरानी तंत्र का निरंतर आधुनिकीकरण।
- स्वदेशी नौसैनिक पोत निर्माण क्षमता का विस्तार कर भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना।
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी समुद्री शक्ति बनने की भारत की दीर्घकालिक परिकल्पना को साकार करना।

प्रमुख चर्चित स्थल

सेउटा (Ceuta): उत्तरी अफ्रीका में स्पेन का सामरिक एन्क्लेव

हाल ही में 29–31 जुलाई 2026 के बीच प्रवासन संकट के कारण सेउटा चर्चा में रहा। इस दौरान लगभग 50,000–60,000 प्रवासियों ने समुद्र तैरकर अथवा सीमा अवरोधों को पार कर मोरक्को से स्पेन के इस एन्क्लेव में प्रवेश करने का प्रयास किया।

सेउटा के बारे में:

- सेउटा उत्तरी अफ्रीका के तट पर स्थित स्पेन का एक स्वायत्त शहर (Autonomous City) है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 18.5 वर्ग किमी है। यह जिब्राल्टर जलडमरुमध्य (Strait of Gibraltar) के किनारे एक संकीर्ण प्रायद्वीप पर स्थित है, जहाँ भूमध्य सागर (Mediterranean Sea) और अटलांटिक महासागर (Atlantic Ocean) का मिलन होता है। इसकी मोरक्को के साथ लगभग 8 किमी लंबी स्थलीय सीमा है।

भौगोलिक महत्त्व:

- यह जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के पार मुख्यभूमि स्पेन से लगभग 14 किमी दक्षिण में स्थित है।
- यह तीन ओर से समुद्र से घिरा है तथा एक संकीर्ण स्थलडमरूमध्य (Isthmus) के माध्यम से अफ्रीकी मुख्यभूमि से जुड़ा है।
- मेलिला (Melilla) के साथ मिलकर सेउटा यूरोपीय संघ (EU) की अफ्रीका के साथ केवल दो स्थलीय सीमाओं में से एक है।
- इसकी सामरिक स्थिति इसे यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार, समुद्री नौवहन, प्रवासन तथा सीमा प्रबंधन का महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार बनाती है।

महत्त्व:

- यूरोप और अफ्रीका के संगम पर स्थित होने के कारण सेउटा प्रवासन, सुरक्षा तथा यूरोपीय संघ–मोरक्को संबंधों का प्रमुख केंद्र है। यह क्षेत्र अनियमित प्रवासन के प्रबंधन, मानवीय दायित्वों तथा भू-राजनीतिक हितों के बीच संतुलन की चुनौती को भी रेखांकित करता है।

केश्म द्वीप (Qeshm Island) एवं पिकऐक्स पर्वत (Pickaxe Mountain)

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण केश्म द्वीप और पिकऐक्स पर्वत (कुह-ए-कोलांग गाज़ ला) चर्चा में हैं। पिकऐक्स पर्वत को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताओं का प्रमुख केंद्र माना जा रहा है, जबकि केश्म द्वीप अमेरिकी हवाई हमले में नागरिकों के हताहत होने की रिपोर्टों के बाद हॉर्मुज़ जलडमरुमध्य में बढ़ते तनाव के कारण सुर्खियों में आया है।

केश्म द्वीप:

- केश्म द्वीप फ़ारस की खाड़ी (Persian Gulf) का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1,500 वर्ग किमी है। यह हॉर्मुज़ जलडमरुमध्य

(Strait of Hormuz) में स्थित है तथा क्लेरेंस जलडमरुमध्य (Clarence Strait) इसे ईरान की मुख्यभूमि से अलग करता है।

- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
  - » यहाँ समतल शीर्ष वाली पहाड़ियाँ (Table-topped Hills), पथरीले तट तथा पवन अपरदन से निर्मित घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनमें प्रसिद्ध स्टार्स वैली (Stars Valley) शामिल है।
  - » यह हर्रा मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) तथा विस्तृत कीचड़ मैदानों (Mudflats) का आवास है।
  - » यहाँ उष्ण मरुस्थलीय जलवायु (Hot Desert Climate) पाई जाती है तथा वर्षा अत्यंत कम होती है।

पिकऐक्स पर्वत (कुह-ए-कोलांग गाज़ ला) के बारे में:

- पिकऐक्स पर्वत ईरान के इस्फहान प्रांत में स्थित है। यह नतांज़ परमाणु संयंत्र (Natanz Nuclear Facility) से लगभग 1.5 किमी दक्षिण में तथा ईरान की ज़ाग्रोस पर्वतमाला (Zagros Mountain Fold Belt) में अवस्थित है।
- **भूवैज्ञानिक विशेषताएँ**
  - » यह मुख्यतः एंडेसाइट (Andesite), डेसाइट (Dacite) तथा रियोलाइट (Rhyolite) जैसी कठोर ज्वालामुखीय चट्टानों से बना है।
  - » इसमें अत्यधिक दरारयुक्त चट्टानें (Fractured Rocks) तथा भ्रंश क्षेत्र (Fault Zones) हैं, जो भूकंपीय झटकों को अवशोषित करने में सहायक होते हैं।
  - » पर्वत की अत्यधिक गहराई भूमिगत सुरंग परिसरों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है।

ग्लासगो (स्कॉटलैंड)

स्कॉटलैंड के सबसे बड़े शहर ग्लासगो ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों (Commonwealth Games) की मेजबानी की। इन खेलों में 74 राष्ट्रमंडल देशों एवं क्षेत्रों की भागीदारी के साथ कई ऐतिहासिक खेल पदार्पण भी हुए।

- **स्थिति:** ग्लासगो स्कॉटलैंड के पश्चिम-मध्य भाग में क्लाइड नदी (River Clyde) के तट पर स्थित है। यह मिडलैंड वैली (स्कॉटिश लोवलैंड्स) में स्थित है तथा क्लाइड मुहाने (Clyde Estuary) से लगभग 20 मील (32 किमी) दूर है, जहाँ यह नदी अटलांटिक महासागर में मिलती है।
- **भौगोलिक विशेषताएँ:**
  - » यह लोअर क्लाइड बेसिन में स्थित है, जो क्लाइड नदी द्वारा निर्मित एक विस्तृत घाटी है।
  - » यहाँ का भू-भाग मुख्यतः निम्न मैदानों, हल्की पहाड़ियों, कटकों तथा ड्रमलिन (Drumlins) से युक्त है। ग्लासगो कैथेड्रल और नेक्रोपोलिस के आसपास के क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊँचे हैं।
  - » इसके उत्तर में स्कॉटिश हाइलैंड्स तथा दक्षिण में सदर्न अपलैंड्स स्थित हैं।

जल विज्ञान (Hydrology)

- क्लाइड नदी ग्लासगो की प्रमुख नदी है, जो शहर को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है।
- नदी की गहराई बढ़ाने और ड्रेजिंग के कारण ग्लासगो ऐतिहासिक रूप से जहाज़ निर्माण (Shipbuilding) और समुद्री व्यापार का प्रमुख

केंद्र बना।

- इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रिवर केल्विन (River Kelvin) तथा मोलेंडिनार बर्न (Molendinar Burn) शामिल हैं। मोलेंडिनार बर्न का संबंध शहर की ऐतिहासिक उत्पत्ति से माना जाता है।

महत्त्व:

- "डियर ग्रीन प्लेस (Dear Green Place)" के नाम से प्रसिद्ध ग्लासगो अपने विस्तृत हरित क्षेत्रों जैसे ग्लासगो ग्रीन और केल्विंग्रोव पार्क, औद्योगिक विरासत तथा संयुक्त राजशाही (United Kingdom) के प्रमुख सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल एवं वाणिज्यिक केंद्रों में से एक होने के लिए जाना जाता है।

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) अपनी सामरिक महत्ता, पर्यावरणीय चिंताओं तथा स्थानीय समुदायों के विरोध के कारण चर्चा में है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत की जल एवं ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा यारलुंग त्सांगपो (Yarlung Tsangpo) नदी पर चीन द्वारा प्रस्तावित ऊपरी धारा के बांधों के संभावित प्रभावों का सामना करना है।

सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) के बारे में:

- सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना (SUMP) अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी पर प्रस्तावित 11,000 मेगावाट क्षमता वाली जलविद्युत एवं बहुउद्देशीय परियोजना है।
- इस परियोजना के अंतर्गत 9 अरब घन मीटर (9 Billion Cubic Metre-BCM) क्षमता वाले जलाशय (Storage Reservoir) का निर्माण प्रस्तावित है।
- यह भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है।

सियांग नदी के बारे में:

- सियांग नदी का उद्गम तिब्बत में माउंट कैलाश–मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगदुंग पर्वतश्रेणी (Chemayungdung Range) से लगभग 5,300 मीटर की ऊँचाई पर यारलुंग त्सांगपो के रूप में होता है।
- यह विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी (River Gorge) से होकर बहती है और अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग (Gelling) गाँव के निकट भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग नदी कहलाती है।
- असम में यह दिबांग तथा लोहित नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है।

पावर पैक्ड न्यूज

फवारा-यूपीआई

- भारत और मालदीव के बीच वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 30 जुलाई 2026 को 'फवारा-यूपीआई' (Favara-UPI) सीमा पार भुगतान कॉरिडोर को आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है।
- इस पहल के तहत मालदीव के त्वरित भुगतान सिस्टम 'फवारा' (Favara) को भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है, जिसे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL), मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (MMA) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इस डिजिटल कॉरिडोर के माध्यम से मालदीव में रहने वाले प्रवासी अब अपने स्थानीय मोबाइल बैंकिंग ऐप का उपयोग करके भारत में किसी भी यूपीआई-सक्षम बैंक खाते में तुरंत (Real-time) पैसे भेज सकते हैं। यह लेनदेन मालदीवियन रुफिया (MVR) में शुरू होकर भारतीय प्राप्तकर्ता के खाते में सीधे भारतीय रुपये (INR) में जमा होगा।
- पहले चरण में यह प्रेषण सेवा बैंक ऑफ मालदीव पीएलसी और मालदीव इस्लामिक बैंक पीएलसी के साथ लाइव हुई है, जिसका उपयोग विदेशी प्रेषण नियमों के तहत पारिवारिक रख-रखाव और उपहार भेजने के लिए किया जा सकता है। आगामी चरणों में पर्यटकों के लिए क्यूआर कोड-आधारित मर्चेंट भुगतान भी शुरू किए जाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और आर्थिक समावेशन को भारी बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

- भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल (IPL) सहित क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। 38 वर्षीय रहाणे ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी।
- साल 2011 में पदार्पण करने वाले रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैचों में 5,077 रन (12 शतक) और 90 वनडे मैचों में 2,962 रन (3 शतक) बनाए। टेस्ट में उनके शतक लगाने पर भारत कभी मैच नहीं हारा।
- रहाणे को 2020-21 की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में ऐतिहासिक कप्तानी के लिए याद किया जाएगा, जहां एडिलेड में 36 रन पर ऑलआउट होने के बाद उन्होंने टीम की कमान संभाली और गाबा में ऑस्ट्रेलिया का 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर भारत को 2-1 से सीरीज जिताई। वे कप्तान के तौर पर टेस्ट में अजेय रहे (4 जीत, 2 ड्रॉ)। आईपीएल 2026 में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की कप्तानी की थी।

प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार

- हाल ही में वर्तमान कैबिनेट मंत्री प्रल्हाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और देशव्यापी छात्र विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया।
- प्रल्हाद जोशी वर्तमान में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। प्रल्हाद जोशी का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की गति को बढ़ाना और डिजिटल लर्निंग को मजबूत करना है।

प्रल्हाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ निर्वाचन क्षेत्र से लगातार पांच बार लोकसभा सांसद हैं और वर्तमान में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।

भारत का पहला स्वदेशी टर्बोजेट इंजन

- भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए 350 किलोग्राम थ्रस्ट श्रेणी का पहला स्वदेशी 'एक्सपेंडेबल' (डिस्पोजेबल) टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। यह इंजन मुख्य रूप से क्रूज मिसाइलों, मानव रहित हवाई वाहनों (UAVs) और लंबी दूरी के ड्रोन्स को शक्ति प्रदान करेगा।

- इस जटिल इंजन को DRDO की प्रयोगशाला गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट (GTRE) ने स्वदेशी रूप से डिजाइन किया है। हैदराबाद की निजी कंपनी आजाद इंजीनियरिंग ने महज 24 महीनों के रिकॉर्ड समय में इसका निर्माण पूरा कर GTRE को सौंपा।
- अब तक भारत इस श्रेणी के इंजनों के लिए विदेशों पर निर्भर था। इस सफलता के बाद भारत जेट इंजन तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के चुनिंदा एलीट देशों के क्लब में शामिल हो गया है। यह कदम सैन्य आयात को कम कर रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को जबरदस्त मजबूती देगा।

फीफा वर्ल्ड कप 2026: स्पेन ने जीता दूसरी बार वर्ल्ड कप खिताब

- फीफा विश्व कप 2026 के ऐतिहासिक 23वें संस्करण में स्पेन ने फाइनल मुकाबले में गत चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीता।
- **मेजबान देश (Host):** पहली बार तीन देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने संयुक्त रूप से इस विश्व कप की मेजबानी की।
- **कुल टीमें (Total Teams):** इस संस्करण से टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 टीमें कर दी गई। टूर्नामेंट में कुल 104 मैच खेले गए।
- **प्रमुख आयोजन स्थल (Venues):** मैचों का आयोजन उत्तरी अमेरिका के 16 शहरों में किया गया। इसका उद्घाटन मैच मैक्सिको के 'एज्टेका स्टेडियम' में और फाइनल मुकाबला न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया।
- **मुख्य पुरस्कार विजेता (Awards List):**
  - **गोल्डन बॉल (सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी):** रॉड्रि (स्पेन)
  - **गोल्डन बूट (शीर्ष स्कोरर):** किलियन एम्बापे (फ्रांस) - 10 गोल (वह लगातार दो विश्व कप में गोल्डन बूट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने)।
  - **गोल्डन ग्लव (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर):** उनाई सिमोन (स्पेन) - 7 क्लीन शीट्स
  - **सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी (Young Player):** पाउ कुबार्सी (स्पेन)
  - **फेयर प्ले ट्रॉफी:** नीदरलैंड

'शब्दलोक': भारत का पहला भाषा संग्रहालय

- भारत की समृद्ध भाषाई विरासत की रक्षा के लिए कोलकाता के ऐतिहासिक राष्ट्रीय पुस्तकालय (बेलवेडियर हाउस) में देश के पहले भाषा संग्रहालय 'शब्दलोक' (म्यूजियम ऑफ वर्ड) का अनावरण किया गया है। इसका उद्घाटन 19 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM) द्वारा इसे ₹41 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है।
- यह अनूठा संग्रहालय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), संवर्धित वास्तविकता (AR/VR) और होलोग्राफिक डिस्प्ले जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से

लैस है। इसमें 9 गैलरियां और 12 कमरे हैं, जो प्राचीन ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक की यात्रा दर्शाते हैं। यहाँ भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं सहित लगभग 380 भाषाओं के उद्भव और विकास को इंटरैक्टिव तरीके से प्रदर्शित किया गया है। यह संग्रहालय भारतीय भाषाओं के संरक्षण और भावी पीढ़ी को देश की सांस्कृतिक विविधता से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

पूर्वव्यापी पर्यावरणीय स्वीकृति

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum-OM) को निरस्त करते हुए कहा कि परियोजनाओं को पूर्वव्यापी (Ex Post Facto) पर्यावरणीय स्वीकृति केवल प्रशासनिक आदेश के माध्यम से नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance-EC) परियोजना प्रारंभ होने से पहले प्राप्त करना अनिवार्य है तथा इसमें कोई भी मूलभूत परिवर्तन केवल वैधानिक अधिसूचना (Statutory Notification) द्वारा ही किया जा सकता है।
- न्यायालय ने 2021 के उस कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया, जो बिना पूर्व स्वीकृति शुरु हुई परियोजनाओं को बाद में पर्यावरणीय मंजूरी देने की अनुमति देता था। पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के अनुसार परियोजना शुरु करने से पहले पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों को केवल प्रशासनिक आदेश से कमजोर नहीं किया जा सकता। हालांकि, संसद या केंद्र सरकार आवश्यक होने पर वैधानिक अधिसूचना के माध्यम से उपयुक्त कानूनी व्यवस्था बना सकती है।
- यह निर्णय सतत विकास (Sustainable Development) और पूर्व सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle) को सुदृढ़ करता है। इससे परियोजना प्रस्तावकों की पर्यावरणीय जवाबदेही बढ़ेगी तथा अनधिकृत परियोजनाओं को बाद में नियमित करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। यह निर्णय भारत में पर्यावरणीय शासन, विधि के शासन (Rule of Law) और अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को और मजबूत करता है।

आर. वैरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार

- प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर. वैरामुथु को वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रख्यात चिंतक डॉ. कर्ण सिंह द्वारा उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया।

- वैरामुथु तमिलनाडु से यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। तमिल साहित्य के लिए यह पुरस्कार 24 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आया है। इनसे पहले अकिलन (1975) और जयकांतन (2002) को यह सम्मान मिला था।
- पूर्व के दोनों विजेताओं को गद्य के लिए पुरस्कार मिला था, जिससे वैरामुथु यह सम्मान पाने वाले पहले तमिल कवि बन गए हैं। उन्हें 11 लाख रुपये की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा सौंपी गई। वे 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं।
- ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में साहू जैन परिवार के साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। पहला पुरस्कार वर्ष 1965 में मलयालम लेखक जी. शंकर कुरुप को मिला था। वर्ष 1976 में बंगाली लेखिका आशापूर्णा देवी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं।

- यह केवल भारतीय नागरिकों को संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं और अंग्रेजी में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। विजेता को 11 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी (सरस्वती जी) की कांस्य प्रतिमा मिलती है।

सिंधु जल संधि को भारत ने स्थगित रखा

- हाल ही में भारत ने पुनः स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty-IWT) तब तक स्थगित (In Abeyance) रहेगी, जब तक पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद का विश्वसनीय एवं अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं करता। भारत का कहना है कि बदलती सुरक्षा परिस्थितियों, जलवायु परिवर्तन और विकास संबंधी आवश्यकताओं के कारण संधि की वर्तमान व्यवस्था प्रासंगिक नहीं रह गई है।
- सिंधु जल संधि पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर हुए थे। संधि के तहत पूर्वी नदियाँ (रावी, ब्यास और सतलुज) भारत को तथा पश्चिमी नदियाँ (सिंधु, झेलम और चिनाब) मुख्यतः पाकिस्तान को आवंटित की गई थीं।
- भारत ने अप्रैल 2025 में संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया था और वर्तमान में भी इस रुख को बरकरार रखा है। भारत अब चिनाब बेसिन में जलविद्युत परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने तथा संधि के पुनर्विचार की दिशा में कार्य कर रहा है।

72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

- हाल ही में नई दिल्ली में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। ये पुरस्कार 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा प्रमाणित फिल्मों के लिए प्रदान किए गए। पुरस्कारों की जूरी की अध्यक्षता प्रसिद्ध मलयालम फिल्म निर्माता जयराज ने की।
- **मुख्य विजेता:**
  - **सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म:** आर्टिकल 370
  - **सर्वश्रेष्ठ अभिनेता:** कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन) एवं ममूटी (ब्रह्मयुग्म)
  - **सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री:** यामी गौतम (आर्टिकल 370)
  - **सर्वश्रेष्ठ निर्देशक:** राजकुमार पेरियासामी (अमरन)
  - **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता:** संजय मिश्रा (भक्षक)
  - **सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री:** रोपाश्री वरकडी (मिथ्या) एवं सचाना नामीदास (महाराजा)
  - **संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म:** कल्कि 2898 AD
  - **सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म:** श्रीकांत
  - **राष्ट्रीय एवं सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म:** कैप्टन मिलर
  - **किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म:** स्वातंत्र्य वीर सावरकर (निर्देशक:रणदीप हुडा)
  - **सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म:** 35 चिन्ना कथा कादु

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें

- जुलाई 2026 में गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा प्रकाशित नवीनतम आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 की पहली छमाही (जनवरी–जून) में देशभर में साइबर धोखाधड़ी के 12.71 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें ₹10,178.97 करोड़ की वित्तीय हानि हुई। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 1.85 लाख शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि वित्तीय नुकसान के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक ₹1,637.66 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया।
- प्रमुख साइबर अपराधों में डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, फिशिंग, फर्जी लोन ऐप तथा सरकारी अधिकारियों की फर्जी

पहचान बनाकर ठगी शामिल हैं। कुल शिकायतों में से लगभग 2.70 लाख मामलों में बैंकों ने कार्रवाई करते हुए ₹2,968.85 करोड़ की राशि पर रोक (Lien) लगाई। वर्ष 2021 से मई 2026 के बीच देश में साइबर धोखाधड़ी से ₹64,447 करोड़ की हानि दर्ज की गई।

- साइबर अपराधों में तेजी से वृद्धि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, वित्तीय सुरक्षा तथा नागरिकों के डिजिटल विश्वास के लिए गंभीर चुनौती है। इससे साइबर सुरक्षा अवसंरचना को मजबूत करने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने, त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने तथा बैंकिंग एवं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हुई है।

एकीकृत एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन

- यूक्रेन और नौ यूरोपीय देशों ने मिलकर एक ऐतिहासिक 'एकीकृत एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन' (Integrated Anti-Ballistic Missile Coalition) की शुरुआत की है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित एक विशेष बैठक के दौरान इस रक्षात्मक पहल की आधिकारिक घोषणा की गई।
- इस गठबंधन में यूक्रेन के साथ कुल नौ अन्य प्रमुख यूरोपीय देश शामिल हैं। इनमें फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम (UK), इटली, स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। इस ऐतिहासिक पहल का प्राथमिक उद्देश्य बढ़ते हवाई और मिसाइल खतरों से निपटने के लिए एक संयुक्त यूरोपीय क्षमता का निर्माण करना है।
- यह गठबंधन पूरे यूरोप के लिए एक साझा और अभेद्य बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कवच (शील्ड) तैयार करेगा। इस रक्षा प्रणाली को विकसित करने में रुस-यूक्रेन युद्ध के दौरान कीव द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक सैन्य और तकनीकी अनुभवों का सीधा उपयोग किया जाएगा।
- यह कदम न केवल यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि अमेरिकी रक्षा प्रणालियों पर यूरोप की पारंपरिक निर्भरता को कम करते हुए महाद्वीप की सामूहिक सुरक्षा और सैन्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। वैश्विक सुरक्षा और भू-राजनीति (Geopolitics) के दृष्टिकोण से इसे हाल के वर्षों का सबसे बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है।

उभरती चिकित्सा पद्धतियों को CLAA फ्रेमवर्क के दायरे में लाना

- हाल ही में केंद्र सरकार ने ड्रग्स रुल्स, 1945 में संशोधन कर सेल/स्टेम सेल आधारित उत्पादों, जीन थेरेप्यूटिक उत्पादों तथा ज़ेनोग्राफ्ट (Xenografts) को सेंट्रली लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी (CLAA) के दायरे में शामिल किया है। इसका उद्देश्य उभरती चिकित्सा तकनीकों के लिए देशभर में एक समान और सुदृढ़ नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
- CLAA (Centrally License Approving Authority) केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रुप से उच्च-जोखिम वाली दवाओं एवं जैविक उत्पादों के लाइसेंस और नियमन की व्यवस्था है।
- पहले इसके अंतर्गत टीके (Vaccines), बड़े आयतन वाले अंतःशिरा घोल (Large Volume Parenterals) तथा r-DNA आधारित दवाएँ शामिल थीं। अब इसमें उन्नत चिकित्सा उत्पाद भी जोड़े गए हैं।
- सेल/स्टेम सेल आधारित उपचार जैसे CAR-T सेल थेरेपी रक्त कैंसर के उपचार में उपयोगी हैं।
- जीन थेरेपी का उपयोग आनुवंशिक रोगों एवं विभिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में किया जाता है।
- ज़ेनोग्राफ्ट पशु ऊतकों से बने प्रत्यारोपण उत्पाद हैं, जैसे कृत्रिम हृदय वाल्व।
- **महत्त्व:**
  - » पूरे देश में समान नियामकीय मानक स्थापित होंगे।
  - » रोगियों की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
  - » भारत का नियामकीय ढाँचा वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत होगा।
  - » उन्नत चिकित्सा एवं जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।

दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म-'कौशल सेतु' और 'कौशल सारथी' लॉन्च

- उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास इकोसिस्टम को पूरी तरह पेपरलेस और पारदर्शी बनाने के लिए दो नए डिजिटल प्लेटफॉर्म-'कौशल सेतु' और 'कौशल सारथी' लॉन्च किए हैं। 15 जुलाई 2026 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इन पोर्टलों का अनावरण किया गया।
  - **कौशल सेतु:** यह उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) का डिजिटल पोर्टल है, जो प्रशिक्षण भागीदारों (Training Partners) का ऑनलाइन पंजीकरण और पैनलिंग (Empanelment) पूरी तरह कागज़रहित और डिजिटल माध्यम से सुगम बनाएगा।
  - **कौशल सारथी:** यह युवाओं के लिए एक व्यापक सूचना मंच है। इसमें दिए गए डिजिटल मैप की मदद से छात्र अपने जिले में उपलब्ध प्रशिक्षण केंद्रों, पाठ्यक्रमों (कोर्सेज) और संपर्क विवरणों को आसानी से खोज सकेंगे।
- इस वित्तीय वर्ष के लिए कौशल विकास विभाग का बजट 9 गुना बढ़ाकर ₹3,310 करोड़ किया गया है। सरकार ने वर्ष 2026-27 में 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

विंबलडन चैंपियनशिप 2026

- टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 'विंबलडन चैंपियनशिप 2026' का 139वां संस्करण लंदन के ऑल इंग्लैंड क्लब में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह विश्व का एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो प्राकृतिक घास (Grass Court) पर खेला जाता है।
  - **पुरुष एकल विजेता:** इटली के जैनिक सिनर ने फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराकर लगातार दूसरा विंबलडन खिताब जीता। यह उनके करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है।
  - **महिला एकल विजेता:** चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने अपनी हमवतन कैरोलिना मुचोवा को मात देकर अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया।
  - **पुरुष युगल:** फिनलैंड के हैरी हेलिओवारा और ब्रिटेन के हेनरी पैटन की जोड़ी ने पुरुष युगल (Men's Doubles) का खिताब जीता।
  - **महिला युगल:** चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लाडेनोविच ने महिला युगल का खिताब अपने नाम किया।
  - **मिश्रित युगल:** अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और लातविया की जेलेना ओस्टापेन्को की जोड़ी मिश्रित युगल (Mixed Doubles) में चैंपियन बनी।
- विंबलडन चैंपियनशिप दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। यह चार वार्षिक ग्रैंड स्लैम (ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन) में से एक है और जो आज भी खेल की मूल सतह यानी प्राकृतिक घास (Grass Court) पर खेला जाता है।यह टूर्नामेंट लंदन के उपनगर विंबलडन में ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोकेट क्लब (AELTC) द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026

- हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया, जिसमें भारत 125वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक किसी देश के पासपोर्ट की वैश्विक उपयोगिता का आकलन केवल वीज़ा-मुक्त यात्रा के आधार पर नहीं, बल्कि वैश्विक गतिशीलता (Mobility), निवेश अवसर (Investment) और जीवन गुणवत्ता (Quality of Life) जैसे मानकों पर भी करता है।
- ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) प्रथम स्थान पर रहा।
- भारत को 125वीं रैंक प्राप्त हुई, जबकि उसकी मोबिलिटी रैंक लगभग 135वीं तथा क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंक 118वीं रही।
- यह सूचकांक पारंपरिक पासपोर्ट रैंकिंग से अलग है क्योंकि इसमें यात्रा स्वतंत्रता के साथ-साथ आर्थिक अवसरों और जीवन स्तर को भी महत्व दिया जाता है।
- दूसरी ओर, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 80वें स्थान पर है तथा भारतीय पासपोर्ट धारकों को 56 देशों में वीज़ा-मुक्त, वीज़ा-ऑन-

अराइवल या ई-ट्रैवल अथॉराइजेशन की सुविधा प्राप्त है।

- यह सूचकांक किसी देश की वैश्विक कूटनीतिक पहुँच, आर्थिक आकर्षण और अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता का संकेतक माना जाता है।

एंडी बर्नहैम बने यूनाइटेड किंगडम (UK) के नए प्रधानमंत्री

- ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर और लेबर पार्टी के वरिष्ठ नेता एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) ने 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम (UK) के 59वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री कीर स्टारमर (Keir Starmer) के इस्तीफे के बाद पद संभाला है। वह पिछले 10 वर्षों में ब्रिटेन के सातवें प्रधानमंत्री हैं।

- बर्नहैम 2017 से 2026 तक ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर रहे। उन्होंने जून 2026 में मेकरफील्ड निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीतकर संसद (Westminster) में वापसी की। वे पूर्व में स्वास्थ्य और संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं।
- प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अपनी नई कैबिनेट की घोषणा की, जिसमें जॉन हीली (John Healey) को चांसलर (वित्त मंत्री) और एड मिलिबैंड (Ed Miliband) को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। बर्नहैम कैबिनेट में तीन भारतीय मूल के युवा सांसदों को शामिल किया गया है, जिनमें कनिष्क नारायण को नया एआई (AI) मंत्री बनाया गया है।
- बर्नहैम ने ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में बड़े बदलाव ("circuit-breaker") का संकल्प लिया है। उनकी प्राथमिकताओं में बढ़ती महंगाई पर काबू पाना, सार्वजनिक सेवाओं को सुधारना, अधिक सार्वजनिक आवासों का निर्माण और ऊर्जा व पानी के बुनियादी ढांचे पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना शामिल है।

ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायु सेना तीसरे स्थान पर

- वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट (WDMMA) द्वारा जारी 'ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026' में भारतीय वायु सेना (IAF) ने वैश्विक स्तर पर देश-वार सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। भारत लगातार पांचवीं बार इस स्थान पर बरकरार है।
- भारतीय वायु सेना ने इस रैंकिंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) को पीछे छोड़ दिया है। देश-वार रैंकिंग में भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और रूस (Russia) से पीछे है।
- WDMMA मूल्यांकन में IAF को 69.4 का स्कोर मिला है, जबकि चीनी वायु सेना 63.8 स्कोर के साथ नीचे है। यदि अलग-अलग सैन्य शाखाओं (जैसे अमेरिकी नौसेना, मरीन कॉर्प्स आदि) को गिना जाए, तो व्यक्तिगत सेवाओं की सूची में IAF छठे और चीन सातवें स्थान पर है।
- यह रैंकिंग केवल विमानों की संख्या पर नहीं, बल्कि बेड़े की विविधता, आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स क्षमता, आक्रमण क्षमता और स्थानीय रक्षा विनिर्माण (जैसे तेजस विमान और आत्मनिर्भर भारत पहल) पर आधारित है। भारत का संतुलित और आधुनिक बेड़ा इसे चीन की विशाल लेकिन कम विविध वायु सेना पर बढ़त दिलाता है।

भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 57,443 मेगावाट के पार

- हाल ही में भारत की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 57,443 मेगावाट (MW) के स्तर को पार कर गई है। इसके साथ ही भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश बना हुआ है। यह उपलब्धि देश के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 57,443 मेगावाट तक पहुँच गई है।
- गुजरात देश में सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला राज्य है, इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान का स्थान है। भारत के

पास लगभग 695 गीगावाट ऑनशोर पवन ऊर्जा की अनुमानित तकनीकी क्षमता (120 मीटर हब ऊँचाई पर) उपलब्ध है। सरकार राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति, अपतटीय (Offshore) पवन ऊर्जा परियोजनाओं तथा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।

- पवन ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहायक है। यह ऊर्जा सुरक्षा, हरित रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। बढ़ती पवन ऊर्जा क्षमता भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करेगी।

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) रिपोर्ट 2022-23 एवं 2023-24

- केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए 'अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण' (AISHE) रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में हो रहे सकारात्मक बदलावों और विकास को दर्शाती है।
    - **सर्वकालिक उच्च नामांकन:** देश में उच्च शिक्षा के लिए कुल छात्र नामांकन रिकॉर्ड 4.5 करोड़ के पार पहुंच गया है। यह वर्ष 2014-15 की तुलना में लगभग 31.5% की वृद्धि है।
    - **सकल नामांकन अनुपात (GER):** 18-23 वर्ष आयु वर्ग का GER बढ़कर 30% हो गया है।
    - **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं का GER (31.2) पुरुषों (30.0) से अधिक रहा। लैंगिक समानता सूचकांक (GPI) 1.08 दर्ज किया गया, जो महिलाओं की मजबूत भागीदारी का प्रमाण है।
    - **STEM में हिस्सेदारी:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) क्षेत्रों में महिला नामांकन बढ़कर 44% हो गया है।
    - **सामाजिक समावेशन:** 2014-15 के मुकाबले अनुसूचित जनजाति (ST) नामांकन में 75.7%, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में 60.2%, और अनुसूचित जाति (SC) में 51.4% की भारी वृद्धि हुई है।
    - **संस्थान और शिक्षक:** देश में विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 1,289 और कुल शिक्षक 17.32 लाख हो गए हैं।
- यह रिपोर्ट देश की शिक्षा नीति की सफलता और समाज के हर वर्ग तक उच्च शिक्षा की आसान पहुंच को प्रमाणित करती है।

भारत की 'समृद्ध ग्राम' परियोजना को वैश्विक WSIS पुरस्कार 2026

- भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) की प्रमुख पहल 'समृद्ध ग्राम: एकीकृत फिजिटल सेवा वितरण मॉडल' को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन (WSIS) फोरम 2026 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा 'एक्शन लाइन C6 – सक्षम वातावरण' (Enabling Environment) श्रेणी के तहत प्रदान किया गया।
- यह परियोजना दुनिया के सबसे बड़े ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क भारतनेट (BharatNet) पर आधारित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच के डिजिटल विभाजन को पूरी तरह समाप्त करना है।
- इस मॉडल के अंतर्गत गांवों में 'वन-स्टॉप' कम्युनिटी हब स्थापित किए जा रहे हैं, जो भौतिक बुनियादी ढांचे को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण आबादी को उनके घर के पास ही टेलीमेडिसिन (स्वास्थ्य), डिजिटल क्लासरुम (शिक्षा), कृषि सहायता, ई-गवर्नेंस, बैंकिंग और ई-कॉमर्स जैसी आवश्यक सेवाएं मिल रही हैं।
- मध्य प्रदेश के गुना जिले के उमरी गांव में देश का पहला समृद्धि केंद्र शुरु किया गया था। यह पुरस्कार वैश्विक स्तर पर भारत के मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और ग्रामीण सशक्तिकरण के बढ़ते नेतृत्व को प्रमाणित करता है।

'ट्राइबएक्स' (TribeX): भारत का पहला जनजातीय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म

- जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 7 जुलाई 2026 को भुवनेश्वर (ओडिशा) में 'ट्राइबएक्स' (TribeX) नाम से भारत का पहला डिजिटल लर्निंग

प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। जिसका उद्देश्य भारत की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल को डिजिटल रूप से संरक्षित और प्रसारित करना है।

- यह देश के जनजातीय समुदायों के ज्ञान को सहेजने वाला पहला समर्पित ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म 20 मुफ्त सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान कर रहा है। भविष्य में इन पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाकर 100 से अधिक की जाएगी।
- इसके तहत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय (वाराणसी) के सहयोग से यूजीसी-मान्यता प्राप्त पीजी हाइब्रिड डिप्लोमा कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।यह पहल जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRIs) को मजबूत करेगी और युवा पीढ़ी को आदिवासी विरासत व पारंपरिक ज्ञान से जोड़ेगी।

टाइम आउट 'वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026' में जयपुर छठे स्थान पर

- लंदन के प्रतिष्ठित मीडिया आउटलेट 'टाइम आउट' द्वारा जारी 'वल्ड्र्स हैप्पीएस्ट सिटीज 2026' सर्वेक्षण में राजस्थान की राजधानी जयपुर को वैश्विक स्तर पर छठा (6वां) स्थान मिला है। इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सूची के शीर्ष 10 में जगह बनाने वाला जयपुर एकमात्र भारतीय शहर बना है। इस वैश्विक वार्षिक सर्वेक्षण में दुनिया भर के 24,000 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया।
- इंग्लैंड का बाथ (Bath) शहर इस सूची में पहले स्थान पर रहा। शहरों का मूल्यांकन मजबूत सामुदायिक भावना, सांस्कृतिक जीवंतता, हरित क्षेत्र (पार्क), मैत्रीपूर्ण पड़ोस, स्थानीय भोजन, कला, नाइटलाइफ़ और सामाजिक संबंध बनाने में आसानी जैसे कारकों के आधार पर किया गया।
- जयपुर को अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, सकारात्मक सामाजिक वातावरण, रंग-बिरंगी संस्कृति और आधुनिक शहरी बुनियादी ढांचे के बेहतरीन समन्वय के लिए सराहा गया है।
- **दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहर:**
  - बाथ (इंग्लैंड), 2. पनामा सिटी (पनामा), 3. ग्वाडलजारा (मेक्सिको), 4. मेडेलिन (कोलंबिया), 5. क्राकोव (पोलैंड), 6. जयपुर (भारत), 7. शिकागो (अमेरिका), 8. केप टाउन (दक्षिण अफ्रीका), 9. शंघाई (चीन), और 10. गोथेनबर्ग (स्वीडन)।

पीएम मोदी को जकार्ता का सर्वोच्च सम्मान

- 7 जुलाई, 2026 को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रोबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिंटांग आदिपूर्णा' (Bintang Adipurna) प्रदान किया। पंडित नेहरू के बाद यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
- यह पुरस्कार भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी, आपसी विश्वास और दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पीएम मोदी के असाधारण नेतृत्व और योगदान के लिए दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान को स्वीकार करते हुए इसे भारत के 140 करोड़ नागरिकों, दोनों देशों की अटूट मित्रता और सदियों पुराने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को समर्पित किया।
- इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, क्रिटिकल मिनरल्स (महत्वपूर्ण खनिज), और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों (MoUs) पर हस्ताक्षर भी किए गए।

तीन शीर्ष पुलिस संस्थानों में नए प्रमुखों की नियुक्ति

- 6 जून, 2026 को केंद्र सरकार ने देश के तीन शीर्ष पुलिस संस्थानों में नए प्रमुखों की नियुक्ति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी।

- » **आलोक कुमार मित्तल (बीपीआर एंड डी):** 1993 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस (IPS) अधिकारी आलोक कुमार मित्तल को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है। वे जून 2029 तक इस पद पर रहेंगे।
- » **अमित गर्ग (एनसीआरबी):** 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का निदेशक बनाया गया है। उन्हें महानिदेशक स्तर पर पदोन्नत करके यह जिम्मेदारी दी गई है।
- » **सुजीत पांडेय (एसवीपीएनपीए):** 1994 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी सुजीत पांडेय को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है।

- ये तीनों संस्थान भारतीय आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था के स्तंभ हैं, जो क्रमशः पुलिस आधुनिकीकरण (BPR&D), अपराध डेटा विश्लेषण (NCRB) और आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण (SVPNPA) का काम करते हैं।

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्पादों को मिला GI टैग

- हाल ही में हरियाणा के 1, हिमाचल प्रदेश के 8 पारंपरिक उत्पादों और पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के 3 ऐतिहासिक उत्पादों को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया है। इस नई मान्यता के बाद हिमाचल प्रदेश में कुल पंजीकृत GI उत्पादों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है।
- हरियाणा के सिरसा जिले में उगाए जाने वाले 'सिरसा किन्नू' को चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा आधिकारिक तौर पर जीआई (भौगोलिक संकेत) टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही सिरसा किन्नू यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला हरियाणा का पहला फल और विशिष्ट कृषि उत्पाद बन गया है।
- सिरसा की अर्ध-शुष्क जलवायु और अनूठी मिट्टी के कारण यहाँ का किन्नू अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मीठा, रसदार, बड़े आकार का और पतले छिलके वाला होता है। हरियाणा के कुल किन्नू उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा अकेले सिरसा जिले में होता है। इस टैग से सिरसा किन्नू को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी, उत्पाद की नकल रुकेगी और स्थानीय किसानों को वैश्विक बाजार में अपने फल की बेहतर और प्रीमियम कीमतें मिल सकेंगी।
- **हिमाचल प्रदेश के 8 नए मान्यता प्राप्त उत्पाद:**
  - » **कृषि उत्पाद:** स्पीति का सी-बकथॉर्न (छरमा), सलूणी सफेद मक्का और किन्नौरी सेब।
  - » **खाद्य सामग्री:** मंडी की प्रसिद्ध 'सेपू वड़ी'।
  - » **हस्तशिल्प और कला:** चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोइया (पारंपरिक शॉल/पोशाक), किन्नौरी टोपी और किन्नौरी आभूषण।
- **पश्चिम बंगाल के 3 नए मान्यता प्राप्त उत्पाद:** पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तीन बेहद लोकप्रिय उत्पादों को प्राप्त हुआ है:
  - » **चंदननगर का जलभरा संदेश:** यह लगभग 220 साल पुरानी बंगाली मिठाई है, जिसके अंदर सुगंधित चाशनी भरी होती है।
  - » **जनाई का मनोहरा:** यह भी बंगाल की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है।
  - » **बालागढ़ की पारंपरिक लकड़ी की नावें (डिंगी नावें):** हुगली नदी के तट पर स्थित बालागढ़ में 500 से अधिक वर्षों से नाव बनाने की यह अनूठी कला जीवित है।
- भारत में GI टैग का संचालन वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत किया जाता है। GI टैग मिलने से अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में उत्पादों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है, जालसाजी रुकती है और स्थानीय कारीगरों व किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के नाम में परिवर्तन

- हाल ही में बुकर पुरस्कार फाउंडेशन (Booker Prize Foundation) ने घोषणा की है कि वर्ष 2027 से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का आधिकारिक नाम बदलकर 'बुखमान अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार (Bukhman International Booker Prize)' कर दिया जाएगा। यह

बदलाव परोपकारी संस्था बुखमान फिलैंथ्रोपीज़ (Bukhman Philanthropies) के साथ हुए एक दशक लंबे (2027-2036) वित्तीय समझौते के बाद किया गया है।

- वार्षिक पुरस्कार राशि को £50,000 से दोगुना कर £100,000 (लगभग ₹1.28 करोड़) कर दिया गया है, जिससे यह दुनिया के सबसे समृद्ध साहित्यिक पुरस्कारों में शामिल हो गया है।
- पुरस्कार के मूल नियमों के तहत, यह बढ़ी हुई राशि भी लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से (£50,000 प्रत्येक) विभाजित की जाएगी। अंतिम छह में जगह बनाने वाली प्रत्येक पुस्तक को £5,000 मिलेंगे।

आरबीआई की नई एकीकृत ओम्बड्समैन योजना लागू

- आरबीआई की नई एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (Integrated Ombudsman Scheme) 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू की गई इस संशोधित व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वित्तीय उपभोक्ताओं की शिकायतों का एक पारदर्शी, त्वरित और पूरी तरह से निःशुल्क समाधान सुनिश्चित करना है।
- "एक राष्ट्र, एक ओम्बड्समैन" के सिद्धांत पर आधारित यह ढांचा ग्राहकों को किसी भी स्थान से अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है। इसके दायरे में सभी अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), प्रीपेड भुगतान उपकरण (PPI) जारीकर्ता और क्रेडिट सूचना कंपनियां (CICs) शामिल हैं। सेवा में किसी भी प्रकार की कमी होने पर उपभोक्ता इसका लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत मुआवजा सीमाओं को भी बढ़ाया गया है। अब सेवा में कमी पाए जाने पर वित्तीय नुकसान के लिए 30 लाख रुपये तक और मानसिक उत्पीड़न, समय की बर्बादी तथा खर्चों के मुआवजे के रूप में 3 लाख रुपये तक का हर्जाना दिया जा सकता है। यह योजना डिजिटल और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली के माध्यम से वित्तीय लोकपाल तंत्र को और मजबूत बनाती है। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता आरबीआई शिकायत प्रबंधन पोर्टल (CMS) पर जा सकते हैं।

रवि अग्रवाल सीबीडीटी (CBDT) अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त

- केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया है। उनका यह नया कार्यकाल 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी हो गया है, जिसे 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।
- 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी रवि अग्रवाल 30 जून, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। सरकार ने उन्हें संविदा (contract) के आधार पर यह सेवा विस्तार दिया है। उन्हें पहली बार जून 2024 में नितिन गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद जून 2025 में भी उनके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।
- सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) नीतियों को तैयार करने वाला सर्वोच्च निकाय है। रवि अग्रवाल के कार्यकाल को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कर प्रशासन में निरंतरता बनाए रखना और चल रहे राजस्व सुधारों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाना है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सिजेरियन डिलीवरी में ऑक्सीटोसिन के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ऑक्सीटोसिन का संश्लेषण हाइपोथैलेमस में होता है और यह पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि (posterior pituitary gland) से स्रावित होता है।
2. सिजेरियन सेक्शन (Caesarean section) से गुजरने वाली महिलाओं को अक्सर सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रसव के दौरान होने वाली प्राकृतिक हार्मोनल वृद्धि (hormonal surge) अपर्याप्त हो सकती है।
3. सी-सेक्शन के दौरान डिलीवरी के बाद ऑक्सीटोसिन मुख्य रूप से गर्भाशय के संकुचन (uterine contraction) को बढ़ाकर प्रसवोत्तर रक्तस्राव (postpartum haemorrhage) को रोकने के लिए दिया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 3
B: केवल 1 और 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

2. 2026 यूरोप हीटवेव संकट (Europe Heatwave Crisis 2026) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ओमेगा ब्लॉक (Omega Block) एक मौसम संबंधी घटना है जिसमें एक उच्च-दाब प्रणाली दो निम्न-दाब प्रणालियों के बीच फँस जाती है, जिससे लंबे समय तक हीटवेव की स्थिति बनी रहती है।
2. ओमेगा ब्लॉक से जुड़ी उच्च-दाब प्रणाली बादलों के निर्माण और वर्षा को बढ़ावा देती है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है।
3. यूरोप वैश्विक औसत की तुलना में लगभग दोगुनी दर से गर्म हो रहा है, जिसका एक कारण आर्कटिक प्रवर्धन है।
4. शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव शहरों में तापमान को बढ़ाता है क्योंकि यह ऊष्मा के अवशोषण और उसके बने रहने को बढ़ा देता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1, 3 और 4
B: केवल 1 और 2
C: केवल 2, 3 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

3. पीएम फैमिली केयर ट्रैकर (PM Family Care Tracker) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए एक AI-सक्षम एकीकृत शासन मंच (integrated governance platform) है।
2. यह नागरिक पंजीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक कल्याण के डेटाबेस को एकीकृत करता है।
3. प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक ट्रैकिंग के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की जाती है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 3
B: केवल 1 और 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2 और 3

4. प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह विश्व का पहला अंतरमहाद्वीपीय बड़े जंगली मांसाहारी के पुनर्स्थापन का कार्यक्रम है।
2. इस परियोजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) तथा राज्य वन विभागों के सहयोग से किया जा रहा है।
3. इस परियोजना के अंतर्गत लाए गए चीते केवल नामीबिया से लाए गए हैं।
4. यह परियोजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर के हिस्से के रूप में संचालित की जा रही है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 4
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2, 3 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

5. भारत में मंदिर प्रशासन (Temple Governance) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान का अनुच्छेद 25(2) राज्य को धार्मिक संस्थानों से संबंधित धर्मनिरपेक्ष (Secular) एवं आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार प्रदान करता है।
2. मंदिर प्रशासन में राज्य की भागीदारी का संवैधानिक आधार धार्मिक अनुष्ठानों के बजाय धर्म के धर्मनिरपेक्ष (प्रशासनिक एवं आर्थिक) पक्षों को विनियमित करने की शक्ति पर आधारित है।
3. धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 (Religious Endowments Act, 1863) तथा मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1925 ने मंदिर प्रशासन पर राज्य के नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2 और 3

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2 और 3

6. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड तथा 1994 के अपर यमुना समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) की स्थापना जल आवंटन को विनियमित करने, नदी के प्रवाह की निगरानी करने तथा बेसिन राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए की गई थी।
2. वर्ष 2000 में उत्तराखंड के गठन के बाद वह अपर यमुना बेसिन का एक हितधारक (Stakeholder) बन गया।
3. 1994 के अपर यमुना समझौते के अंतर्गत राजस्थान को यमुना नदी के उपयोग योग्य जल का 10.4% आवंटित किया गया था।
4. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 3

B: केवल 1 और 4

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

7. भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल प्रबंधन के संवैधानिक एवं कानूनी ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अनुच्छेद 262 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का प्रावधान करने का अधिकार देता है।
2. अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 अनुच्छेद 262 के प्रावधानों के अंतर्गत बनाया गया था।
3. राज्य सूची (State List) की प्रविष्टि 17 (Entry 17) राज्यों को सभी नदियों, जिसमें अंतर-राज्यीय नदियाँ भी शामिल हैं, पर पूर्ण और एकमात्र अधिकार प्रदान करती है, जिसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।
4. संघ सूची (Union List) की प्रविष्टि 56 (Entry 56) संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को सार्वजनिक हित में विनियमित और विकसित करने का अधिकार देती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

8. दिल्ली ईवी नीति, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 31 मार्च 2028 के बाद दिल्ली में नए पेट्रोल से चलने वाले मोटरसाइकिलों और स्कूटरों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।
2. दिसंबर 2026 के बाद नए सीएनजी ऑटो-रिक्शा का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा।
3. अप्रैल 2028 से सभी नए पंजीकृत दोपहिया, तिपहिया तथा निजी चारपहिया वाहन अनिवार्य रूप से बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEVs) होंगे।
4. यह नीति पुराने बीएस-IV तथा उससे पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपेज (कबाड़) प्रोत्साहन प्रदान करती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1, 2 और 4

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2, 3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

9. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) का संचालन जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 द्वारा किया जाता है।
2. भारत के महापंजीयक (Registrar General of India - RGI) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।
3. CRS जन्म, मृत्यु और मृत जन्म (stillbirths) का सतत, अनिवार्य और सार्वभौमिक पंजीकरण प्रदान करती है।
4. CRS रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में 99% से अधिक जन्म और मृत्यु पंजीकृत किए गए थे।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल

B: 1, 3 और 4 केवल

C: 2 और 4 केवल

D: 1, 2, 3 और 4

10. नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) रिपोर्ट 2024 में जन्म के समय लिंगानुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जन्म के समय लिंगानुपात (SRB) का अर्थ प्रति 1,000 पुरुष जीवित जन्मों पर महिला जीवित जन्मों की संख्या है।
2. वर्ष 2024 में भारत का जन्म के समय लिंगानुपात 1,000 पुरुषों पर 917 महिलाएँ था।
3. लगभग 950 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुषों का जन्म के समय लिंगानुपात सामान्य जैविक (natural biological) सीमा माना जाता है।
4. वर्ष 2024 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागालैंड ने सबसे अधिक जन्म के समय लिंगानुपात दर्ज किया।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो
C: केवल तीन
D: सभी चार

11. विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] अधिनियम, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह अधिनियम पूरे भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को प्रतिस्थापित करता है।
2. यह 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को 125 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है।
3. यह अधिनियम वेतन भुगतान 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान करता है तथा देरी होने पर मुआवजा भी देय होता है।
4. ग्राम पंचायतें ग्राम सभा की भागीदारी के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPPs) तैयार करती हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

12. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) भारतीय रिज़र्व बैंक की द्विवार्षिक (biannual) प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है।
2. इसे वर्ष 2010 से प्रकाशित किया जा रहा है और यह वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिमों की पहचान के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (early-warning system) के रूप में कार्य करती है।
3. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एक सांविधिक (statutory) निकाय है, जिसकी अध्यक्षता RBI के गवर्नर करते हैं।
4. FSR को FSDC की उप-समिति (Subcommittee) से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 2 और 4 केवल
C: 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

13. 16वें भारत–जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन (2026) के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. शिखर सम्मेलन में "साझा विकास, समृद्धि और लचीलापन के लिए रणनीतिक अभिसरण एवं विश्वास" शीर्षक से एक साझा दृष्टि (Shared Vision) को अपनाया गया।
2. भारत और जापान ने एआई (AI) रणनीतिक संवाद (Strategic Dialogue) की शुरुआत की तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी और लूपेक्स (LUPEX) अंतरिक्ष मिशन में सहयोग पर सहमति व्यक्त की।
3. भारत–जापान आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर और महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (Resilient Supply Chains) को सुदृढ़ बनाना है।
4. शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी समझौते (CPTPP) में शामिल होने के निर्णय की घोषणा की गई।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 2 और 4 केवल
C: 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

14. भारत–जापान संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership) की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी।
2. जिमेक्स (JIMEX) भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जबकि धर्म गार्जियन (Dharma Guardian) एक संयुक्त थल सेना (Army) अभ्यास है।
3. मुंबई–अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना में जापान एक प्रमुख साझेदार है।
4. मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत की अवधारणा का उद्देश्य नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था, नौवहन की स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

15. हाल ही में उभरती उपचार पद्धतियों को केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के दायरे में लाने संबंधी संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CLAA, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा औषधि नियम, 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करता है।
2. हालिया संशोधन के माध्यम से स्टेम सेल-व्युत्पन्न उत्पाद, जीन चिकित्सीय उत्पाद तथा ज़ेनोग्राफ्ट (Xenografts) को CLAA के दायरे में शामिल किया गया है।
3. CLAA के अंतर्गत नियामक निगरानी केवल केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा की जाती है तथा इसमें राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (State Licensing Authorities) की कोई भूमिका नहीं होती।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: 1 और 2 केवल
B: 1 और 3 केवल
C: 2 और 3 केवल
D: 1, 2 और 3

16. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. EPF योजना, 2026 को सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), 2020 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत पहले से पंजीकृत EPF सदस्यों को नई योजना के अंतर्गत पुनः पंजीकरण (Fresh Registration) कराना आवश्यक है।
3. अधिकांश प्रतिष्ठानों के लिए EPF में नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों का वेतन का 12% अनिवार्य अंशदान यथावत् बना हुआ है।
4. यदि श्रमिक ऐसे ठेकेदार (Contractor) के माध्यम से नियोजित हैं, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में स्वतंत्र रूप से पंजीकृत नहीं है, तब भी EPF अंशदान जमा कराने की जिम्मेदारी प्रधान नियोक्ता (Principal Employer) की होगी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

17. भारत में जल सुरक्षा (Water Security) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जल सुरक्षा का अर्थ केवल कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है।
2. भारत के पास विश्व के कुल मीठे जल (Freshwater) संसाधनों का लगभग 4% है, जबकि यहाँ विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है।
3. प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1,000 घन मीटर (Cubic Metres) से कम होने को सामान्यतः गंभीर जल अभाव (Severe Water Scarcity) का संकेत माना जाता है।
4. जल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कुशल जल प्रबंधन, जल संरक्षण, पुनः उपयोग (Reuse), पुनर्चक्रण (Recycling) तथा जल संसाधनों का न्यायसंगत एवं समान वितरण (Equitable Allocation) आवश्यक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 2, 3 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

18. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की रिपोर्ट "दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में श्रम बाजार की गतिशीलता" (PLFS 2025) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों (Million-plus Cities) में कार्यरत महिलाओं में नियमित वेतनभोगी (Regular Salaried) रोजगार का अनुपात, समग्र शहरी भारत की महिलाओं की तुलना में अधिक है।
2. कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio - WPR) कुल जनसंख्या में रोज़गार प्राप्त तथा कार्य की सक्रिय रूप से तलाश कर रहे बेरोज़गार व्यक्तियों के अनुपात को मापता है।
3. नियमित वेतनभोगी रोजगार (Regular Salaried Employment) का कुल रोजगार में हिस्सा, समग्र शहरी भारत की तुलना में Million-plus Cities में अधिक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: 1 और 2 केवल
B: 1 और 3 केवल
C: 2 और 3 केवल
D: 1, 2 और 3

19. ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स पासपोर्टों की रैंकिंग केवल वीज़ा-मुक्त (Visa-free) तथा वीज़ा-ऑन-अराइवल (Visa-on-Arrival) यात्रा सुविधा के आधार पर करता है।
2. इस सूचकांक में Enhanced Mobility घटक को सर्वाधिक भारांक (Weightage) दिया गया है।
3. Investment Index तथा Quality of Living Index को समग्र रैंकिंग में समान भारांक दिया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A: 1 और 2 केवल
B: 1 और 3 केवल
C: 2 और 3 केवल
D: 1, 2 और 3

20. पंडवानी (Pandavani) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पंडवानी एक पारंपरिक लोक नाट्य (Folk Theatre) एवं मौखिक कथा-वाचन (Oral Storytelling) की परंपरा है, जिसका उद्भव मुख्यतः छत्तीसगढ़ में हुआ।
2. इसमें रामायण के प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से भगवान राम पर बल दिया जाता है।
3. प्रस्तोता (कलाकार) प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः तंबूरा (एकतारा) का उपयोग एक वाद्य यंत्र तथा प्रतीकात्मक उपकरण (Symbolic Prop) दोनों के रूप में करता/करती है।
4. तात्कालिक प्रस्तुति (Improvisation) तथा दर्शकों के साथ संवाद

(Audience Interaction) पंडवानी की महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

21. बैंकों में ऋण-से-जमा अनुपात तथा परिसंपत्ति-दायित्व प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्च ऋण-से-जमा अनुपात (Credit-to-Deposit Ratio) यह दर्शाता है कि बैंक अपनी जमा राशि का बड़ा हिस्सा ऋण देने में उपयोग कर रहे हैं।
2. लगातार उच्च ऋण-से-जमा अनुपात बैंकों के पास उपलब्ध तरलता सुरक्षा (Liquidity Cushion) को कम कर सकता है।
3. परिसंपत्ति-दायित्व असंतुलन तब उत्पन्न होता है जब बैंक अल्पकालिक जमाओं (Short-term Deposits) के आधार पर दीर्घकालिक ऋण (Long-term Loans) प्रदान करते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: 1 और 2 केवल
B: 1 और 3 केवल
C: 2 और 3 केवल
D: 1, 2 और 3

22. भारत में चालू खाता एवं बचत खाता (CASA) जमा (Deposit) की वृद्धि में मंदी आने के लिए निम्नलिखित में से कौन-से कारक उत्तरदायी रहे हैं?

1. परिवारों द्वारा इक्विटी बाजार, म्यूचुअल फंड तथा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) में निवेश में वृद्धि।
2. UPI तथा ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से तीव्र डिजिटलीकरण।
3. बचत खातों की तुलना में सावधि जमा (Fixed Deposits/FDs) पर अधिक ब्याज दरों की पेशकश।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि (Balance) को अनिवार्य रूप से कम करने का निर्देश।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

23. यूडीआईएसई+ (UDISE+) रिपोर्ट 2025–26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में छात्र–शिक्षक अनुपात (Pupil–Teacher Ratio, PTR), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा निर्धारित 30:1 के मानक से कम है।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत आधारभूत चरण (Foundational Stage) में 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा शामिल है।
3. माध्यमिक स्तर (Secondary Level) पर सकल नामांकन अनुपात में 2022–23 से 2025–26 के बीच गिरावट आई है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: 1 और 2 केवल
B: 1 और 3 केवल
C: 2 और 3 केवल
D: 1, 2 और 3

24. यूडीआईएसई+ (UDISE+) रिपोर्ट 2025–26 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख चुनौतियों के रूप में चिन्हित किया गया है?

1. सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के कारण माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों का विद्यालय छोड़ना (ड्रॉपआउट)।
2. केवल लगभग 30% विद्यालयों में वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) की व्यवस्था है।
3. लगभग एक लाख विद्यालय अब भी केवल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं।
4. आधे से भी कम विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

25. गगनयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस मिशन का उद्देश्य तीन अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किमी की ऊँचाई पर स्थित निम्न पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit - LEO) में अधिकतम सात दिनों के मिशन के लिए भेजना है।
2. इस मिशन का प्रक्षेपण ह्यूमन-रेटेड एलवीएम3 (Human-Rated LVM3 - HLVM3) प्रक्षेपण यान द्वारा किया जाएगा।
3. मानवयुक्त मिशन से पहले इसरो (ISRO) कई मानवरहित उड़ानें संचालित करेगा, जिनमें से एक में व्योममित्र (Vyommitra) नामक मानवरूपी (Humanoid) रोबोट को भेजा जाएगा।
4. क्रू एस्केप सिस्टम का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यान के कक्षा में पहुँचने के बाद उसकी कक्षीय गतियों के लिए प्रणोदन प्रदान करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

26. श्वेत आंत्र रोग (White Gut Disease - WGD) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. श्वेत आंत्र रोग (WGD), जिसे श्वेत मल रोग (White Feces Disease - WFD) भी कहा जाता है, मुख्य रूप से पैसिफिक व्हाइट श्रिम्प को प्रभावित करता है।
2. यह रोग केवल एक ही विषाणु (वायरल) रोगजनक के कारण होता है।
3. इस रोग की पहचान झींगा तालाबों में तैरते हुए सफेद मल के धागेनुमा गुच्छों (White Faecal Strings) तथा आंत्र (Gut) के खराब स्वास्थ्य से होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: 1 और 2 केवल
B: 1 और 3 केवल
C: 2 और 3 केवल
D: 1, 2 और 3

27. इंडोनेशिया के प्रम्बानन (Prambanan) मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में शैव मंदिर वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है।
2. इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास संजय वंश (Sanjaya Dynasty) के शासनकाल में हुआ था।
3. मंदिर परिसर का केंद्रीय मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।
4. मंदिर की दीवारों पर रामायण तथा भागवत पुराण के प्रसंगों का चित्रण करने वाली सुंदर उत्कीर्ण (रिलीफ) मूर्तियाँ अंकित हैं।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

28. भारत में 'भूल जाने का अधिकार' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भूल जाने का अधिकार (RTBF) को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार (Right to Privacy) के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. लक्ष वीर सिंह यादव बनाम भारत संघ, 2026 मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि उपयुक्त परिस्थितियों में भूल जाने का अधिकार का प्रयोग निजी डिजिटल प्लेटफॉर्मों एवं सर्च इंजनों के विरुद्ध भी किया जा सकता है।
3. न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति के अनुरोध पर व्यक्तिगत जानकारी वाले सभी न्यायिक अभिलेखों (Judicial Records) को स्थायी रूप से हटाना अनिवार्य होगा।
4. न्यायालय ने निजता, खुली न्याय व्यवस्था (Open Justice) तथा जनहित के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए संरचित आनुपातिकता परीक्षण (Structured Proportionality Test) प्रस्तुत किया।

उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

29. 2026 के तीसरे भारत–ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन-सी पहलें शुरू की गईं या क्रियान्वित की गईं?

1. समर्पित क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर
2. ऑस्ट्रेलिया–भारत साइबर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ एवं सप्लाई चेन साझेदारी
3. गुजरात में रूफटॉप सोलर प्रशिक्षण अकादमी
4. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सचिवालय

नीचे दिए गए कूट (Code) का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

A: 1, 2 और 3 केवल
B: 1, 3 और 4 केवल
C: 1, 2 और 4 केवल
D: 1, 2, 3 और 4

30. प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) अधिनियम और CAMPA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन प्रारंभ में वर्ष 2002 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था।
2. CAF अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एकत्रित निधि का 90% संबंधित राज्य CAMPA को हस्तांतरित किया जाता है, जबकि 10% राष्ट्रीय CAMPA के पास रखा जाता है।
3. CAMPA निधि केवल वनों के नेट प्रेजेंट वैल्यू (Net Present Value - NPV) से प्राप्त होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

31. राष्ट्रीय CAMPA की 7वीं शासी निकाय (Governing Body) बैठक में स्वीकृत हालिया पहलों एवं योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. मिष्टी (MISHTI - Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Incomes): इसकी अवधि को तीन वर्षों के लिए बढ़ाने के साथ-साथ परिदृश्य पुनर्स्थापन (Landscape Restoration) के लिए एक नई योजना को भी स्वीकृति दी गई।
2. आस्था वन संरक्षण योजना यह एक नई स्वीकृत योजना है, जिसका उद्देश्य देशभर में लगभग 15,000 पवित्र उपवनों (Sacred

Groves) का संरक्षण करना है।

3. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड (हिम तेंदुआ) चरण-II: इसे संरक्षण प्रयासों को जारी रखने के लिए स्वीकृति दी गई है तथा इसमें हिम तेंदुओं की दूसरी राष्ट्रव्यापी जनसंख्या गणना कराने का प्रावधान भी शामिल है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

32. अस्त्र Mk-1 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित पहली दृष्टि-सीमा से परे वायु-से-वायु मारक मिसाइल है।
2. इस मिसाइल की परिचालन मारक क्षमता 200–240 किमी है।
3. इसका डिजाइन और विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा किया गया है।
4. इंडोनेशिया इसका पहला अंतरराष्ट्रीय निर्यात ग्राहक बना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

33. दृष्टि-सीमा से परे वायु-से-वायु मारक मिसाइलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. BVRAAMs मुख्य रूप से पायलट की दृश्य सीमा (Visual Range) के भीतर, अर्थात 20 समुद्री मील (37 किमी) से कम दूरी पर दुश्मन के विमानों को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं।
2. ये मिसाइलें पायलट को "फर्स्ट-शॉट क्षमता प्रदान करती हैं तथा पायलट की समग्र जीवित रहने की संभावना को काफी बढ़ाती हैं।
3. विकासाधीन अस्त्र Mk-3 (जिसे गाण्डीव भी कहा जाता है) में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (Solid Fuel Ducted Ramjet - SFDR) तकनीक का उपयोग किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

34. भारत की मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन के तहत स्थापित छह सदस्यीय वैधानिक (Statutory) निकाय है।
2. इसके तीन सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि शेष तीन बाह्य (External) सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
3. MPC के बाह्य सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं तथा वे तत्काल पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं।
4. MPC मुख्य रूप से थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Inflation Targeting) ढाँचे का पालन करती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

35. भारत के प्रत्यर्पण (Extradition) ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अमेरिका से अपराधियों का भारत को प्रत्यर्पण 1997 की भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि (Extradition Treaty) के अंतर्गत होता है।
2. इसमें द्वैध आपराधिकता (Dual Criminality) का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण माँगा गया है, वह भारत और अमेरिका—दोनों देशों के कानूनों के अनुसार अपराध एवं दंडनीय होना चाहिए।
3. न्यायालय द्वारा प्रत्यर्पण को स्वीकृति दिए जाने के बाद भी भगोड़े को सौंपने का अंतिम निर्णय संबंधित देशों की राष्ट्रीय सरकारों के पास होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

36. केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (National Perspective Plan - NPP) के अंतर्गत भारत की पहली प्रमुख नदी जोड़ो (River Interlinking) परियोजना है।
2. इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी के अधिशेष (Surplus) जल को बेतवा नदी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, तथा ये दोनों नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं।
3. दौधन बाँध (Daudhan Dam) के निर्माण से पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा भाग जलमग्न हो जाएगा।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

37. हाल ही में अपनाए गए भारत–न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप, 2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक वस्तुओं एवं सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति व्यक्त की है।
2. इस समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड को औपचारिक रूप से हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल किया गया है।
3. न्यूज़ीलैंड ने भारत के प्रौद्योगिकी (Technology) एवं अवसंरचना क्षेत्रों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

38. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 356 के अंतर्गत 'अनुपस्थिति में विचारण (Trial in Absentia)' प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सभी संज्ञेय (Cognizable) एवं गैर-जमानती (Non-bailable) अपराधों पर लागू होता है।
2. अभियुक्त को उद्घोषित अपराधी (Proclaimed Offender) घोषित किए जाने के तुरंत बाद विचारण प्रारंभ किया जा सकता है।
3. यदि फरार अभियुक्त के पास कोई विधिक प्रतिनिधित्व (Legal Representation) नहीं है, तो न्यायालय के लिए राज्य-व्यय पर एक प्रतिरक्षा अधिवक्ता नियुक्त करना अनिवार्य है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

39. शाकनाशी (Herbicide) पैराक्वाट (Paraquat) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पैराक्वाट डाइक्लोराइड (Paraquat dichloride) एक प्रणालीगत शाकनाशी है, जो पौधे की संवहनी प्रणाली (Vascular System) के माध्यम से पूरे पौधे में फैलता है।
2. वर्तमान में पैराक्वाट विषाक्तता (Paraquat Poisoning) के लिए कोई ज्ञात चिकित्सीय प्रतिविष (Medical Antidote) उपलब्ध नहीं है।
3. यह मुक्त कणों (Free Radicals) का निर्माण करके पौधों के ऊतकों को नष्ट करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की प्रक्रिया बाधित हो जाती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

40. भारत में कृषि-रसायनों (Agrochemicals) के नियामक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वर्तमान कीटनाशक अधिनियम, 1968 (Insecticides Act, 1968) के अंतर्गत राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में किसी भी खतरनाक कीटनाशक पर पूर्ण एवं स्थायी प्रतिबंध लगाने की वैधानिक शक्ति प्राप्त है।
2. भारत में विपणन किए जाने वाले सभी शाकनाशकों (Herbicides) का केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति में पंजीकरण अनिवार्य है।
3. प्रस्तावित पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट विधेयक, 2025 कीटनाशक अधिनियम, 1968 का स्थान लेता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

41. भारत–यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यूनाइटेड किंगडम भारत के लगभग सभी निर्यातों पर तत्काल शुल्क (Tariff) समाप्त कर देगा, जिससे व्यापार मूल्य (Trade Value) का लगभग 97% भाग आच्छादित होगा।
2. यह समझौता मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु भारत का पहला समर्पित लैंगिक (Gender) अध्याय स्थापित करता है।
3. यह समझौता मेक इन इंडिया (Make in India) से संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में भारत के शुल्कों (Tariffs) को पूर्णतः समाप्त कर देता है।
4. इस समझौते के साथ एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय श्रमिकों को एक निर्धारित अवधि तक यू.के. की सामाजिक सुरक्षा में अंशदान से छूट मिलेगी।

उपरोक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

42. सेवा उत्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा औपचारिक (Formal) तथा अनौपचारिक (Informal) दोनों सेवा क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विकसित किया गया है।
2. इसका आधार वर्ष (Base Year) 2024–25 है तथा यह एक उच्च-आवृत्ति (High-Frequency) मासिक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
3. इसे इसलिए शुरू किया गया क्योंकि वर्तमान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केवल औद्योगिक गतिविधियों को मापता है और सेवा क्षेत्र को कवर नहीं करता।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

43. वैश्विक टीकाकरण प्रणाली WHO/UNICEF रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 एक वैश्विक रणनीति है, जिसका उद्देश्य केवल पोलियो और खसरा (Measles) का उन्मूलन करना है।
2. "जीरो-डोज़ बच्चे (Zero-dose Children)" वे शिशु हैं जिन्हें डीटीपी (DTP) टीके की पहली खुराक मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद की सभी खुराकें छूट गई हैं।
3. हालिया निष्कर्षों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर खसरा (Measles) टीकाकरण कवरेज अभी भी प्रकोप (Outbreak) रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसके लिए कम-से-कम 95% टीकाकरण कवरेज आवश्यक है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

44. हाल ही में स्वीकृत सेमिकॉन मिशन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ₹76,000 करोड़ के पूर्व आवंटन के बाद शुरू की गई एक पूर्णतः नई पहल है।
2. यह मिशन केवल तैयार (Finished) सेमीकंडक्टर चिपों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है तथा कच्चे माल, गैसों और खनिजों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
3. नव स्वीकृत वित्तीय प्रावधान (Outlay) से इसके मूल्य की लगभग चार गुना निवेश राशि आकर्षित होने की अपेक्षा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

45. हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस नीति का उद्देश्य नीति अवधि के अंत तक देश में यूरिया के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।
2. यह नीति गैस-आधारित यूरिया विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देती है।
3. इस नीति में स्थिर (Fixed) एवं परिवर्ती (Variable) लागतों का पृथक्करण तथा लक्षित इक्विटी प्रतिफल की गारंटी का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

46. भारत की पहली हाइड्रोजन-संचालित ट्रेन 'NaMo Green Rail' की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह ट्रेन हाइड्रोजन तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ट्रेन के भीतर ही विद्युत का उत्पादन करती है।
2. इस विद्युत उत्पादन प्रक्रिया के दौरान केवल ऑक्सीजन और जलवाष्प ही उप-उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होते हैं।
3. यह ऐसी प्रणोदन (Propulsion) प्रणाली का उपयोग करती है जो केवल हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर निर्भर करती है तथा इसमें बैटरियों की आवश्यकता नहीं होती।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

47. वैश्विक व्यापार में कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग तथा इसकी भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोडेक्स मानक (Codex Standards) विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सभी सदस्य देशों पर स्वतः बाध्यकारी (Binding) होते हैं तथा उन्हें लागू करने के लिए घरेलू कानूनों में अपनाने की आवश्यकता नहीं होती।
2. स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय समझौते के अंतर्गत, कोडेक्स मानकों को खाद्य सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक (Benchmark) माना जाता है।
3. यदि भारत के कृषि निर्यात कोडेक्स मानकों का पालन करते हैं,

तो आयात करने वाले देश उन्हें "असुरक्षित" बताकर बिना वैध वैज्ञानिक साक्ष्य के अस्वीकार नहीं कर सकते।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

48. हाल ही में प्रक्षेपित विक्रम-1 (Vikram-1) रॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा विकसित एक उप-कक्षीय (Suborbital) रॉकेट है।
2. इस रॉकेट की प्रणोदन (Propulsion) प्रणाली में तीन ठोस-ईंधन (Solid Fuel) चरण तथा एक द्रव-ईंधन (Liquid Fuel) ऊपरी चरण का उपयोग किया गया है।
3. इसकी दक्षता बढ़ाने और भार कम करने के लिए इसमें 3D-प्रिंटेड द्रव इंजन का उपयोग किया गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

49. विक्रम-1 के प्रथम मिशन "आगमन (Mission Aagaman)" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस रॉकेट का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC), श्रीहरिकोटा से किया गया।
2. इसने सफलतापूर्वक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (Technology Demonstration) उपग्रहों को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया।
3. इस मिशन के लिए आवश्यक नियामकीय स्वीकृतियाँ तथा प्रक्षेपण संबंधी सहायता (Launch Assistance) भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) द्वारा उपलब्ध कराई गई।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

50. MH-60R सीहॉक (Seahawk) हेलीकॉप्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित एक स्वदेशी बहु-भूमिका (Multi-role) नौसैनिक हेलीकॉप्टर है।
2. यह हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से पनडुब्बी-रोधी युद्ध तथा सतह-रोधी युद्ध के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. इसे Mk 54 हल्के टॉरपीडो तथा AGM-114 हेलफायर (Hellfire) मिसाइलों से सुसज्जित किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

उत्तर

1	D	11	B	21	D	31	D	41	C
2	A	12	B	22	A	32	B	42	C
3	D	13	A	23	A	33	C	43	B
4	A	14	D	24	A	34	A	44	B
5	D	15	A	25	A	35	D	45	C
6	A	16	B	26	B	36	B	46	A
7	A	17	C	27	C	37	B	47	C
8	A	18	B	28	C	38	B	48	D
9	B	19	C	29	A	39	C	49	D
10	C	20	B	30	B	40	C	50	C

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Branch
ALIGANJ, LUCKNOW

NEW BATCH
UPSC(IAS)

Start with

Science & Technology

31st AUG. 2026

8:30 AM	Hindi / English Medium
6:00 PM	English Medium

OFFLINE & ONLINE
ADMISSION OPEN

Contact Us:
9506256789
A-12, Sec-J, Aliganj, Lucknow

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

Branch
ALIGANJ, LUCKNOW

UPPCS

PRELIMS SPECIAL BATCH

Start with

POLITY

माध्यम हिंदी/ENGLISH

10th AUG. 2026

6:00 PM

OFFLINE & ONLINE

ADMISSION OPEN

Contact Us:

7619903300

A-12, Sec-J, Aliganj, Lucknow

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Branch
Gomti Nagar, Lucknow

NEW BATCH
UPSC (IAS)
GEOGRAPHY
6 AUGUST 2026

Time: 8:30 AM | 6:00 PM

MODE OFFLINE | ONLINE

माध्यम: हिंदी/ENGLISH

- Comprehensive Coverage
- Focused Preparation
- Regular Tests & Evaluation
- Doubt Clearing Sessions

Admission Open

SANJAY SIR
(GEOGRAPHY EXPERT)

Contact Us: 7570009003 | Gomti Nagar Lucknow